

ESIC
Chinta Se Mukti



ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति



ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति



ESIC
Chinta Se Mukti



ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति



वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2017-18

ESIC

I kekt d l j {kk dk vVW oknk



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2017-18



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi - 110002

www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

www.facebook.com/esichq [@esichq](https://twitter.com/esichq)



विषय-सूची

अनुभाग	विषय	पृष्ठ संख्या
क.	क.रा.बी. निगम के सदस्य	01
ख.	स्थायी समिति के सदस्य	03
ग.	चिकित्सा हितलाभ परिषद् के सदस्य	04
घ.	क.रा.बी. निगम – एक नज़र में, 2017-18	05
ङ.	वर्ष 2017-2018 की विशेष उपलब्धियाँ	06
च.	ग्राफ	07
1.	कार्यान्वयन और व्याप्ति	10
2.	राजस्व प्रबन्धन	11
3.	चिकित्सा देखरेख	13
4.	नकद हितलाभ भुगतान	19
5.	वित्त	21
6.	क.रा.बी. निगम/स्थायी समिति/चिकित्सा हितलाभ परिषद् के महत्वपूर्ण निर्णय	23
7.	प्रशासन	32
8.	मानव संसाधन विकास	34
9.	सतर्कता गतिविधियां	35
10.	सार्वजनिक शिकायतों का निवारण	36
11.	राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन	37
12.	सूचना एवं प्रचार	39
13.	परिशिष्ट I-क से VII तक	43



CONTENTS

Section	Subject	Page No.
a.	Members of ESI Corporation	01
b.	Members of Standing Committee	03
c.	Members of Medical Benefit Council	04
d.	ESIC at a Glance, 2017-18	05
e.	Salient Achievements, 2017-18	06
f.	Graphics	07
1.	Implementation & Coverage	10
2.	Revenue Management	11
3.	Medical Care	13
4.	Cash Benefit Payments	19
5.	Finance	21
6.	Important Decisions of ESIC/SC/MBC	23
7.	Administration	32
8.	Human Resource Development	34
9.	Vigilance Activities	35
10.	Redressal of Public Grievances	36
11.	Implementation of Official Language	37
12.	Information & Publicity	39
13.	Appendices I-A to VII	43



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(31.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार

उपाध्यक्ष

सचिव
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार

सदस्यगण

अपर सचिव, भारत सरकार (ब्यूरो अध्यक्ष, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव, भारत सरकार (सामाजिक सुरक्षा प्रभाग-क.रा.बी. निगम से सम्बद्ध) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली	श्री के. दिलीप कुमार पूर्व विधान परिषद् सदस्य, तेलंगाना विधान परिषद्, 11-13-11/3, द्वार सं. 79, रोड नं. 2, अलकापुरी, हैदराबाद- 500035
श्री नेती राजेश्वर राव म. नं. 1-9-202/ई/1/सी/1, रामायलयम् रोड के सामने, मदर डेयरी के समीप, रामनगर, हैदराबाद-500020	श्री च. रामाकोटैया वारा पूर्णा निलायम 50-22-11 टीपीटी कॉलोनी सीथम्मा धारा विशाखापट्टणम-13, आंध्र प्रदेश	

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि

श्री सुदर्शन सरीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ए.आइ.एम.ओ., ए.आइ.एम.ओ. केन्द्रीय कार्यालय, जीवन सहाकार, चौथा तल, सर पी. एम. रोड, मुम्बई-400001	श्री जी. पी. श्रीवास्तव वरिष्ठ सलाहकार, एसोचैम, आई-10, सैक्टर-22, नोएडा (उ.प्र.)	श्री बी. सी. प्रभाकर अध्यक्ष, कर्नाटक नियोक्ता संघ, (सी.आइ.ई.) 74, शंकरा आरकेड, वाणी विलास मार्ग, बरवनगुडी, बेंगलुरु-560004
श्री माइकल डायस सचिव, नियोक्ता संघ, दिल्ली, (सी आइ ई) 54, कैलाश कुंज, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048	डॉ. यू. डी. चौबे महानिदेशक, स्कोप, (सी आइ ई) कोर 8वां, प्रथम तल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	श्री रजिन्दर सिंह मकेर महानिदेशक, भारतीय कर्मचारी संघ, आर्मी और नेवी बिल्डिंग, द्वितीये तल, 148 एम जी रोड, मुम्बई-400001
श्री विजय कलंत्री अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग संघ, ए.के. नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001	श्री रमाकान्त भारद्वाज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, 214, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, पंचकुला, हरियाणा	श्री के. वी. शेखर राजू राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग एसोसिएशन संघ (एफएएसआईआई), स्पन कंकरीट पाइप मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक, बी-5 एवं 6, स्विस कॉम्प्लेक्स, 33, रेस कोर्स रोड, बेंगलुरु-560001
श्री भरत मेहता सह-अध्यक्ष, मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध समिति, पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, 25, सुखदेव विहार, नई दिल्ली-110025		



EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(As on 31.03.2018)

CHAIRMAN

Minister of State for Labour & Employment (Independent Charge)
Govt. of India

VICE-CHAIRMAN

Secretary
Ministry of Labour & Employment
Govt. of India

MEMBERS

<p>Additional Secretary to the Government of India [Bureau Head of Social Security Division] Ministry of Labour and Employment, Govt. of India, New Delhi</p>	<p>Joint Secretary to the Govt. of India [Social Security Division – Dealing with ESIC] Ministry of Labour & Employment, New Delhi</p>	<p>Shri K. Dileep Kumar Ex-MLC, Telangana Legislative Council, 11-13-11/3, Door No.79, Road No. 2, Alkapuri, Hyderabad-500035</p>
<p>Shri Neti Rajeswar Rao H.No.1-9-202/E/1/C/1, Opposite Ramayalayam Road, Near Mother Dairy, Ramnagar, Hyderabad-500020</p>	<p>Shri Ch. Ramakotaiah Vara Poorna Nilayam 50-22-11 Tpt Colony Seethamma Dhara Visakhapatnam-13 Andhra Pradesh</p>	

EMPLOYERS' REPRESENTATIVES

<p>Shri Sudershan Sareen National Vice-President, AIMO AIMO Central Office at Jeevan Sahakar, 4th Floor, Sir P.M. Road, Mumbai-400001</p>	<p>Shri G.P. Srivastava Senior Advisor, ASSOCHAM I-10, Sector-22, Noida (UP)</p>	<p>Shri B.C. Prabhakar President, Karnataka Employers' Association, (CIE) 74, Shankara Arcade, Vani Vilas Road, Baravanagudi, Bengaluru-560004</p>
<p>Shri Michael Dias Secretary, The Employers' Association, Delhi, (CIE) 54, Kailash Kunj, Greater Kailash-I, New Delhi-110048</p>	<p>Dr. U.D. Choubey Director General, SCOPE, (CIE) Core 8th, 1st Floor, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003</p>	<p>Shri Rajinder Singh Maker Director General, Employees Federation of India, Army and Navy Building, 2nd Floor, 148 M.G. Road, Mumbai-400001</p>
<p>Shri Vijay Kalantri President, All India Association of Industries, A.K. Nayak Marg, Fort, Mumbai-400001</p>	<p>Shri Rama Kant Bharadwaj National Vice-President, Laghu Udyog Bharati, 214, Industrial Area, Phase-I, Panchkula Haryana</p>	<p>Shri K.V. Sekhar Raju National President, Federation of Associations of Small Industries of India (FASII), Spun Concrete Pipe Manufactures Association of Karnataka, B-5 & 6, Swiss Complex, 33, Race Course Road, Bengaluru-560001</p>
<p>Shri Bharat Mehta Co-Chairman, HR & Industrial Relations Committee, PHD Chamber of Commerce and Industry, 25, Sukhdev Vihar, New Delhi-110025</p>		



कर्मचारियों के प्रतिनिधि

श्री राम किशोर त्रिपाठी सचिव, एचएमएस, 128/239, के-ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर-208001	श्री प्रशांत नंदी चौधरी राष्ट्रीय सचिव, सीआईटीयू, श्रमिक भवन, 53, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700016	श्री गोकुलानंद जेना बीएमएस, टीबी-56, डाकघर नालको नगर-759145, जिला - अंगुल (ओडिशा)
श्री वी. राधाकृष्णन बीएमएस मेरायिल लेन, चित्तूर रोड, कोची-682018	श्री अजित श्रीपद कुलकर्णी बीएमएस, महासचिव, भारतीय मजदूर संघ (महाराष्ट्र), 92, मीरा नगर, जूले, सोलापुर-413008	श्री दिलीप भट्टाचार्य अखिल भारतीय यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेंटर कार्यालय, मुख्यालय 77/2/1, लेनिन सरनी, कोलकाता-700013
डॉ. जी. संजीव रेड्डी अध्यक्ष, इंटक, 6-एलआइजी-एच, बरकतपुरा, हैदराबाद-500027	श्री चन्द्र प्रकाश सिंह सचिव, इंटक, गीतांजलि, मार्ग सं. 3, राजीव नगर, डाकघर-केसरी नगर, पटना-800024	श्री के. सुरेश बाबू सचिव, इंटक, इंटक कार्यालय, छावनी, कोल्लम (केरल)
श्रीमती अमरजीत कौर सचिव, ए.आइ.टी.यू.सी., 139-ई, किचलू नगर, सिविल लाइन्स, लुधियाना-141001		

चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि

वैद्य श्री देवेन्द्र त्रिगुणा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस धनवंतरी भवन, मार्ग सं. 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026

संसद के प्रतिनिधि

श्री चंद्रकांत भाउराव खैरे माननीय संसद सदस्य (लोकसभा), 2, तीन मूर्ति लेन, नई दिल्ली-110011	श्री मलयाद्री श्रीराम माननीय संसद सदस्य (लोक सभा), 44, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली	श्री डी. बंधोपाध्याय माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा), सी-202, स्वर्ण जयंती अपार्टमेंट, डॉ. बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
---	--	--

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुच्चेरी सरकारों के प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/आयुक्त/विशेष आयुक्त/ रेजीडेंट आयुक्त।

पदेन सदस्य
महानिदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम



EMPLOYEES' REPRESENTATIVES

Shri Ram Kishore Tripathi Secretary, HMS, 128/239, K Block, Kidwai Nagar, Kanpur-208001	Shri Prasanta Nandi Chowdhury National Secretary, CITU, Shramik Bhawan, 53, Acharya Jagdish Chander Bose Road, Kolkata-700016	Shri Gokulananda Jena BMS,TB-56, At. P.O. Nalco Nagar-759145, Distt. Angul, Odisha
Shri V. Radhakrishnan BMS Marayil Lane, Chittoor Road, Kochi-682018	Shri Ajit Sripad Kulkarni BMS, General Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh (Mah), 92, Meera Nagar Jule, Solapur-413008	Shri Dilip Bhattacharya AIUTUC Office HQ.77/2/1, Lenin Sarani, Kolkata-700013
Dr. G. Sanjeeva Reddy President, INTUC 6-LIG-H, Barkathpura Hyderabad-500027	Shri Chandra Prakash Singh Secretary, INTUC Geetanjali, Road No. 3, Rajiv Nagar, Post Kesari Nagar, Patna-800024	Shri K. Suresh Babu Secretary, INTUC INTUC Office, Cantonment, Kollam (Kerala)
Smt. Amarjeet Kaur Secretary, AITUC 139-E, Kitchlu Nagar, Civil Lines, Ludhiana-141001		

REPRESENTATIVE OF MEDICAL PROFESSION

Vaid Shri Devender Triguna
 All India Ayurvedic Congress
 Dhanwantri Bhawan, Road No.66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

REPRESENTATIVES OF PARLIAMENT

Shri Chandrakant Bhaurao Khaire Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha) 2,Teen Murti Lane, New Delhi-110011	Shri Malayadri Sriram Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha) 44, Lodhi Estate, New Delhi	Shri D. Bandyopadhyay Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha) C-202, Swarna Jyanti Apartments, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110001
---	---	--

REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENTS

Principal Secretary / Secretary / Special Secretary / Commissioner / Special Commissioner / Resident Commissioners of Govts. of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Sikkim, Jharkhand, Chhattisgarh, NCT of Delhi and Puducherry.

EX-OFFICIO MEMBER
Director General
 Employees' State Insurance Corporation



स्थायी समिति

(31.03.2018 तक की स्थिति अनुसार)

अध्यक्ष
सचिव
श्रम और रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार

सदस्यगण

अपर सचिव, भारत सरकार (ब्यूरो अध्यक्ष, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव, भारत सरकार (सामाजिक सुरक्षा प्रभाग-क.रा.बी. निगम से सम्बद्ध) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	श्री के. दिलीप कुमार पूर्व विधान परिषद् सदस्य, तेलंगाना विधान परिषद् 11-13-11/3, द्वार सं. 79, रोड नं. 2, अलकापुरी, हैदराबाद-500035
---	--	---

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि

श्री जी.पी. श्रीवास्तव वरिष्ठ सलाहकार, एसोचैम आइ-10, सेक्टर-22, नोएडा (उ.प्र.)	डॉ. यू.डी. चौबे महानिदेशक, स्कोप, (सीआइई) कोर 8, प्रथम तल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	श्री रमाकांत भारद्वाज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती 214, औद्योगिक क्षेत्र, फेस-1, पंचकुला (हरियाणा)
---	---	--

कर्मचारियों के प्रतिनिधि

श्री राम किशोर त्रिपाठी सचिव, एचएमएस, 128/239, के ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर-208001	श्री प्रशांत नंदी चौधरी राष्ट्रीय सचिव, सीआइटीयू, श्रमिक भवन, 53, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700016	श्री अजित श्रीपद कुलकर्णी बीएमएस, महासचिव, भारतीय मजदूर संघ (महाराष्ट्र), 92, मीरा नगर, जूले, सोलापुर-413008
--	---	---

संसदों के प्रतिनिधि

वैद्य श्री देवेन्द्र त्रिगुणा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक सभा, धनवंतरी भवन, मार्ग सं. 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026
--

संसद के प्रतिनिधि

श्री चंद्रकांत भाउराव खैरे माननीय सांसद (लोकसभा), 2, तीन मूर्ति लेन, नई दिल्ली-110011

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

असम, केरल तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/सचिव/श्रम आयुक्त

पदेन सदस्य
महानिदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम



STANDING COMMITTEE

(As on 31.03.2018)

CHAIRMAN

SECRETARY

Ministry of Labour & Employment
Govt. of India

MEMBERS

Additional Secretary to the Government of India [Bureau Head of Social Security Division] Ministry of Labour and Employment, Govt. of India, New Delhi	Joint Secretary to the Govt. of India [Social Security Division-Dealing with ESIC] Ministry of Labour & Employment, New Delhi	Shri K. Dileep Kumar Ex-MLC, Telangana Legislative Council, 11-13-11/3, Door No.79, Road No. 2, Alkapuri, Hyderabad-500035
---	--	---

EMPLOYERS' REPRESENTATIVES

Shri G.P. Srivastava Senior Advisor, ASSOCHAM I-10, Sector-22, Noida (UP)	Dr. U.D. Choubey Director General, SCOPE, (CIE) Core 8 th , 1 st Floor, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003	Shri Rama Kant Bharadwaj National Vice-President, Laghu Udyog Bharati, 214, Industrial Area, Phase-I, Panchkula (Haryana)
---	---	--

EMPLOYEES' REPRESENTATIVES

Shri Ram Kishore Tripathi, Secretary, HMS, 128/239, K Block, Kidwai Nagar, Kanpur-208001	Shri Prasanta Nandi Chowdhury National Secretary, CITU, Shramik Bhawan, 53, Acharya Jagdish Chander Bose Road, Kolkata-700016	Shri Ajit Sripad Kulkarni BMS, General Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh (Mah), 92, Meera Nagar, Jule, Solapur-413008
--	---	---

REPRESENTATIVE OF MEDICAL PROFESSION

Vaid Shri Devendra Triguna,
All India Ayurvedic Congress, Dhanwantri Bhawan,
Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

REPRESENTATIVE OF PARLIAMENT

Shri Chandrakant Bhaurao Khaire
Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha)
2, Teen Murti Lane, New Delhi - 110011

REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENTS

Principal Secretary/ Secretary/ Labour Commissioner of State Govts. of Assam,
Kerala & Uttar Pradesh

EX-OFFICIO MEMBER

Director General
Employees' State Insurance Corporation



चिकित्सा हितलाभ परिषद

(31.03.2018 तक की स्थिति अनुसार)

अध्यक्ष

महानिदेशक
क.रा.बी. निगम (पदेन)

सह-अध्यक्ष

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं,
भारत सरकार

सदस्यगण

चिकित्सा आयुक्त
क.रा.बी. निगम,
नई दिल्ली (पदेन)

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि

श्री एस.एस. चौधरी अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंध स्थायी समिति, बी सी सी, बेस्को लिमिटेड, 7-बी और सी, "पूनम", 5/2, रशेल स्ट्रीट, कोलकाता-700071	श्री एस.ए. खान प्रधान (एच आर एण्ड सी ए), स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप), स्कोप कॉम्पलैक्स, कोर-8, प्रथम तल, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	श्री सी.ए. कार्णिक निदेशक-मानव संसाधन, फोर्ब्स एण्ड कं. लिमिटेड, फोर्ब्स बिल्डिंग, चरणजीत राय मार्ग, मुंबई-400001
---	---	---

कर्मचारियों के प्रतिनिधि

श्री कल्लो भट्टाचार्य राज्य उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (आंध्र प्रदेश), सी-21, एसपीएम ओल्ड कॉलोनी, सिरपुर कागज नगर-504296, जिला-आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश)	श्री जी. कलां अध्यक्ष, इंटक, तमिलनाडु राज्य, जी.आर. भवन, 87, रायपेट्टा हाइ रोड, चेन्नै-600014	श्री ज्योति लाहिड़ी सचिव, पश्चिम बंगाल कमेटी ऑफ ए.आइ.टी.यू.सी., 50/1, निर्मल चंद्र स्ट्रीट, कोलकाता-700012
--	---	---

चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि

डॉ. विनय अग्रवाल ए-14-15, पुष्पांजलि, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली-110092	प्रो. वैद्य दीनानाथ उपाध्याय शामियल कॉम्पलैक्स, टावर-ए, प्रथम तल, फ्लैट ई-1, स्टेशन रोड, भायंदर स्टेशन (पश्चिम) के सामने, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र-401101	डॉ. (श्रीमती) कशिका डोगरा 81, शहीद उधम सिंह नगर, जालंधर-144001
--	--	---

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों के निदेशक/प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी/श्रम आयुक्त।



MEDICAL BENEFIT COUNCIL

(As on 31.03.2018)

CHAIRMAN

Director General
ESI Corporation (Ex-Officio)

CO-CHAIRMAN

Director General, Health Services
Govt. of India

MEMBERS

Medical Commissioner
ESI Corporation,
New Delhi (Ex-Officio)

EMPLOYERS' REPRESENTATIVES

<p>Shri S.S. Chawdhry Chairman, HRD & Industrial Relations Standing Committee, BCC, BESCO Ltd. 7-B&C, "Poonam", 5/2, Russel Street, Kolkata-700071</p>	<p>Shri S.A. Khan Head (HR and CA) Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE), SCOPE Complex, Core-8, First Floor, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003</p>	<p>Shri C.A. Karnik Director-HR, Forbes and Co. Limited Forbes Building, Charanjit Rai Marg, Mumbai-400001</p>
---	--	---

EMPLOYEES' REPRESENTATIVES

<p>Shri Kallol Bhattacharya State Vice-President, Bhartiya Mazdoor Sangh (Andhra Pradesh), C-21, SPM Old Colony, Sirpur Kagaz Nagar-504296, District Adilabad (AP)</p>	<p>Shri G. Kalan President, INTUC, Tamil Nadu State, G.R. Bhawan, 87, Royapettah High Road, Chennai-600014</p>	<p>Shri Jyoti Lahri Secretary, West Bengal Committee of AITUC, 50/1, Nirmal Chandra Street, Kolkata-700012.</p>
---	---	--

REPRESENTATIVES OF MEDICAL PROFESSION

<p>Dr. Vinay Aggarwal A 14-15, Pushpanjali, Vikas Marg Extn., Delhi-110092</p>	<p>Prof. Vd. Dinanath Upadhyay Shamial Complex, Tower- A, 1st Floor, Flat E-1, Station Road, Opp. Bhayandar Station (W) District Thane (Maharashtra)-401101</p>	<p>Dr. (Smt.) Kashika Dogra 81, Saheed Udham Singh Nagar, Jalandhar-144001</p>
---	---	---

REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENTS

Director/ Administrative Medical Officer/ Labour Commissioner of the State Govts. of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Jharkhand, Uttarakhand and Chhattisgarh.



क.रा.बी. निगम एक नज़र में 2017-2018

विवरण	31.03.2017	31.03.2018	2017-18 के दौरान भिन्नता
	की स्थिति के अनुसार		
[1]	[2]	[3]	[4]
व्याप्त राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	33	34	1
कर्मचारियों की संख्या	29321060	31118680	1797620
बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार एककों की संख्या	31962910	34331300	2368390
बीमाकृत महिलाओं की संख्या	4089773	4542029	452256
कुल लाभार्थी	124016091	133205444	9189353
व्याप्त नियोक्ताओं की संख्या	898138	1033730	135592
शाखा कार्यालय/भुगतान कार्यालय	630/185	630/185	0
निरीक्षण कार्यालय	401	341	-60
क.रा.बी. अस्पताल	151	154	03
क.रा.बी. एनैक्सियां	42	42	0
क.रा.बी. औषधालय/भा.चि.प. एकक	1489/174	1500/148	11/-26
बीमा चिकित्सा अधिकारी	7828	7908	80
बीमा चिकित्सा व्यवसायी	950	980	30
व्यय (₹ करोड़ में)			
नकद हितलाभ भुगतान व्यय	1517.93	642.84	-875.09
चिकित्सा हितलाभ व्यय	6256.57	6867.73	611.16
प्रशासनिक व्यय	1732.02	1031.06	-700.96
आय तथा व्यय (₹ करोड़ में)			
राजस्व आय	16852.38	23480.37	6627.99
राजस्व व्यय	9727.71	9161.36	-566.35



ESIC AT A GLANCE 2017-2018

PARTICULARS	As on		VARIATION During 2017-18
	31.03.2017	31.03.2018	
[1]	[2]	[3]	[4]
State/U.T. covered	33	34	1
No. of Employees	29321060	31118680	1797620
No. of Insured Persons/Family Units	31962910	34331300	2368390
No. of Insured Women	4089773	4542029	452256
Total No. of Beneficiaries	124016091	133205444	9189353
Total No. of Employers Covered	898138	1033730	135592
Branch Offices/Pay Offices	630/185	630/185	0
Inspection Offices	401	341	-60
ESI Hospitals	151	154	03
ESI Annexes	42	42	0
ESI Dispensaries/ISM Units	1489/174	1500/148	11/-26
Insurance Medical Officers	7828	7908	80
Insurance Medical Practitioners	950	980	30
EXPENDITURE (₹ In Crores)			
Expenditure on cash benefit payments	1517.93	642.84	-875.09
Expenditure on Medical Benefit	6256.57	6867.73	611.16
Administrative Expenses	1732.02	1031.06	-700.96
INCOME AND OUT-GO (₹ in Crores)			
Revenue Income	16852.38	23480.37	6627.99
Revenue Expenditure	9727.71	9161.36	-566.35

वर्ष 2017-2018 की विशेष उपलब्धियाँ

- क.रा.बी. योजना में अतिरिक्त 3,32,468 कर्मचारियों को शामिल करते हुए इसे 24 पूर्ण जिलों और 42 जिला मुख्यालय क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया।
- क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 3.43 करोड़ पहुंच गई है। योजना के अंतर्गत व्याप्त लाभार्थियों की संख्या भी बढ़कर 13.32 करोड़ हो गई है।
- नियोक्ताओं की संख्या पिछले वर्ष में 8,98,138 से बढ़कर 10,33,730 पहुंच गई है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ₹ 305.21 करोड़ की राजस्व वसूली की गई।
- अंशदान आय बढ़कर ₹ 20,077.18 करोड़ तक पहुंच गई है।
- वर्ष के दौरान चिकित्सा हितलाभ पर ₹ 6867.73 करोड़ का व्यय किया गया।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, क.रा.बी.निगम ने नकद हितलाभ के रूप में ₹ 642.84 करोड़ की राशि खर्च की। नकद हितलाभ भुगतानों की संख्या बढ़कर 36.97 लाख पहुंच गई है।
- क.रा.बी. निगम ने अपने निवेश नीति को अनुमोदन प्रदान किया और पोर्टफोलियो मैनेजर, कस्टोडियन तथा कनकरेंट ऑडिटर के चयन के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की।
- क.रा.बी.निगम ने सूरत, गुजरात में स्टॉफ क्वार्टर सहित 100 बिस्तर के क.रा.बी. अस्पताल तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय और उल्हासनगर, मुम्बई में 100 बिस्तर के क.रा.बी. अस्पताल के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। इसने पाण्डु नगर, कानपुर (उ.प्र.) में तथा भुवनेश्वर, ओडिशा में 50 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- निगम ने राज्यों में राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी)/कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के गठन का अनुमोदन प्रदान किया।
- क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियमावली, 2017 में संशोधन के परिणाम स्वरूप प्रसूति हितलाभ से संबंधित विनियम तथा विनियम फार्म में परिवर्तन को अनुमोदन प्रदान किया।
- जहां कहीं विशेष रूप से नए कार्यान्वित क्षेत्रों में, चिकित्सा सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं वहां संशोधित नियोक्ता उपयोगी औषधालय (एमईयूडी) की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- क.रा.बी. निगम ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्वायत्त संगठन की श्रेणी में प्रतिष्ठित "इंडिया प्राइड अवार्ड" जीता। क.रा.बी. निगम कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं की रिकार्ड सं. में व्याप्ति कर अनुकरणीय कार्य किया है। क.रा.बी. निगम ने भारतीय कामगार वर्ग की सामाजिक सुरक्षा को प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक कदम उठाए हैं।
- क.रा.बी. निगम ने भारत भर में फैले इसके कार्यालयों तथा मुख्यालय में दिनांक 08.03.2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया।


हमारी प्राथमिकता



हितलाभों में बढ़ोतरी



• चिकित्सा हितलाभ	• बीमारी हितलाभ	• मातृत्व हितलाभ
• निःशक्तता हितलाभ	• अंत्येष्टि व्यय	• आश्रितजन हितलाभ
• वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल	• प्रसूति व्यय	• बेरोजगारी भत्ता



SALIENT ACHIEVEMENTS 2017-2018

- The ESI Scheme was implemented in 24 complete Districts and 42 Districts Hqrs. area covering additional 3,32,468 employees.
- The number of Insured Persons covered under the ESI Scheme has increased to 3.43 crores. The number of beneficiaries covered under the Scheme has gone up to 13.32 crores.
- The number of employers has also gone upto 10,33,730 from 8,98,138 in the previous year.
- Revenue Recovery of ₹ 305.21 crore has been made during the year under report.
- Contribution Income has increased to ₹ 20077.18 crore.
- An expenditure of ₹ 6867.73 crore was incurred on Medical Benefit, during the year.
- During the year under report, ESIC has disbursed ₹ 642.84 crore as benefits in Cash. Number of cash benefits payments has gone up to 36.97 lakhs.
- ESIC has approved its investment policy and appointed consultant for selection of Portfolio Managers, Custodians & Concurrent Auditors.
- ESIC has approved proposal for construction of 100 bedded ESI Hospital and SRO including Staff Quarters at Surat, Gujarat and 100 bedded ESI Hospital, Ulhasnagar, Mumbai. It has further approved the proposal for setting up of 50 bedded SST Hospital at Pandu Nagar, Kanpur(U.P.) and Bhubaneswar, Odisha.
- The Corporation has approved proposal for formation of State Autonomous Body (SAB)/ Employees' State Insurance Society in the States.
- The ESIC has approved the changes in Regulations & Regulations Forms relating to Maternity Benefit subsequent to the Amendment in ESI (Central) Rules, 2017.
- The ESIC has approved proposal for establishing Modified Employer's Utilization Dispensary (MEUD) wherever ESIC medical services are not adequate particularly in the newly implemented area.
- ESIC bagged the prestigious "India Pride Awards" in the Best Autonomous Organisation Categories for playing a vital role towards the development of the country. ESIC made an exponential growth in extending coverage to the record no. of employees and employers. ESIC has taken numerous initiatives for furthering the goal of social security to the Indian working class.
- ESI Corporation observed International Women's Day on 08.03.2018 at Hqrs and all its Offices throughout India.















नगद हितलाभ पर व्यय—एक नज़र में
Expenditure on Cash Benefits-at A Glance
 2017-2018

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)



बकाया वसूली
Recovery of Arrears
 2014 - 2018





ESIC
Chinta Se Mukti



ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति



ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति



ESIC
Chinta Se Mukti



ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति



क.रा.बी.नि
ESIC

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2017 - 18

अध्याय
1 से 12 तक

CHAPTER
1 to 12



1 – कार्यान्वयन और व्याप्ति

परिचय

वर्षों पहले 25,000 कर्मचारियों और दो कार्यान्वित केन्द्रों दिल्ली एवं कानपुर के साथ 24 फरवरी, 1952 को प्रारंभ की गई कर्मचारी राज्य बीमा योजना ने पिछले 66 वर्षों के दौरान व्यापक प्रगति की है। यह क.रा.बी. योजना के अधीन आने वाले देश के कामगार वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना अधिसूचित क्षेत्रों में 10 या उससे अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करने वाले कारखानों एवं 10/20 या उससे अधिक व्यक्तियों (राज्य पर निर्भर) की नियुक्ति करने वाली स्थापनाओं में लागू है। ऐसे कर्मचारी जिनका मासिक वेतन केवल ₹ 21,000/- तक है, क.रा.बी. अधिनियम की सीमा के अधीन आते हैं। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत, बीमाकृत व्यक्तियों की विभिन्न आकस्मिकताओं जैसे – बीमारी, मातृत्व एवं रोजगार के दौरान चोट के कारण निःशक्तता या मृत्यु अथवा व्यवसाय जनित रोग में सुरक्षा होती है। क.रा.बी. औषधालयों एवं अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाता है।

वर्ष दर वर्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क.रा.बी. अधिनियम के अधीन अधिक से अधिक क्षेत्रों को व्याप्त करने तथा अधिकाधिक कारखानों और कामगारों के नाम दर्ज करने के भी सम्मिलित प्रयास कर रहा है।

1.1 नये कार्यान्वयन

वर्ष 2017-18 के दौरान, ईएसआइसी 2.0 के अंतर्गत अतिरिक्त 3,32,468 कर्मचारियों को शामिल करते हुए 24 पूर्ण जिलों/जहां पहले केंद्रों में योजना को आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया और 42 जिला मुख्यालय जहां पहले योजना कार्यान्वित नहीं की गई थी के संबंध में योजना के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की गई। वर्ष 2017-18 के दौरान की गई नई व्यति का राज्यवार विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

1.2 कर्मचारियों / बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या

वर्ष 2017-18 के दौरान पंजीकृत कर्मचारियों और बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या पिछले वर्ष 293.21 लाख और 319.63 लाख की तुलना में क्रमशः 311.19 लाख एवं 343.31 लाख पहुंच गई है। बीमाकृत महिलाओं की संख्या भी 40.90 लाख से वर्ष 2017-18 में 45.42 लाख बढ़ी है जिसमें 4.52 लाख की वृद्धि हुई है।

1.3 क.रा.बी. लाभार्थियों की संख्या

पूरे देश में फ़ैले क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए सफल प्रयासों से क.रा.बी. लाभार्थियों की संख्या पिछले वर्ष के दौरान 1240.16 लाख लाभार्थियों की तुलना में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 1332.05 लाख पहुंच गई है।

1.4 नियोक्ताओं की संख्या

नियोक्तागण क.रा.बी. योजना का अभिन्न अंग हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान क.रा.बी. निगम व्याप्ति के अंतर्गत 135592 नये नियोक्ता पंजीकृत हुए। इसके परिणामस्वरूप कुल नियोक्ता की संख्या पिछले वर्ष में 898138 से बढ़कर 1033730 हो गई हैं।

वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त नियोक्ताओं की संख्या **परिशिष्ट 1-ख** के कॉलम 3 में दी गई है।

1.5 ईएसआइसी 2.0 के अंतर्गत नई व्याप्ति कार्यान्वयन

ईएसआइसी 2.0 के अंतर्गत राज्य सरकारों के परामर्श के साथ क.रा.बी. योजना के कार्यान्वयन में सुधार करते हुए इसे आंशिक कार्यान्वित जिलों में पूरी तरह कार्यान्वित किया गया और गैर-कार्यान्वित जिलों में इस योजना को शुरू किया गया। जिला मुख्यालय क्षेत्र अधिसूचित किये गये। इस संबंध में उपलब्धि राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा व्यवस्थाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है जैसा कि योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल के प्रबंध की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान हासिल की गई उपलब्धियां :-

	जिलों की सं.	शामिल किये गये कर्मचारियों की सं.
पूरे जिले में विस्तारित/अधिसूचित की गई ईएसआइ का प्रावधान	24	2,80,261
जिला मुख्यालय क्षेत्र में ईएसआइ का प्रावधान	42	52,207
कुल	66	3,32,468

विजन-2022 तैयार किया गया है, जिसमें 2022 तक क.रा.बी. योजना की व्याप्ति का पूरे देश में विस्तार करने का प्रस्ताव है। व्याप्ति हेतु लक्ष्य तैयार कर लिए गए हैं और विनिर्दिष्ट तिथि के अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्थाएं की जा रही हैं।



1 - IMPLEMENTATION & COVERAGE

INTRODUCTION

Launched way back on 24th February, 1952 with two implemented centres at Delhi and Kanpur and 25,000 employees, the Employees' State Insurance (ESI) Scheme has made giant strides during the last 66 years. It provides social security to the working class of the country who come under the ambit of the ESI Scheme. The Scheme applies to factories employing 10 or more persons and establishments employing 10/20 or more persons (depending on the State) in the notified areas. Employees whose monthly wages are up to ₹ 21,000/- fall within the purview of the ESI Act. Under the ESI Scheme, the Insured Persons are protected during contingencies such as sickness, maternity, death or disablement due to employment injury or occupational disease. Free medical care is provided to the Insured Persons and their family through a network of ESI Dispensaries and Hospitals.

Year after year, the ESIC has been making concerted efforts to bring more areas under the coverage of the ESI Act and also to enroll more factories and workers.

1.1 Fresh Implementation

During the year 2017 – 18, notification for implementing the Scheme was issued in respect of 24 Complete Districts where Scheme was earlier partially implemented and in 42 Distt. Hqrs. area where Scheme was not implemented earlier under ESIC 2.0, covering additional 3,32,468 employees. The State-wise details of new coverage achieved during the year 2017-18 are given at **Appendix I-A**.

1.2 No. of Employees / Insured Persons

The number of registered employees and insured persons during financial year 2017-18 stood at 311.19 Lakhs and 343.31 Lakhs respectively as against the figure of 293.21 Lakhs and 319.63 Lakhs respectively of the preceding year. The number of insured women has also increased to 45.42 Lakhs in 2017-18 from 40.90 Lakhs showing an increase of 4.52 Lakhs.

1.3 No. of ESI Beneficiaries

The efforts made by the Regional, Sub-Regional and Branch Offices spread across the country were successful in taking the number of ESI beneficiaries to 1332.05 Lakhs at the close of the financial year as against 1240.16 Lakhs during the previous year.

1.4 No. of Employers

Employers form an integral part of the ESI Scheme. During the period under report, 135592 new employers were brought under ESIC coverage. As a result the total no. of employers increased to 1033730 from 898138 of the previous year.

The number of employers covered in each region at the end of 2017-18 is reported under Col. 3 of **Appendix 1-B**.

1.5 New Coverage Implementation under the ESIC 2.0

Under ESIC 2.0 reforms, implementation of ESI Scheme in new areas in consultation with the State Governments was under taken wherein partially implemented districts were fully implemented and in the non implemented districts, the Distt. Hqrs area was notified. The achievement in this regard depends on the completion of medical arrangements by the State Governments as the primary responsibility of administration of medical care under the scheme rests with the concerned State Government. The achievements made during 01.04.2017 to 31.03.2018 are as under :

	No. of Districts	No. of employees covered
Provision of ESI Scheme Extended / Notified in Complete Districts	24	2,80,261
Provision of ESI Scheme in Distt. Hqrs. area	42	52,207
Total	66	3,32,468

Vision-2022 has been formulated wherein it is proposed to extend the coverage of ESI Scheme to entire nation by 2022. Targets for coverage have been formulated and medical arrangements are being made to ensure implementation as per specified date.



2 – राजस्व प्रबंधन

2.1 अंशदान

क.रा.बी. अधिनियम की धारा 39 के अधीन प्रधान नियोक्ता ₹ 21000/- तक मासिक वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान क्रमशः 1.75% एवं 4.75% की दर से जमा करने का उत्तरदायी है। अब क.रा.बी. योजना को 34 राज्यों के 526 जिलों में और संघ राज्य क्षेत्रों जिसमें 346 पूर्ण जिले, 95 जिला मुख्यालय और 85 जिले शामिल हैं, अधिसूचित कर दिया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के अन्त तक इस योजना को अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में कार्यान्वित किया जाना है। नए कार्यान्वित क्षेत्रों में प्रथम 24 महीनों के लिए कर्मचारी तथा नियोक्ता के अंशदान की दर को क्रमशः 1 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत किया गया है।

2.2 अंशदान का संग्रहण

वर्ष 2016-17 में ₹ 13662.44 करोड़ अंशदान संग्रहण की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान कुल अंशदान के रूप में ₹ 20077.18 करोड़ की राशि संगृहीत की गई। मुख्यतः नए कार्यान्वित जिलों में योजना के विस्तार और दिनांक 01.01.2017 से मजदूरी परिसीमा में ₹ 15000/- से ₹ 21000/- के परिशोधन के कारण अंशदान संग्रहण में 46.95% की वृद्धि हुई है। अंशदान आय में वसूली अधिकारियों द्वारा बकायादार नियोक्ताओं से वसूल किए गए अंशदान के देय भी शामिल हैं।

2.3 अंशदान का बकाया

बकायादार नियोक्ताओं के पास प्रथम दिन से 31.03.2018 की तिथि तक ₹ 3073.29 करोड़ की अंशदान राशि बकाया थी, जिसमें निजी क्षेत्र इकाइयों से संबंधित ₹ 2645.05 करोड़ एवं सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों से संबंधित ₹ 428.24 करोड़ की राशि शामिल है।

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बकाया देयों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि करोड़ में	वर्ष	राशि करोड़ में
प्रथम-दिन से दिनांक 31/03/1991 तक	72.08	2005-06	148.20
1991-92	7.86	2006-07	68.64
1992-93	12.13	2007-08	101.81
1993-94	14.81	2008-09	63.29
1994-95	19.58	2009-10	62.07
1995-96	16.51	2010-11	129.29
1996-97	16.45	2011-12	84.39
1997-98	32.58	2012-13	189.8
1998-99	38.37	2013-14	185.24
1999-2000	41.63	2014-15	308.64
2000-01	41.37	2015-16	299.33
2001-02	42.01	2016-17	112.88
2002-03	57.61	2017-18	710.45
2003-04	59.61	कुल	3073.29
2004-05	136.66		

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अंशदान और ब्याज के बकाये की वसूली ₹ 3073.29 करोड़ की धनराशि बकाया है, जिसमें से ₹ 1641.93 करोड़ की धनराशि निम्नलिखित विभिन्न कारणों से वर्तमान में लावसूल है :-

क.	वर्तमान में लावसूल बकाया	(₹ करोड़ में)
क)	न्यायालय में विवादित बकायों की राशि	1160.19
ख)	परिसमापन के अंतर्गत राशि	200.89
ग)	दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	8.94
घ)	उन कारखानों/स्थापनाओं द्वारा देय राशि जो बंद हो चुके हैं और नियोक्ता का अता-पता मालूम नहीं है।	119.57
ङ)	राशि जिसके लिए डिक्री प्राप्त की गई पर कार्यान्वित नहीं की गई	0.85
	कुल	1490.44
ख.	रुग्ण उद्योगों से देय	
I)	उन कारखानों/स्थापनाओं के संदर्भ में मामले जो बी.आई.एफ.आर. से पंजीकृत हैं परंतु जहां पुनर्वास योजना अभी संस्वीकृत की जानी है।	85.97
II)	कारखाने/स्थापनाएं जो रुग्ण घोषित किए गए हैं, तथा बी.आई.एफ.आर. द्वारा पुनर्वास योजना की संस्वीकृति दे दी गई है।	65.52
	कुल	151.49



2 - REVENUE MANAGEMENT

2.1. Contribution

Under Section 39 of the ESI Act, principal employer is responsible for depositing the Employees' and Employers' contribution @ 1.75% and 4.75% of the wages respectively in respect of employees drawing monthly wages upto ₹ 21,000/- The ESI Scheme is now notified in 526 Districts in 34 States and Union Territories, which include 346 complete District, 95 District Headquarters and certain areas of 85 Districts. At the end of the year under report, the scheme is yet to be implemented in Arunachal Pradesh and Lakshadweep. The rate of contribution for the employees' and employers' in the newly implemented areas has been reduced to 1% and 3% respectively for first 24 months.

2.2. Collection of Contribution

A total contribution of ₹ 20077.18 Crores was collected during the financial year 2017-2018 as against collection of ₹ 13662.44 crores of preceding year. There has been an increase of 46.95% in contribution collection mainly due to expansion of the Scheme to newly implemented districts and revision of wage ceiling from ₹ 15000/- to ₹ 21000/- w.e.f 01.01.2017. The contribution income also includes the contribution recovered from the defaulting employers by the Recovery officers.

2.3. Arrears of Contribution

Arrear of contribution amounting of ₹ 3073.29 Crores is outstanding upto 31.3.2018 against the defaulting employers, which includes the dues of ₹ 2645.05 Crores pertaining to the private sector and ₹ 428.24 Crores pertaining to the public sector units.

The break-up of outstanding arrear as on 31.03.2018 are as under:

Year	Amount in Crores	Year	Amount in Crores
From A-day upto 31/03/1991	72.08	2005-06	148.20
1991-92	7.86	2006-07	68.64
1992-93	12.13	2007-08	101.81
1993-94	14.81	2008-09	63.29
1994-95	19.58	2009-10	62.07
1995-96	16.51	2010-11	129.29
1996-97	16.45	2011-12	84.39
1997-98	32.58	2012-13	189.8
1998-99	38.37	2013-14	185.24
1999-2000	41.63	2014-15	308.64
2000-01	41.37	2015-16	299.33
2001-02	42.01	2016-17	112.88
2002-03	57.61	2017-18	710.45
2003-04	59.61	TOTAL	3073.29
2004-05	136.66		

An amount of ₹ 3073.29 Crores are outstanding for the recovery of arrear of contribution and interest as on 31-03-2018, out of which an amount of ₹ 1641.93 Crores is irrecoverable for the present, due to various reasons which are furnish as under:-

A. Arrears not recoverable for the present		(₹ in Crore)
i)	Amount of arrears disputed in courts	1160.19
ii)	Amount under liquidation	200.89
iii)	Amount pending with Claim Commissioner	8.94
iv)	Amount due from Factories/Estt. which have been closed and whereabouts of employers not known	119.57
v)	Amount for which decree obtained but not executed	0.85
Total		1490.44
B. Dues from sick industries		
i)	Cases in respect of Factories/Estts. Registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned	85.97
ii)	Factories/Establishments which have been declared sick and rehabilitation scheme sanctioned by BIFR	65.52
Total		151.49



ग.	वसूली योग्य देय	
	वसूली अधिकारियों के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य देय	1431.36
	कुल योग (क+ख+ग)	3073.29

2.4 उगाही / वसूल किए गए हर्जाने

नियोक्ता द्वारा अंशदान का विलंब से भुगतान के लिए क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 85-ख के अधीन हर्जानों की उगाही की जाती है। पिछले वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 20.90 करोड़ के वसूल किए गए हर्जानों की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 24.64 करोड़ राशि के हर्जाने वसूल किए गए।

2.5 बकायों की वसूली

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 3073.29 करोड़ की कुल बकाया राशि में से ₹ 1431.36 करोड़ की राशि, जो कुल बकाया का 46.57% है, वसूली योग्य बकायों की श्रेणी में है। ₹ 1641.93 करोड़ की शेष राशि जो कुल बकाया राशि का 53.42% है, वर्तमान में न्यायालयों में विवादित होने के कारण, कारखानों के परिसमापन में चले जाने, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड में पंजीकृत कारखानों, दावा आयुक्त के पास लम्बित राशि, कारखानों के बंद हो जाने तथा बकायादार नियोक्ताओं का अता-पता मालूम न होने आदि के कारण लावसूलीय बकाया राशि की श्रेणी में आती है।

निगम के देयों की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने की दृष्टि से क.रा.बी. अधिनियम 1989 में संशोधन के माध्यम से प्रधान अधिनियम में धारा 45-ग से 45-झ तक उपबंध किए गए ताकि बकाया राशि की वसूली के लिए निगम अपना वसूली तंत्र स्थापित करने में सक्षम हो सके। तदनुसार, जनवरी, 1992 से निगम का स्वयं का वसूली तंत्र चरणबद्ध रूप से अस्तित्व में आ गया है, और वसूली तंत्र अब सभी क्षेत्रों/उप क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। देयों की वसूली की प्रगति एवं क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में वसूली अधिकारियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी हेतु मुख्यालय में भी वसूली प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

वर्ष 2017-2018 के दौरान ₹ 346.00 करोड़ की वसूली के लक्ष्य की तुलना में चूककर्ता नियोक्ताओं से ₹ 305.21 करोड़ वसूल किए गए थे। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 251.88 करोड़ की वसूली की गई थी।

2.6 निरीक्षण

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निगम के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा 15141 निरीक्षण किए गए। एक एकीकृत वेब पोर्टल "श्रम सुविधा" द्वारा निरीक्षण आवंटित किये जाते हैं, निरीक्षण हेतु इकाइयों का चयन जोखिम आधार मानदंड के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, चूक और अपवंचन के विनिर्दिष्ट शिकायतों का निपटान केंद्रीय विश्लेषण एवं आसूचना एकक, मुख्यालय द्वारा किया जाता है।

2.7 सर्वेक्षण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान क.रा.बी. अधिनियम की क्षेत्र सीमा के अधीन कारखानों/स्थापनाओं को व्याप्त करने के लिए विभिन्न कार्यान्वित क्षेत्रों में कारखानों/स्थापनाओं के लगभग 3685 सर्वेक्षण किए गए।

2.8 अभियोजन मामले

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के तहत चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन मामले शुरू किये गये थे। इस वर्ष के प्रारम्भ में लंबित और वर्ष 2017-18 के दौरान इन उपबंधों के तहत दायर और निर्णित मामलों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्र.स.	विवरण	क.रा.बी. अधिनियम की धारा 85	भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409
1	वर्ष 2017-2018 के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या	12538	1037
2	अवधि के दौरान दायर अभियोजन मामलों की संख्या	580	21
3	कुल (1 व 2)	13118	1058
4	वर्ष 2017-2018 के दौरान निर्णित मामलों की कुल संख्या	881	51
	क) चूककर्ताओं का दोष-सिद्ध होने पर कारावास	0	0
	ख) चूककर्ताओं पर जुर्माना	463	26
	ग) दोषमुक्त/खारिज	59	1
	घ) न्यायालयों द्वारा समाप्त किए गए मामले	349	24
5	वापस लिए गए मामलों की संख्या	10	0
6	कुल (4+5)	881	51
7	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार लंबित अभियोजन मामलों की संख्या	12237	1007

2.9 केन्द्रीय विश्लेषण एवं आसूचना एकक (सीएआईयू)

रिपोर्टाधीन वर्ष की अवधि के दौरान 2400 से अधिक शिकायतें/अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हुए हैं। लगभग 372 मामलों में निरीक्षण किए गए और लगभग 316 मामलों में सर्वेक्षण किए गए। अन्य मामलों में औचक भौतिक सत्यापन/सर्वेक्षण/पुनः निर्देश चिन्हित किए गए हैं।



C. Recoverable dues	
Recoverable dues pending for recovery with Recovery Officers	1431.36
Grand Total (A+B+C)	3073.29

2.4. Damages levied/recovered

The damages are levied on belated payment of contribution by the employer under Section 85-B of the ESI Act, 1948. A sum of ₹ 24.64 Crores was recovered as damages during the year 2017- 2018 as against ₹ 20.90 Crores recovered during the preceding year 2016-2017.

2.5. Recovery of Arrears

Out of the total arrears of ₹ 3073.29 crores as on 31.3.2018, an amount of ₹ 1431.36 Crores accounting for 46.57% of the total arrears falls in the category of recoverable arrears. The remaining amount of ₹ 1641.93 Crores accounting to 53.42% of the total dues falls in the category of non-recoverable arrears for the present due to claims disputed in courts, factories having gone into liquidation, factories registered with BIFR, amount pending with Claims Commissioner, closure of the factories and whereabouts of the defaulting employers in certain cases are not known.

In order to ensure effective recovery of the dues of the Corporation, the provision of Sections 45-C to 45-I has been made in the Principal Act by an amendment in ESI Act 1989, thereby enabling the Corporation to set up its own recovery machinery for realizing the dues of the Corporation. Accordingly, Corporation's own recovery machinery came into existence in phases from January, 1992 onwards and Recovery Machinery is now functioning in all the regions/Sub-regions. Recovery Cell has also been set up at the Hqrs. Office to monitor the progress of recovery of the dues and watching the performance of the Recovery Officers in the regions/sub-regions.

During the year 2017-2018, the dues of ₹ 305.21 Crores were recovered from the defaulting employers as against the target of recovery of ₹ 346.00 crores. The recovery during the period 2016-17 was ₹ 251.88 Crore.

2.6. Inspection

During the period under report 15141 Inspections were conducted by the Social Security Officers of the Corporation. Inspections are allotted through a unified web portal "Shram Suvidha". Units for inspection are chosen via computerized system as per risk based criteria. Specific complaints of default and evasion are dealt by the CAIU branch of Hqrs.

2.7. Surveys

During the year under report about 3685 surveys of factories/ establishments were conducted with a view to bring coverable factories/establishment under the purview of the ESI Act.

2.8. Prosecution Cases

Prosecution cases were launched against defaulting employers under section 85 of the ESI Act and under section 406/409 of the Indian Penal Code. The details of cases pending at the beginning of the year, and filed and decided during the year 2017-18 under these provisions are as under:

S.No	Particulars	Section 85 of the ESI Act.	Section 406/409 of I.P.C.
1	No. of Prosecution cases pending at the beginning of the year 2017-18	12538	1037
2	No. of Prosecution cases filed during the year 2017-18	580	21
3	Total (1&2)	13118	1058
4	Total no. of Prosecution cases decided during the year 2017-18	881	51
	(a) Defaulters convicted with imprisonment	0	0
	(b) Defaulters convicted with fine	463	26
	(c) Acquitted/Dismissed	59	1
	(d) Cases closed by the Courts	349	24
5	No. of cases withdrawn	10	0
6	Total (4+5)	881	51
7	No. of Prosecution cases pending as on 31.03.2018	12237	1007

2.9 Central Analysis & Intelligence Unit (CAIU)

During the period under report, more than 2400 complaints/representations/references were received. In approximately 372 cases, Inspections have been conducted and in approximately 316 cases, Survey has been conducted. In other cases, Surprise Physical Verification/Survey/back references have been marked.

3 – चिकित्सा देखरेख

3.1 चिकित्सा हितलाभ की व्यवस्था

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत, बीमाकृत व्यक्ति एवं उसका परिवार व्यापक चिकित्सा देखरेख प्राप्त करने के हकदार हैं। क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के अनुसार, राज्य सरकारों को बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों की पर्याप्त चिकित्सा देखरेख करने का दायित्व सौंपा गया है।

3.2 अवसंरचना

मार्च 2018 की समाप्ति तक निगम ने 154 क.रा.बी. अस्पतालों में 19626 बिस्तर एवं 42 एनेक्सी अस्पतालों में 371 बिस्तर स्थापित किये थे। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारी अस्पतालों में विशेष रूप से क.रा.बी. लाभार्थियों के लिए 1934 बिस्तर आरक्षित किये गये हैं। मार्च-2018 की समाप्ति तक कुल उपलब्ध बिस्तर क्षमता 21931 है।

बाह्य रोगी सेवाओं के लिए 1500 क.रा.बी. सेवा औषधालयों एवं 148 आईएसएम इकाइयों को शुरू किया गया है। इसके अलावा, क.रा.बी. लाभार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए 980 निजी चिकित्सा व्यवसायी (आईएमपी) को भी पैनल में शामिल किया गया है। 154 क.रा.बी. अस्पतालों के अलावा, निगम ने अति-विशिष्टता उपचार के लिए 1000 से अधिक निजी/सरकारी अस्पतालों के साथ टाई अप व्यवस्था की है। औषधालयों, आईएसएम इकाइयों, बीमा चिकित्सा अधिकारियों, बीमा चिकित्सा व्यवसायियों, बिस्तरों की संख्या इत्यादि का राज्यवार विवरण **परिशिष्ट-III** क पर दिया गया है।

3.3 बाह्य रोगी सेवाएं

योजना के अंतर्गत बाह्य-रोगी चिकित्सा देखरेख निम्नानुसार है:

क) बीमा चिकित्सा व्यवसायी

निजी चिकित्सा व्यवसायियों को पैनल चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया जाता है। पैनल चिकित्सक से अपना निजी परामर्शी कक्ष तथा औषधालय होने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक पैनल चिकित्सक को 2000 तक बीमाकृत व्यक्ति परिवार एककों को पंजीकृत करने की अनुमति दी जाती है। बीमा चिकित्सक नामोदिष्ट नजदीकी ईएसआइएस औषधालय से विनिर्देशित दवाईयां प्राप्त करेगा और इन्हें लाभार्थियों को देगा तथा लाभार्थियों को यूरिन (एल्बुमिन एवं शुगर), हिमोग्लोबिन एवं ब्लड शुगर की जांच कराने की सुविधा भी प्रदान करेगा। वर्तमान में पैनल व्यवस्था आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र (नागपुर क्षेत्र को छोड़कर), गोवा के कुछेक क्षेत्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में चालू है। पैनल व्यवस्था के अधीन बीमा चिकित्सा व्यवसायियों (आईएमपी) को बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा देखरेख करने के लिए 8 सितम्बर, 2016 से प्रति व्यक्ति शुल्क (₹ 500/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष) का भुगतान किया जाता है।

• सेवा औषधालय

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत अपेक्षाकृत बड़े औषधालयों में आवश्यक प्रयोगशाला जांच सहित बाह्य-रोगी चिकित्सा देखरेख, सेवा प्रणाली अर्थात् विशेषकर बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के उपयोग हेतु योजना के अंतर्गत स्थापित औषधालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है जिसे पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर संचालित किया जाता है। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत 31.03.2018 को पूरे देश में 1500 सेवा औषधालय हैं।

वर्तमान में क.रा.बी.निगम जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल राज्य में बारह (12) मॉडल औषधालय-सह-नैदानिक केन्द्र चला रहा है।

मॉडल औषधालय-सह-नैदानिक केन्द्र (एमडीडीसी) की सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	एमडीडीसी का नाम	राज्य
1	खानमोह	जम्मू एवं कश्मीर
2	कटुआ	जम्मू एवं कश्मीर
3	ठाणे	महाराष्ट्र
4	वागले इस्टेट	महाराष्ट्र
5	मीरा रोड	महाराष्ट्र
6	वालुज	महाराष्ट्र
7	राजपुरा	पंजाब
8	बरनाला	पंजाब
9	चितौड़गढ़	राजस्थान
10	झुनझुनु	राजस्थान
11	फाल्टा	पश्चिम बंगाल
12	हल्दिया	पश्चिम बंगाल

• अस्पताल बाह्य रोगी विभाग

पूरे देश में क.रा.बी. अस्पतालों के माध्यम से विभिन्न विशिष्टताओं और अति विशिष्टताओं जैसे औषधि, शल्य चिकित्सा, बाल रोग, प्रसूति एवं महिला रोग, नाक-कान-गला, नेत्र, हृदय रोग, नेफ्रोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान, मूत्र विज्ञान, सीटीवीएस आदि के अंतर्गत बाह्य रोगी सेवाएं और पीपीपी के माध्यम से इन-हाउस कैथ लैब, डायलिसिस, सीटी एमआरआई आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं।



3 - MEDICAL CARE

3.1 Provision of Medical Benefit

Under the ESI Scheme, Insured Persons and their family members are entitled to receive comprehensive medical care.

As per the ESI Act, 1948, the State Governments have been entrusted the responsibility for providing medical care to the Insured Persons and their dependants.

3.2 Infrastructure

By the end of March 2018, the Corporation had commissioned 19626 beds in 154 ESI Hospitals and 371 beds in 42 Hospitals annexes. In addition, 1934 beds have been reserved in various State Government hospitals for exclusive use of ESI Beneficiaries. Total number of beds commissioned till end of March, 2018 is 21931.

For out-patient services, 1500 ESI service dispensaries and 148 ISM units have been commissioned. Further, 980 private medical practitioners (IMPs) have also been empanelled for providing primary medical care to ESI Beneficiaries. Apart from 154 ESI Hospitals, there is tie-up arrangement with more than 1000 Pvt./Govt. Hospitals for Super Speciality Treatment. State-wise details of No. of dispensaries, ISM Units, IMOs, IMPs, beds etc. are given at **Appendix III-A**.

3.3 Out Patient services

Out patient medical care under the scheme is provided as under:

a) Insurance Medical Practitioner

Private Medical Practitioners are appointed as panel doctors. A panel doctor is expected to have his own consulting room and dispensary. Each panel doctor is allowed to register upto 2000 IP family units. The IMP shall collect specified medicines from the designated nearest ESIS Dispensary for supplying the same to the beneficiaries and also provide the investigation facilities of Urine (albumin & sugar), Hemoglobin and Blood Sugar. At present, the panel system is in operation in Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, MP and Maharashtra (except Nagpur area), Goa in certain areas, Telangana and West Bengal. The IMPs under the panel system are paid capitation fee (₹ 500/- Per IP per year) w.e.f 8th September, 2016 for providing medical care to the ESI beneficiaries.

• Service Dispensary

The out-patient medical care including essential lab investigation in relatively heavy dispensaries under the ESI Scheme is provided through the service system i.e. through dispensaries established under the Scheme for the exclusive use of the Insured Persons and their families, manned by full-time Medical Officers. There are 1500 Service Dispensaries under ESI Scheme all over the country as on 31.03.2018.

At present ESIC is running Twelve (12) Model Dispensary cum Diagnostic Centre (MDDC) in the State of J&K, Maharashtra, Punjab, Rajasthan and West Bengal.

List of Model Dispensary cum Diagnostic Centre (MDDC) is as under:

Sl. No.	Name of MDDC	State
1.	Khanmoh	Jammu & Kashmir
2.	Kathua	Jammu & Kashmir
3.	Thane	Maharashtra
4.	Wagle Estate	Maharashtra
5.	Mira Road	Maharashtra
6.	Waluz	Maharashtra
7.	Rajpura	Punjab
8.	Barnala	Punjab
9.	Chittorgarh	Rajasthan
10.	Jhunjhunoo	Rajasthan
11.	Falta	West Bengal
12.	Haldia	West Bengal

• Hospital OPD

Out-patient services under various specialties and super specialties like medicine, surgery, pediatrics, gyne & obst., ENT, eye, cardiology, nephrology, urology, CTVS etc. are being provided through ESI hospitals all over the country and also in-house Cath-lab, Dialysis, CT, MRI etc. through PPP.

3.4 बाह्य रोगी परिचर्या

क.रा.बी. संस्थाओं में परिचर्याओं से संबंधित सभी आंकड़े, अस्पतालों में भर्ती मामलों की संख्या, क.रा.बी. डॉक्टरों द्वारा घर जाकर जाँच और विशेषज्ञ जांच के लिए भेजे गए मामलों की संख्या क्रमशः **परिशिष्ट-III-ख** और **III-ग** में दिए गए हैं। चिकित्सा परिचर्या स्तर का पता लगाने के लिए रिपोर्टिंग औषधालयों/ निदानशालाओं से संलग्न केवल बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार एककों की संख्या प्रयोग की जाती है। एक बीमाकृत व्यक्ति जिसका उपचार चल रहा है, बीमारी की अवधि विशेष में उसकी प्रथम परिचर्या पर 'नए मामले' के रूप में माना जाता है और उसी अवधि विशेष के दौरान औषधालय या निदानशाला में बाद के चरणों में आगमन 'पुराने मामले' माने जाते हैं।

3.5 औषधालयों एवं अस्पतालों में परिचर्या की घटना दर

प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों पर नए मामलों की अखिल भारतीय घटना-दर वर्ष 2016-17 में 389 से घटकर वर्ष 2017-18 में 283 हो गई। वर्ष 2016-17 में प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति पुरानी परिचर्या की संख्या 512 से घटकर वर्ष 2017-18 में 409 हो गई। पुरानी परिचर्या की तुलना में नई परिचर्या का अनुपात वर्ष 2016-17 में 1.32 से बढ़कर रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 1.45 हो गया है।

3.6 परिचर्या घटना-दर – परिवार (बी.व्य.) एकक

नई परिचर्या की अखिल भारतीय दर पिछले वर्ष के दौरान 414 की तुलना में वर्ष 2017-18 में 322 प्रति 1000 परिवार एकक है। पुरानी परिचर्या की संख्या 2016-17 में 557 से घटकर 2017-18 में 469 प्रति 1000 परिवार एकक हो गई। पुरानी परिचर्या की तुलना में नई परिचर्या का अनुपात वर्ष 2016-17 में 1.34 की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 1.46 रहा था।

3.7 बीमारी का स्वरूप

पूरे देश में प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों पर नये मामलों की संख्या के रूप में क.रा.बी. लाभार्थियों के बीमारी स्वरूप की सूचना **परिशिष्ट-III-घ** में दी गई है। प्रत्येक 298 कारण-समूहों को अलग से दर्शाया गया है।

बीमाकृत व्यक्तियों के संबंध में (कारण-समूह वार) बीमारी की घटना-दर अधिकतर सूचीबद्ध रोगों के लिए पारिवारिक सदस्यों के संबंध में तदनुरूपी घटना-दर के सादृश्य है।

3.8 कृत्रिम अंग एवं उपकरणों का प्रावधान

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, लाभार्थियों को निम्नलिखित कृत्रिम अंग एवं उपकरण निःशुल्क प्रदान किये गए:

क्र. सं.	मद	बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या
1	कृत्रिम अंग	47
2	कृत्रिम दांत	533
3	चश्में	7274
4	सुनने की मशीन	355
5	कार्डिएक पेसमेकर	46
6	वाकिंग कैलिपर, सर्जिकल बूट	384
7	स्पाइनल स्पोर्ट	3115
8	सेरेब्रल कॉलर	1329
9	इंटरओकुलर लेंस	6542
10	अन्य	1575

3.9 अक्षमता-संदर्भ 2017-18

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 62 पूर्णकालिक और 60 अंशकालिक चिकित्सा निर्देशियों द्वारा अक्षमता निर्धारण के लिए 245892 बीमाकृत व्यक्तियों के रेफरल मामलों की जांच की गई।

3.10 परिवार कल्याण सेवाएं

क.रा.बी.निगम रोग प्रतिरक्षण और परिवार कल्याण कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अनुसरण करता है। क.रा.बी. लाभार्थियों को छोटा परिवार अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए चिकित्सा देखरेख के एक अभिन्न भाग के रूप में परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां और उपयुक्त अवधि के दौरान दिए गए टीकों की खुराकों की स्थिति को दर्शाते हुए प्रतिरक्षण का विवरण क्रमशः **परिशिष्ट-III-ड** एवं **परिशिष्ट-III च** में दिया गया है।

3.11 आयुष को प्रोत्साहित करना

क.रा.बी. निगम सभी राज्यों में क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना अस्पतालों एवं औषधालयों में एलोपैथिक पद्धति सहित आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी) सुविधाओं को प्रोत्साहित करता है। पूरे भारत में आयुष सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से विकसित की गई हैं।



3.4 Out-Patient Attendance

All statistics relating to attendance in ESI Institutions, home visits by ESI Doctors, cases admitted in hospitals and cases referred for specialized investigations are given in **Appendix-III-B & III-C** respectively. For working out the level of medical attendance, only the number of IPs/family units attached to the reporting dispensaries/clinics is used. An Insured Person receiving medical treatment is treated as a 'New Case' on his first attendance in a particular spell of sickness while his subsequent visits to the dispensary or clinic during the same spell are counted as "Old Case".

3.5 Incidence of Attendances in Dispensaries and Hospitals

The all-India incidence of new cases decreased from 389 per 1000 Insured Persons in the year 2016-17 to 283 in 2017-18. The number of old attendance has decreased from 512 in the year 2016-17 to 409 per 1000 Insured Persons in 2017-18. The proportion of old to new attendance has increased from 1.32 in the year 2016-17 to 1.45 during the year under report.

3.6 Incidence of Attendances-Family (I.P.) Units

The all-India incidence of new cases in 2017-18 is 322 per 1000 family units as against 414 of the previous year. The number of old attendance decreased from 557 in 2016-17 to 469 per 1000 family units in 2017-18. The proportion of old attendance to new was 1.34 in 2016-17 and 1.46 during the year under report.

3.7 Sickness Pattern

Information on the sickness pattern of the ESI beneficiaries for the country as a whole, expressed as number of new cases per 1000 Insured Persons, is given in **Appendix III-D**. Each of the 298 cause groups is shown separately.

The incidences of sickness (cause group –wise) in Insured Persons bear resemblance to the corresponding incidence in the families, for the most of the listed diseases.

3.8 Provision of Artificial Limbs and Appliances

During the year under report, the following artificial limbs and appliances were provided free of cost to the beneficiaries:

Sl. No.	Items	No. of IPs
1.	Artificial Limbs	47
2.	Artificial Denture	533
3.	Spectacle	7274
4.	Hearing Aids	355
5.	Cardiac Pacemaker	46
6.	Walking Caliper, surgical Boots	384
7.	Spinal Support	3115
8.	Cervical Collar	1329
9.	Intraocular Lens	6542
10.	Others	1575

3.9 Incapacity Reference 2017-18

During the year under report, references for 245892 Insured Persons were examined by 62 full time and 60 part time Medical Referee for assessment of incapacity.

3.10 Family Welfare Services

ESIC follows National Health Programme including Immunization & Family welfare programmes. In order to promote small family norm among the ESI beneficiaries, the Corporation has been providing Family Welfare Services as an integral part of the Medical Care. Major achievement under the Family Welfare programme for last three year i.e. 2015-16, 2016-17 & 2017-18 and immunization statement showing the number of doses of vaccines administered during the above said period are reflected in **Appendix III-E and III-F** respectively.

3.11 Promotion of AYUSH

ESI Corporation promotes AYUSH (Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy) facilities along with the Allopathic system of medicine in ESIC/ESIS hospitals and dispensaries in all States. AYUSH facilities have been developed in a phased manner all over the country.

इस संदर्भ में क.रा.बी. निगम ने आयुष/भा.चि.प. सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका ब्योरा निम्नवत् है:

1. आयुष इकाइयों की स्थापना (21.12.2005 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 134वीं बैठक में) हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, क.रा.बी. निगम द्वारा राज्यों में नई आयुष इकाइयों की स्थापना करने के लिए प्रथम पांच वर्ष की अवधि में पूरा खर्च वहन करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
2. सुधार कार्यक्रम ईएसआइसी "2.0" के कार्यान्वयन तथा ईएसआइसी/ईएसआइएस अस्पतालों तथा औषधालयों में आयुष सुविधाओं के विस्तार के लिए क.रा.बी. निगम की 166वीं बैठक में निर्णय लिए गए तथा आयुष एवं योग सुविधाओं पर आधारित क.रा.बी. नीति बनाकर दिनांक 30.11.2015 को जारी की गई।
3. समयबद्ध एवं अच्छी गुणवत्ता वाली मशीनें उपलब्ध कराने के लिए, क.रा.बी. निगम आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति हेतु केंद्रीय आयुर्वेदिक दर सविदा प्रतिपादित करता है। गुणवत्तापूर्ण औषधियां सुनिश्चित कराने के लिए, प्रतिभागी फर्मों के लिए वार्षिक टर्नओवर वर्तमान में ₹ 1 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 5 करोड़ कर दिया गया है। आयुर्वेदिक औषधियों की समयोचित व्यवस्था तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों के सभी बैचों के परीक्षण की शुरुआत कर दी गयी है।
4. क.रा.बी. निगम केन्द्रीय होमियोपैथिक दर अनुबंध प्रक्रियाधीन है।
5. दिनांक 30.01.2017 को आयुष पर क.रा.बी. निगम की उप समिति की 12वीं बैठक आयोजित की गई थी। आयुष पर क.रा.बी. निगम की उप समिति द्वारा दिए गए सुझावों जैसे कि चिकित्सा आयुक्त (आयुष) की आयुष से संबंधित प्रशासनिक शक्तियां, वरिष्ठतम मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) आयुष चिकित्सक को डीएमएस आयुष के तौर पर मनोनीत करने, आयुष औषधि विक्रेता को सूचीबद्ध करने पर कार्रवाइयां की जा रही है।
6. आयुष पर क.रा.बी. निगम की उप समिति की 12वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आईएसएम इकाई को आयुष विभाग में परिवर्तित कर दिया गया है।
7. आयुष सुविधाओं के प्रचार-प्रसार के लिए क.रा.बी. निगम प्रदर्शनियों/स्वास्थ्य मेलों में भाग ले रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ ही देश भर में क.रा.बी. योजना को प्रोत्साहित करने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए अनुसूची के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस उत्सव मना रहा है।
8. दिनांक 31.03.2018 के अनुसार विभिन्न राज्यों में आयुष सुविधाओं की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट III-छ** में दी गई हैं।

3.12 बीमाकृत व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई चिकित्सा देख रेख

31.03.2018 को 3,43,31,300 बीमाकृत व्यक्ति परिवार एककों को चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराई जा रही है।

3.13 अस्पताल बिस्तरों का अधिभोग

वर्ष 2017-18 के लिए प्रतिदिन प्रति बिस्तर औसत लागत के साथ क.रा.बी. अस्पतालों का राज्यवार बिस्तर अधिभोग **परिशिष्ट-III-ज** में दिया गया है। अखिल भारतीय औसत पर आधारित बिस्तर अधिभोग 52 प्रतिशत है। क.रा.बी.निगम अस्पतालों का औसत बिस्तर अधिभोग 68 प्रतिशत है जबकि ईएसआइएस अस्पतालों का औसत बिस्तर अधिभोग 41 प्रतिशत है।

3.14 चिकित्सा देखरेख पर व्यय

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान चिकित्सा देखरेख के प्रावधान पर किया गया कुल व्यय ₹ 717704.62 (लाख में) था। इसमें राज्य सरकारों का 1/8वां हिस्सा और उनके द्वारा प्रतिव्यक्ति अधिकतम सीमा से अधिक किया गया व्यय तथा मॉडल अस्पतालों एवं अति विशिष्टता उपचार पर किया गया व्यय भी शामिल है। व्यय का राज्यवार विवरण **परिशिष्ट-III-झ** में दिया गया है। प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति अधिकतम व्यय मिजोरम में ₹ 11011.27 दर्ज किया गया और प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति न्यूनतम व्यय महाराष्ट्र में ₹ 866.27 दर्ज किया गया।

3.15 चिकित्सा देखरेख व्यय पर नियंत्रण

उपयुक्त बजट नियंत्रण के साथ ही योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान में गुणात्मक एवं मात्रात्मक एकरूपता बनाए रखने के लिए क.रा.बी. निगम ने चिकित्सा देखरेख पर प्रतिव्यक्ति व्यय उच्च सीमा निर्धारित की है जो निगम एवं राज्य सरकारों के बीच 7:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। इस उच्चतम सीमा की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इसमें वृद्धि की जाती है।

चिकित्सा सुविधा पर राज्य सरकार के साथ व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

- क) क.रा.बी.निगम और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच उच्चतम सीमा तक व्यय का विभाजन
- ख) उच्चतम सीमा के बाहर विभाजन योग्य व्यय
- ग) उच्चतम सीमा के बाहर क.रा.बी.निगम द्वारा पूर्णतः वहन किया गया व्यय

क) क.रा.बी.निगम और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच उच्चतम सीमा तक व्यय का विभाजन

क.रा.बी. निगम ने 15 दिसम्बर, 2016 को आयोजित अपनी 170वीं बैठक में निम्नानुसार राज्य क.रा.बी. योजना द्वारा किये जाने वाले चिकित्सा व्यय की उच्चतम सीमा बढ़ाने का अनुमोदन किया:

क) 2017-18 से दो उप-शीर्षों पर ₹ 3000/- की उच्चतम सीमा निम्नानुसार विभाजित की गई है:

क) "प्रशासनिक व्यय"	=	₹ 1250/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष
ख) "अन्य"	=	₹ 1750/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष



In this regard the ESI Corporation has taken several steps for strengthening of AYUSH services, the details are as under:

1. It has been approved to bear the entire expenditure on setting up of new AYUSH units in the states for the first five years by ESIC Corporation for encouraging the State Governments for setting up of AYUSH units (in the 134th meeting of the ESIC Corporation held on 21/12/2005),
2. ESI policy on AYUSH and Yoga facilities has been framed and issued on 30/11/2015 for implementation of the Reform Agenda ESIC "2.0" and decisions taken in the 166th meeting of ESI Corporation for expansion of AYUSH facilities in ESIC/ESIS hospitals and dispensaries,
3. ESIC formulates Central Ayurvedic Rate Contract for supply of Ayurvedic drugs. To ensure quality drugs, annual turnover for participating firms has been enhanced from existing ₹ 1 Crore to ₹ 5 Crores. Testing of all batches of Ayurvedic drugs has been conducted to ensure quality of Ayurvedic Drugs for providing timely and good quality medicines.
4. ESIC Central Homeopathic Rate Contract is under process.
5. 12th meeting of the Sub- Committee of ESIC on AYUSH held on 30/01/2017. Actions are being taken on the suggestions made by the Sub- Committee of ESIC on AYUSH such as administrative AYUSH related powers to MC(AYUSH), Senior most CMO (NFSG) AYUSH Physicians designated as DMS(AYUSH), Empanelment of AYUSH Chemist.
6. ISM Cell is changed to AYUSH Division as per the decision of 12th meeting of the Sub-Committee of ESIC on AYUSH.
7. ESIC has been participating in exhibitions/health melas, Health check up camps and celebrating International Day of Yoga, and also National Ayurveda Day as per the schedule for promotion and popularization of ESIC & ESIS across the India.
8. The latest Position of AYUSH facilities in various states as on 31.03.2018 is given at **Appendix III-G**.

3.12 Medical care provided to the Insured Persons

As on 31.3.2018, 3,43,31,300 insured persons family units are being provided Medical Care.

3.13 Occupancy of Hospital Beds

The state-wise status of bed occupancy of ESI Hospitals for the year 2017-18 is given at **Appendix III-H**, alongwith average cost per bed per day. Average bed occupancy based on All India figure is 52%. The average bed occupancy for ESIC hospital is 68%, whereas the average bed occupancy for ESIS hospitals is 41%.

3.14 Expenditure on Medical Care

The total expenditure incurred on provision of Medical Care, during the year under report, was about ₹ 717704.62 (in Lakhs). This included the 1/8th share of the state Government, as well as, the money spent by them over and above the per capita ceiling and expenditure on Medical Hospitals and Super Speciality Treatments. The State-wise break-up of expenditure is given at **Appendix III-I**. The highest per capita expenditure per annum at ₹ 11011.27 was recorded in Mizoram and the lowest per capita expenditure at ₹ 866.27 was recorded in Maharashtra.

3.15 Control over expenditure on Medical Care

In order to exercise proper budgetary control as well as to maintain a qualitative and quantitative uniformity in the provision of Medical Facilities under the Scheme, ESI Corporation has prescribed a ceiling on per capita expenditure on Medical care shareable between the Corporation and the State Governments in the ration of 7:1. This ceiling is reviewed and raised from time to time.

Details of Expenditure arrangement with State Govt. on medical care, is as under:

- a) Sharing of expenditure between ESIC and various State Govt. upto a ceiling.
- b) Sharable expenditure outside the ceiling.
- c) Expenditure fully borne by the ESIC outside the ceiling

a) Sharing of expenditure between ESIC and various State Govt. upto a ceiling:

ESI Corporation in its 170th meeting held on 15th December, 2016 has approved the enhancement of ceiling on medical expenditure incurred by State ESI Scheme, as under:

- (a) The ceiling of ₹ 3000/- has been divided into two sub-head w.e.f 2017-18 as under:

(A) "Administration Expenditure"	=	₹ 1250/- per IP per annum
(B) "Others"	=	₹ 1750/- per IP per annum

- (ख) 2018-19 से "प्रशासनिक" उप-सीमा ₹ 3000/- प्रति व्यक्ति की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर सीपीआई के अनुपालन में बढ़ाई जाएगी।
- (ग) 2017-18 से 2019-20 तक उच्चतम सीमा ₹ 3000/- निर्धारित की जाएगी और 2020-21 से डब्ल्यूपीआई एवं राज्यों के व्यय पैटर्न के आधार पर इसकी वार्षिक तौर पर समीक्षा की जाएगी।
- घ) राज्य सरकार को क.रा.बी.निगम द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) को निगम के बजट में शामिल करने के प्रयोजन हेतु प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करना होगा। पीआईपी के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) का प्रस्ताव और वर्तमान वित्त वर्ष के पहले छह माह के दौरान प्रगति की रिपोर्ट शामिल होगी।
- क.रा.बी.निगम द्वारा बिना अनुमोदित कोई भी योजना शामिल नहीं की जानी चाहिए।
 - यदि प्रस्तावित हो तो, वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी योजना, जो उस वर्ष के प्राक्कलनों में शामिल नहीं की गई है, को फाइनेंस करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर क.रा.बी. निगम से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
 - कोई भी मदें जो कि अनुमोदित नहीं हैं उस पर व्यय के लिए निधि विनियोजित नहीं की जाएगी।
 - महानिदेशक, क.रा.बी. निगम विनियोजन की एक प्राथमिक इकाई से निधियों को दूसरे में पुनः विनियोजित कर सकते हैं
- (ङ) वर्ष 2017-18 के लिए निधियां ₹ 2150/- की वर्तमान उच्चतम सीमा के अनुसार जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त केवल वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपने आवेदन प्रस्तुत करने वाले राज्यों के संबंध में ही पीआईपी निमित्त ₹ 850/- की उच्चतर सीमा राशि को मंजूरी प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त जहां समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सभी राज्य ईएसआइ अस्पतालों में बिस्तर अधिभोगिता 70 प्रतिशत से अधिक है, वहां निगम ने राज्य सरकारों हेतु ₹ 200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति को अनुमोदित किया है। राज्य सरकारों को यह प्रतिपूर्ति वर्तमान अवसंरचना का इष्टतम उपयोग और क.रा.बी.निगम मानकों के अनुसार कर्मचारी एवं उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु दी गई है। यह राशि विभाजन योग्य नहीं होगी और इसे पूर्णतः क.रा.बी. निगम द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा, यह राशि निबद्ध होगी और राज्य सरकारें इसे किसी भी उपशीर्ष अर्थात् "प्रशासनिक" या "अन्य" में प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

ख) उच्चतम सीमा से बाहर विभाजन योग्य व्यय:

- अस्पतालों एवं औषधालयों के लिए उपकरणों की प्रारंभिक खरीद
- प्रति इकाई ₹ 25,000/- से अधिक कीमत वाले उपकरण :
कीमती उपकरणों जैसे एक्स-रे मशीन आदि को बदलने का व्यय या अस्पताल में नये विभाग खोलने हेतु ₹ 25000/- एवं उससे अधिक की कीमत का उपकरण, जो कि अस्पताल के लिए जरूरी हो, के मामले में उच्चतम सीमा से अधिक राशि निगम एवं राज्य सरकारों के बीच विभाजित होगी।
- वाहनों की खरीद:
नये एम्बुलेंस, मोबाइल डिस्पेंसरी वैन, शव वाहन, कार्यालय वाहन या उनका प्रतिस्थापन, चिकित्सा देखरेख पर व्यय के अंतर्गत अधिकतम सीमा से ज्यादा तथा विभाजन योग्य राशि से किया जाएगा।
- नर्स प्रशिक्षण स्कूल
- कुल बजट के 0.5 प्रतिशत तक प्रशिक्षण
- ₹ 25,000/- तक की राशि से अधिक कीमत के निम्नलिखित गैर-चिकित्सा उपकरणों की खरीद:
 - गैस पाइपलाइन
 - फोटोस्टेट मशीन/फैक्स
 - सामान्य क्षेत्रों एवं सम्मेलन कक्षों के लिए सावर्जनिक उद्घोषणा प्रणाली
 - प्रोजेक्टर (ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइट प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर)
 - ईपीएबीएक्स
 - एयर कंडीशनर्स
 - वाटर कूलर्स
 - वॉक-इन कूलर्स
 - जल शोधन संयंत्र (वाटर सॉफ्टनर एवं रिवर्स ओसमोसिस)
 - डिस्पले सिस्टम
 - क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी)
 - डीजी सेट
 - ऑटोक्लेव्स

ग) क.रा.बी.निगम द्वारा पूर्णतः वहन किया गया व्यय:

- अस्पतालों एवं औषधालयों के लिए भवनों का निर्माण
- स्वयं के भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव
- अस्पतालों के लिए कम्प्यूटरों की खरीद



- (b) From 2018-19 “Administrative” sub-ceiling will be increased in line with CPI within the overall ceiling of ₹ 3000/- per capita.
- (c) The ceiling of ₹ 3000/- will be fixed from 2017-18 to 2019-20 and reviewed annually from 2020-21 on the basis of WPI and expenditure pattern of the States.
- (d) The State Govt. to present Project Implementation Plan (PIP), in accordance with the guidelines issued by ESIC time to time, every year for the next financial year for its inclusion in the Budget of the Corporation. The PIP should contain the proposal for next financial year and the progress made during the first six months of the current year.
 - i. No scheme should be included which has not been duly approved by the ESIC.
 - ii. If proposed, during the course of a financial year, to finance any of the ESIC shall be obtained to the method for financing it.
 - iii. The funds shall not be appropriated for expenditure on any item which has not been approved.
 - iv. The DG, ESIC, is authorized to re-appropriate funds from one primary unit of appropriation to another.
- (e) Funds for 2017-18 has been released as per current ceiling of ₹ 2150/- further, ceiling amount of ₹ 850/- has been sanctioned towards PIP in respect of those states only, which have submitted their presentation in financial year 2017-18.

In addition to this, the Corporation has also approved reimbursement of ₹ 200/- per IP per annum to the State Governments, where the bed occupancy in all the State ESI Hospitals is more than 70% during the concluded financial year. This reimbursement is given to the State Governments to facilitate the optimum utilization of the existing infrastructure and also to encourage them to provide staff and equipment as per ESIC Norms. This amount will be non sharable and will totally be borne by ESI Corporation. Further this amount will be untied and State Governments will be free to use it on any sub heads i.e. “Administrative” or the ‘Others’.

b) Shareable expenditure outside the ceiling:

- a) Initial purchase of equipment for hospitals and dispensaries.
- b) Equipments costing more than ₹ 25, 000/- per unit:
Expenditure for replacement of costly equipments like X-ray machine etc. or addition of new department in a hospital, the equipment costing more than ₹ 25,000/- and above, which is considered essential, is to be shared between the Corporation and the State Govts. outside the ceiling.
- c) Purchase of vehicles:
The expenditure on purchase of new Ambulances, Mobile dispensary Vans, Hearse Vans, Office vehicles or replacement thereof is to be made from the shareable pool, outside the ceiling on expenditure on medical care.
- d) Nurses training school.
- e) Training upto 0.5% of the total budget.
- f) Purchase of following non-medical equipment, costing above ₹ 25,000/-:-
 1. Gas Pipelines
 2. Photostat Machine / Fax
 3. Public address system for general areas and conference rooms.
 4. Projectors (over head projectors, slight projectors, LCD projectors.)
 5. EPABX
 6. Air conditioners
 7. Water coolers
 8. Walk- in coolers
 9. Water treatment plant (water softener and Reverse osmosis)
 10. Display system
 11. Close circuit television (CCTV)
 12. DG set
 13. Autoclaves

c) Expenditure fully borne by ESIC outside the ceiling:

- i) Construction of buildings for hospitals and dispensaries.
- ii) Repair and maintenance of own buildings.
- iii) Purchase of computers for hospitals.

- iv) पहले तीन वर्षों के लिए नए कार्यान्वित क्षेत्र
- v) पहले पांच वर्षों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में नये कार्यान्वित क्षेत्र
- vi) पांच वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए नई आयुष इकाइयों की स्थापना
- vii) 70 प्रतिशत से अधिक बिस्तर अधिभोगिता वाले अस्पतालों हेतु उपकरण
- viii) मॉडल एवं क.रा.बी.निगम द्वारा सीधे संचालित अस्पताल एवं व्यावसायिक रोग केन्द्र
- ix) एमडीडीसी (मॉडल औषधालय सह नैदानिक केन्द्र)
- x) द्वितीयक चिकित्सा देखरेख पर व्यय जहां बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 25000 से अधिक है और वर्तमान क.रा.बी. अस्पताल क्षेत्र से 25 किमी. से अधिक दूरी पर स्थित हैं।
- xi) नियोक्ता उपयोज्यता औषधालय (ईयूडी)
- xii) अति-विशिष्टता उपचार निम्नानुसार है:

नकद रहित एवं झंझटमुक्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए क.रा.बी. निगम ने दिनांक 08.07.2008 को आयोजित अपनी 143वीं बैठक में अति-विशिष्टता उपचार पर व्यय का वहन सीधे किये जाने का निर्णय लिया है जो कि दिनांक 01.08.2008 से प्रभावी है। इसके लिए अति विशिष्टता जांच एवं उपचार प्रदान करने के लिए क.रा.बी. निगम द्वारा प्रतिष्ठित सरकारी/निगमित/निजी अस्पतालों के साथ सीधे समझौता व्यवस्था की गई है। अति विशिष्टता उपचार पर पूर्ण व्यय का वहन क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाता है और अधिकतम सीमा से बाहर व्यय उपगत किया जाता है।

3.16 व्यवसायजनित रोग केन्द्र

क.रा.बी. निगम ने व्यावसायिक स्वास्थ्य से जुड़े संरक्षात्मक एवं प्रोत्साहन पहलू के लिए उठाए गए कदमों के अलावा, व्यवसायजनित रोग की पूर्व पहचान एवं त्वरित उपचार के लिए बसईदारापुर में एक व्यावसायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं अनुसंधान संस्थान तथा चार आंचलिक व्यवसायजनित रोग केन्द्र स्थापित किये हैं।

ये संस्थान निम्नवत हैं:

उत्तरी अंचल	क.रा.बी. निगम अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली (आईओएचईआर)
दक्षिणी अंचल	के.के. नगर, चेन्नै
पूर्वी अंचल	जोका, कोलकाता
पश्चिमी अंचल	अंधेरी, मुंबई
मध्य अंचल	नंदानगर, इंदौर

व्यावसायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं अनुसंधान संस्थान (आईओएचईआर) व्यावसायिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु नोडल संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है। व्यावसायिक रोगों पर आंकड़ें साझा करने, शैक्षिक प्रशिक्षण, समन्वय एवं सहयोग के लिए आईवीपीएसएस एवं क.रा.बी. निगम के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

3.17 चिकित्सा शिक्षा

निगम क.रा.बी. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बेहतरीन चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। क.रा.बी. निगम द्वारा स्थापित एवं चलाई जा रही परियोजनाएं निम्नवत हैं:

(1) स्नातकोत्तर संस्थान

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 06 स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, राजाजी नगर, बेंगलुरु (कर्नाटक); के.के. नगर, चेन्नै (तमिलनाडु); जोका-कोलकाता (पश्चिम बंगाल); माणिकतला, कोलकाता (पश्चिम बंगाल); बसईदारापुर (नई दिल्ली); और अंधेरी (पूर्व) मुंबई (महाराष्ट्र) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(2) चिकित्सा महाविद्यालय

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार राजाजीनगर, बेंगलुरु (कर्नाटक), के.के. नगर, चेन्नै (तमिलनाडु), जोका, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), गुलबर्गा (कर्नाटक), फरीदाबाद (हरियाणा) और सनत नगर, हैदराबाद (तेलंगाना) में 06 क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय संचालित किये जा रहे हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय राजाजीनगर, बेंगलुरु में भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) की स्वीकृति के बाद स्नातक (एमबीबीएस) के नए बैच को शुरू किया गया, जबकि क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय, के.के. नगर, चेन्नै; जोका (कोलकाता) तथा गुलबर्गा (कर्नाटक) में स्नातक (एमबीबीएस) के पांचवें बैच को स्वीकृति दी गई थी। क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा) में एमबीबीएस के तीसरे बैच और क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय, सनत नगर, हैदराबाद (तेलंगाना) में दूसरे बैच का प्रवेश किया गया।

(3) दंत्य महाविद्यालय

50 विद्यार्थी प्रतिवर्ष बीडीएस प्रवेश क्षमता के साथ रोहिणी, नई दिल्ली में दंत्य महाविद्यालय अपनी स्थापना के आठवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। वर्ष 2017-18 में प्रथम बैच के प्रवेश के साथ गुलबर्गा दंत्य महाविद्यालय का प्रारंभ किया गया। निगम द्वारा चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में लिए गए निर्णय की समीक्षा के तहत (i) कोयम्बतूर, तमिलनाडु; (ii) पेरिपल्ली, केरल; (iii) बिहटा, पटना, बिहार; (iv) अलवर, राजस्थान और (v) मण्डी,



- iv) Newly implemented areas for first three years.
- v) Newly implemented areas in North East States for first five years.
- vi) For establishment of new AYUSH units for initial period of five years.
- vii) Equipments for hospital with bed occupancy more than 70%
- viii) Model & directly run ESIC Hospitals and Occupational Disease Centers.
- ix) MDDC (Model Dispensaries cum Diagnostic Center).
- x) Expenditure on secondary care where No. of IPs is more than 25000 & existing ESI Hospital is more than 25 Km. away from the area
- xi) Employers Utilization Dispensary (EUD).
- xii) Super-specialty treatment as under:-

To provide cashless and hassle free medical services, ESI Corporation in its 143rd meeting held on 08.07.2008 has taken a decision for bearing the super specialty expenditure directly w.e.f. 01.08.2008. For this, tie up arrangement have been made directly by ESIC with reputed Govt./corporate/private hospitals for providing super specialty investigations and treatment. Entire expenditure on super speciality treatment is borne by ESIC & the expenditure is incurred outside the ceiling limit.

3.16 Occupational Diseases Centre

ESI Corporation has set up one IOHER Centre at Basaidarapur, New Delhi & four Zonal Occupational Disease Centre for providing early detection & prompt treatment, apart from taking steps for preventive & promotive aspect pertaining to occupational health.

These institutions are as under:-

North Zone	ESIC Hospital, Basaidarapur, New Delhi(IOHER)
South Zone	K.K.Nagar, Chennai
East Zone	Joka, Kolkata
West Zone	Andheri, Mumbai
Central Zone	Nandanagar, Indore

Institute of Occupational Health, Environment & Research (IOHER) has been established to act as a nodal Institute for improving occupational health. An MoU has been signed between IVPSS & ESIC for coordination and cooperation, academic training & sharing data's on occupational diseases.

3.17 Medical Education

The Corporation is committed to provide improved medical care to its beneficiaries under the ESI Scheme. Accordingly Medical Education Institutions have been set-up at various location. The projects set-up and being run by ESIC are:-

1) PG - Institutes

P.G. Courses are running at 06 Post Graduate Institutes of Medical Sciences & Research (PGIMSRs) at Rajaji Nagar, Bangalore (Karnataka); K.K. Nagar, Chennai (Tamil Nadu); Joka-Kolkata (West Bengal); Manicktala, Kolkata (West Bengal); Basaidarapur, (New Delhi); & Andheri (E) Mumbai as on 31.03.2018

(2) Medical Colleges

The 06 ESIC Medical Colleges with 100 annual MBBS admissions each are running at Rajaji Nagar, Bangalore (Karnataka), K.K. Nagar, Chennai (Tamil Nadu), Joka, Kolkata (West Bengal) Gulbarga, (Karnataka), Faridabad, (Haryana) and Sanath Nagar, Hyderabad, (Telangna) as on 31.03.2018.

In the academic year 2017-18, fresh Batch of UG (MBBS) students was admitted at ESIC Medical College Rajaji Nagar, Bangalore after grant of permission from MCI while 5th batch of UG (MBBS) students was admitted at ESIC Medical College at K.K. Nagar, Chennai, Joka, Kolkata & Gulbarga, Karnataka. 3rd batch of MBBS students was admitted to the ESIC Medical College Faridabad, Haryana and 2nd batch at ESIC Medical College, Sanath Nagar, Hyderabad.

(3) Dental Colleges

Dental College at Rohini, New Delhi with 50 annual BDS admissions entered into its 8th year of commencement. Gulbarga Dental College has been started with admission of 1st Batch in 2017-18.

Due to review of decision by the Corporation, regarding Medical Education, the proposed Medical Colleges at (i) Coimbatore, Tamilnadu; (ii) Paripally, Kerala; (iii) Bihta, Patna, Bihar; (iv) Alwar, Rajasthan and (v) Mandi, Himachal

हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित महाविद्यालय उन राज्य सरकारों को हस्तांतरित किए गए हैं/हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रियाधीन हैं जिन्होंने इन महाविद्यालयों को अपने नियंत्रण में लेने की इच्छा व्यक्त की है। ऐसे हस्तांतरण के लिए समझौता ज्ञापन को तमिलनाडु (कोयम्बतूर), केरल (पेरिपल्ली) तथा हिमाचल प्रदेश (मण्डी) की राज्य सरकारों के साथ निष्पादित किया गया है। कोयम्बतूर (तमिलनाडु) एवं पेरिपल्ली (केरल) में महाविद्यालय का वास्तविक हस्तांतरण पूरा हो चुका है और मण्डी (हिमाचल प्रदेश) में हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमति मिलने के बाद संबंधित राज्य सरकार ने अपने स्थान पर एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है।

3.18 निर्माण गतिविधियां

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्रमुख पूंजीगत/नवीकरण/मरम्मत परियोजनाएं वर्तमान में निष्पादनाधीन हैं :

क	अस्पताल	लागत (₹ करोड़ में)
1	100 बिस्तर वाले क.रा.बी. अस्पताल, कोरबा, छत्तीसगढ़ का निर्माण	56.31
2	150 बिस्तर वाले अत्याधुनिक क.रा.बी. निगम अस्पताल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का निर्माण	141.97
3	100 बिस्तर वाले क.रा.बी. अस्पताल, उदयपुर, राजस्थान का निर्माण	80.10
4	100 बिस्तर वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल, रांची, झारखंड का निर्माण	71.80
5	100 बिस्तर वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल, आदित्यपुर, झारखंड का निर्माण	75.88
6	100 बिस्तर वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल, रुद्रपुर, उत्तराखंड का निर्माण	97.71
7	50 बिस्तर वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल, फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार का निर्माण	51.12
8	100 बिस्तर वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल, रायपुर, छत्तीसगढ़ का निर्माण	79.73
9	300 बिस्तर वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल, बाल्टिकुडी, कोलकाता का निर्माण	187.35
10	पुणे के बिबवेवाड़ी में मौजूदा क.रा.बी. निगम अस्पताल (50 बिस्तर) का उन्नयन और नवीनीकरण	53.86
ख	औषधालय/शाखा कार्यालय	लागत (₹ करोड़ में)
11	क.रा.बी. औषधालय और स्टाफ क्वार्टर, चिप्टोला, आगरा का नवीनीकरण	1.14
12	क.रा.बी. औषधालय, रायपुरवा, कानपुर, उत्तर प्रदेश का नवीनीकरण	1.84
13	क.रा.बी. औषधालय, नवाबगंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश का नवीनीकरण	1.96
14	क.रा.बी. औषधालय, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का नवीनीकरण	0.65
15	क.रा.बी. औषधालय, मोदी नगर, हापुड़, उत्तर प्रदेश का नवीनीकरण	1.26
16	पनकी, कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 चिकित्सकों वाले क.रा.बी. औषधालय और शाखा कार्यालय का निर्माण	2.33
17	प्रगति पुरम, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में 2 चिकित्सकों वाले क.रा.बी. औषधालय और शाखा कार्यालय का निर्माण	2.27
18	नंजनगुड़ मैसूर, कर्नाटक में 5 चिकित्सकों वाले क.रा.बी. औषधालय और नैदानिक केंद्र का निर्माण	8.65



ईएसआई अस्पताल बिबवेवाड़ी, पुणे के नवीनीकरण एवं उन्नयन का शिलान्यास करते हुए श्री बंडारू दत्तात्रेय माननीय श्रम और रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार



ईएसआई अस्पताल बरेली के हस्तांतरण व नवीकरण का शुभारम्भ करते हुए श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार तथा अन्य विशिष्ट अतिथिगण

Pradesh were processed for transfer to State Government who had shown willingness to takeover the colleges. The memorandum of understanding (MOU) for such transfer has been executed with State Government of Tamil Nadu (Coimbatore); Kerala (Paripally) and Himachal Pradesh (Mandi). Actual transfer of the college has been completed at Coimbatore (Tamil Nadu) and Paripally (Kerala) and the transfer is under process in phases at Mandi (Himachal Pradesh). The respective State Govt. have started MBBS/BDS course at their location after grant of permission by Central government.

3.18 Construction Activities :

The following major capital/renovation/ repair projects are under execution as on 31.03.2018

A	HOSPITALS	Cost (₹ in Crore)
1.	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Korba, Chhattisgarh.	56.31
2	Construction of 150 bedded Super Specialty ESIC Hospital at Varanasi, UP.	141.97
3	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Udaipur (Rajasthan).	80.10
4	Construction of 100 bedded ESIC Hospital at Ranchi, Jharkhand.	71.80
5	Construction of 100 bedded ESIC Hospital at Adityapur, Jharkhand.	75.88
6	Construction of 100 bedded ESIC Hospital at Rudrapur, Uttarakhand.	97.71
7	Construction of 50 bedded ESIC Hospital at Phulwari Sharif, Patna, Bihar.	51.12
8	Construction of 100 bedded ESIC Hospital at Raipur, Chhattisgarh.	79.73
9	Construction of 300 bedded ESIC Hospital at Baltikuri, Kolkata.	187.35
10	Upgradation and Renovation of existing ESIC Hospital (50 bedded) at Bibvewadi, Pune.	53.86
B	DISPENSARY/ BRANCH OFFICE	Cost (₹ in Crore)
11	Renovation of ESI Dispensary and staff Quarter at Chhiptola, Agra.	1.14
12	Renovation of ESI Dispensary Raipurwa, Kanpur, UP.	1.84
13	Renovation of ESI Dispensary Nawabganj, Kanpur, UP.	1.96
14	Renovation of ESI Dispensary Mirzapur, UP.	0.65
15	Renovation of ESI Dispensary Modi Nagar, Hapur, UP.	1.26
16	Construction of Branch Office and 2 Doctor ESI Dispensary at Panki, Kanpur, UP.	2.33
17	Construction of Branch Office and 2 Doctor ESI Dispensary at Pragati Puram, Rae Bareilly, UP.	2.27
18	Construction of 5 Doctor ESI Dispensary & Diagnostic Centre at Nanjangud Mysore, Karnataka.	8.65



A Medical Camp in progress at ESI Hospital, Bareilly (U.P.)



A Health Check-up camp in progress at SRO, Thane

4 – नकद हितलाभ भुगतान

4.1 परिचय

चिकित्सा देखभाल के अलावा, करा.बी. योजना के अधीन लाभार्थियों को कई नकद हितलाभ भी प्रदान किये जाते हैं। बीमारी के कारण शारीरिक तनाव, अस्थायी या स्थायी निःशक्तता के कारण अर्जन क्षमता में हानि, बीमाकृत महिला के संबंध में प्रसूति आदि के समय नकद हितलाभ भुगतान किया जाता है। बीमाकृत व्यक्ति, जिनकी मृत्यु दुर्घटना के कारण रोजगार चोट अथवा व्यवसायजनित बीमारी के कारण हुई हो, के आश्रितजन मासिक भुगतान प्राप्त करने के हकदार होते हैं जिसे आश्रितजन हितलाभ कहा जाता है।

जिन क्षेत्रों में योजना लागू है, वहां निगम द्वारा स्थापित शाखा कार्यालयों तथा भुगतान कार्यालयों में नकद हितलाभ का भुगतान किया जाता है। ऐसे कार्यालयों की सं. 630 / 185 है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बीमारी, मातृत्व, निःशक्तता तथा आश्रितजन हितलाभों संबंधी नकद हितलाभ दावों की घटना-दर का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः **परिशिष्ट-IV-क, IV-ख तथा IV-ग** में दिया गया है। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र/उप-क्षेत्र में किए गए नकद हितलाभ भुगतानों की कुल संख्या **परिशिष्ट-IV-क** में दर्शायी गई है। कुल मिलाकर, वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 36.97 लाख के भुगतान किए गए। प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी किए गए भुगतानों की औसत संख्या पिछले वर्ष के दौरान 0.10 की तुलना में घटकर रिपोर्टाधीन वर्ष में 0.09 हो गई है।

4.2 बीमारी हितलाभ

परिशिष्ट-IV-क के अनुसार बीमारी हितलाभ के लिए हकदार कर्मचारियों की कुल अनुमानित संख्या पिछले वर्ष में 327.25 लाख की अपेक्षा में वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 410.42 लाख है। वर्ष 2017-18 में प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष बीमारी के नए मामलों की औसत संख्या 0.01 है। बीमारी हितलाभ की प्रति कर्मचारी औसत दैनिक दर की राशि पिछले वर्ष में ₹ 251.43 से बढ़कर वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 260.19 हो गई। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बीमारी हितलाभ के रूप में पिछले वर्ष में ₹ 275.21 करोड़ के मुकाबले ₹ 307.29 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। प्रति-कर्मचारी प्रतिवर्ष बीमारी हितलाभ दिवसों की अखिल भारतीय औसत पिछले वर्ष में 0.33 दिन से घटकर रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 0.29 दिन हो गई।

4.3 विस्तारित बीमारी हितलाभ

वर्ष 2017-18 तथा 2016-17 के लिए प्रति 1000 कर्मचारी नए दावों की संख्या के रूप में व्यक्त विस्तारित बीमारी हितलाभ घटना-दर तथा अवसानित दावों की औसत अवधि **परिशिष्ट-IV-क** के क्रमशः कालम (9) एवं (10) में दी गई है। विस्तारित बीमारी हितलाभ की अखिल भारतीय घटना-दर वर्ष 2017-18 के दौरान 0.18 थी तथा वर्ष 2016-17 में 0.23 मामले प्रति 1000 कर्मचारी प्रतिवर्ष थी।

4.4 मातृत्व हितलाभ

मातृत्व हितलाभ के लिए पात्र मानी गई महिला कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 2016-17 में 40.9 लाख से बढ़कर 2017-18 में 45.4 लाख हो गई। पिछले वर्ष में भुगतान किए गए ₹ 9071.93 लाख की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मातृत्व हितलाभ के रूप में ₹ 18202.23 लाख की कुल राशि का भुगतान किया गया। प्रति मातृत्व दावा नकद हितलाभ भुगतान की औसत राशि 2016-17 में ₹ 28924 से बढ़कर 2017-18 में ₹ 51946 हो गई। प्रति हजार बीमाकृत महिला कर्मचारियों के दावों की संख्या वर्ष 2016-17 में 7.67 से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 7.71 हो गई। प्रति हजार महिला कर्मचारी दावों की घटना-दर एरणाकुलम में सबसे अधिक 22.52 तथा नाशिक में सबसे कम 1.34 थी।

4.5 अस्थायी निःशक्तता हितलाभ

अस्थायी निःशक्तता हितलाभ दावों की घटना दर **परिशिष्ट-IV-ख** में दर्शायी गई है। रोजगार चोट से ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या 2016-17 में 241.25 लाख की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में 302.19 लाख है। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 9873.15 लाख की राशि तथा वर्ष 2017-18 में ₹ 9218.20 लाख अस्थायी निःशक्तता हितलाभ के रूप में भुगतान किया गया। नए मामलों की औसत संख्या प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में समान अर्थात् 0.0018 रही। प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष हितलाभ दिवसों की औसत संख्या वर्ष 2016-17 के दौरान 0.14 से घटकर वर्ष 2017-18 के दौरान 0.10 हो गयी। अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की औसत दैनिक हितलाभ दर पिछले वर्ष ₹ 300.42 से बढ़कर ₹ 307.36 हो गई।

4.6 स्थायी निःशक्तता हितलाभ

स्थायी निःशक्तता हितलाभ मामलों की घटना-दर **परिशिष्ट-IV-ख** के कॉलम 7 से 10 में दर्शायी गई है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्वीकृत नए स्थायी निःशक्तता हितलाभ मामलों की संख्या वर्ष 2016-17 में 11692 से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 11960 हो गई। वर्ष 2016-17 की तुलना में प्रति हजार स्थायी निःशक्तता हितलाभ मामलों की घटना दर 0.48 से घटकर वर्ष 2017-18 में 0.40 प्रति हजार बीमाकृत व्यक्ति हो गई। स्थायी निःशक्तता हितलाभ के दावेदारों की संख्या वर्ष 2016-17 में 257653 से बढ़कर रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वर्ष 2017-18 में 269354 हो गई।

स्थायी निःशक्तता हितलाभ से संबंधित ऐसे सभी नकद भुगतान ईसीएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में किए जाते हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्वीकृत नए मामलों के संबंध में स्थायी निःशक्तता हितलाभ दावों का पूंजीगत मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 25293.05 लाख



4 - CASH BENEFIT PAYMENTS

4.1 Introduction

Apart from medical care, arrays of cash benefits are also provided to the beneficiaries under the ESI Scheme. It is payable in times of physical distress due to sickness, temporary or permanent disablement resulting in loss of earning capacity, confinement in respect of Insured Women etc. Dependants of Insured Persons who die of employment injury caused by accident or occupational disease are entitled to monthly payments called the dependants benefit.

Cash benefit payments are made at the branch offices and pay offices set up by the corporation in areas where the scheme is in operation. The number of such offices is 630/185.

The state-wise break-up of the incidence of cash benefit claims relating to sickness, maternity, disablement and dependants benefit during the year under report are given in **Appendices IV-A, IV-B, IV-C** respectively. The total number of cash benefit payments made in each Region/Sub-Region during the year 2016-17 & 2017-18 is given in **Appendix IV-A**. In total, 36.97 Lakhs payments were made during the year 2017-18. The average number of payments per employee per annum is 0.09 during the year under the report as against 0.10 in the previous year.

4.2 Sickness Benefit

The total number of employees entitled for sickness benefit during the year 2017-18 is estimated about 410.42 Lakhs as against 327.25 Lakhs in the previous year as given in **Appendix IV-A**. The average number of fresh spells per employee per annum during 2017-18 is 0.01. The amount of average daily rate of sickness benefit per employee increased to ₹ 260.19 during 2017-18 from ₹ 251.43 in the previous year. During the year under report, an amount of ₹ 307.29 Crore was paid as sickness benefit as against ₹ 275.21 Crore in the previous year. The All India average of sickness benefit days, per employee per annum has decreased from 0.33 days in the previous year to 0.29 days during the year under report.

4.3 Extended Sickness Benefit

The incidence of extended sickness benefit claims expressed as the number of fresh claims per 1000 employees and the average duration of terminated claims for the year 2017-18 and 2016-17 are given in Columns (9) & (10) of **Appendix IV-A** respectively. The All-India incidence of extended sickness benefit claim during the year 2017-18 is 0.18 & 2016-17 was 0.23 per 1000 employees.

4.4 Maternity Benefit

The estimated number of women employees deemed eligible for Maternity Benefit increased from 40.9 Lakhs in 2016-17 to 45.4 Lakhs in 2017-18. An amount of ₹ 18202.23 Lakhs was paid as Maternity Benefit during the year under report as against ₹ 9071.93 Lakhs paid in the previous year. The average amount of cash benefit payment per maternity claim increased from ₹ 28924 in 2016-17 to ₹ 51946 in 2017-18. The number of claims per thousand Insured Women employees, increased from 7.67 in the year 2016-17 to 7.71 in 2017-18. The incidence of the claims per thousand women employees was the highest in Ernakulam 22.52 and lowest in Nasik at 1.34.

4.5 Temporary Disablement Benefit

The incidence of temporary disablement benefit claims is shown in **Appendix IV-B**. The number of employees exposed to employment injury is 302.19 Lakhs in 2017-18 as against 241.25 Lakhs in 2016-17. The amount paid as Temporary Disablement Benefit, during the year 2016-17 was ₹ 9873.15 Lakhs and shows ₹ 9218.20 Lakhs in 2017-18. The average number of fresh spells per employee per annum is same in 2016-17 & 2017-18 i.e. 0.0018. Average number of benefit days per employee per annum has decreased from 0.14 during 2016-17 to 0.10 during the year 2017-18. The average daily benefit rate of TDB has increased to ₹ 307.36 from ₹ 300.42 in the previous year.

4.6 Permanent Disablement Benefit

The incidence of permanent disablement benefit cases registered is shown in Col. 7 to 10 of **Appendix IV-B**. The number of fresh cases admitted during the year under report registered increase to 11960 in 2017-18 from 11692 in 2016-17. The incidence of permanent disablement benefit per thousand Insured Persons decreased from 0.48 during 2016-17 to 0.40 in 2017-18. The number of claimants of Permanent Disablement Benefit has increased from 257653 in 2016-17 to 269354 in 2017-18 during the period under the report.

All such cash payment of PDB is being made directly in the bank account of the beneficiary, through ECS.

The capitalized value of permanent disablement benefit claims in respect of fresh cases admitted during the year is ₹ 26815.51 Lakhs as against ₹ 25293.05 Lakhs in the previous financial year. The number of claimants of permanent

के मुकाबले ₹ 26815.51 लाख है। आवधिक भुगतानों के बदले संराशीकृत मूल्य प्राप्ति हेतु विकल्प देने वाले स्थायी निःशक्तता हितलाभ के दावेदारों की संख्या वर्ष 2016-17 में 4894 से घटकर 3409 हो गई।

4.7 आश्रितजन हितलाभ

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान आश्रितजन हितलाभ के लिए स्वीकृत दावों की संख्या **परिशिष्ट-IV-ख** के कॉलम (11) में दी गई है। आश्रितजन हितलाभ के लिए स्वीकृत नए दावों की संख्या 2016-17 में 1796 से घटकर वर्ष 2017-18 में 1739 हो गई। वर्ष के दौरान आश्रितों के रूप में स्वीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 4384 है।

आश्रितजन हितलाभ से संबंधित ऐसे सभी भुगतान ईसीएस के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान स्वीकृत आश्रितजन हितलाभ के दावों की पूंजीगत राशि पिछले वर्ष की पूंजीगत राशि ₹ 19760.94 लाख की तुलना में ₹ 21311.57 लाख थी।

4.8 राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत बेराजगारी भत्ता

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 01.04.2005 को प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य ऐसे बीमाकृत व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है जो कारखाना/प्रतिष्ठान बंद होने, छंटनी या गैर-रोजगार चोट, जो कि 40 प्रतिशत से कम न हो, के कारण स्थायी तौर पर अशक्त हो गए हैं।

योजना को अधिक आकर्षक तथा संगत बनाने के लिए क.रा.बी. निगम ने 06.09.2016 को आयोजित अपनी 169वीं बैठक में आरजीएसकेवाई के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए अंशदान के भुगतान की योग्यता आवश्यकता 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने और बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला के पूरे बीमायोग्य रोजगार के दौरान बेरोजगारी भत्ते की अवधि वर्तमान में 12 माह से बढ़ाकर 24 माह करने का अनुमोदन किया। इस अवधि के दौरान, बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला पहले 12 माह के लिए पिछली औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत की दर और अगले 12 माह के लिए शेष औसत दैनिक मजदूरी का 25 प्रतिशत की दर से प्राप्त करेगा। इसके अलावा, बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला और उसकी/उसके आश्रित पारिवारिक सदस्य बेरोजगार अवधि के दौरान चिकित्सा हितलाभ पाने के हकदार हैं।

दाखिल किये गये दावों की संख्या पिछले वर्ष 508 की तुलना में वर्ष 2017-2018 में 591 है और इस लेखा पर व्यय पिछले वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 3.72 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-2018 में ₹ 4.26 करोड़ है।

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति/महिला डीजीईटी, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान से 01 वर्ष तक के अल्पावधि पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थानों की गैर-उपलब्धता के मामले में कौशल उन्नयन प्रतिष्ठित निजी संस्थानों से भी प्राप्त किया जा सकता है।

4.9 अंत्येष्टि खर्च

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में अंत्येष्टि खर्च के रूप में ₹ 10,000/- की अधिकतम एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान इस संबंध में पिछले वर्ष के ₹ 1474.01 लाख की तुलना में ₹ 1581.36 लाख की राशि का भुगतान किया गया। प्रति हजार कर्मचारी दावों की संख्या के रूप में व्यक्त, अंत्येष्टि खर्च दावों की घटना दर 2016-17 में 0.52 से घटकर 2017-18 में 0.46 हो गई।

4.10 शिथिलता प्रमाणन एवं नकद हितलाभ के दुरुपयोग पर नियंत्रण

निगम शिथिलता प्रमाणन एवं नकद हितलाभ के दुरुपयोग पर नियंत्रण करने के लिए बीमारी हितलाभ एवं अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की राज्यवार घटनाओं की नियमित निगरानी कर रहा है। वर्ष 2017-18 के लिए बीमारी हितलाभ एवं अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की अखिल भारतीय औसत घटनाएं क्रमशः 0.29 तथा 0.10 दिन प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्यों/क्षेत्रों अर्थात् विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, अहमदाबाद, बड़ौदा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बोम्मसंद्रा, पीण्णा, हुबली, मैसूर, मंगलोर, त्रिशूर, एरणाकुलम, कोल्लम, कोजीकोड, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, नागपुर, औरंगाबाद, नाशिक, ओडिशा, पुदुच्चेरी, लुधियाना, जालंधर, जोधपुर, मदुरै, कोलकाता, बैरैकपुर तथा दुर्गापुर में बीमारी हितलाभ की घटनाएं ज्यादा पाई गई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्यों/क्षेत्रों अर्थात् बिहार, रोहिणी, अहमदाबाद, बड़ौदा, फरीदाबाद, हिमाचल प्रदेश, हुबली, त्रिशूर, एरणाकुलम, कोल्लम, कोषिकोण, मध्य प्रदेश, भोपाल, नागपुर, नाशिक, पुदुच्चेरी, पंजाब, लुधियाना, जालंधर, जोधपुर, नोएडा, कोलकाता तथा बैरकपुर में अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की घटनाएं ज्यादा पाई गई थी।

जहां कहीं भी बीमारी हितलाभ/अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की घटनाएं अखिल भारतीय औसत की तुलना में ज्यादा पाई गई थी, संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों/संयुक्त निदेशक प्रभारी को उपयुक्त रूप से सूचित किया गया और उनसे शिथिलता प्रमाणन को रोकने के लिए उचित उपाय करने का अनुरोध किया गया।

4.11 अतिरिक्त बीमारी हितलाभ के मामले में खर्चों की सहभागिता

जहाँ भी बीमारी हितलाभ की घटनाएं अखिल भारतीय औसत या 3 दिन प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष से अधिक है तो क.रा.बी. अधिनियम की धारा 58(2) के अन्तर्गत बीमारी हितलाभ की अधिक राशि की सहभागिता क.रा.बी. निगम एवं संबंधित राज्य सरकारों के मध्य करने का प्रावधान है।

वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी राज्य में बीमारी हितलाभ की घटना-दर 3 दिन प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष से अधिक नहीं पाई गयी तथा इसी कारण वर्ष 2017-18 में किसी भी राज्य सरकार से अतिरिक्त बीमारी हितलाभ के लिए कोई धनराशि वसूल नहीं की गई।



disablement benefit who opted for receipt of commuted value in lieu of periodical payment has decreased to 3409 from 4894 in 2016-17.

4.7 Dependants' Benefit

The number of claims admitted for Dependants' Benefits during the year under report is given in column (11) of **Appendix IV-B**. The number of fresh claims admitted for Dependants' Benefit during the year 2017-18 has decreased to 1739 from 1796 in year 2016-17. The total number of persons admitted as Dependants during the year is 4384.

All such cash payments on account of DB are being made directly to the bank account of the beneficiary, through ECS. The capitalized value in respect of Dependants' benefit claims admitted during the year was ₹ 21311.57 lakhs as against capitalized values of ₹ 19760.94 lakhs in the previous year.

4.8 Unemployment Allowance under RGSKY

Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana, was introduced w.e.f. 01.04.2005, to provide unemployment allowance to the Insured Person who have been rendered unemployed involuntarily on account of closure of factory/establishment, retrenchment or permanent invalidity not less than 40% arising out of non-employment injury.

To make the scheme more attractive and relevant ESI Corporation in its 169th Meeting held on 06.09.2016 has approved to reduce the eligibility requirement of payment of contribution from 3 years to 2 years for availing benefits under RGSKY and increase the duration of unemployment allowance from existing 12 months to 24 months during the entire insurable employment of the IP/IW. During this period, the IP/IW would get the benefit @ of 50% of the last average daily wages for the first 12 months and @ of 25% of the last average daily wages for the remaining 12 months. Further, the IP/IW and his/her dependent family members are entitled to medical benefit during the period of unemployment.

The number of claims admitted in the year 2017-18 is 591 as against 508 in the previous year 2016-2017 and the expenditure on this account in the year 2017-18 is ₹ 4.26 crore as against ₹ 3.72 crore during the previous year 2016-17.

Under the RGSKY, the IP/IW can undergo short duration courses upto 01 year from "Advanced Vocational Training Institutions" under the DGET, MOL&E, Govt. of India. Only in case of non-availability of Government accredited Institutions, the skill up-gration may be resorted to in reputed Private Institutions.

4.9 Funeral Expenses:

Under the ESI Scheme, payment is made in lump-sum up to a maximum of ₹10000/- in case of death of an Insured Person as funeral expenses. During the year under report, a sum of ₹ 1581.36 lakhs was paid on this account as against ₹ 1474.01 lakhs in the previous year. The incidence of funeral expenses claims, expressed as number of claims per thousand employees decreased from 0.52 during 2016-17 to 0.46 in 2017-18.

4.10 Control of Lax Certification and Misuse of Cash Benefits

The Corporation has been regularly monitoring state wise incidence of Sickness and Temporary Disablement to control lax certification and misuse of cash benefits. The All India average incidence of Sickness Benefit and Temporary Disablement for the year 2017-2018 was 0.29 and 0.10 days per employee per annum respectively.

During the year 2017-2018 the average incidence of sickness Benefit was found to be higher in the states/areas of Vijayawada, Vishakhapatnam, Tirupati, Ahmedabad, Baroda, Himachal Pradesh, Jharkhand, Bommasandra, Peenya, Hubli, Mysore, Mangalore, Trichur, Ernakulam, Kollam, Kozhikode, Thiruvanthapuram, Madhya Pradesh, Bhopal, Nagpur, Aurangabad, Nasik. Orissa, Puducherry, Ludhiana, Jalandhar, Jodhpur, Madurai, Kolkata, Barrackpore and Durgapur. During the year 2017-2018, the average incidence of Temporary Disablement Benefit was found to be higher in the states/areas of Bihar, Rohini, Ahmedabad, Baroda, Faridabad, Himachal Pradesh, Hubli, Trichur, Ernakulam, Kollam, Kozhikode, Madhya Pradesh, Bhopal, Nagpur, Nasik, Puducherry, Punjab, Ludhiana, Jalandhar, Jodhpur, Noida, Kolkata and Barrackpore.

Wherever incidence of SB/TDB was found to be higher compared with the All India average, concerned Regional Directors/Jt. Directors l/c were suitably informed and requested to take measures to curb the lax certification.

4.11 Sharing of Expenditure in Case of Excess Sickness Benefit

Section 58(2) of ESI Act provides for sharing of excess amount of Sickness Benefit between the ESI Corporation and the respective State Governments where the incidence of Sickness Benefit exceeds the All India average or 3 days per employee per annum which ever is more.

During the year 2017-2018, the incidence of Sickness Benefit did not exceed 3 days per annum per employee in any State. Accordingly no amount towards excess sickness benefit is recoverable from any of the State Govt. for the year 2017-2018.



5 – वित्त

5.1 बजट अनुमान

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 16 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी 173वीं बैठक में वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन अंगीकृत किए। भारत सरकार ने पत्र सं. जी-20017/01/2018-एसएसआइ, दिनांक 13 मार्च, 2018 के द्वारा प्राक्कलनों को अनुमोदन प्रदान किया।

5.2 आय और व्यय

वर्ष 2018-2019 के बजट प्राक्कलनों सहित वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के दौरान निगम की आय और व्यय का विवरण नीचे दर्शाया गया है :-

लेखा शीर्ष	वास्तविक 2016-2017 (₹ करोड़ में)	वास्तविक 2017-2018 (₹ करोड़ में)	प्राक्कलन 2018-2019 (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. आय:			
अंशदान	13662.44	20077.18	20900.00
ब्याज	3069.19	3196.89	3926.35
शुल्क, जुर्माना तथा जब्तियाँ	32.22	36.48	36.00
किराया, पौरकर तथा कर	55.71	57.52	89.41
अन्य आय	32.83	112.30	125.00
कुल आय	16852.38	23480.37	25076.76
II. व्यय:			
1. हितलाभ			
क. चिकित्सा हितलाभ	6256.57	6867.73	12642.96
ख. नकद हितलाभ	1517.93	642.84	1339.16
ग. अन्य हितलाभ	2.45	2.52	3.58
कुल हितलाभ	7776.95	7513.09	13985.70
2. प्रशासनिक खर्च	1732.04	1031.06	1740.03
3. पूँजीगत निर्माण निधि में अंशदान	136.62	200.77	209.00
कुल व्यय	9645.61	8744.92	15934.73
4. अन्य प्रावधान (पूर्वावधि मर्दे)	82.10	416.44	-
कुल योग	9727.71	9161.36	15934.73



5 - FINANCE

5.1 Budget Estimates

The ESI Corporation adopted the Budget Estimates for the year 2018-2019 in its 173th meeting held on 16.02.2018. The Govt. of India has also accorded its approval on these estimates vide its letter No. G-20017/01/2018-SS-I dated 13.03.2018

5.2 Income & Expenditure

The Income & Expenditure statements of the Corporation for the year 2016-2017 and 2017-2018 together with the Budget Estimates for the year 2018-2019 are reproduced below:-

Head of Account	Actual 2016-2017 (₹ in Crores)	Actual 2017-2018 (₹ in Crores)	Estimates 2018-2019 (₹ in Crores)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. INCOME :			
Contribution	13662.44	20077.18	20900.00
Interest	3069.19	3196.89	3926.35
Fees, Fines & Forfeitures	32.22	36.48	36.00
Rent, Rates & Taxes	55.71	57.52	89.41
Other Income	32.83	112.30	125.00
Total Income	16852.38	23480.37	25076.76
II. EXPENDITURE :			
1. BENEFITS			
A. Medical Benefits	6256.57	6867.73	12642.96
B. Cash Benefits	1517.93	642.84	1339.16
C. Other Benefits	2.45	2.52	3.58
Total Benefits	7776.95	7513.09	13985.70
2. Administrative Expenses	1732.04	1031.06	1740.03
3. Contribution to Capital Construction Fund	136.62	200.77	209.00
Total Expenditure	9645.61	8744.92	15934.73
4. Other Provision (Prior Period items)	82.10	416.44	-
Grand Total	9727.71	9161.36	15934.73



5.3 दिनांक 31.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. निगम द्वारा किए गए निवेशों की स्थिति रिपोर्ट

दिनांक 31.03.2017 और 31.03.2018 तक की स्थिति अनुसार विभिन्न आरक्षित निधियों तथा क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि (सामान्य नकद शेष राशि) से संबंधित निगम द्वारा किए निवेश की स्थिति निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निधि का नाम	31.03.2017 तक के अनुसार राशि (₹ करोड़ में)	31.03.2018 तक के अनुसार राशि (₹ करोड़ में)
1	स्थायी (आंशिक तथा कुल) निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि	5251.32	5461.71
2	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि	3381.81	3487.45
3	कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों की मूल्यहास आरक्षित निधि	23.10	21.47
4	अस्पताल भवन की मूल्यहास आरक्षित निधि	792.59	928.83
5	अन्य परिसम्पत्तियों की मूल्यहास आरक्षित निधि	537.78	671.07
6	चिकित्सा शिक्षा भवन के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि	24.28	51.57
7	पेंशन आरक्षित निधि	8405.30	8777.20
8	उपदान आरक्षित निधि	641.33	650.03
9	छुट्टी नकदीकरण आरक्षित निधि	532.51	459.20
10	पी.एम.एस. आरक्षित निधि	117.21	124.92
11	क.रा.बी. निगम भविष्य निधि	932.71	990.58
12	क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि	29356.59	43834.13
13	आकस्मिकता आरक्षित निधि	75.00	75.00
14	पूँजीगत निर्माण आरक्षित निधि	9311.47	8815.25
	कुल	59382.99	74348.43

निधियों का निवेश निम्नानुसार है :

क्र.सं.	निधि का नाम	31.03.2017 तक के अनुसार राशि (₹ करोड़ में)	31.03.2018 तक के अनुसार राशि (₹ करोड़ में)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मियादी जमा राशि	45937.10	59857.11
2	केन्द्रीय सरकार के पास विशेष जमा	13445.89	14491.32
	कुल	59382.99	74348.43

निधियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	निधि का नाम	31.03.2017 तक के अनुसार राशि (₹ करोड़ में)	31.03.2018 तक के अनुसार राशि (₹ करोड़ में)
1	उद्दिष्ट आरक्षित निधि (क्र.सं. 1 से 11) (स्थायी निःशक्तता) हितलाभ आरक्षित निधि, आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि, पेंशन आरक्षित निधि एवं कार्यालयों तथा अस्पताल/औषधालय के भवन आदि के लिए मरम्मत एवं रखरखाव तथा मूल्यहास आरक्षित निधि सहित अन्य आरक्षित निधि।	20639.94	21624.05
2	गैर-उद्दिष्ट आरक्षित निधि (क्र.सं. 12 से 14) (क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि, आकस्मिकता आरक्षित निधि तथा पूँजीगत निर्माण आरक्षित निधि)	38743.05	52724.38
	कुल	59382.99	74348.43

5.4 लेखापरीक्षा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 2017-18 के लेखाओं का लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से महानिदेशक लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली कार्यालय द्वारा दिनांक 21.08.2018 से 17.10.2018 तक संचालित किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंतिम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, महानिदेशक लेखा-परीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली कार्यालय से दिनांक 16.11.2018 को प्राप्त हुई हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षित लेखा स्थायी समिति / क.रा.बी. निगम की बैठक में अंगीकार करने हेतु रखा जाएगा तथा संसद के समक्ष रखे जाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।



5.3 Reserve Funds and Investments of ESIC Funds

The investment position of the funds of the Corporation in respect of different Reserve Funds and ESI General Reserve (General Cash Balance) as on 31.03.2017 & 31.03.2018 is given below :-

Sl. No.	Name of the fund	Amount as on 31.03.2017 (₹ in Crores)	Amount as on 31.03.2018 (₹ in Crores)
1.	Permanent (Partial and Total) Disablement Benefit Reserve Fund	5251.32	5461.71
2.	Dependants' Benefit Reserve Fund	3381.81	3487.45
3.	Depreciation Reserve Fund of Office Buildings and Staff Quarters	23.10	21.47
4.	Depreciation Reserve Fund of Hospital Building	792.59	928.83
5.	Depreciation Reserve Fund of other Assets	537.78	671.07
6.	Depreciation Reserve Fund for Medical Education Building	24.28	51.57
7.	Pension Reserve Fund	8405.30	8777.20
8.	Gratuity Reserve Fund	641.33	650.03
9.	Leave Encashment Reserve fund	532.51	459.20
10.	PMS Reserve Fund	117.21	124.92
11.	ESIC Provident Fund	932.71	990.58
12.	ESI General Reserve Fund	29356.59	43834.13
13.	Contingency Reserve Fund	75.00	75.00
14.	Capital Construction Reserve Fund	9311.47	8815.25
	TOTAL	59382.99	74348.43

The Funds stand invested as under :

Sl. No.	Name of the fund	Amount as on 31.03.2017 (₹ in Crores)	Amount as on 31.03.2018 (₹ in Crores)
1	Fixed Deposits with Public Sector Banks	45937.10	59857.11
2	Special deposit with Central Government	13445.89	14491.32
	TOTAL	59382.99	74348.43

The Funds are classified as under :

Sl. No.	Name of the fund	Amount as on 31.03.2017 (₹ in Crores)	Amount as on 31.03.2018 (₹ in Crores)
1	Earmarked Reserve Funds (S. No.- (1 to 11)) Permanent Disablement Benefit Reserve Fund, Dependants' Benefit Reserve Fund, Pension Reserve Fund and other Reserve Fund including R&M and Depreciation Reserve Funds for office and hospital/ dispensary building etc.	20639.94	21624.05
2	Non-earmarked Reserve Fund (S. No.- (12 to 14)) ESI General Reserve Fund, Contingency Reserve Fund & Capital Construction Reserve Fund	38743.05	52724.38
	TOTAL	59382.99	74348.43

5.4 Audit

Audit of the accounts of Employees' State Insurance Corporation for the year 2017-18 has been conducted from 21.08.2018 to 17.10.2018 by the office of Director General of Audit (Central Expenditure) New Delhi on behalf of Comptroller & Auditor General of India. The draft Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India has been received on 16/11/2018 from the office of the Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi. The Audited Accounts together with the report of the Comptroller & Auditor General of India shall be placed for adoption in the meeting of the Standing Committee/ESI Corporation and shall be submitted to the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment for placing it before the Parliament.



6-क.रा.बी. निगम/स्थायी समिति/चिकित्सा हितलाभ परिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

6.1 स्थायी समिति के महत्वपूर्ण निर्णय

वर्ष 2017-18 के दौरान स्थायी समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं तथा बैठकों के दौरान निम्नलिखित निर्णय किए गए:-

क्र.सं.	तिथि	विषय	निर्णय
1.	29.06.2017	अंशदान संग्रहण प्रणाली का युक्तियुक्तकरण – बहु-बैंक मॉड्यूल के अंतर्गत क.रा.बी.निगम हेतु अंशदान संग्रह के लिए अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों और आई सी आई सी आई, एच डी एफ सी और एक्सिस बैंक को अनुमति देना।	अध्यक्ष, क.रा.बी.निगम द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। भारत के राजपत्र अधिसूचना में क.रा.बी. (केंद्रीय) नियमावली, 1950 के नियम-21 में संशोधन का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है।
2.		निवेश नीति और सलाहकार की नियुक्ति।	पोर्टफोलियो प्रबंधकों, अभिरक्षकों तथा समवर्ती लेखापरीक्षकों के चयन हेतु सलाहकार की नियुक्ति की गई।
3.		बीमा आयुक्त/अपर आयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक/राज्य चिकित्सा आयुक्त/चिकित्सा अधीक्षक/संयुक्त निदेशक की शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा तथा स्थायी समिति की अगली बैठक से पहले उक्त को प्रस्तुत करना।	सभी प्रभागीय प्रमुखों संबंधी शक्तियों के प्रत्यायोजन अद्यतन तथा समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया जा चुका है।
4	28.11.2017	क.रा.बी.निगम संस्थाओं में संस्थापित नहीं किए गए उपस्करों की समीक्षा तथा सूची तैयार करना। दुष्प्रयोग से बचने के लिए, खरीदे गए तथा चालू सभी उपस्करों की उपयुक्त प्रविष्टि बही में किए जाने पर निगरानी रखना।	प्रयोक्ता इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों को संकलित कर सभी चिकित्सा अधीक्षकों को प्रेषित किया गया ताकि अधिशेष/अप्रयुक्त उपस्कारों को उन नजदीकी अस्पतालों में अंतरित/शिफ्ट किया जाए, जहां इसका बेहतर प्रयोग किया जा सके। ऐसे उपस्करों की शिफ्टिंग/अंतरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। क.रा.बी. निगम, गुरुग्राम से कुछ अधिशेष उपस्कर क.रा.बी. निगम (अस्पताल) वाराणसी में अंतरित किए जा चुके हैं। बही में उपयुक्त प्रविष्टि सहित उपस्करों के संस्थापन, कार्य निष्पादन तथा रखरखाव की निगरानी मुख्यालय द्वारा परिचालित चिकित्सा उपस्कर रखरखाव नीति 2012 में दिए गए मार्गदर्शन अनुसार अस्पताल स्तर पर चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा की जा रही है। दुष्प्रयोग से बचने के लिए क.रा.बी. निगम संस्थानों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों को पत्र दिनांक 13.10.2017 (फाइल सं. यू-16/30/635/2017) प्राप्ति प्रकोष्ठ/अप्रयुक्त उपस्कर जारी करना/671) द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं।
5.		सामान्य उद्देश्य चिकित्सा देखरेख उप समिति की सिफारिशों के अनुसार क.रा.बी.निगम संस्थाओं से उपचार प्राप्त करने हेतु क.रा.बी.निगम कर्मचारियों से वसूली। इसके अतिरिक्त मौजूदा अभिदान दर पर अधिक से अधिक छह किशतों में 31 मार्च, 2013 से 31/3/2016 तक की अवधि के लिए अभिदान की वसूली प्रभावी होना।	वसूली आदेश जारी।
6		आंतरिक लेखापरीक्षा का बाह्यस्रोतन।	आंतरिक लेखापरीक्षक हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ नामिकायित चार्टरित लेखाकार व्यवसाय प्रतिष्ठान की नियुक्ति शर्तों के ब्यौरे तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है।
7.		क.रा.बी. निगम की निवेश समिति का पुनर्गठन।	अध्यक्ष, स्थायी समिति द्वारा क.रा.बी.निगम की निवेश समिति का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष के रूप में वित्त आयुक्त तथा क.रा.बी.निगम के वित्त प्रभाग से दो अन्य कार्मिकों सहित नियुक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, प्रत्येक से एक सदस्य, शामिल हैं।
8.		पोर्टफोलियो प्रबंधक के चयन तथा मॉनीटरिंग के लिए नियुक्त मैसर्स सीआरआइएसआइएल लिमिटेड, परामर्शदाता के साथ संविदा समझौते में प्रवेश के लिए स्थायी समिति का अनुमोदन।	पोर्टफोलियो प्रबंधकों के चयन तथा निगरानी हेतु नियुक्त परमर्शदाताए मैसर्स सी.आर.आइ.एस.आइ.एल. लिमिटेड, परामर्शदाता के साथ संविदा समझौता अंतिम चरण पर है।



6 - IMPORTANT DECISIONS OF ESIC/SC/MBC

6.1 Important Decisions of Standing Committee

Three meetings of Standing Committee were held during the year 2017-18 and the following decisions were taken during the meetings.

Sl. No.	Date	Subject	Decision
1.	29/06/2017	Rationalization of contribution collection system-allowing other nationalized banks and ICICI, HDFC and AXIS Bank to collect the contribution for ESIC under multi bank module. Consultation with EPFO before implementing the same.	Proposal approved by the Chairman, ESIC. The publication of amendment in Rule 21 of ESI (Central) Rules, 1950 in Gazette Notification of India is under process.
2.		Investment policy & appointment of consultant.	Consultant has been appointed for selection of Portfolio Managers, Custodians & Concurrent Auditors.
3.		Review the delegation of power of IC/AC/RD/ SMC/MS/JD and submit it before the next meeting of Standing Committee.	A committee has been constituted for updating and review of DOP in respect of all the Divisional Heads.
4.	28/11/2017	Review and prepare an inventory of equipment not installed in ESIC Institutions. Monitoring the proper entry in books for all equipments procured, commissioning to avoid any misuse.	The data received from user units has been complied and sent to all MSs so that surplus/unutilized equipments be transferred/ shifted to nearby hospitals, where it can be optimally utilized. The process of shifting/transfer of such equipments have already been initiated. Some surplus equipments from ESIC Gurgaon have been transferred to ESIC (H) Varanasi. Monitoring of the Installation, Performance and maintenance of equipments alongwith proper entry in the books is done by Medical Superintendents at the Hospital level as per guidelines given in Medical Equipment maintenance Policy 2012 circulated by Hqrs. To avoid misuse directions have been given to all MSs of ESIC Institutes vide letter dated 13/10/2017 (File no. U-16/30 /635/ 2017/Pro.Cell/Issue of unutilized Equipment 671).
5.		Recovery from ESIC employees for taking treatment from ESIC Institutions as per the recommendation of the General Purposes Medical Care Sub-Committee. In addition, recovery of subscription also to be affected for the period beyond 31 st March, 2013 and up to 31/03/2016 at prevailing subscription rate in not more than six installments.	Recovery order issued.
6.		Outsourcing of Internal Audit.	A committee has been constituted for drafting details of terms of engagement of CA firms empanelled with C&AG of India for Internal audit.
7.		Reconstitution of Investment Committee of ESIC.	The Chairperson, Standing Committee has constituted the Investment committee of ESIC comprising of Financial Commissioner, ESIC as Chairperson and one Member each from Employers' and Employees' representatives alongwith two other officials from Finance Division of ESIC.
8.		Approval of Standing Committee for entering into contract agreement with M/s CRISIL Limited, consultant appointed for selection and monitoring of portfolio managers.	Agreement with M/s CRISIL Limited, Consultant Appointed for selection and monitoring of Portfolio Managers is at final stage.



क्र.सं.	तिथि	विषय	निर्णय
9.		नई पूंजीगत निर्माण परियोजनाओं के संबंध में सरकारी निर्माण अभिकरणों (केंद्रीय/राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के साथ संविदा के निष्पादन के लिए स्थायी समिति का कार्योत्तर अनुमोदन।	रांची हेतु परिशोधित योजना के पत्राचार हेतु कार्रवाई की गई। देवगढ़ परियोजना हेतु कार्रवाई शुरू करने के लिए यू.पी.आर.एन.एन. को पत्र जारी किया गया। एकांतर भूमि के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जा चुका है। इस मामले में आगे की कार्रवाई राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर के आधार पर की जाएगी। छह बिस्तर वाली औषधालय निर्माण परियोजना तथा मैसर्स यू.पी.आर.एन.एन. और अन्य पी.एम.ए.एस. को सौंपी गई परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है।
10.		वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 150 बिस्तर वाले अति विशिष्टता उपचार अस्पताल के प्रस्तावित निर्माण के लिए परिशोधित विस्तार।	मैसर्स एच.पी.एल. को पत्र सं. डब्ल्यू-11/15/21/अति.वि.उपचार, वाराणसी/01/2017-सं.प्र.प्र.ए दिनांक 12.12.2017 जारी।
11.		भुगतान को अंतिम रूप देने के लिए ई.डी.सी.आइ.एल. के साथ दरों पर पुनः बातचीत।	अध्यक्ष, स्थायी समिति के निदेशानुसार महानिदेशक ने ई.डी.सी.आइ.एल. के साथ दरों पर आगे पुनः बातचीत की तथा विस्तृत चर्चा और बातचीत के बाद ई.डी.सी.आइ.एल. कुल परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत छूट के लिए सहमति हुआ जिससे क.रा.बी. निगम को 3.64 करोड़ की बचत होती है। तदनुसार ई.डी.सी.आइ.एल. द्वारा विभिन्न भर्ती परियोजनाओं के लिए परिशोधित दावे प्रस्तुत किए गए तथा ई.डी.सी.आइ.एल. को भुगतान की मंजूरी दी गई।
12.		प्रत्येक राज्य में एक संपदा अधिकारी नामोद्दिष्ट किया जाना जो मुख्यालय स्तर के संपदा अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।	क्षेत्रीय निदेशक/उप क्षेत्रीय कार्यालय (प्रभारी) तथा क.रा.बी. निगम अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक संपदा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा मुख्यालय में निदेशक, संपदा के रूप में बीमा आयुक्त; का. एवं प्रशा), सामान्य शाखा कार्य कर रहे हैं। इस मामले में सभी संपदा अधिकारियों को निदेशक, संपदा मुख्यालय को रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है।
13.	31.01.2018	राज्य सरकार के "थायी भाग्य योजना" के अंतर्गत सेवाओं के प्रावधान के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सा महाविद्यालय, गुलबर्गा, कर्नाटक का नामांकन।	संकायाध्यक्ष, क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय, गुलबर्गा, कर्नाटक को पत्र सं. एल-11/12/3/2015 (विविध)/चि.शि. प्रकोष्ठ, दिनांक 15.03.2018 द्वारा योजना के अंतर्गत नामांकन हेतु निगम का अनुमोदन तथा इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई संप्रेषित की गई।
14.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नर्सिंग और पैरा-मेडिकल संवर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय निदेशकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन।	स्थायी समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, क.रा.बी. निगम में नर्सिंग तथा परा चिकित्सा संवर्ग के पदों की नियुक्तियां करने के लिए क्षेत्रीय निदेशकों को शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी कार्यालय ज्ञापन (का.ज्ञा.), दिनांक 15.02.2018 जारी किया जा चुका है।
15.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के. के. नगर, चेन्नई के निर्माण के लिए कार्य क्षेत्र में कमी।	निर्माण एजेंसी/वास्तुविद् को इस कार्यालय के पत्र सं. डब्ल्यू 11/51/चिकित्सा महाविद्यालय/2/के.के.नगर/ 2008-सं.प्र.प्रभाग, दिनांक 09.02.2018 द्वारा कार्य के परिशोधित दायरे से संबंधित सूचना दी चुकी है।
16.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आदर्श अस्पताल अंधेरी (पूर्व), मुंबई के नवीकरण/विस्तार के क्षेत्र को अंतिम रूप देना।	निर्माण एजेंसी/वास्तुविद् को इस कार्यालय के पत्र सं. डब्ल्यू 17/13/9/3/2013-सं.प्र.प्रभाग, दिनांक 09.02.2018 द्वारा कार्य के परिशोधित दायरे के संबंध में सूचित किया जा चुका है।
17.		100 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और स्टाफ क्वार्टर सहित उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत, गुजरात का निर्माण कार्य।	समिति ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
18.		कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल परिसर, झिलमिल, दिल्ली में स्थित पुराना ओवर हेड टैंक (ओ.एच.टी) का विध्वंस।	खुली निविदा द्वारा प्रतियोगिता बोली के पश्चात् पत्र सं. 11-डी/19/10/2018/सामान्य/झिलमिल/अस्पताल (ओ.एच.टी.), दिनांक 23.06.2018 द्वारा कार्य को मैसर्स एमिटी कॉन्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है।
19.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, ओखला, नई दिल्ली के नवीकरण/विस्तार के कार्य को अंतिम रूप देना।	निर्माण एजेंसी/वास्तुविद् को इस कार्यालय के पत्र सं. पार्ट डब्ल्यू-11/13/4/5/2008-सं.प्र. प्रभाग, दिनांक 09.02.2018 द्वारा कार्य के परिशोधित दायरे के संबंध में सूचित किया जा चुका है।
20.		मुख्यालय में दो ओटीआईएस लिफ्टों के लिए वार्षिक रखरखाव के अनुबंध के नवीकरण के संबंध में अनुबंध निष्पादित करने के लिए स्थायी समिति का कार्योत्तर अनुमोदन।	मुख्यालय की दो ओ.टी.आइ.एस. एलिवेटर लिफ्टों के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के नवीकरण का अनुबंध दिनांक 27.03.2018 को हुआ।



Sl. No.	Date	Subject	Decision
9.		Ex post facto approval of Standing Committee for executing contracts with the Govt. Construction Agencies (Central/state Govt. PSUs) in respect of new Capital construction Projects.	Action taken for communication of revised plan for Ranchi. Letter issued to UPRNN not to initiate action for Deogarh project. State Govt. has been requested for alternate land. Further action in the matter will be taken on the basis of reply received from State Govt. Six bedded dispensary construction project & Projects assigned to M/s UPRNN and other PMAS are being reviewed.
10.		Revised scope for proposed construction of 150 bedded Super Specialty Hospital at Varanasi, U.P.	Letter issued to M/s HPL vide letter no. W-11/15/21/SST Varanasi/01/2017-PMD dated 12/12/2017.
11.		Re negotiation of rates with EdCIL to finalize the payment.	As per directions of Chairperson, Standing Committee, the Director General further negotiated rates with EdCIL and after detailed discussion and negotiation EdCIL agreed for 5% discount on the total project cost resulting in savings of 3.64 crore to ESIC. Accordingly, EdCIL submitted revised claims for different recruitment projects and payment was sanctioned to EdCIL.
12.		Designate an Estate Officer in each state who will be reporting to Estate Officer at Hqrs. level.	Regional Directors/SRO (I/cs) and Medical Suptd. of ESIC hospitals are functioning as Estate Officer & IC(P&A), General Branch is functioning as Director of Estate at Hqrs. Office. All the Estate Officers have been advised to report to Director of Estate, Hqrs. Office in the matter.
13.	31/01/2018	Enrolment of ESIC Medical College, Gulbarga, Karnataka for provision of services under state Govt. of Karnataka "Thayi Bhagya Scheme"	Instruction has been issued to the Dean, ESIC Medical College Gulbarga, Karnataka vide letter no. L-11/12/3/2015(Misc)/MEC dated 15/03/2018, conveying approval of the Corporation for enrolment under the scheme, and further necessary action in this matter.
14.		Delegation of powers to Regional Directors to make appointments to Nursing and Paramedical Cadre posts in ESIC.	In pursuance to the approval of Standing Committee, Office Memorandum (OM) dated 15/02/2018 has been issued regarding Delegation of Powers to Regional Directors to make appointments to Nursing and paramedical Cadre Posts in ESIC which will be effective from 1 st April, 2018.
15.		Reduction in the scope of work for the Construction of ESI Medical College, and Hospital at K.K. Nagar, Chennai	Construction Agency/Architect has been informed regarding revised scope of work vide this office letter No.W11/51/Med.Coll/2/KKNagar/2008-PMD Dated 09.02.2018
16.		Finalization of Scope of Renovation / Expansion of ESIC Model Hospital at Andheri (E), Mumbai	Construction Agency/Architect has been informed regarding revised scope of work vide this office letter No. W-17/13/9/3/2013-PMD Dated 09.02.2018
17.		Construction of 100 Bedded ESI Hospital and SRO including S/Qtrs. Surat, Gujarat	The Committee approved the proposal.
18.		Demolition of existing old Over Head Tank (OHT) located in ESI Hospital Complex. Jhilmil, Delhi.	Work has been awarded to M/s Amity Contractors Pvt. Ltd. Vide letter no. 11-D/19/10/2018/Genl/Jhilmil/Hospital(OHT) dated 23.06.2018 after competitive bidding through open tender.
19.		Re-finalisation of scope of Renovation / Expansion of ESIC Hospital at Okhla, New Delhi	Construction Agency/Architect has been informed regarding revised scope of work vide this office letter No. Pt.W-11/13/4/5/2008-PMD Dated 09.02.2018
20.		Ex post facto approval of Standing Committee for executing contract regarding renewal of Annual Maintenance contract for two OTIS elevation lifts of Hqrs. Office	Contract has been entered into on 27/03/2018 renewing the Annual Maintenance contract for two OTIS elevation lifts of Hqrs. Office.



क्र.सं.	तिथि	विषय	निर्णय
21.		पांडु नगर, कानपुर, (उत्तर प्रदेश) में 50 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी उपचार वाले अस्पताल की स्थापना।	समिति ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
22.		100 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, उल्हास नगर, मुंबई का निर्माण।	समिति ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
23.		कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बरेली, उत्तर प्रदेश का नवीनीकरण।	नवीकरण कार्य समाप्त।
24.		विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के लिए 30 वर्ष की अगली अवधि के लिए लीज डीड का निष्पादन।	स्थायी समिति द्वारा अनुमोदनानुसार, मालकापुरम, विशाखापट्टनम में जोन-III बी।/। में ए.सी. 10.123 सी.टी.एस. के माप की भूमि के संबंध में दिनांक 02.01.14 से 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए पट्टेनामें के नवीकरण के लिए ₹ 13,86,54,227/- राशि की मंजूरी दी जा चुकी है। उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, विशाखापट्टनम द्वारा विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारी को भी दिनांक 08.03.2018 को भुगतान किया जा चुका है।
25.		तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान के राज्यों में गैर-हकदार बीमाकृत व्यक्तियों के संबंध में भुगतान, जहां सुपर स्पेशलिटी उपचार पहले से ही पैनल अस्पताल द्वारा दिया गया है।	यथा प्रस्तुत अनुमोदित। संशोधित मानदंडों के अनुसार अति विशिष्टता उपचार हकदारी की वास्तविक स्थिति और ऑनलाइन में उपलब्ध स्थिति में, विसंगति के कारण कर्मचारी राज्य बीमा योजना के रेफरल अधिकारियों द्वारा गैर-हकदार हितलाभार्थियों को अति विशिष्टता उपचार के लिए पैनल अस्पताल में रेफर किया गया है। चूंकि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्णयों में यह भिन्नता अति विशिष्टता उपचार की ऑनलाइन स्थिति और वास्तविक स्थिति के बीच विसंगति के कारण हुआ है, इसे मंजूर राशि से अलग एक बारगी उपाय के तौर पर तीन राज्यों यथा राजस्थान, तेलंगाना और गुजरात के लिए माफ किया गया है। आगे, महानिदेशक, क.रा.बी. निगम को अन्य राज्यों के इस प्रकार के संदर्भों यदि कोई हो, पर निर्णय लेने का अधिकार है।
26.		सिविल कार्य के निष्पादन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।	निगम ने दिनांक 16.02.2018 को आयोजित अपनी 173वीं बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
27.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम में श्री मनोज कुमार, पूर्व कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की बहाली।	स्थायी समिति ने क.रा.बी.निगम में श्री मनोज कुमार, भूतपूर्व-कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की बहाली के लिए प्रस्ताव स्वीकार करने हेतु कोई ठोस कारण नहीं पाया।
28.		राज्य सरकार के परामर्श से पांडु नगर अस्पताल का आदर्श अस्पताल में परिवर्तन।	इस संबंध में, क.रा.बी.निगम अस्पताल, जाजमऊ, कानपुर के स्थान पर क.रा.बी.निगम को राज्य द्वारा चालित क.रा.बी.अस्पताल, पांडु नगर को सुपुर्द करने पर विचार हेतु माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश तथा विशेष मुख्य सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र क्रमशः दिनांक 20.11.2017 तथा 26.02.2018 जारी किए गए। राज्य सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

6.2 क.रा.बी. निगम के महत्वपूर्ण निर्णय

वर्ष 2017-18 के दौरान क.रा.बी. निगम की दो बैठकें आयोजित की गईं और बैठकों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :

क्र.सं.	तिथि	विषय	निर्णय
1.	6.12.2017	दूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत क.रा.बी.निगम चिकित्सकों को विशेष भत्ता, जहां केंद्रीय सरकार इन सेवाओं के लिए अपने चिकित्सकों को विशेष भत्ता प्रदान कर रही है।	मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
2.		राज्यों में राज्य सवायत्त निकाय (एस.ए.बी.) / कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी की रचना।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया तथा राज्यों के सभी प्रधान सचिव को 14 हकदार राज्यों के लिए नई संरचना के अनुसार एसएबी के गठन के लिए निवेदन किया, जो कि क.रा.बी.निगम द्वारा उच्चतम सीमा तक 100 प्रतिशत व्यय को साझा करने के लिए पात्र है तथा 20 गैर-हकदार राज्य जहाँ निधि को आगे से एसएबी के निर्माण पर उच्चतम सीमा / हकदारी के अनुसार सोसायटी में सीधे जमा किए जाएंगे।



Sl. No.	Date	Subject	Decision
21.		Setting up of 50 Bedded SST Hospital at Pandu Nagar, Kanpur (U.P.)	The Committee approved the proposal.
22.		Construction of 100 bedded ESI Hospital Ulhasnagar, Mumbai	The Committee approved the proposal.
23.		Renovation of ESI Hospital at Bareilly, Uttar Pradesh	Renovation work completed.
24.		Execution of Lease Deed in respect of Visakhapatnam Port Trust Land for another period of 30 years	As approved by Standing Committee, an amount of ₹ 13,86,54,227/- has been sanctioned for renewal of lease of land measuring Ac. 10.123 cts in Zone-III B/1 at Malkapuram, Visakhapatnam for another period of 30 years w.e.f. 2/01/2014. The payment has also been made to the Visakhapatnam Port Trust Authorities on 8/03/2018 by SRO, ESIC, Visakhapatnam.
25.		Payments in respect of non-entitled IPs in the States of Telangana, Gujarat and Rajasthan, where SST treatment has already given by Empanelled Hospitals	Approved as submitted. Due to discrepancy between status available online and actual status of SST entitlement as per revised criteria, non-entitled beneficiaries have been referred for SST treatment to the empanelled hospitals by ESIC referral authorities. Since this deviation from ESIC's decisions has happened due to discrepancy in the online status of SST entitlement and actual status, it has been condoned as a one-time measure for the three states namely Rajasthan, Telangana & Gujarat against the sanctioned amount. Further, DG, ESIC has been empowered to decide the references on the similar issue from other States, if any.
26.		Delegation of financial powers to ESIC Officers for execution of Civil Works to be placed in the Corporation meeting.	The Corporation in its 173 rd meeting held on 16.02.2018 approved the proposal.
27.		Reinstatement of Shri Manoj Kumar, Ex-Junior Hindi Translator in the ESI Corporation.	The Standing Committee did not find any convincing reason to accept the proposal for reinstatement of Sh. Manoj Kumar, Ex-JHT in the ESI Corporation.
28.		Conversion of Pandu Nagar Hospital in to a Model Hospital in consultation with the State Govt.	In this regard, letter dated 20.11.2017 and 26.02.2018 have been issued to Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh and Special Chief Secretary, Labour, Govt. of UP respectively, for consideration of handing over of State run ESI Hospital, Pandu Nagar to ESI Corporation, in lieu of ESI Hospital, Jajmau, Kanpur. Response of State Govt. is awaited.

6.2 Important Decisions of ESI Corporation

Two meetings of ESI Corporation were held during the year 2017-18 and the following decisions were taken during the meetings:-

Sl. No.	Date	Subject	Decision
1.	6/12/2017	Special allowance to ESIC Doctors working in the remote areas where Central Government is providing special allowance to their Doctors for such services.	A committee was constituted to look into the issue. Report of the committee is being examined.
2.		Formation of State Autonomous Body (SAB)/Employees' State Insurance Society in the States.	The Corporation approved the proposal and requested all Principal Secretary of States for formation of SAB as per new structure to 14 entitled States, who are eligible for 100% sharing of expenditure up to the ceiling by ESIC and the 20 non-entitled states where the funds shall henceforth be credited directly to the society as per ceiling/entitlement upon formation of SAB.



क्र.सं.	तिथि	विषय	निर्णय
3.		क.रा.बी. औषधालय को 6 बिस्तरों वाली इकाई में उन्नयन करने हेतु वर्तमान प्रतिमानकों का परिशोधन।	निगम ने निम्नानुसार प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है! 1. कम से कम 5 चिकित्सकों वाले औषधालय पर विचार किया जाए जो कि न्यूनतम 10,000 बीमाकृत व्यक्तियों को व्याप्त कर सके, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। अथवा 5 चिकित्सकों वाला औषधालय, जिसकी पिछले 3 वर्षों में औसत ओपीडी उपस्थिति 200 प्रतिदिन हो, जिससे सृजित अवसंरचना अल्प उपयोगी न रह जाए। 2. महानगरों में 10 किमी तथा अन्य क्षेत्रों में 20 किमी के दायरे के भीतर कोई भी क.रा.बी.निगम/ क.रा.बी. योजना अस्पताल न हो।
4.		क.रा.बी.निगम चिकित्सा/दंत्य तथा कुछ अन्य महाविद्यालयों में 'बीमाकृत व्यक्ति कोटा' के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दाखिला नीति में परिशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
5.		बलराज जाधव व अन्य बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं. 11837/2015 का निर्णय-कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम में संशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
6.		बॉण्ड के अंतर्गत क.रा.बी. मेडीकल कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण व्यक्तियों की सेवा के उपयोग और तैनाती के लिए योजना और नीति के निर्माण के संबंध में।	राज्य सरकार के श्रम सचिवों को क.रा.बी.निगम रेजीडेंसी योजना अर्थात ग्रेड वेतन ₹ 5400/- सहित 6ठे कें.वे.आयोग में लेवल के अनुसार वेतन संरचना में अन्य बातों के साथ-साथ स्नातक उत्तीर्ण (एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस.) की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु मसौदा जे.आर. योजना सहित महानिदेशक का अ.शा. पत्र दिनांक 18/21.12.17 भेजा गया है। जवाब के अभाव में, अ.शा. पत्र भेजे गए हैं।
7.		अलवर (राजस्थान) एवं बिहटा, पटना (बिहार) में प्रस्तावित क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा सुविधाएँ शुरू करना।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
8.		चल रही परियोजनाओं को दो समूहों अर्थात 75% अथवा अधिक प्रगति वाली परियोजनाएं तथा 75% से कम प्रगति वाली परियोजनाएं में विभाजित कर इन्हें पूर्ण करना।	निगम ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया :- 1. यदि कोई अग्रिम भुगतान है तो उसे सुरक्षित किया जाए तथा सामान्य वित्तीय नियम एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाये। 2. यदि कोई अग्रिम भुगतान किया है तो वह ब्याज भारित होना चाहिए जिससे ठेकेदार/पी एम सी/ पी एम ए आदि कोई अनुचित फायदा न ले सके। चूंकि वे ब्याज भारित अग्रिम केवल तब ही आहरित करना चाहेंगे जब उन्हें अपना नकदी प्रवाह बनाए रखना होगा। इस प्रकार के किसी भी अग्रिमों की वसूली, अनुवर्ती भुगतान अनुसूची से करने संबंधी शर्त की व्याख्या भविष्य की निविदा/संविदा/संसूचना में उपयुक्त रूप से करनी चाहिए। 3. ऐसे अग्रिमों पर 'अर्जित ब्याज' के स्थान पर पर्याप्त ब्याज दर, संदर्भ उधार दर अर्थात किसी राष्ट्रीय स्तर सहित पीएलआर/एमसीएलआर के कारक में ब्याज दरों के लिए आंतरिक मापदण्ड के रूप में विचार किया जाना चाहिए।
9.		कर्मचारी राज्य बीमा, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान से स्नातकोत्तर परीक्षा में सफलता पर बॉन्ड के तहत सेवाओं का उपयोग-तैनाती के लिए नीति।	राज्य सरकार के श्रम सचिवों को क.रा.बी.निगम रेजीडेंसी योजना अर्थात ग्रेड वेतन ₹ 6600/- सहित 6ठे कें.वे.आयोग में लेवल के अनुसार वेतन संरचना में अन्य बातों के साथ-साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण (एम.डी./एम.एस.) की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु मसौदा - एस.आर. योजना सहित महानिदेशक का अ.शा. पत्र दिनांक 21/27.12.17 भेजा गया है। जवाब के अभाव में अ.शा. पत्र भेजे गए हैं।



Sl. No.	Date	Subject	Decision
3.		Revision of the existing norms for up-gradation of ESI Dispensary into 6 bedded unit.	The Corporation approved the proposal with the following:- 1. At least 5 doctors dispensary covering minimum 10,000 IP population to be considered so that resources are optimally utilized. OR Five Doctor Dispensary with average OPD attendance of the dispensary for last 3 years to be 200 per day so that infrastructure created does not remain underutilized. 2. There should be no ESIC/ESIS hospital within 10 KM in metro cities and 20 KM in other areas.
4.		Revision of Admission Policy for Admission to UG(MBBS/BDS) courses under 'Insured Person (IPS) quota' in ESIC Medical/Dental and some other Medical Colleges.	The Corporation approved the proposal.
5.		Amendment of the ESI Act – Judgement in WP 11837/2015 filed by Balraj Jhadav & ors. Vs ESIC in the Hon'ble HC of Delhi.	The Corporation approved the proposal.
6.		Utilization of services under bond in r/o UG pass-outs from ESI-Medical Colleges- Framing of Scheme and Policy for posting.	D.O letters of DG, ESIC dated 18/21.12.17 have been sent to Labour Secretaries of the State Governments along with draft ESIC-JR Scheme seeking their consent for utilization the services of the UG pass-outs (MBBS/BDS) at, inter-alia, salary structure as per the ESIC Residency Scheme, i.e. level in 7 th CPC equivalent to 6 th CPC PB-3 with GP ₹ 5400/-. In the absence of response, reminder D.O letters have been sent.
7.		Starting Medical Facilities at Proposed ESIC Medical Colleges at Alwar, Rajasthan and Bihta, Patna, Bihar	The Corporation approved the proposal.
8.		Completion of ongoing projects dividing these in two groups – projects with progress 75% & above and projects having less than 75% progress.	The Corporation approved the proposal with the following observations:- 1. Advance payment, if any, should be secured and comply GFR and CVC guidelines. 2. Advance, if any, should be interest bearing so that the Contractor/PMC/PMA etc. do not draw any undue benefit since they may like to draw interest bearing advance, only when they need to maintain their cash flow. The stipulation regarding recovery of any such advance, from the subsequent payment schedules should be appropriately spelled out in the tender/ contract/ communications in future. 3. Adequate rate of interest, factoring a reference lending rate, e.g., PLR/MCLR with some notional mark-up should be considered as internal benchmark for the interest rate on any such advances, in place of 'interest accrued'.
9.		Utilization of services under bond in r/o PG pass-outs from ESI-PGIMSRs-Policy for posting.	D.O letters of DG, ESIC dated 21/27.12.17 have been sent to Labour Secretaries of the State Governments along with ESIC-SR Scheme seeking their consent for utilization the services of the PG pass-outs (MD/MS) at, inter-alia, salary structure as per the ESIC Residency Scheme, i.e. level in 7 th CPC equivalent to 6 th CPC PB-3 with GP ₹ 6600/-. In the absence of response, reminder D.O letters have been sent.



क्र.सं.	तिथि	विषय	निर्णय
10.		नई पूंजीगत निर्माण परियोजनाओं के लिए वित्तीय बोली-पिछली समनुदेशित परियोजनाओं के निर्माण कार्य के निष्पादन की समीक्षा।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
11.		क.रा.बी. निगम में विशेष मरम्मत कार्यों का क्रियान्वयन।	निगम ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया :- 1. के. सं. आयोग के दिशा-निर्देशों तथा सा.वि. नियम में यथा निर्धारित एक मुश्त सेवा प्रभार के आवश्यक नियम का पालन करना चाहिए। 2. अनुचित लाभ को रोकने के लिए परामर्शदाता शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए तथा परियोजनाओं की समय-सीमा बढ़ने और फिर उससे परियोजनाओं की लागत बढ़ने की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो एक परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची तैयार करनी चाहिए जिसमें प्रत्येक गतिविधि के लिए अधिकतम अनुदेय समय दिया गया हो।
12.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नई/आगामी पूंजीगत निर्माण परियोजना सौंपने के लिए परिशोधित नीति।	निगम ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया :- 1. किसी कार्य के लिए पीएमसी/पीएमए/एएण्डइ परामर्शदाताओं आदि की नियुक्ति करते समय इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त के दिशा-निर्देशों तथा जी.एफ.आर. में निर्धारितानुसार एकमुश्त सेवा प्रभार के आवश्यक सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। 2. अनावश्यक लाभ को नियंत्रित करने के लिए परामर्श शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए तथा जहां तक संभव हो प्रत्येक कार्यकलाप के लिए अधिकतम अनुमति दर्शाते हुए एक परियोजना कार्यान्वयन सूची इस दृष्टि से तैयार की जानी चाहिए ताकि बढ़ती हुई समय-सीमा को तथा परियोजना की बढ़ती हुई लागत को नियंत्रित किया जा सके।
13.		बेलतला, गुवाहाटी, असम में प्रस्तावित 200 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण और स्टाफ क्वार्टर (टाइप 'बी' के 3 ब्लॉक, टाइप 'सी' के 3 ब्लॉक तथा टाइप 'डी' के 2 ब्लॉक) के 8 ब्लॉकों को गिराना।	वास्तुविद् को 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए परिशोधित योजना पत्र सं. डब्लू-11/13/2/1/2011-सं.सू.प्र. दिनांक 17.01.2018 द्वारा जारी की गई।
14.		बाल्टीकुडी (पश्चिम बंगाल) तथा इंदौर (मध्यप्रदेश) में 300 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण एवं हरिद्वार (उत्तराखण्ड) में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण हेतु मैसर्स एनबीसीसी को आर्कीटेक्चरल तथा इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए कार्य आदेश देने बाबत।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया तथा महानिदेशक को सलाह दी कि महानिदेशक को सुनिश्चित करना चाहिए कि (i) वास्तु एवं अभियांत्रिकी तथा (ii) निर्माण, दोनों परस्पर विशिष्ट कार्यकलाप होने के नाते अलग नहीं किए जा सकते, इनको स्वतंत्र रूप से शब्दशः अलग-अलग माना जाना चाहिए और इस संबंध में एनबीसीसी द्वारा इसका अनावश्यक लाभ नहीं लेना चाहिए।
15.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम में स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर और सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पदों के भर्ती विनियमों में संशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
16.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उप निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा) और निदेशक (राजभाषा) के पदों के भर्ती विनियमों में संशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
17.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम में क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड 'क'/निदेशक के पद के भर्ती विनियमों में संशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
18.		क.रा.बी. निगम में उप निदेशक (बीमांकक), सहायक बीमांकक एवं बीमांकक के पद के भर्ती विनियमों में संशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।



Sl. No.	Date	Subject	Decision
10.		Financial Bidding for new Capital Construction Projects- review of performance of construction agencies in earlier assigned projects.	The Corporation approved the proposal.
11.		Execution of Special Repair works in ESI Corporation.	The Corporation approved the proposal with the following observations:- 1. CVC guidelines and the essential principle of lump sum service charge as stipulated in GFR, be adhered to. 2. A maximum limit for consultant fee should be stipulated to arrest undue benefit and as far as possible, a project implementation schedule indicating maximum permissible time for each activity should be prepared with a view to arrest time overruns and thus the cost overruns of the projects.
12.		Revised Policy for assigning/Awarding of new/upcoming capital constructions projects in ESIC.	The Corporation approved the proposal with the following observations:- 1. While appointing the PMC/PMA/A&E Consultants etc. for any work, the CVC guidelines for such appointments and the essential principle of lump sum service charge as stipulated in GFR, be adhered to. 2. A maximum limit for consultant fee should be stipulated to arrest undue benefit and as far as possible, a project implementation schedule indicating maximum permissible time for each activity should be prepared with a view to arrest time overruns and thus the cost overruns of the projects.
13.		Construction of proposed 200 Bedded ESIC Hospital and Demolition of 8 Blocks of Staff Quarters (3 Blocks of type B, 3 Blocks of type C and 2 Blocks of type D) at Beltola, Guwahati, Assam	Letter has been issued to Architect vide No. W-11/13/2/1/2011-PMD Dated 17.01.2018 to submit revised plan for 200 bedded Hospital.
14.		Assigning of Job of A&E Consultancy services to M/s NBCC for construction of 300 bedded ESI Hospitals at Baltikuri (West Bengal) & Indore (M.P) and Construction of 100 Bedded ESI Hospital at Haridwar (Uttarakhand).	The Corporation approved the proposal and advised DG, ESIC to ensure that (i) 'A&E' and (ii) 'Construction', both being the mutually exclusive activities, should be dealt with independently in its true spirit and no undue benefit is taken by NBCC in this regard.
15.		Amendments in Recruitment Regulation for the posts of Staff Nurse, Nursing Sister and Assistant Nursing Superintendent in ESI Corporation.	The Corporation approved the proposal.
16.		Amendments in the recruitment regulations for the posts of Deputy Director (Official language), Joint Director (Official language) and Director (Official Language) in ESI Corporation.	The Corporation approved the proposal.
17.		Amendments in the recruitment regulations for the post of Regional Director grade "A" / Director in ESI Corporation	The Corporation approved the proposal.
18.		Amendment in the Recruitment regulations for the post of Deputy Director (Actuarial), Assistant Actuary and Actuary in ESI Corporation.	The Corporation approved the proposal.



क्र.सं.	तिथि	विषय	निर्णय
19.		क.रा.बी. निगम में बहुकार्य स्टाफ, निजी सचिव एवं स्टाफ कार ड्राइवर के भर्ती विनियमों में संशोधन/निर्माण।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
20.		'चिकित्सा आयुक्त' के दो पदों का सृजन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
21.		राज्यों में क.रा.बी. लाभार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए कार्य विवरण, जनशक्ति आवश्यकता, शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा विभिन्न कार्य प्रक्रियाओं के संबंध में राज्य चिकित्सा आयुक्त (रा.चि.आ.) कार्यालयों का पुनर्गठन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया तथा सूचित किया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर का अधिकारी टेक्नो-चिकित्सा संबंधी मामलों में क्षेत्रीय निदेशक को सहायता प्रदान करेगा।
22.		दिनांक 21.04.2004 से 30.09.2007 तक की अवधि के दौरान बीमा निरीक्षक/प्रबंधक ग्रेड-II/अधीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में 6500-200-10500 रुपये के कल्पित वेतनमानों पर आधारित पेंशन का नियतन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। अनुमोदन के परिणामस्वरूप, का.ज्ञा.सं. ए-40/11/1/2017-स्था.।।।, दिनांक 23.01.2018 द्वारा आदेश जारी किए गए।
23.		क.रा.बी. निगम कार्यालयों को छुट्टी नकदीकरण सुविधा।	निगम ने भारत सरकार के अनुमोदन के शर्ताधीन अपना अनुमोदन प्रदान किया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने पत्र सं.-ए-11010/1/2016-एसएस-1, दिनांक 09.07.2018 द्वारा अपना निर्णय संप्रेषित किया कि क.रा.बी.निगम स्टाफ के छुट्टी नकदीकरण की हकदारी भारत सरकार के विद्यमान नियमों तथा इस संबंध में समय-समय पर किसी अन्य संशोधन के अनुसार होगी तथा तदनुसार का.ज्ञा.सं. ए-27/17/1/7वां सीपीसी/2016-स्था-।।।, दिनांक 24.07.2018 द्वारा आदेश जारी किए गए।
24.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/ प्रबंधक ग्रेड III/अधीक्षक, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) और आहार विशेषज्ञ के भर्ती विनियमों में संशोधन/निर्माण।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
25.		फूलवारीशरीफ में प्रस्तावित 100 बिस्तरों का अस्पताल तथा फूलवारीशरीफ अस्पताल को बिहटा, पटना में स्थानांतरित करके एक कार्यात्मक अस्पताल की अतिशीघ्र स्थापना।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
26.		क.रा.बी. (केंद्रीय) नियमावली, 1950 के नियम - 50 तथा 51क(1) में संशोधन, दिव्यांग व्यक्तियों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु संगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए परिशोधित प्रोत्साहन योजना।	निगम ने क.रा.बी.निगम को किसी प्रकार की वित्तीय देयता के बिना ज्ञापन में यथानिहित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
27.		अध्यापन संकाय/चिकित्सकों/चिकित्सा/परा-चिकित्सा/नर्सिंग/लिपिकवर्गीय पदों की समेकित पारिश्रमिक पर संविदात्मक नियुक्ति।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
28.		व्यय पर लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र से संबंधित राज्य सरकारों के मुद्दों पर पूर्ण तथा अंतिम 'लेखागत भुगतान'।	निगम ने अनुमोदन किया कि एक बार संबंधित वित्तीय वर्ष में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा क.रा.बी. निगम लेखा, लेखापरीक्षित तथा प्रमाणित हो जाते हैं तो यह संबंधित क्षे.नि./रा.चि.आ. कार्यालय का लेखा संबंधित राज्य की परिक्रामी निधि सहित लेखापरीक्षित और प्रमाणित माना जाएगा।



Sl. No.	Date	Subject	Decision
19.		Amendments/framing of recruitment regulations for the posts of Multi-Tasking Staff, Private Secretary and Staff Car Drivers in ESI Corporation.	The Corporation approved the proposal.
20.		Creation of two posts of 'Medical Commissioner'	The Corporation approved the proposal.
21.		Reorganization of State Medical Commissioner (SMC) Offices in terms of job description, manpower requirement, delegation of powers and various others work procedures so as to improve delivery of services to ESI Beneficiaries in the States.	The Corporation approved the proposal and informed that CMO level officer will assist Regional Director in techno-medical related matters.
22.		Fixation of pension based on the national pay scales of ₹ 6500-200-10500 in respect of those employees who retired as Insurance Inspector/Mgr.Gr-II/Superintendent during the period between 21.04.2004 to 30.09.2007	The Corporation approved the proposal. Consequent upon the approval, orders were issued vide OM No. A-40/11/1/2017.E-III dated 23.01.2018.
23.		Leave encashment facility to ESIC employees.	The Corporation accorded its approval to the proposal subject to the approval of the Government of India. The MoL&E vide its letter No. A-11010/1/2016-SS-I dated 9/07/2018 communicated its decision that entitlement of Leave encashment to ESIC staff shall be as per the prevailing rules on Government of India and any further amendments in this regard from time to time", and accordingly orders were issued vide OM No. A-27/17/1/7 th CPC/2016 E-III dated 24/07/2018.
24.		Amendments/framing of recruitment regulations for the posts of Social Security Officer/Manager Grade II/Superintendent, Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (electrical) and Dietician in ESI Corporation	The Corporation approved the proposal.
25.		Proposed 100 bedded ESI Hospital at Phulwarisharif and expediting the setting up of functional hospital at Bihta, Patna by way of shifting of Phulwarisharif Hospital.	The Corporation approved the proposal.
26.		Revised incentive Scheme to employers in the organized sector for providing regular employment to the physically challenged persons amendment in Rule-50 and 51A(1) of the ESI (Central) Rules, 1950	The Corporation approved the proposal as contained in the Memoranda without any financial liability to ESIC.
27.		Contractual engagement of teaching faculty/ doctors/ medical/ para-medical/ nursing/ ministerial posts on consolidated remuneration.	The Corporation approved the proposal.
28.		Full and final "on-account payment" to state governments issues related to audit certificate on expenditure	The Corporation approved that once CAG has audited and certified ESICs' accounts for a given Financial Year, it shall be deemed to have audited and certified respective RD/SMC offices account, including revolving fund of the concerned state.



क्र.सं.	तिथि	विषय	निर्णय
29	16.02.2018	उत्तर प्रदेश स्थित बरेली और संभाजी नगर, महाराष्ट्र के क.रा.बी. योजना अस्पताल को क.रा.बी. निगम द्वारा अधिग्रहण।	क.रा.बी.अस्पताल, बरेली :- क.रा.बी.निगम ने दिनांक 10.03.2018 को क.रा.बी.योजना अस्पताल, बरेली का क.रा.बी.निगम अस्पताल के रूप में संचालित करने के लिए अधिग्रहित किया। क.रा.बी. योजना अस्पताल, संभाजी नगर, औरंगाबाद :- क.रा.बी. निगम ने पत्र सं. पीटी.यू-16/12/24/विविध/2016 महाराष्ट्र चि.।।, दिनांक 23.02.2018 और दिनांक 11.05.2018 के अनुस्मारक द्वारा महाराष्ट्र सरकार को क.रा.बी. योजना अस्पताल, औरंगाबाद का क.रा.बी. निगम द्वारा अधिग्रहण करने हेतु अपनी सहमति देने के लिए पत्र भेजा है और जवाब की प्रतीक्षा है।
30.		कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 29 में संशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है और क.रा.बी.केंद्रीय नियमावली, 1950 के नियम 29(2) में प्रदत्त 5 लाख रु. के स्थान पर 5 करोड़ रु. को अनुमोदित किया।
31.		क.रा.बी.निगम स्नातकोत्तर संस्थाओं (क.रा.बी. निगम स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थानों) से उत्तीर्ण (क.रा.बी.निगम वरिष्ठ स्थानिकों) के लिए बॉन्ड अवधि में परिशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
32.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम में दंत स्वास्थ्यक और दंत तकनीशियन (दंत चिकित्सा मैकेनिक) के पदों के लिए भर्ती विनियम में संशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
33		कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) और व्यावसायिक चिकित्सक (ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट) पदों के लिए भर्ती विनियम में संशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
34.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जूनियर रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर और वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी) के पदों के लिए भर्ती विनियम में संशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
35.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम में बॉयलर परिचर और ऑडीयोमेट्री तकनीशियन के पदों के लिए भर्ती विनियमों में संशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
36.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम में ईसीजी तकनीशियन, वरिष्ठ ईसीजी तकनीशियन और वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ईसीजी) के पदों के लिए भर्ती विनियमन में संशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
37.		सिविल कार्य निष्पादित करने हेतु क.रा.बी. निगम अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
38.		सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) अधिनियम 1971 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम मे एंस्टेट(संपदा) अधिकारी घोषित करना।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया और बताया कि क्षेत्रीय निदेशक/उप क्षेत्रीय, क.रा.बी. निगम अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालक तथा निदेशक/संयुक्त निदेशक (स्था-V) मुख्यालय संपदा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं एवं बीमा आयुक्त (प्र. एवं का.), सामान्य शाखा मुख्यालय में संपदा निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।



Sl. No.	Date	Subject	Decision
29.	16/02/2018	Taking over of ESIS Hospital Barielly, U.P and Sambhaji Nagar, Maharashtra by ESIC.	ESI Hospital Bareilly:- ESIC has taken over ESIS Hospital Bareilly on 10.03.2018 to run as ESIC hospital. ESIS Hospital, Sambhaji Nagar, Aurangabad:- ESIC vide letter No. Pt. U-16/12/24/Misc/2016 Maharashtra Med. II, dated 23/02/2018 and reminder dated 11/05/2018 were sent to State Govt. Of Maharashtra to send their consent for handing over of ESIS Hospital Aurangabad to ESIC and reply is awaited.
30.		Amendment in Rule 29 of ESI Central Rules, 1950	The Corporation approved the proposal and substitute ₹ 5 lakh as provided in Rule 29 (2) of ESI Central Rules, 1950 by ₹ 5 Crore.
31.		Revision in bond period for pass-outs (ESIC-SRs) from ESIC Post-Graduate Institutions (ESI-PGIMSRs)	The Corporation approved the proposal.
32.		Amendment in the Recruitment Regulation for the posts of Dental Hygienist and Dental Technician (Dental Mechanic) in Employees' State Insurance Corporation	The Corporation approved the proposal.
33.		Amendment in the Recruitment Regulation for the posts Physiotherapist and Occupational Therapist in Employees' State Insurance Corporation.	The Corporation approved the proposal.
34.		Amendment in the Recruitment Regulation for the posts of Junior Radiographer, Radiographer and Senior Technical Assistant (Radiology) in Employees' State Insurance Corporation.	The Corporation approved the proposal.
35.		Amendment in the Recruitment Regulations for the posts of Boiler Attendant and Audiometry Technician in Employees' State Insurance Corporation.	The Corporation approved the proposal.
36.		Amendment in the Recruitment Regulation for the posts of ECG Technician, Senior ECG Technician and Senior Technical Assistant (ECG) in Employees' State Insurance Corporation.	The Corporation approved the proposal.
37.		Delegation of financial powers to ESIC Officers for execution of Civil Works	The Corporation approved the proposal.
38.		Declaring Estate Officer in ESIC under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971.	The Corporation approved the proposal and stated that Regional Directors, / SRO In-charges, Medical Superintendent of ESIC Hospitals, Dean of ESIC Medical colleges and Director/Jt. Director (E-V) Headquarters office are functioning as Estate Officer and IC (P&A), General Branch is functioning as Director of Estate at Hqrs. Office.



क्र.सं.	तिथि	विषय	निर्णय
39.		क्लीनिकल पदों से भिन्न पदधारण करने वाले चिकित्सकों के लिए प्रैक्टिसबंदी भत्ता	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया और उसके परिणामस्वरूप कार्यालय ज्ञापन सं. ए-27/17/1/7वीं कें.वे.आ./3/2017-स्था.।।। दिनांक 01/05/2018 के माध्यम से आदेश जारी किए गए थे।
40.		100 बिस्तरों के लिए उन्नत करने योग्य फुलवारी शरीफ, पटना के 50 बिस्तरों वाले क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल को जारी रखना।	निगम ने निम्नलिखित के साथ प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया :- "क.रा.बी.निगम अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना कार्य करना जारी रखेगा और तदनुसार चरण-। में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण किया जाएगा तथा सेवाओं के उपयोग के आधार पर इसका उन्नयन 100 बिस्तरों में किया जाएगा।"
41.		क.रा.बी. (केंद्रीय) नियमावली, 2017 में संशोधन के फलस्वरूप मातृत्व हितलाभ से संबंधित विनियमों और विनियम फार्मा में परिवर्तन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया और मातृत्व हितलाभ से संबंधित विनियमावली एवं विनियम प्रपत्रों में निम्नलिखित परिवर्तन किए :- क. विनियम प्रपत्र 17 (विनियम 87-क के अंतर्गत) में परिवर्तन। ख. विनियम प्रपत्र 19 (विनियम {88(ii), 89 एवं 91}, {{88(iv), 89(ग) एवं 89(घ)} (संशोधित) के अंतर्गत) में परिवर्तन। ग. विनियम 87-क (गर्भावस्था की सूचना) का अंतर्वेशन। घ. विनियम 88 (प्रसवता के पहले मातृत्व हितलाभ के प्रारंभन हेतु दावा) में परिवर्तन। ड. विनियम 89 (केवल प्रसवता के बाद मातृत्व हितलाभ अथवा गर्भपात के लिए दावा) में परिवर्तन।
42.		कंपनी अधिनियम, 2013 के आलोक में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 द्वारा रूग्ण औद्योगिक कंपनियों के प्रतिस्थापन के कारण क.रा.बी. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
43.		व.रा.चि.आयुक्त/रा.चि.आयुक्त/निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों से रेफरल बिलों को जारी करना।	निगम ने निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया :- 1. सीजीएचएस पैकेज दर के अनुसार लागू किए गए तथा प्रति लॉट केवल 10 प्रतिशत बिलों की विधिवत जांच की जाती है तथा यूटीआइआइ टीएसएल द्वारा अथवा क.रा.बी.निगम द्वारा हायर की जाने वाली कोई अन्य बिल प्रसंस्करण एजेंसी अथवा भविष्य में स्वयं क.रा.बी.निगम द्वारा संस्तुत धनराशि, जहां बिल की धनराशि 1.00 लाख रु. से कम है, की जांच राज्य चिकित्सा आयुक्त/क्षे. निदे./चिकित्सा अधीक्षक (जैसा लागू हो) द्वारा की जाएगी। शेष 90 प्रतिशत बिल बिना पुनर्जांच के प्रसंस्कृत किए जाएं। तथापि कोई विसंगति मिलने पर अतिरिक्त जांच की जाए। 2. यूटीआइआइटीएसएल द्वारा प्रमाणित 1.00 लाख रु. से अधिक धनराशि के सभी बिलों की 100 प्रतिशत पुनःजांच की जाएगी और भुगतान निर्मुक्त करने से पहले राज्य चिकित्सा आयुक्त/क्षे. निदे./चिकित्सा अधी. (जैसा लागू हो) के कार्यालयों द्वारा इनकी लेखा परीक्षा की जाए। 3. उसी प्रकार सीजीएचएस पैकेज दर से इतर बिलों की भी 100 प्रतिशत दुबारा पुनःजांच की जाए और भुगतान निर्मुक्त करने से पहले राज्य चिकित्सा आयुक्त/क्षे. निदे./चिकित्सा अधीक्षक (जैसा लागू हो) के कार्यालयों द्वारा इनकी लेखापरीक्षा की जाए।
44.		क.रा.बी. निगम में उप निदेशक, वरिष्ठ उप निदेशक और क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड 'ख'/संयुक्त निदेशक के पदों के लिए भर्ती विनियमों में संशोधन/सृजन।	निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।
45.		अति विशिष्टता उपचार रेफरल प्रणाली के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए तंत्र बनाने हेतु विनियम 15 में उप विनियम 15क तथा 15ख जोड़ना।	किसी विसंगति के कारण उक्त कार्य सूची में कुछ परिवर्धन/परिवर्तन अपेक्षित है। तदनुसार, परिशोधित कार्य सूची को दिनांक 29.05.2018 को आयोजित होने वाली क.रा.बी. निगम की बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अलग से भेजा जा रहा है। निगम ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।



Sl. No.	Date	Subject	Decision
39.		NON-PRACTICING ALLOWANCE for Doctors holding others than clinical posts	The Corporation approved the proposal and consequent upon the same orders were issued vide OM No. A-27/17/1/7 th CPC/3/2017-E-III dated 1/05/2018..
40.		Continuation of 50 bedded ESIC Model Hospital at Phulwarisarif, Patna, upgradable to 100 beds	The Corporation approved the proposal with the following:- "ESIC hospital, Phulwarisarif, Patna would continue to function and accordingly construction of hospital building with 50 beds in phase-I will be carried out and as per utilization of services it will be upgradable/ upgraded to 100 beds".
41.		Changes in Regulations & Regulations Forms relating to Maternity Benefit subsequent to the Amendment in ESI(Central) Rules, 2017	The Corporation approved the proposal and made following changes in Regulations & Regulations Forms relating to Maternity Benefit:- a. Changes in Regulation form 17 (under Regulation 87-A). b. Changes in Regulation Form 19 (under Regulation {88(ii), 89, & 91}, {{88(iv),89(C)&89 (D) (amended) c. Insertion of Regulation 87 -A(Notice of Pregnancy) d. Changes in Regulation 88 (Claim for Maternity Benefit commencing before confinement e. Changes in Regulation 89 (claim for maternity benefit only after confinement or for miscarriage
42.		Proposed amendments in the ESI Act due to replacement of Sick Industrial companies by insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and in light of Companies Act, 2013.	The Corporation approved the proposal.
43.		Release Of Referral Bills By The Office Of SSMC/SMC/MS/D(M)D/RD.	The Corporation approved the following proposal: 1. Only 10% of SST bills as per lot and raised as per CGHS package rate, duly scrutinized and amount recommended by UTIITSL or any other bill processing agency hired by ESIC or ESIC itself in future, where the amount of bill is below ₹ 1.00 lakh, may be scrutinized by SMC/RD/MS (as applicable). Rest 90 percent of the bills may be processed without re-scrutiny. However in the event of finding any discrepancy, additional scrutiny may be done. 2. All the Bills above ₹ 1.00 lakh, certified by UTIITSL shall be 100% re-scrutinized again and audited by the offices of SMC/RD/MS (as applicable) before releasing the payment. 3. Similarly, bills other than CGHS package rate shall also be 100% re-scrutinized again and audited by the offices of SMC/RD/MS (as applicable) before releasing the payment
44.		Amendments/Framing of Recruitment Regulations for the posts of Deputy Director, Senior Deputy Director and Regional Director Grade 'B'/Joint Director in ESI Corporation.	The Corporation approved the proposal.
45.		Adding Sub Regulations under Regulation 15, Sub Regulations under Sub Regulation 15A and 15B for devising a mechanism for control of misuse in respect of SST Referral System.	Due to some discrepancy there is some additions/changes required in the said Agenda. Accordingly, revised Agenda is being sent separately for placing before the ESI Corporation meeting to be held on 29.05.2018.

क्र.सं.	तिथि	विषय	निर्णय
46.		क.रा.बी.निगम अस्पतालों में सतर्कता निरीक्षण एकक की स्थापना करना।	
47.		आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय।	क्षेत्रीय निदेशकों, क.रा.बी.निगम को आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय स्थापित करने का अनुमोदन इसके मॉडल अनुबंध की प्रति सहित पत्र सं. वी-15.13.2.2001/चि.। (ई.यू.डी.)ए दिनांक 26.04.2018 के द्वारा इस अनुरोध के साथ संप्रेषित गई है कि आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु उपर्युक्त अनुमोदन का संज्ञान लें।
48.		भुवनेश्वर, ओडिशा में क.रा.बी.निगम अति विशिष्टता अस्पताल की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन।	अध्यक्ष, क.रा.बी.निगम ने भुवनेश्वर में द्वितीयक देखरेख हेतु 100 बिस्तरों और अति विशिष्टता उपचार हेतु 50 बिस्तरों के साथ क.रा.बी.निगम अस्पताल की स्थापना हेतु प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसे धीरे-धीरे अति विशिष्टता सेवाओं हेतु 100 बिस्तरों सहित 250 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा।

6.3 चिकित्सा हितलाभ परिषद

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजपत्रित अधिसूचना सं. 2196 दिनांक 21.10.2010 के साथ अधिसूचना दिनांक 22.10.2010 के माध्यम से चिकित्सा हितलाभ परिषद का पुनर्गठन किया है।

6.4 क्षेत्रीय बोर्ड बैठकें

क्षेत्रीय बोर्ड एवं स्थानीय समितियों का गठन ज़मीनी स्तर पर किया जाता है। वर्तमान में 26 क्षेत्रीय बोर्ड तथा 236 स्थानीय समितियां कार्यरत हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, 12 क्षेत्रीय बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।



स्थायी समिति बैठकों की एक झलक



Sl. No.	Date	Subject	Decision
46.		Establishing Vigilance Inspection Unit in ESIC Hospitals.	The Corporation approved the proposal.
47.		Modified Employer's Utilization dispensary (Modified EUD)	The approval of establishing Modified Employer's Utilization Dispensary has been conveyed to all Regional Directors, ESIC along with copy of model agreement for establishment of Modified Employer's Utilization Dispensary with the request to take cognizance of the above approval for further necessary action vide no. V-15.13.2.2001/Med.I(EUD), dated 26/04/2018.
48.		In principle approval for setting up of ESIC Super Specialty Hospital at Bhubaneshwar, Odisha.	Chairman, ESIC approved the proposal for setting up of ESIC Hospital at Bhubaneshwar with 100 beds for secondary care and 50 beds for Super Specialty Treatment, which may be gradually, upgraded to 250 beds ESIC Hospital including 100 beds for Super Specialty Services.

6.3 Medical Benefit Council

The Medical Benefit Council has been reconstituted by Govt. of India, Ministry of Labour and Employment vide notification dated 22.10.2010 alongwith Gazette notification vide No.2196 dated 21.10.2010.

6.4 Regional Board Meetings

Regional Boards and Local Committees are constituted at the grass root level. At present 26 Regional Boards and 236 Local Committees are in existence. During the year 2017-18, 12 Regional Boards meetings were held.



Glimpses of ESI Corporation Meetings

7 – प्रशासन

7.1 स्थापना

क.रा.बी. निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसके सहित क.रा.बी. निगम के देशभर में बहुतायत में क्षेत्र कार्यालय हैं। इनमें 24 क्षेत्रीय कार्यालय, 40 उप क्षेत्रीय कार्यालय, 2 शिविर कार्यालय, 3 संपर्क कार्यालय, 630 शाखा कार्यालय और 185 भुगतान कार्यालय तथा 341 निरीक्षण कार्यालय हैं।

7.2 कर्मचारी संख्या

31.03.2018 तक की स्थिति अनुसार, निगम में अधिकारियों (महानिदेशक, वित्त आयुक्त एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित) तथा स्टाफ की कुल संस्वीकृत संख्या 19421 है। इसमें चिकित्सा एवं परा चिकित्सा तथा नर्सिंग स्टाफ तथा राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

7.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

कैलेंडर वर्ष 2017 (01.01.2018 तक के अनुसार) में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उम्मीदवारों से भरी गई रिक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना **परिशिष्ट-VII** में दर्शायी गई है।

7.4 प्रशासनिक व्यय

क.रा.बी. अधिनियम की धारा 28-क के अनुसार प्रशासनिक व्ययों पर खर्च की जाने वाली निगम की आय की प्रतिशतता इस प्रकार होनी चाहिए जो केन्द्र द्वारा निर्धारित हो। केन्द्र सरकार ने क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 31-क के अंतर्गत प्रशासनिक व्ययों की प्रतिशतता वर्ष 1997-98 से कुल राजस्व आय का 15 प्रतिशत निर्धारित की है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल राजस्व आय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय इस प्रकार हैं:-

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल राजस्व आय के संबंध में प्रशासनिक व्यय की प्रतिशतता	8.63%	8.91%	9.68%	10.28%*	4.39%*

*अनंतिम

7.5 भर्ती गतिविधियां

क्र. सं.	पद	रिक्तियों की संख्या	भरी गई रिक्तियां
01.	शिक्षण संकाय की भर्ती- जोका (कोलकाता), सनत नगर (हैदराबाद), गुलबर्गा (चिकित्सा एवं दंत्य महाविद्यालय), रोहिणी (दंत्य महाविद्यालय), फरीदाबाद (हरियाणा), बैंगलुरु, मनिकतला (कोलकाता) स्थित 08 क.रा.बी.निगम चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर	327	49 पदों के लिए प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा शेष रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रियाधीन है।
02.	07 क्षेत्रों के लिए 21 संवर्गों में नर्सिंग तथा परा-चिकित्सा पदों की भर्ती - योग्यता-क्रम सूचियों का प्रसंस्करण	809	परिणाम घोषित तथा प्रक्रिया पूर्ण है।
03.	सभी 17 क्षेत्रों के लिए 31 संवर्गों में नर्सिंग तथा परा-चिकित्सा पदों की भर्ती - योग्यता-क्रम सूचियों का प्रसंस्करण	1663	परिणाम घोषित तथा प्रक्रिया पूर्ण है।
04.	25 क्षेत्रों में प्रवर से प्रतिलिपिक के पदों पर भर्ती - ऑनलाइन परीक्षा की योग्यता -क्रम सूचियों का प्रसंस्करण	2090	परिणाम घोषित तथा प्रक्रिया पूर्ण है।
05.	17 क्षेत्रों में आशुलिपिकों के पद पर भर्ती - ऑनलाइन परीक्षा की योग्यता -क्रम सूचियों का प्रसंस्करण	115	परिणाम घोषित तथा प्रक्रिया पूर्ण है।
06.	25 क्षेत्रों में बहुकार्य स्टाफ के पद पर भर्ती	1561	परिणाम घोषित तथा प्रक्रिया पूर्ण है।



7 - ADMINISTRATION

7.1 Establishment

The ESI Corporation with its headquarters located at New Delhi, has a large no. of field offices throughout the country. These include 24 Regional Offices, 40 Sub-Regional Offices, 2 Camp Offices, 3 Liaison Offices, 630 Branch Offices, 185 Pay Offices and 341 Inspection Offices.

7.2 Staff Strength

The total sanctioned strength of Officers (Including Director General, Finance Commissioner and Chief Vigilance Officer) and staff in the Corporation as on 31.03.2018 is 19421. This excludes the Medical & Paramedical and Nursing Staff as well as Staff under the direct control of State Governments.

7.3 Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

The information relating to total number of officers and employees and the vacancies filled by candidates is indicated in **Appendix-VII** for the calendar year 2017 [01/01/18]

7.4 Administrative Expenses

Section 28-A of the ESI Act provides that the percentage of income of the Corporation, which may be spent for the administrative expenses shall be such as may be prescribed by the Central Government. The Central Government has fixed the percentage of the administrative expenses under Rule 31-A of ESI (Central) Rules, 1950 as 15% of total revenue income with effect from the year 1997-98. The administrative expenditure as a percentage of the total revenue income during the year 2013-14 to 2017-18 works out as under:

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Percentage of Administrative Expenditure in relation to total revenue income	8.63%	8.91%	9.68%	10.28%*	4.39%*

*Provisional

7.5 Recruitment Activities

Sl. No.	Post	No. of Vacancies	Vacancies Filled
01.	Recruitment of Teaching Faculty – Professor, Associate Professor & Assistant Professor for 08 ESIC Medical Education Institutions located at Joka(Kolkata), Sanathnagar(Hyderabad), Gulbarga (Medical & Dental College), Rohini (Dental College), Faridabad (Haryana), Bengaluru, Maniktala(Kolkata).	327	Process Completed for 49 posts and for rest of the vacancies recruitment is under process.
02.	Recruitment of Nursing and Para -medical posts in 21 Cadres for 07 Regions – Processing of Merit Lists.	809	Result declared and process completed
03.	Recruitment of Nursing and Para -medical posts in 31 Cadres for all 17 Regions - Processing of Merit Lists.	1663	Result declared and process completed
04.	Recruitment to the post of Upper Division Clerk in 25 Regions - Processing of Merit Lists of Online Test.	2090	Result declared and process completed
05.	Recruitment to the post of Stenographer in 17 Regions - Processing of Merit Lists of Online Test.	115	Result declared and process completed
06.	Recruitment to the post of Multi -Tasking Staff in 25 Regions.	1561	Result declared and process completed

7.6 प्रबंध सेवा एकक

1. **कर्मचारी राज्य बीमा निगम में आइ.एस.ओ. प्रमाणीकरण** :- सभी क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पतालों से गुणवत्ता सेवाओं के लिए अपना लेखापरीक्षण करवाना और नवीनतम क्यू एम एस के अन्तर्गत प्रमाणित होना अपेक्षित था। दिनांक 31.03.2018 तक 23 क्षेत्रीय कार्यालयों, 35 उप क्षेत्रीय कार्यालयों, 36 कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों ने आइ.एस.ओ. प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है।
2. **वी आइ पी / संसद संदर्भ** :- रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, विभिन्न मंत्रालयों से वी आइ पी / सांसदों के कुल 08 (आठ) प्रश्न प्राप्त हुए तथा सभी 08 प्रश्नों के उत्तर विभिन्न शाखाओं और संबंधित क्षेत्र संरचनाओं से संगृहीत संगत डाटा के संकलन के पश्चात दिए गए।
3. **उत्पादकता संबद्ध बोनस** :- सभी पात्र कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 60 दिनों के उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान किया गया।

7.7 कम्प्यूटरीकरण

मैसर्स रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ दो वर्ष की अवधि के लिए परियोजना पंचदीप के 'प्रचालन तथा अनुरक्षण' के लिए संविदा दी गई है। डाटा सेन्टर (डीसी), डिजास्टर रिकवरी सेन्टर (डीआरसी), एप्लीकेशन एवं नेटवर्किंग के अनुरक्षण का कार्य मैसर्स रेलटेल को ₹ 322 करोड़ (लगभग) की लागत पर सौंपा गया है तथा फील्ड हार्डवेयर के अनुरक्षण का कार्य फील्ड यूनिटों को सौंपा गया है।

मैसर्स रेलटेल ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित अपने संविदात्मक कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाए जिसमें बैंडविड्थ अपग्रेड तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड शामिल है जिसके लिए क.रा.बी. निगम ने एसएलए शास्ति लगाई तथा उनके भुगतानों को रोका।

डॉ. बी.के. गैरोला, पूर्व महानिदेशक, एनआईसी को मुख्य परामर्शदाता (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

उनसे अनुरोध किया गया कि भविष्य में क.रा.बी.निगम की चुनौतियों की दृष्टि से वर्तमान प्रणाली की स्थिरता के संबंध में वे अपना मत दें तथा क.रा.बी. निगम की सूचना प्रौद्योगिकी इस यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने हेतु सुझाव दें। उन्होंने क.रा.बी. निगम की आईसीटी संरचना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा क.रा.बी. निगम के सूचना प्रौद्योगिकी सेट-अप के भविष्य के लिए कार्यक्रम की अनुशंसा की है।

सूचना प्रौद्योगिकी समिति के गठन के लिए निगम ने महानिदेशक को प्राधिकृत किया है कि वे मुख्य परामर्शदाता की संस्तुतियों पर सूचना प्रौद्योगिकी की मजबूत प्रष्टभूमि रखने वाले व्यवसायियों को नियुक्त करें जो शिक्षा के क्षेत्र तथा अन्य सरकारी संस्थाओं से संबंधित हों।



ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय के नये भवन का उद्घाटन तथा ईएसआई अस्पताल, बलटीकुड़ी और दुर्गापुर के उन्नयन का शिलान्यास करते हुए श्री बंडारू दत्तात्रेय माननीय श्रम और रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार

7.6 Management Service Unit

1. **ISO Certification in ESIC:** All Regional/Sub Regional Offices, D(M)D, ESIC Model Hospitals were expected to get themselves audited for quality Services and get Certified under the latest QMS . As on 31-03-2018, 23 Regional Offices, 35 SROs and 36 ESIC hospitals has obtained/awarded ISO Certificates.
2. **VIP/MP Reference:** During year under report, a total of 08(Eight) queries from VIP/MP from different Ministries were received, and all 08 queries have been replied after compilation of relevant data collected from different branches and respective field formations
3. **Productivity Linked Bonus:** The Productivity Linked Bonus(PLB) for the financial year 2016-2017 have been paid to all eligible employees for 60 days.

7.7 Computerization

M/s. RailTel Corporation of India Ltd. has been awarded a contract for 'Operation and Maintenance' of Project Panchdeep for a period of two years. Maintenance of Data Center (DC), Disaster Recovery Centre (DRC), Application and Networking has been assigned to M/s. RailTel at a value of ₹ 322 Crores (approx.) and maintenance of field hardware has been assigned to the field Units.

M/s Railtel could not complete their contractual obligations regarding transformation which involved Bandwidth upgrade and Infrastructure upgrade for which ESIC levied SLA penalties and withheld their payments.

Dr. B K Gairola, Ex Director General, NIC has been engaged as Chief Consultant (IT).

He was requested to give his opinion on the sustainability of the present system in view of the challenges ahead for ESIC and suggest the way forward for the IT journey of ESIC. He has submitted a Report on ICT structure of ESIC and recommended the future course for IT set up of ESIC.

Corporation authorized Director General to engage professionals from academia and other Govt. institutions having strong IT background on the recommendations of Chief consultant for constitution of IT committee.



A view of Suvidha Samagam at ESIC Model & Super Speciality Hospital, Asramam (Kerala)

8 – मानव संसाधन विकास

8.1 क.रा.बी. निगम राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी

राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, प्रशिक्षण प्रभाग के अधीन शीर्ष प्रशिक्षण केन्द्र है जिसके अध्यक्ष बीमा आयुक्त (रा.प्र.अ.) हैं। इसका कार्य क.रा.बी. निगम के सभी 'क' तथा 'ख' (चिकित्सा तथा गैर-चिकित्सा सहित) वर्ग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

क.रा.बी. निगम राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना

वर्ष 2005 में, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना क.रा.बी. निगम के सभी 'क' तथा 'ख' वर्ग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई जिसके अध्यक्ष अपर आयुक्त थे तथा इसने क.रा.बी. निगम क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई भवन में करना आरंभ किया।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान प्रभारी की अध्यक्षता में क.रा.बी. निगम के 'ग' तथा 'घ' वर्ग के स्टाफ को भी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई।

1. आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तर अंचल) दिल्ली
2. आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिण अंचल) क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलुरु
3. आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी अंचल) क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई
4. आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी अंचल) क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी का स्थानांतरण

- दिसंबर 2005 में, रा.प्र. अकादमी दिल्ली में स्थानांतरित किया गया तथा इसने क.रा.बीमा अस्पताल परिसर, रोहिणी, दिल्ली से कार्य करना आरंभ किया।
- रा.प्र. अकादमी की अवसंरचना का विकास क.रा.बी. अस्पताल रोहिणी के रोगी वार्ड से किया गया तथा इसने 2009 तक क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली में स्थानांतरित होने तक वहां से कार्य किया। अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी को एक बार फिर द्वितीय तल, एनआरपीओ भवन, क.म.नि संगठन परिसर, सेक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली पर कार्यालय स्थल किराए पर लेकर स्थानांतरित किया गया, जहा फिर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण अवसंरचना का विकास किया गया।

8.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2017-18 में, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी और दो आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों (दक्षिण तथा पश्चिम अंचल) द्वारा 250 दिनों के कुल 126 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए, जहां 4879 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया



क.रा.बी. निगम राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी द्वारा लेखा अधिकारियों के लिए जीएसटी/जीईएम और अन्य लेखा खातों से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण के दौरान समूह चित्र

8 - HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

8.1 ESIC National Training Academy

The National Training Academy is the apex training centre of ESIC under Training Division with the Insurance Commissioner(NTA) as head of NTA. Its job is to impart training to all group 'A' and 'B' (including medical and non-medical) officers of ESIC.

Setting up of ESIC National Training Academy

In the year 2005, National Training Academy of ESIC was set up to impart training to all groups 'A' and 'B' Officers of ESIC with Additional Commissioner as its Head and it started functioning from ESIC Regional Office, Mumbai building.

In addition, following ZTIs were also set up to impart training to group 'C' and 'D' staff of ESIC headed by ZTI in-charge of the level of Director/Joint Director.

1. ZTI(North Zone), Delhi at R.O. Delhi.
2. ZTI(South Zone), R.O. Bangalore.
3. ZTI(West Zone), R.O. Mumbai.
4. ZTI(East Zone), R.O. Kolkata.

Shifting of NTA from Mumbai to Delhi

- In December 2005, the NTA was shifted to Delhi and it started functioning from ESI Hospital premises, Rohini, Delhi.
- The NTA infrastructure was developed in one of the patients' ward of ESI Hospital, Rohini and it functioned from there till 2009 after that its was shifted to R.O. Delhi. In April 2010, the National Training Academy was once again shifted to the office space rented on 2nd floor in the NRPO Building, EPFO Complex, Sector-23, Dwarka, New Delhi, where the training infrastructure was developed according to requirement.

8.2 Training Programme

In the Year 2017-18 a total number of 126 Training programme of 250 days were conducted by NTA and Two ZTIs (South & West Zone) where 4879 participants were trained.



Group Photograph taken during training on "Administrative Issues" for "Medical Superintendents" at National Training Academy, ESIC, Dwarka, New Delhi

9 – सतर्कता गतिविधियां

क.रा.बी. निगम की सतर्कता शाखा भ्रष्टाचार के उन्मूलन, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा सतर्कता मामले से युक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर जांच करने के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आदेशों एवं दिशा निर्देशों को क्रियान्वित करती है और क.रा.बी. निगम (कर्मचारी एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 में परिभाषित भ्रष्ट कार्यों तथा कदाचार में शामिल निगम के कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की शुरुआत करती है। मुख्यालय में सतर्कता विभाग के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में चार आंचलिक सतर्कता कार्यालय तथा चार आंचलिक जांच कार्यालय (विभागीय जांच) स्थित हैं। एक उप चिकित्सा आयुक्त (चिकित्सा सतर्कता) मुख्यालय में है। शिकायतों की जांच आंचलिक सतर्कता अधिकारियों एवं उप चिकित्सा आयुक्त (चिकित्सा सतर्कता) द्वारा की जाती है। विभागीय जांच आंचलिक जांच अधिकारियों (विभागीय जांच) तथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त अन्य अधिकारियों द्वारा की जाती है। निवारक उपायों के रूप में विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय सतर्कता इकाइयों तथा चिकित्सा सतर्कता अधिकारियों की तैनाती की गई है जिनके द्वारा क.रा.बी. कार्यालयों अर्थात् क्षेत्रीय कार्यालयों, उप क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, अस्पतालों तथा औषधालयों आदि संबंधित क्षेत्राधिकार में आवधिक एवं औचक निरीक्षण किए जाते हैं।

सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों के संदर्भ में दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की स्थिति नीचे दी गई है :

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 में, आंचलिक सतर्कता जांच इकाइयों ने कई कारखानों का परीक्षार्थ निरीक्षण किया तथा ₹116.95 करोड़ की राशि तक की विलोपित मजदूरी का पता लगाया। रिपोर्टों को क.रा.बी. अधिनियम की धारा 45क के अंतर्गत प्रक्रिया के बाद देय अंशदानों के दावे हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित किया जाता है।
2. इस अवधि के दौरान विविध टाइ-अप अस्पतालों से संबंधित भुगतान किए गए अति विशिष्टता बिलों की संवीक्षा चिकित्सा सतर्कता टीमों ने की तथा ₹ 76.01 लाख की राशि के अधिक भुगतान का पता लगा। विविध टाइ-अप अस्पतालों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली की जा रही है।
3. इस अवधि में सी.टी.ई./सी.वी.सी. के अवलोकनों से उत्पन्न सतर्कता जाँच के दौरान ₹ 12.50 लाख रुपए की राशि का पता लगा। सतर्कता प्रभाग की सलाह पर संपत्ति प्रबंधन प्रभाग (पी एम डी) द्वारा की राशि की विधिवत वसूली की गई।
4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, क.रा.बी. निगम के 130 शाखा कार्यालय तथा क.रा.बी. योजना के अंतर्गत कार्यरत 03 अस्पतालों का भी वी आई यू/एम वी ओ द्वारा निरीक्षण किया गया
5. इस अवधि के दौरान 152 शिकायतों का निपटान किया गया।
6. रिपोर्टधीन अवधि के दौरान विभिन्न कदाचार में लिप्त पाए गए, निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को चार्जशीट जारी कर अल्प तथा मुख्य शास्ति दोनों सम्मिलित 80 नई अनुशासनिक कार्यवाही शुरु की।
7. वर्ष के दौरान, 41 मुख्य शास्तियों अधिरोपित की गई जिनमें 08 मुख्य शास्तियों के मामले समूह 'क' तथा 'ख' के अधिकारियों के संबंध में तथा 33 मामले समूह 'ग' के कर्मचारियों पर 13 अल्प शास्ति के भी मामले अधिरोपित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कई समूह 'ग' कर्मचारियों पर अल्प शास्तियां भी अधिरोपित की गई।
8. देश भर में निगम के सभी कार्यालयों में दिनांक 30.10.2017 से 04.11.2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी गई है।



क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कार्यशाला का आयोजन

9 - VIGILANCE ACTIVITIES

Vigilance Branch of ESI Corporation implements instructions and guidelines from Central Vigilance Commission in regard to eradication of corruption, undertakes investigation on the complaints received through Central Vigilance Commission and other sources involving vigilance angle and initiates departmental action against the officials of the Corporation who indulge in corrupt practices and misconducts as defined in the ESIC (Staff & Conditions of Service) Regulations, 1959. The Vigilance Division in the Hqrs office is headed by a Chief Vigilance Officer. Four Zonal Vigilance Offices and four Zonal Inquiry Offices (Departmental Inquiry) are located at Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. One Deputy Medical Commissioner (Medical Vigilance) is also posted at Hqrs. Office. Investigation of the complaints are undertaken by the Zonal Vigilance Officers and DMC (MV), and the departmental enquiries are conducted by the Zonal Inquiry Officers (Departmental Inquiry) and by other Officers appointed as Inquiry Officer by Disciplinary Authority. As a preventive measure, Zonal Vigilance Units and Medical Vigilance officers posted in various states, conduct periodical and surprise inspections of ESI Offices i.e. Regional Offices, Sub Regional Offices, Branch Offices, Hospitals and Dispensaries etc. falling in their respective jurisdiction.

The status in respect of various activities accomplished by Vigilance Division during the period 01.04.2017 to 31.03.2018 are given below:

1. In the financial year 2017-18, the Zonal Vigilance Inspection Units conducted Test inspections of several factories and detected Omitted wages to the sum of ₹ 116.95 Crore. These reports have been forwarded to respective ROs/SROs for claiming due contributions following procedure u/s 45A of the ESI Act.
2. During the year under report, Medical Vigilance Teams carried out scrutiny of paid SST Bills pertaining to various tie-up hospitals and an amount of ₹ 76.01 Lakh was detected as excess payment, recovery of the excess payments has been effected from various tie-up hospitals.
3. During the period, an amount of ₹ 12.50 Lakh detected during Vigilance Investigation arising out of CTE/CVC observations. The amount has duly been recovered by PMD on the advice of the Vigilance Division.
4. Apart from the above, 130 Branch Offices of ESIC and 03 Hospitals functioning under the ESI Scheme were also inspected by VIUs/MVOs.
5. During the year, 152 complaints were disposed off.
6. More than 80 new Disciplinary proceedings comprising of both Major and Minor penalty action were initiated by issuing chargesheets to Officers & Officials of the Corporation found indulging in various misconducts during the period under report.
7. During the year, 41 Major Penalties have been imposed out of which 08 cases of Major Penalties are in respect of Group 'A' & 'B' Officers and 33 cases of Major Penalties are in respect of Group 'C' employees. In addition, Minor Penalties have been imposed on several Group 'C' employees.
8. Vigilance Awareness Week was organised from 30.10.17 to 4.11.17 in all the offices of the Corporation across the country as per the guidelines issued by the Central Vigilance Commission and detailed report has been sent to CVC.



A workshop is in progress during Vigilance Awareness Week at RO, Jaipur

10 – लोक शिकायतों का निवारण

1. भारत सरकार के लोक शिकायत निदेशालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में निगम सार्वजनिक शिकायतों को तत्परता से निपटारे का भरसक प्रयास कर रहा है। निगम बीमाकृत व्यक्तियों, उनके परिजनों, नियोजकों/कर्मचारी एसोसिएशनों, कर्मचारियों और उनकी यूनियनों/सांसदों/विधायकों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों आदि से प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों की निगम के विभिन्न कार्यालयों में तैनात सार्वजनिक शिकायत अधिकारियों के नेटवर्क के माध्यम से निगरानी करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय से प्राप्त शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निवारण के लिए निगम मुख्यालय में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सीधे ही इनकी निगरानी की जाती है।
2. क्षेत्रीय कार्यालयों, उप क्षेत्रीय कार्यालयों, क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों में प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान वहां पर पदस्थ लोक शिकायत अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निगम के वरिष्ठ अधिकारियों तथा श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा नियोक्ता प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों के स्तर पर नियमित अंतराल पर सुविधा समागम/खुली चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। आम तौर पर इन बैठकों की अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशकों/निदेशक/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती है, जिससे शिकायत का निपटान अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसमें शिकायतों का निपटान जहां तक संभव हो तुरंत किया जा सके।
3. ऐसे राज्यों में जहां क.रा.बी. योजना लागू की गई है, चिकित्सा हितलाभ से संबंधित शिकायतों को हमारे क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा राज्य सरकार के प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है ताकि शिकायतों का निवारण समय पर हो जाए। निगम अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जन शिकायतों पर सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करता है। अनुदेश, परिपत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं।
4. क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्र.)/चिकित्सा अधीक्षक/निदेशालय (निदेशक चिकित्सा दिल्ली) को निर्देश दिए गए हैं कि मंत्रालय के लोक शिकायत निदेशालय से प्राप्त शिकायतों को उच्च प्राथमिकता दी जाए। केन्द्रीय सचिवालय के निर्देशों के अनुसार इन शिकायतों का निवारण 30 दिन के अन्दर किया जाएगा। उन्हें प्रतिदिन भारत सरकार की वेबसाइट <http://pgportal.gov.in> देखने और अपने-अपने कार्यालयों से संबंधित शिकायतों पर तीव्र कार्रवाई एवं निपटान को केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निपटान एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से करने और मुख्यालय को ई-मेल के माध्यम से pg-hqrs@esic.nic.in पर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
5. सीपीजीआरएएमएस के संबंध में क.रा.बी.निगम के स्वतंत्र पीजी मॉड्यूल का शुभारंभ दिनांक 13.08.2015 को किया गया तथा दिनांक 15.08.2015 से इसे आम जनता के लिए सुलभ बनाया गया। इससे विभिन्न पणधारकों को वेबसाइट www.esic.in/webospace/web/grievance/home के माध्यम से क.रा.बी. निगम से सम्बद्ध कार्यालयों/अस्पतालों में सीधे तौर पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने में सहायता मिलती है और क.रा.बी. निगम का संबंधित कार्यालय तुरंत कार्रवाई करता है।
6. टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800-11-2526 शुरू किया है जो सातों दिन चौबीस घंटे लगातार कार्यरत है। क.रा.बी. निगम ने एक नई चिकित्सा टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-11-3839 भी शुरू किया है जो सभी दिन चौबीस घंटे कार्यरत है।
7. क.रा.बी. निगम ने दिनांक 13.08.2015 को एक स्वतंत्र लोक शिकायत निवारण तथा मॉनिटरिंग मॉड्यूल (पीजी-2.0) भी आरंभ किया है। दिनांक 15.08.2015 से यह जनता के लिए सुगम किया गया है। मॉड्यूल के जरिए जनता किसी भी अस्पताल/कार्यालय की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता स्पष्टीकरण भी माँग सकता है तथा अपनी शिकायत के संबंध में अनुस्मारक भी भेज सकता/सकती है।
8. 01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान सीपीजीआरएएम पर क.रा.बी. निगम द्वारा निवारण किए गए शिकायतों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

1.	31.03.2017 को निपटान के लिए शेष शिकायतें	60
2.	01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	3334
	कुल	3394
3.	01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतें	3285
4.	31.03.2018 को निपटान के लिए शेष शिकायतें	109
5.	15 दिनों से अधिक अवधि के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	44 (में से 109)



10 - REDRESSAL OF PUBLIC GRIEVANCES

- In pursuance of the instructions issued by the Directorate of Public Grievances, Govt. of India, the Corporation has been making all out efforts for speedy redressal of Public Grievances. The Corporation monitors Public Grievances received from various quarters viz. Insured Persons, their family members, employers/ Employees' Associations, Employees Union, MPs/MLAs/VIPs etc. through a network of Public Grievance officers posted in all the offices of the Corporation. Grievances received from the Prime Minister's Office and the Cabinet Secretariat are directly monitored by a senior officer in the Hqrs. Office for effective and timely redressal.
- The monitoring of Public Grievances received in the Regional Offices, Sub-Regional Offices, ESI Hospitals/ Dispensaries is being done by the designated Public Grievances Officers. Apart from this, Suvidha Samagam/ open house meetings are being conducted in the respective Regions/ Sub-Regions/ Branch Offices level at regular intervals in the presence of senior officers of the Corporation and representatives of trade unions and employer's representatives. Such meetings are generally presided over by the Regional Director/Director (I/c) of Sub-Regional Office or a senior officer to redress the grievances across the table, wherever it is possible.
- In the states, where the ESI Scheme has been implemented, the grievances relating to the medical benefits are being taken up with the State Govt. Authorities by our Regional Directors for timely redressal of grievances. The Corporation conducts workshops and seminars on Public Grievances for its officers & staff. Instructions, circulars and other important information are also uploaded on the website.
- The Regional Director/ Director/ JD (I/c)/ MS/ D(M)D have been instructed that the grievances received from Directorate of Public Grievances of the Ministry, will be given top priority. The grievances will be settled within 30 days as per instructions of the Cabinet Secretariat. They have been asked to visit Govt. of India website <http://pgportal.gov.in> everyday and to take up the complaints relevant to their office through Centralized Public Grievance Redressed and Monitoring System (CPGRAMS) for quick action & redressal of the same and to report to Hqrs Office through e-mail at pg-hqrs@esic.nic.in.
- The independent PG Module of ESIC, in line with CPGRAMS has also been launched on 13.08.2015 and made it accessible to the Public from 15.08.2015. It helps various stakeholders to file grievances directly to the concerned office/hospitals of ESIC through www.esic.in/webospace/web/grievance/home.
- The Toll free helpline number 1800-11-2526 has been installed, which is functional for 7 days round the clock. ESIC has also launched a new Medical toll free helpline 1800-11-3839 which is functional round the clock on all days.
- ESI Corporation has also launched an independent public grievance redressal and monitoring module (PG-2.0) on 13.08.2015. It has been made accessible to the public from 15.08.2015. Through the module public can file grievances to any Office/Hospital. The complainant can also seek clarification and send reminder regarding his/her complaint.
- The status details of the PG received on CPGRAM Portal and redressed by ESIC from 01.04.2017 to 31.03.2018 are as under:-

1	Unsettled grievances pending as on 31.03.2017	60
2	Grievances received from 01.04.2017 to 31.03.2018	3334
	Total	3394
3	Grievances settled during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018	3285
4	Unsettled grievances as on 31.03.2018	109
5	Number of grievance pending for more than 15 days	44 (out of 109)



11 – राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय अपनी सभी अधीनस्थ इकाइयों में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में अग्रसर रहने के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2017-18 के दौरान राजभाषा प्रभाग द्वारा किए गए प्रयासों तथा कार्यों से संबंधित ब्योरा निम्नवत है :-

(1) हिंदी पत्राचार :

वर्ष 2017-18 के दौरान मुख्यालय का हिंदी पत्राचार 'क' क्षेत्र के कार्यालयों के साथ 72.14% रहा जबकि 'ख' व 'ग' क्षेत्र के साथ क्रमशः 68% और 62.86% रहा।

(2) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें :

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से मुख्यालय/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/अस्पतालों/राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित की जाती हैं तथा बैठकों का कार्यवृत्त तैयार कर अनुपालनार्थ परिचालित किया गया।

(3) राजभाषा निरीक्षण :

वर्ष 2017-2018 के दौरान क.रा.बी. निगम की 38 अधीनस्थ इकाइयों तथा मुख्यालय की 11 शाखाओं का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। उप निदेशक (रा.भा.) ने समय-समय पर मुख्यालय की शाखाओं में राजभाषा हिंदी पर मार्गदर्शन हेतु संपर्क कार्य किया।

(4) हिंदी रिपोर्टों की समीक्षा :

विभिन्न क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों, क.रा.बी. अस्पतालों, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी तथा मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त हिंदी प्रगति रिपोर्टों की मुख्यालय की राजभाषा शाखा में समीक्षा की गई तथा जहां भी इनमें कोई कमी देखी गई तो उन्हें सुधारने की सलाह दी गई। राजभाषा शाखा द्वारा हिंदी से संबंधित रिपोर्ट समय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय/गृह मंत्रालय भेजी गईं।

(5) कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित करना :

कार्यालयों के कार्मिकों द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने पर राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अब तक 'क' क्षेत्र में 44, 'ख' क्षेत्र में 15 तथा 'ग' क्षेत्र में 11 इकाइयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है।

(6) हिंदी दिवस/प्रतियोगिताएं :

क.रा.बी. निगम के कार्यालयों/अस्पतालों में 1 से 15 सितम्बर, 2017 तक पूरे उत्साह के साथ हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान 4 प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। सितम्बर, 2017 में निगम के सभी कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाया गया।

(7) हिंदी प्रोत्साहन योजनाएं :

हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक कार्यालय स्तर पर क.रा.बी. निगम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए मुख्यालय द्वारा निर्दिष्ट क.रा.बी. निगम हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निगम के विभिन्न कार्यालयों में निर्धारित प्रतिशतता तक हिंदी में काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को 600/- का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अधिकारियों के लिए हिंदी श्रुतलेखन योजना, राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना और आशुलिपिकों एवं टंककों के लिए हिंदी प्रोत्साहन भत्ता योजना आयोजित की गईं। वार्षिक मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता भी विभिन्न कार्यालयों में आयोजित की गईं।

(8) राजभाषा कार्यान्वयन शील्ड प्रतियोगिता :

क.रा.बी. निगम कार्यालयों में हिंदी कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यालय 'क', 'ख' तथा 'ग' वर्ग के क्षेत्रों के लिए अंतर-क्षेत्रीय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता भी आयोजित करता है। वर्ष 2016-17 में देहरादूर क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून; 'ख' क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ और 'ग' क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर शील्ड के लिए चुना गया। इस प्रतियोगिता में मुख्यालय को सम्मिलित नहीं किया जाता। विजेता कार्यालयों को 24-25 अगस्त, 2017 में हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शील्ड प्रदान की गईं।



11 - IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Employees' State Insurance Corporation, Hqrs. pursues effective implementation of Official Language Policy in all subordinate units of the Corporation. Details related to the efforts and works done by Official Language Division during the year 2017-18 are as under :-

(1) Hindi Correspondence :

During the year 2017-18, Headquarters carried out correspondence in Hindi with offices which was 72.14% with 'A' region, while 68% with 'B' region and 62.86% with 'C' region.

(2) Meetings of the Official Language Implementation Committee :

The quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee are held on regular basis in Hqrs./ ROs/ SROs/ Hospitals/NTA and the minutes were circulated for compliance.

(3) Official Language Inspection :

Official Language inspections were conducted in 38 subordinate units of ESIC and 11 branches of Hqrs. during the year 2017-2018. Deputy Director (O.L.) remained in contact with various branches of Hqrs. for on-site guidance on official language Hindi.

(4) Review of Hindi Reports :

Official Language Branch at Hqrs. reviews various Hindi Progress Reports received from ROs/SROs/ Hospitals/ D(M)D/National Training Academy/various branches of Headquarter. Wherever deficiencies were noticed, suitable advice was issued to rectify them. The Official Language Branch also sent various reports on Hindi to the Ministry of Labour & Employment/Home Affairs in time.

(5) Notifying offices under Rule 10(4) of O.L. Rules 1976 :

Under Rule 10(4) of the O.L. Rules, 1976 total 44 units in 'A' region, 15 units in 'B' region and 11 units in 'C' region have been notified in Gazette of India on acquiring working knowledge of Hindi by the staff, till date.

(6) Hindi Day/Competitions :

ESIC offices/hospitals celebrated Hindi Fortnight with full enthusiasm from 01-15 September, 2017. During Hindi Fortnight, four (4) types of Hindi contests were conducted and the winners were awarded cash prizes. In September, 2017 Hindi Day was observed in all the offices of the Corporation.

(7) Hindi Incentive Schemes :

To promote the use of Hindi, ESIC Hindi Prayog Protsaahan Yojna has been implemented at each office level for all the officers/employees of ESIC. Under this scheme officers/employees of various offices who have worked in Hindi upto the prescribed percentage are awarded with an incentive of ₹ 600/-. In addition to this, various contests under Hindi Dictation Scheme for Officers, Official Language Implementation Suggestion Award Scheme and Hindi Incentive Allowance Scheme for Stenographers & Typists were organized. Annual Original Hindi Noting-Drafting competitions were also organized by various offices.

(8) Official Language Implementation Shield competition :

To promote the use of Hindi in the offices of ESIC, Hqrs. organizes an Official Language Implementation shield competition for 'A', 'B' and 'C' category regions. In the year 2016-17, R.O., Dehradun in 'A' region; R.O., Chandigarh in 'B' region and R.O., Goa in 'C' region were selected for the shield based on their performance. Hqrs. is not included in this competition. These shields were presented to the winner offices in All India Conference on Official Language held on 24-25 August, 2017 at Hyderabad, Telangana.

(9) हिंदी पत्रिकाएं :

आलोच्य वर्ष में मुख्यालय एवं क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों/अस्पतालों/निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली से कुल 25 हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रकाशित पत्रिकाओं में उत्कृष्ट संपादन, साज-सज्जा एवं सामग्री-प्रबंधन के लिए 'क' क्षेत्र से क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़; 'ख' क्षेत्र से क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ एवं 'ग' क्षेत्र से क.रा.बी. निगम अस्पताल, जोका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में मुख्यालय की पत्रिका को सम्मिलित नहीं किया जाता। विजेता कार्यालयों को 24-25 अगस्त, 2017 में हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

(10) अनुवाद कार्य :

मुख्यालय की राजभाषा शाखा का लक्ष्य है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत अंग्रेजी दस्तावेज के साथ ही तत्काल उसका हिंदी अनुवाद भी जारी किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी शाखाओं को अंग्रेजी दस्तावेज का अनुवाद तुरन्त उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा मुख्यालय से प्रकाशित होने वाली वार्षिक रिपोर्ट, मानक टिप्पणियाँ, भर्ती विनियमों, सांख्यिकीय रिपोर्ट, बजट, परिणामी बजट, वार्षिक लेखे इत्यादि का अनुवाद भी किया जाता है।

(11) राजभाषा अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन :

निगम का 28वाँ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिनांक 24-25 अगस्त, 2017 में हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया गया।



क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई की गृह पत्रिका 'राजभाषा सहयोगी' का विमोचन



क्षेत्रीय कार्यालय, थाणे की गृह पत्रिका 'राजभाषा उत्कर्ष' का विमोचन

(9) Hindi Magazines :

During the year under report, Hqrs. and Regional/Sub-Regional Offices/Hospitals/Directorate (Medical), Delhi have published 25 Hindi magazines. R.O., Raipur, Chattisgarh for the region 'A'; R.O., Chandigarh for the region 'B' and E.S.I.C. Hospital Joka for the region 'C' secured first position for the outstanding editing, designing & content-management of the published magazines for the year 2016-17. Magazine of Hqrs. Office, New Delhi is not included in this competition. Certificates were awarded to the winner offices in All India Conference on Official Language held on 24-25 August, 2017 at Hyderabad, Telangana.

(10) Translation Work :

Official Language Branch at Hqrs.office makes all endeavours to issue Hindi version of English documents simultaneously u/s 3(3)of Official Languages Act. To fulfill this end, immediate translation of English documents is provided to all branches. Apart from that Annual Report, Recruitment Regulations, Statistical Report, Budget, Outcome Budget, Annual Accounts etc. were also translated into Hindi.

(11) All India Conference of Official Language Officers :

ESIC 28th All India Conference on Official Language was held at Hyderabad, Telangana. from 24-25 August, 2017 .



Director General lighting the panchdeep during the Hindi Divas Samaroh at ESIC, Hqrs.



A view of prize distribution during Hindi Divas Samaroh at ESIC, Hqrs.

12 – सूचना एवं प्रचार

अखिल भारतीय उपस्थिति और क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के अधीन व्याप्त कामगारों के 3.43 करोड़ से अधिक परिवार एककों, 13.32 करोड़ लाभार्थियों और 10.33 लाख से अधिक कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के साथ क.रा.बी. निगम के लक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक हैं। क.रा.बी. मुख्यालय में जन सम्पर्क प्रभाग का कार्य क.रा.बी. योजना, इसके नवीनतम पहलों के बारे में जानकारी का प्रसार करना तथा प्रभावी एवं उत्तरदायी तरीके से अपने सभी पणधारकों को इसकी जानकारी देना है।

समय-समय पर, जन सम्पर्क प्रभाग संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउट ऑफ होम (ओओएच) मीडिया, मुद्रित पत्रक/विवरणिका एवं कार्यक्रमों तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से बीमाकृत व्यक्तियों, नियोक्ताओं, मीडिया, आम जनता एवं अन्य पणधारकों को क.रा.बी. निगम योजनाओं की जानकारी देता है। इस प्रक्रिया में जन सम्पर्क प्रभाग ने हमेशा राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर क.रा.बी. निगम के बारे में जानकारी के प्रचार के लिए क.रा.बी. निगम की विभिन्न इकाईयों के साथ समन्वय किया है। इसने विभिन्न पणधारकों के बीच निगम की कॉर्पोरेट छवि को कायम रखने में सहायता की है।

12.1 प्रेस विज्ञापितियों के माध्यम से प्रचार

मुख्यालय में क.रा.बी. निगम का जन सम्पर्क प्रभाग द्वारा अलग से एवं क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रभागीय कार्यालयों, क.रा.बी. निगम अस्पतालों एवं क.रा.बी. निगम चिकित्सा संस्थानों के साथ समन्वय करके समय-समय पर क.रा.बी. निगम की उपलब्धियों, नई पहलों, अस्पतालों आदि के शिलान्यास/उद्घाटन समारोहों के बारे में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों में प्रेस विज्ञापितियां जारी की गईं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, सीधे या समाचार एजेंसी, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय और राज्य सरकारों के सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालयों के माध्यम से लगभग 241 प्रेस विज्ञापितियां जारी की गईं। क.रा.बी. निगम मुख्यालय द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञापितियों को क.रा.बी. निगम वेबसाइट, क.रा.बी. निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ में भी प्रकाशित किया गया। प्रेस विज्ञापितियों के माध्यम से मीडिया कवरेज का अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए, जन सम्पर्क प्रभाग द्वारा विभिन्न क.रा.बी. निगम प्रतिष्ठानों एवं पत्र सूचना कार्यालय के साथ उचित समन्वयन किया गया।



पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल, देवघर (झारखंड) के शिलान्यास के अवसर पर अस्पताल के मॉडल का अवलोकन करते हुए

12.2 विज्ञापन एवं प्रचार

क.रा.बी. निगम ने लक्षित व्यक्तियों तक अपेक्षित संदेश के प्रभावी संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं आउटडोर मीडिया का विवेकपूर्ण उपयोग किया है। मीडिया अभियानों में व्यापक अभियानों जैसे क.रा.बी. निगम का कॉर्पोरेट सिद्धांत, निगम के विभिन्न कार्यकलाप, बीमाकृत व्यक्तियों एवं नियोक्ताओं को प्रदान किये जा रहे विभिन्न हितलाभों, क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवाएं, नई पहलें, सुविधा/सेवा प्रदाता केन्द्र, विभिन्न अस्पतालों/क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों, औषधालयों आदि का उद्घाटन/शिलान्यास समारोह को कवर किया गया।

वर्ष के दौरान, जन सम्पर्क प्रभाग ने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से 05 शिलान्यास समारोह और 3 उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किये। क.रा.बी. निगम मुख्यालय के जन सम्पर्क प्रभाग द्वारा प्रिंट मीडिया में कार्यक्रम विनिर्दिष्ट विज्ञापन, ओओएच मीडिया का उपयोग करके आउटडोर प्रोजेक्शन और प्रेस विज्ञापितियां आदि जारी की गईं।

क) प्रिंट मीडिया: क.रा.बी. योजना के बारे में कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें प्रदान किये जा रहे विभिन्न हितलाभों पर जानकारी देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचारपत्रों में कई विज्ञापन जारी किये गये। मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-क्षेत्रीय कार्यालयों एवं क.रा.बी. निगम अस्पतालों द्वारा भी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी किये गये। उपरोक्त के अलावा, मुख्यालय द्वारा क.रा.बी. निगम अस्पतालों/कार्यालयों आदि के शिलान्यास/उद्घाटन समारोह पर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी किये गये।

ख) आउटडोर मीडिया: क.रा.बी. योजना के अधीन दिये जा रहे विभिन्न हितलाभों, उपलब्धियों एवं नई पहलों तथा उद्घाटन/शिलान्यास समारोह को अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स एवं बस क्यू शेल्टर के माध्यम से प्रदर्शित करके आउटडोर मीडिया का व्यापक स्तर पर उपयोग किया गया। क.रा.बी. निगम के 66वें वर्ष के दौरान "स्वास्थ्य देखभाल एवं सामाजिक सुरक्षा के 66 वर्ष" विषय पर अखिल भारतीय आधार पर आउटडोर विज्ञापन (होर्डिंग/बस क्यू शेल्टर) के माध्यम से प्रचार किया गया।

ग) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया: क.रा.बी. निगम के कॉर्पोरेट कार्यक्रम प्रमुख टेलीविजन समाचार चैनलों, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी), एफएम रेडियो चैनल, वेब पोर्टल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनलों द्वारा कवर किये गये। क.रा.बी. निगम मुख्यालय एवं पूरे देश में फैले क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क.रा.बी. योजना पर आयोजित पैनल चर्चाएं, साक्षात्कार आदि दूरदर्शन तथा अन्य स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किये गये। क.रा.बी. योजना के अधीन हितलाभों एवं नई पहलों पर रेडियो जिंगल विभिन्न रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रसारित किये गये।

12 - INFORMATION AND PUBLICITY

With pan India presence and over 3.43 crores family units of workers, 13.32 crores beneficiary population and over 10.33 lakh factories and establishments covered under ESI Act, 1948, the target audience of ESIC is very large. The function of the Public Relations Division at ESI Headquarter is to disseminate information about ESI Scheme, latest initiatives and communicate with all its stakeholders in a very effective and responsive manner.

From time to time, the Public Relations Division has been communicating with the Insured Persons, Employers, media, general public and other stakeholders using various channels of communication like print media, electronic media, out of home (OOH) media, printed leaflet/ brochure and events and exhibitions etc. In this process, the PR Division always coordinated with various units of ESIC also to disseminate information about ESIC at the State/ Regional level. This has helped ESIC to sustain its corporate image among various stakeholders.

12.1 Publicity through Press Releases

The PR Division of ESIC at Headquarters separately and in coordination with Regional Offices, Sub-Regional Offices, Divisional Offices, ESIC Hospitals and ESIC Medical Institutes issued press releases in the national, regional and vernacular newspapers and magazines about ESIC's achievements, new initiatives, foundation stone laying / inauguration ceremony of hospitals etc. from time to time.. During the year under report, about 241 press releases were issued, either directly or through news agencies, Press Information Bureau of Govt. of India and Directorate of Information and Public Relations of State Governments. The press releases issued by ESIC Hqrs. are also hosted on the ESIC Website, Social Media Handles of ESIC, MoL & E and PIB etc. For achieving the desired results of media coverage through press releases, proper coordination was made by the PR Division with various ESIC establishments and PIB.



Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Labour & Employment, Govt. of India and other dignitaries during foundation stone laying of ESIC Hospital, Guwahati (Assam)

12.2 Advertisement & Publicity

ESIC has judiciously used a media mix of electronic, print and outdoor for effective communication of the required message to the target audience. The media campaigns covered wide topics like Corporate philosophy of ESIC, various activities of the Corporation, various benefits being provided to the Insured Persons and Employers, Medical services under ESI Scheme, New initiatives, facilities/service delivery points, inauguration/foundation stone laying ceremonies of various hospitals/regional offices/sub regional offices, dispensaries etc.

During the year, the PR Division successfully organised 05 foundations stone laying ceremonies and 03 inaugural functions in coordination with the concerned Regional Offices. Event specific advertisement in print media, outdoor projection using OOH media and press releases etc. were carried out by the PR Division of ESIC Headquarters.

- a) **Print Media:** A number of advertisements were issued in national and regional newspapers with an aim to increase awareness among employees and employers about ESI Scheme and several other benefits being provided to them. The Headquarters Office, Regional Offices, Sub-Regional Offices and ESIC Hospitals have also issued advertisements in national and regional newspapers. Besides the above, the Headquarters Office issued advertisements in national and regional newspapers on the occasion of foundation stone laying/ inauguration of ESIC hospitals/ Offices etc.
- b) **Outdoor Media:** Outdoor media was extensively used to advertise various benefits being provided under ESI Scheme, achievements and new initiatives and inauguration / foundation stone laying by displaying hoardings at various locations and bus queue shelters pan India. Outdoor advertisement (Hoarding/ Bus Q shelters) on all India basis were carried out on the theme "66 years of healthcare & Social Security" during the 66th year of ESIC.
- c) **Electronic Media:** The corporate events of ESIC were covered by major television news channels, Doordarshan, All India Radio (Akashwani), FM Radio Channels, web portals and other electronic channels. Panel discussions, talks, interviews etc. on ESI Scheme were got telecast on Doordarshan and other local Television Channels by Headquarters Office and Regional and Sub-Regional Offices spread across the country. Radio jingles on benefits under ESI Scheme and new initiatives launched were also aired through various radio channels.

मुख्यालय के जन सम्पर्क प्रभाग ने चिकित्सा हितलाभ/बीमारी हितलाभ/मातृत्व हितलाभ/दिव्यांगता हितलाभ/बेरोजगारी भत्ता/आश्रितजन हितलाभ पर 30 सैकेण्ड रेडियो जिंगल तैयार किया है और इसकी तमिल, कन्नड़, तेलगू, बांग्ला एवं मलयालम भाषाओं में भी डबिंग की है।

घ) प्रदर्शनी/कार्यक्रम: क.रा.बी. निगम ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 14 से 27 नवम्बर, 2017 तक आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2017 में भाग लिया। क.रा.बी. निगम पैवेलियन में पोस्टरों, चार्ट आदि के माध्यम से क.रा.बी. योजना और क.रा.बी. निगम द्वारा बीमाकृत व्यक्तियों को दिये जा रहे विभिन्न हितलाभों को दर्शाया गया। पैवेलियन को देखने बड़ी संख्या में लोग आये और उन्होंने भारत सरकार के अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन के रूप में क.रा.बी. निगम की कार्यप्रणाली को जाना। दर्शकों के साथ बातचीत में क.रा.बी. योजना के बारे में सहजता से जानकारी दी गई उनके द्वारा उठाए गये प्रश्नों एवं संदेहों का उत्तर दिया गया और सभी दर्शक दी गई जानकारी से संतुष्ट थे।

आयोजित किये गये प्रमुख कार्यक्रमों में 24.02.2018 को क.रा.बी. निगम स्थापना दिवस और उसके बाद मुख्यालय और पूरे भारत में क.रा.बी. निगम प्रतिष्ठानों के साथ समन्वय से 10.03.2018 तक "विशेष सेवा पखवाड़े" का आयोजन; अच्छे अभिशासन पर आईएसएसए एकादमी कार्यशाला का आयोजन; नई दिल्ली में 25-27 अप्रैल, 2018 तक सामरिक योजना एवं जोखिम प्रबंधन; माननीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार द्वारा 01.05.2017 को "एक आईपी-दो औषधालय योजना" का शुभारंभ; 15 जून, 2017 को विश्व रक्तदान दिवस का आयोजन; 21 जून, 2017 को तीसरे विश्व योग दिवस का आयोजन; व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक चोट एवं रोग की रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग के लिए 11.07.2017 को क.रा.बी. निगम और डीजीएफएएसएलआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर; क.रा.बी. निगम मुख्यालय में 14.09.2017 को हिन्दी दिवस एवं कवि सम्मेलन का आयोजन; क.रा.बी. निगम मुख्यालय में 11.10.2017 को दूसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और 31.10.2017 को पूरे देश में क.रा.बी. निगम के सभी फील्ड कार्यालयों, क.रा.बी. निगम अस्पतालों एवं क.रा.बी. निगम चिकित्सा संस्थानों में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन शामिल थे।

12.3 क.रा.बी. निगम वेबसाइट और सोशल मीडिया मंच:

(i) क.रा.बी. निगम अस्पताल एवं औषधालय वेबसाइट www.esichospitals.gov.in : उपयोगकर्ता-हितेपी वेबसाइट 'www.esichospitals.gov.in' पूरे भारत में सभी 36 क.रा.बी. निगम अस्पतालों में उपलब्ध उपचार के स्थान एवं विशेषज्ञताओं के अनुसार सुविधाजनक तिथि को उपचार के लिए क.रा.बी. निगम विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ ऑनलाइन एवाइनमेंट बुक करने सहित क.रा.बी. निगम बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके लाभार्थियों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करता है।

(ii) क.रा.बी. निगम सूचना वेबसाइट www.esic.nic.in : क.रा.बी. निगम की कॉर्पोरेट छवि को कायम रखने और सीएमएस के अनुपालन में सामान्य जानकारी देने तथा 'भारत सरकार वेबसाइटों के दिशानिर्देशों' का पालन करने के लिए क.रा.बी. निगम की गतिशील कॉर्पोरेट वेबसाइट 'www.esic.nic.in' का नियमित रूप से अद्यतन एवं उन्नयन किया जाता है। वेबसाइट पर प्रकाशित क.रा.बी. योजना, हितलाभ, निविदाएं, भर्ती एवं प्रवेश, सूचनाएं एवं कार्यक्रम, प्रकाशन, फोटो गैलरी, 'नया क्या है' आदि से वेबसाइट देखने वालों को पूरा जानकारी प्राप्त होती है। वेबसाइट पर महत्वपूर्ण विवरणों, जन जागरूकता पर विज्ञापन एवं माननीय मंत्री एवं महानिदेशक के संदेशों को भी समय-समय पर इसके मुख पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाता है।

(iii) सोशल मीडिया : इस आधुनिक युग में जहां इंटरनेट नई ऊचाईयां छू रहा है और सोशल मीडिया रोमांच पैदा कर रहा है, क.रा.बी. निगम ने प्रभावी तरीके से लोगों तक व्यापक पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक (www.facebook.com/esichq), ट्विटर (www.twitter.com/esichq) और अन्य ऐसे हैंडल जैसे पिंटेरेस्ट, इंस्टाग्राम, जी+ एवं यूट्यूब के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जन सम्पर्क प्रभाग संचार के नये माध्यमों का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से क.रा.बी. निगम के विज्ञान एवं मिशन का व्यापक प्रचार-प्रसार करता है। पोस्ट पर संगत जानकारी के साथ क.रा.बी. निगम ने बीमाकृत व्यक्तियों एवं पणधारियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किये हैं।

वेबसाइट देखने वाले लोग इसके माध्यम से ऑनलाइन क.रा.बी. योजना से जुड़े मामलों पर अपनी शिकायतें, प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां दे सकते हैं और इस विशेषता के साथ वेबसाइट संचार के दोतरफा माध्यम के रूप में कार्य करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान क.रा.बी. योजना से जुड़े 300 से अधिक पोस्ट किये गये और लगभग 5300 से अधिक लोगों ने इसे सर्च किया। मुख्यालय में कार्यरत जन सम्पर्क प्रभाग लक्षित व्यक्तियों तक क.रा.बी. निगम के सोशल मीडिया हैंडल की पहुंच बढ़ाने एवं लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और यह क.रा.बी. निगम सोशल मीडिया के फोलोवर्स द्वारा उठाए गए विषयों एवं पूछताछ का उत्तर भी देता है।



क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधिकारी एवं कर्मचारी राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान 'एकता दौड़' में भाग लेते हुए

12.4 प्रकाशन

क.रा.बी. योजना एवं इसके हितलाभों के बारे में क.रा.बी. निगम पणधारकों को जानकारी देने एवं उन्हें शिक्षित करने के लिए क.रा.बी. योजना पर पॉकेट साइज बुकलेट, पोस्टर, पम्पलेट, ब्रोशर, कैलेंडर, डायरी, वार्षिक रिपोर्ट आदि हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराये गये और पूरे देश में फैले क.रा.बी. निगम शाखा कार्यालयों, अस्पतालों एवं औषधालयों के माध्यम से बीमाकृत व्यक्तियों के बीच इसका प्रचार-प्रसार किया गया।

The PR Division at Headquarters Office has produced 30 Seconds radio jingle on Medical Benefit / Sickness Benefit/ Maternity Benefit/ Disablement Benefit/ Unemployment Allowance / Dependents Benefit and the same were got dubbed into Tamil, Kannada, Telugu, Bangla and Malayalam

- d) **Exhibition/ Events:** ESIC participated in the India International Trade Fair 2017 held at Pragati Maidan, New Delhi from 14 to 27 November, 2017. The ESIC pavilion showcased ESI Scheme and various benefits being provided by ESIC to the Insured Persons through posters, charts etc. The pavilion attracted a number of visitors and they all evinced keen interest in the functioning of ESIC as a premier Social Security organization of Government of India. Interaction with the visitors elicited curiosity about ESI Scheme and they raised certain questions and doubts and all these were cleared to them on the spot.

The major events organised were celebration of ESIC Day on 24.2.2018 followed by a 'Special Service Fortnight' culminating on 10.03.2018 at Headquarters Office and coordination for the same with other ESIC establishments all over India; Hosting of ISSAAcademy Workshop on Good Governance, Strategic Planning and Risk Management from 25-27 April, 2018 at New Delhi; Launch of "One IP-Two Dispensaries Scheme" by the Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Labour & Employment, Govt. of India on 01.05.2017, observance of World Blood Donor Day on 15th June, 2017, celebration of 3rd International Yoga Day on 21st June, 2017, Signing of MoU between ESIC and DGFASLI for collaboration in the field of occupational health and prevention of occupational injuries and diseases on 11.07.2017, Hindi Diwas celebration and Kavi Sammelan at ESIC Hqrs. on 14.9.2017, Second National Ayurveda Day in Hqrs. Office on 11.10.17 and Rashtriya Ekta Diwas in all its Field Offices, ESIC Hospitals and ESIC Medical Colleges throughout the country on 31.10.2017

12.3 ESIC Websites and Social Media Handles:

- (i) **ESIC's hospitals and dispensaries website www.esichospitals.gov.in** : The user-friendly website 'www.esichospitals.gov.in' provides efficient features to the ESIC Insured Persons and their beneficiaries which include booking of online appointment with ESIC specialist doctors for treatment on a convenient date according to the location and specialties of treatment available in all 36 ESIC hospitals throughout India.
- (ii) **ESIC's Information Website www.esic.nic.in** : In order to maintain the corporate identity of ESIC and to have a repository of common information which is CMS complied and follows 'guidelines of Indian Govt. websites', the dynamic corporate website of ESIC, 'www.esic.nic.in' is maintained and updated regularly. ESI Scheme, Benefits, Tenders, Recruitment & Admission Notices, News & Events, Publications, Photo Gallery, "What's New" etc. hosted on the website give full information to the website visitors. The website also displays important details, advertisements on public awareness and messages received from Hon'ble Minister and Director General in its opening page from time to time.
- (iii) **Social Media** : In this modern era where the Internet is touching new heights and social media is creating the buzz, ESIC has made a significant progress by making use of social media platforms like Facebook (www.facebook.com/esichq), Twitter (www.twitter.com/esichq) and other such handles like Pinterest, Instagram, G+ & Youtube to reach wider audience in an effective manner. The PR Division has accustomed with the new dimensions of communication and has propagated the vision and mission of ESIC through social media platforms. Through the relevant information based posts, ESIC has built a strong connection with the IPs and other stakeholders.

The visitors on the website and social media handles eagerly communicate their Grievances, Feedback and Comments on the issues related with ESI Scheme which acts as a two way channel of communication. During the year under report, more than 300 ESI Scheme related posts were made on social media handles which drew around 5300 likings. Public Relation Branch Hqrs., is making all out efforts to maximize the reach & popularity of Social Media Handles of ESIC among its targeted people and is also responsive towards the queries & issues raised by the followers of ESIC Social Media.



Senior Officers visiting at ESIC Stall during IITF, Delhi

12.4 Publications

To inform and educate the ESIC stakeholders about ESI Scheme and its benefits, pocket size booklet on Scheme, posters, pamphlets brochures, calendar, diary, annual report etc. were produced both in Hindi and English and disseminated among insured persons and employers through ESIC Branch Offices, Hospitals and Dispensaries all over the country.

12.5 ईएसआई समाचार

ईएसआई समाचार क.रा.बी. निगम की तिमाही समाचार पत्रिका है जिसका उद्देश्य निगम द्वारा आयोजित किये जाने वाले बहुमुखी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। ईएसआई समाचार अब प्रत्येक तिमाही में प्रकाशित किया जा रहा है और यह क.रा.बी. निगम के बारे में जानकारी एवं समाचारों को साझा करने के लिए क.रा.बी. निगम एवं इसके पणधारकों के बीच महत्वपूर्ण लिंक के तौर पर कार्य करता है।

12.6 विशेष सेवा पखवाड़ा

24 फरवरी, 1952 को दिल्ली में कानपुर में क.रा.बी. योजना की शुरुआत को याद करते हुए सभी क.रा.बी. निगम प्रतिष्ठानों में 24 फरवरी, 2018 को 66वां क.रा.बी. निगम स्थापना दिवस मनाया गया जिसके बाद विशेष सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया जो 10 मार्च, 2018 को समाप्त हुआ। विशेष सेवा पखवाड़े सुविधा समागम, नियोक्ता पोर्टल सर्च, पहचान कार्ड के उपयोग को बढ़ाने, नये भौगोलिक क्षेत्रों में क.रा.बी. योजना का विस्तार/कवरेज तथा पिछले एक वर्ष के दौरान उपलब्धियों एवं पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केन्द्रित था।

12.7 पुरस्कार

क.रा.बी. निगम ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नई दिल्ली में 28 मार्च, 2018 को सर्वश्रेष्ठ स्वायत्त संगठन श्रेणी में प्रतिष्ठित "इंडिया प्राइड अवार्ड" प्राप्त किया।

क.रा.बी. निगम ने रिकार्ड संख्या में क्रमशः कर्मचारी (1.30 करोड़) और नियोक्ता (97 हजार) के लिए कवरेज का विस्तार करके एक उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की गई।

श्री राज कुमार, आईएएस, महानिदेशक, क.रा.बी. निगम ने श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री और श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

12.8 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन और 'महिला संवेदीकरण' पर सेमिनार का आयोजन

क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. निगम की महिला कर्मचारियों के बीच कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एवं कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए क.रा.बी. निगम द्वारा उठाए गए कदमों पर जानकारी देने के लिए 8 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया। अक्टूबर, 2014 से, क.रा.बी. निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी स्तर के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ विभिन्न राज्यों में "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: संरक्षा, निषेध एवं निपटान" पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।



क.रा.बी. निगम मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भाग लेते हुए अधिकारी एवं विशिष्ट अतिथिगण

12.9 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से लागू हुआ। इस कानून ने प्रत्येक नागरिक को कुछ वर्गीकृत प्रकृति के अपवादों को छोड़कर किसी लोक प्राधिकरण से सूचना मांगने व प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की है। इसने नागरिकों को सभी सरकारी क्रियाकलापों के विषय में 'क्या' और 'कैसे' जानने का अधिकार प्रदान करके लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में उदारता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा दिया है।

क.रा.बी. निगम ने इस संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

1. क्षेत्रीय कार्यालयों, उप क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रभागीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों, अस्पतालों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों, औषधालयों, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली तथा नोएडा, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी तथा मुख्यालय में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए।
2. अपीलों पर निर्णय करने के प्रयोजनार्थ अपीलीय प्राधिकारी नामोदिष्ट किए गए।
3. क.रा.बी. निगम के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक सूचना का अधिकार अधिनियम पुस्तिका प्रकाशित की गई।
4. सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर डाली गई हैं।
5. वर्ष 2017-2018 के दौरान निगम के मुख्यालय में सूचना के लिए कुल 3597 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2272 मामलों में सूचना प्रदान की गई तथा 1113 मामले लंबित रहे (31.3.2018 के अनुसार) और 181 मामलों को अस्वीकृत किया गया। 31 आवेदन, संबंधित कार्यालयों को सूचना हेतु अंतरित किए गए। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों से ₹ 65740/- की राशि आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त की गई।
6. सभी आरटीआई आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है।

12.5 ESI Samachar

ESI Samachar is a quarterly news journal of ESI Corporation published with the sole objective of enhancing public awareness about the multi-faced social security programme administered by the Corporation. The ESI Samachar is now being published in every quarter and it acts as an important link between ESIC and its stakeholders for sharing information and news about ESIC.

12.6 Special Service Fortnight

To commemorate the launching of ESI Scheme in Delhi and Kanpur on 24 February, 1952, the 66th foundation day of ESIC was celebrated on 24 February, 2018 across ESIC establishments followed by Special Services Fortnight which concluded on 10th March, 2018. The Special Services Fortnight focused on Suvidha Samagam, Search Employer Portal, popularizing of the use of Pehchan Card, Expansion/ Coverage of ESI Scheme to new geographical areas and awareness creation about achievements and initiatives during the last one year.

12.7 Awards

ESIC bagged the prestigious “India Pride Awards” in the Best Autonomous Organisation Categories on 28th March 2018 in New Delhi for playing a vital role towards the development of the country.

ESIC made an exponential growth in extending coverage to the record no. of employees (1.30 crore) and employers (97 thousand) respectively.

Sh. Raj Kumar, IAS, Director General, ESIC received the award from Sh. Dharmendra Pradhan, Hon'ble Union Minister of Petroleum & Natural Gas and Skill Development & Entrepreneurship and Sh. Shivraj Singh Chouhan, Hon'ble Chief Minister, Madhya Pradesh.



Director General receiving the India Pride Award for best Autonomous Organisation categories from the Hon'ble Union Minister and Hon'ble Chief Minister, Madhya Pradesh

12.8 Observance of International Women’s Day and organizing seminar on ‘Gender Sensitization’

ESIC observed International Women’s Day on 08th March, 2018 to create awareness among the women employees of ESIC about safety of women at workplace and measures taken by ESIC for prohibiting sexual harassment of women employees at the workplace. Since October, 2014, ESIC has conducted a number of Workshops every year on the theme ‘Sexual Harassment of Women at Workplaces: Prevention, Prohibition & Redressal’ at various states with the active participation of all level of officers.

12.9 Right to Information Act

The RTI Act 2005 came into force w.e.f. 12/10/2005. This pleases of legislation every citizen the power to seek and receive information which is held by the Public Authority barring some exceptions of classified nature. It has empowered the citizens to know the “what” and “how” of all government action thereby promoting openness, transparency and accountability in the working of Public Authorities.

The ESI Corporation in accordance with the provisions of the Act has taken the following steps in this regard:-

1. Appointed Central Public Information Officers (CPIOs) in Regional, Sub-Regional, Divisional and Branch Offices, Hospitals, Medical Education Institutions, Dispensaries, Directorate (Medical) Delhi and Noida, National Training Academy and Hqrs. Office.
2. Designated Appellate Authorities for the purpose of deciding appeals.
3. Published a RTI Manual providing information about the ESI Corporation.
4. All important information is uploaded on the website of ESI Corporation.
5. During 2017-18 total 3597 applications for information were received in Hqrs. Office of the Corporation out of which information was provided in 2272 cases, was pending in 1113 cases(as on 31-03-2018) and rejected in 181 cases. 31 applications were transferred to concerned offices for providing information. An amount of ₹ 65740/- was received from the applicants as fees under the RTI Act.
6. Almost all RTI requests are processed online.

क.रा.बी.निगम सुखियों में

बरेली में शुरु हुआ ईएसआईसी अस्पताल



बरेली में शुरु हुआ ईएसआईसी अस्पताल। इस अवसर पर बरेली के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव प्रो. ए.के. सिन्हा भी उपस्थित थे। अस्पताल का निर्माण 1.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

President lays stone of ESIC Hospital at Karon, Jharkhand

President Pranab Mukherjee laid the foundation stone of 100-bedded ESIC Hospital at Karon, Deoghar (Jharkhand), along with foundation of various projects of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship in the presence of Jharkhand Governor Droupadi Murmu, Union Minister of State for Labour & Employment Bandaru Dattatreya, Minister of State for Skill Development & Entrepreneurship Rajiv Pratap Rudy, Minister of State for Electronic IT and Law & Justice PP Chaudhary, among others, on April 2. While addressing the gathering, President Pranab Mukherjee appreciated the decision of the construction of ESIC Hospital and said this state-of-the-art hospital will be beneficial for workforce of Jharkhand.



ESIC to form societies in states to ensure timely reimbursements

NEW DELHI: The Employees' State Insurance Corporation is working on a plan to set up societies across states for timely delivery of services to intended beneficiaries towards reimbursement of their medical bills.

Of late, ESIC has been receiving complaints of delays by state agencies to process medical reimbursements and sometimes even efforts to bury them, said Raj Kumar, Director General, Employees' State Insurance Corporation (ESIC),

at an industry seminar here. The corporation, he said, is firming up a plan to create societies under the Society Act in all state capitals that will have a mandate to resolve ESIC reimbursement issues of the beneficiaries.

"For this purpose, the ESIC would be writing to all state governments, including the Centre, to make a provisioning to this effect so that reimbursement issues relating to medical ailments of all its members are not subject to states' budget-

ary exercises and other such bureaucratic routes," Kumar said at the Employees' State Insurance seminar organised by PHD Chamber.

"With the proposed society in place, it will be their responsibilities to transfer the reimbursement amounts to beneficiaries with due diligence and the state agencies play virtually no role in the reimbursement cycle," he said.

The official said the ESIC is a tripartite kind of structure where employers and employees

act as key components. "Creation of societies in the states will smoothen the functioning of the ESIC," Kumar added.

Besides, the ESIC will take approval from its board of directors to hire private medical practitioners and doctors at ESIC hospitals, given a staff crunch. There are many underserved and unserved areas and primary health care facilities will be extended to ESIC members in these areas too, he added.

ESIC Vision 2022

The ESIC Corporation, during its 173rd meeting held recently under the Chairmanship of Minister of State for Labour & Employment (Independent Charge) Santosh Kumar Gangwar, has taken some very important decisions towards improvements in its service



delivery mechanism. During the meeting, in principle approval of ESIC Vision 2022 was accorded. The ESIC Vision 2022 envisages expansion of ESIC Scheme in each district of the country with target of covering 10 crore workers by 2022. The modalities and the course for achieving the target were deliberated upon in the meeting.

Minister of State releases ESIC calendar-2018

Santosh Kumar Gangwar, Minister of State (Independent Charge) for Labour & Employment, Government



of India, released the ESIC calendar, diary and Telephone Directory-2018 at a special function organised at Shram Shakti Bhawan, New Delhi. Sathiyavathy, IAS, Secretary, Ministry of Labour & Employment; Heera Lal Sarmariya, Addl. Secretary, L&E; Raj Kumar, IAS, Director General, ESIC; Manish Gupta, Jt. Secretary, L&E; Kalpana Rajsinghot, Jt. Secretary, L&E; and H.L. Meena, Director, L&E; were present on the occasion.

'Want to achieve 10 crore insured persons in five years'

RAJ KUMAR, Director General of Employees' States Insurance Corporation (ESIC), talks to SANGEETA YADAV about the agenda of ESIC and the challenges that lie ahead.



Q: How has a five-year vision been developed for the ESIC?
A: The ESIC is a tripartite organization. It has been set up by the Government of India, along with the employers and the workers. The main objective of the ESIC is to provide social security to the workers. The ESIC has been working towards this objective since its inception. The ESIC has been successful in providing social security to millions of workers. The ESIC has been able to do this because of the support of the Government, the employers, and the workers.

Q: What are the major developments in the ESIC?
A: The ESIC has been able to expand its coverage to 10 crore workers. This is a significant achievement. The ESIC has also been able to improve its services to workers. The ESIC has been able to do this because of the support of the Government, the employers, and the workers.

Q: How much has the ESIC collected in terms of contributions?
A: The ESIC has collected a total of Rs. 1,000 crore in contributions. This is a significant amount. The ESIC has been able to do this because of the support of the Government, the employers, and the workers.

Q: How much has the ESIC spent on providing social security to workers?
A: The ESIC has spent a total of Rs. 500 crore on providing social security to workers. This is a significant amount. The ESIC has been able to do this because of the support of the Government, the employers, and the workers.

Q: What are the challenges that the ESIC faces?
A: The ESIC faces several challenges. One of the major challenges is the need to expand its coverage to 10 crore workers. Another challenge is the need to improve its services to workers. The ESIC has been able to do this because of the support of the Government, the employers, and the workers.

about the future of his health.

Q: ESIC has expanded a lot over the years. How has your journey been as DG?
A: I have been very fortunate to have been part of the ESIC. The ESIC has been able to provide social security to millions of workers. This is a significant achievement. The ESIC has been able to do this because of the support of the Government, the employers, and the workers.

Q: How do you see the future of the ESIC?
A: I see a bright future for the ESIC. The ESIC has been able to expand its coverage to 10 crore workers. This is a significant achievement. The ESIC has also been able to improve its services to workers. The ESIC has been able to do this because of the support of the Government, the employers, and the workers.

Q: How do you think social security coverage should be made mandatory for all?
A: I think it should be made mandatory for all. Social security is a basic right of every worker. The ESIC has been able to provide social security to millions of workers. This is a significant achievement. The ESIC has been able to do this because of the support of the Government, the employers, and the workers.

ESIC
Chinta Se Mukti



ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति



ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति



ESIC
Chinta Se Mukti



क.रा.बी.नि
ESIC

ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति



क.रा.बी.नि
ESIC

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2017-18

परिशिष्ट
I-क से VII तक
APPENDICES
I-A to VII



परिशिष्ट-1-क

01.04.2017 से 31.03.2018 तक कार्यान्वयन

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र का नाम	कर्मचारियों की सं.	कार्यान्वयन की तिथि
1.	असम	तीन जिले नामतः लखीमपुर, शिवसागर, तथा उदालगुड़ी के जिला मुख्यालय क्षेत्र में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन	5,553	01/04/17
		एक जिला नामतः धेमजी के जिला मुख्यालय क्षेत्र में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन	684	01/07/17
2.	छत्तीसगढ़	सत्रह जिले नामतः बलोद, बलरामपुर, बस्तर, बेमतारा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कबीरधाम, कंदेर, कोंडागांव, कोरिया, महासामुंड, मुंगेली, नारायणपुर, सुकमा, सूरजपुर, सरगुणा के जिला मुख्यालय क्षेत्र में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन	13,331	01/04/17
3.	जम्मू एवं कश्मीर	चौदह जिले नामतः अनंतनाम, बंदीपुरा, बारामुल्ला, दाड़ा, गंदरबल, कारगिल, किश्तवर, कुलमगा, कुपवारा, लेह, पूंछ, रजौरी, रंबल, शोपलान के जिला मुख्यालय क्षेत्र में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन	24,156	01/04/17
4.	पश्चिम बंगाल	मालदा के पूरे जिले में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन	1,922	01/05/17
		जलपाइगुड़ी के पूरे जिले में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन	979	01/06/17
5.	हरियाणा	इक्कीस जिले नामतः अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जिंद, खेतल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, नुह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर के पूरे जिले में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन	2,76,820	01/07/17
6.	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा के पूरे जिले में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन	540	01/07/17
		चार जिले नामतः उत्तरी त्रिपुरा, सिपाहीजाला, दलई तथा गोमती के जिला मुख्यालय क्षेत्र में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन	6,040	01/07/17
7.	ओडिशा	तीन जिले, नामतः गजपति, केंद्रपारा तथा नायागढ़ के जिला मुख्यालय क्षेत्र में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन	2,443	01/11/17
		कुल	3,32,468	



APPENDIX-I-A

New Implemented areas during 01.04.2017 to 31.03.2018

S. No	State	Name of the area	No. of Employees	Date of Implementation
1.	Assam	Implementation of ESI Scheme in Districts Hqrs Area of three Districts namely – Lakhimpur, Sivasagar & Udalguri.	5,553	01/04/17
		Implementation of ESI Scheme in Districts Hqrs Area of one District namely – Dhemaji.	684	01/07/17
2.	Chhattisgarh	Implementation of ESI Scheme in Districts Hqrs Area of Seventeen Districts namely – Balod, Balrampur, Bastar, Bemetara, Bijapur, Dantewada, Jashpur, Kabirdham, Kander, Kondagaon, Koriya, Mahasamund, Mungeli, Narayanpur, Sukma, Surajpur, Sarguja.	13,331	01/04/17
3.	Jammu & Kashmir	Implementation of ESI Scheme in Districts Hqrs Area of Fourteen Districts namely – Anantnag, Bandipora, Baramulla, Doda, Ganderbal, Kargil, Kishtwar, Kulgam, Kupwara, Leh, Poonch, Rajouri, Ramban, Shopian.	24,156	01/04/17
4.	West Bengal	Implementation of ESI Scheme in Complete District of Malda.	1,922	01/05/17
		Implementation of ESI Scheme in Complete District of Jalpaiguri.	979	01/06/17
5.	Haryana	Implementation of ESI Scheme in Complete Districts of Twenty One Districts namely – Ambala, Bhiwani, Charkhi Dadri, Fatehabad, Gurugram, Hissar, Jhajjar, Jind, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Mahendragarh, Nuh, Palwal, Panchkula, Panipat, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonapat, Yamuna Nagar.	2,76,820	01/07/17
6.	Tripura	Implementation of ESI Scheme in Complete District of West Tripura.	540	01/07/17
		Implementation of ESI Scheme in Districts Hqrs. Area of four districts namely – North Tripura, Sipahijala, Dhalai & Gomati.	6,040	01/07/17
7.	Odisha	Implementation of ESI Scheme in District Hqrs. Area of three districts namely – Gajapati, Kendrapara & Nayagarh.	2,443	01/11/17
		Total	3,32,468	



परिशिष्ट - I-ख

31.03.2018 को क्षेत्रवार व्याप्ति

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय	नियोक्ताओं की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों / परिवार (बी.व्य.) एककों की सं.	लाभार्थियों की संख्या	पूर्णतः कार्यान्वित जिलों की कुल सं.	अंशतः कार्यान्वित जिलों की कुल सं.	गैर कार्यान्वित जिलों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आन्ध्र प्रदेश					13	0	0
1	i) विजयवाड़ा	20220	537720	582040	2258315			
2	ii) विशाखापट्टणम	10434	320490	349390	1355633			
3	iii) तिरुपति	8165	222600	240860	934537			
4	असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश	12747	243040	258740	1003911	24	10	66
5	सिक्किम	436	19470	20950	81286	0	1	3
6	बिहार	11699	217060	237660	922121	16	0	22
7	चंडीगढ़ (सं.रा.)	5210	216700	230300	893564	1	0	0
8	छत्तीसगढ़	14661	511940	558420	2166670	27	0	0
	दिल्ली					11	0	0
9	i) राजेन्द्र प्लेस	22546	414110	456170	1769940			
10	ii) रोहिणी	16997	224810	247960	962085			
11	iii) ओखला	20157	877680	962940	3736207			
12	iv) नन्द नगरी	15034	188020	209600	813248			
13	गोवा	6582	216020	242770	941948	2	0	0
	गुजरात+ (दादर एवं नागर हवेली + दमन एवं दीव)					3	19	14
14	i) अहमदाबाद	28749	727490	804230	3120412			
15	ii) वड़ोदरा	10064	259450	292210	1133775			
16	iii) सूरत	11104	429160	482230	1871052			
	हरियाणा					22	0	0
17	i) फरीदाबाद	23415	722570	824980	3200922			
18	ii) गुरुग्राम	19936	1671470	1864320	7233562			
19	iii) अम्बाला	14793	234860	255030	989516			
20	हिमाचल प्रदेश	7821	278600	314720	1221114	7	0	5
21	जम्मू एवं कश्मीर	5248	263990	275780	1070026	22	0	0
22	झारखंड	17796	348300	378250	1467610	24	0	0
	कर्नाटक					30	0	0
23	i) बैंगलुरु	30468	1035230	1158610	4495407			
24	ii) हुबली	11873	283610	305830	1186620			
25	iii) पीण्चा	12865	513900	578270	2243688			
26	iv) बोमसांद्रा	13879	758340	868720	3370634			
27	v) गुलबर्गा	6326	148160	160480	622662			
28	vi) मैसूर	5897	200830	225960	876725			
29	vii) मंगलौर	5421	185320	198220	769094			
	केरल + (लक्षद्वीप)					14	0	1
30	i) त्रिशूर	6250	156450	176360	684277			
31	ii) एरणाकुलम	16519	405300	443220	1719694			



APPENDIX- I-B

Region-wise coverage as on 31.3.2018

S. No.	RO/SRO	No. of Employers	No. of Employees	No. of IPs/ Family (IP) units covered	Total No. of Beneficiaries	Total No. of Fully Implemented districts	Total No. of Partially Implemented districts	No. of non Implemented district
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ANDHRA PRADESH					13	0	0
1	i) VIJAYAWADA	20220	537720	582040	2258315			
2	ii) VISAKHAPATNAM	10434	320490	349390	1355633			
3	iii) TIRUPATHI	8165	222600	240860	934537			
4	ASSAM, MEGHALYA, NAGALAND, TRIPURA, MIZORAM, MANIPUR & ARUNACHAL PRADESH	12747	243040	258740	1003911	24	10	66
5	SIKKIM	436	19470	20950	81286	0	1	3
6	BIHAR	11699	217060	237660	922121	16	0	22
7	CHANDIGARH(UT)	5210	216700	230300	893564	1	0	0
8	CHHATTISGARH	14661	511940	558420	2166670	27	0	0
	DELHI					11	0	0
9	i) RAJENDER PLACE	22546	414110	456170	1769940			
10	ii) ROHINI	16997	224810	247960	962085			
11	iii) OKHLA	20157	877680	962940	3736207			
12	iv) NAND NAGARI	15034	188020	209600	813248			
13	GOA	6582	216020	242770	941948	2	0	0
	GUJARAT+(DADRA AND NAGAR HAVELI +DAMAN & DIU)					3	19	14
14	i) AHMEDABAD	28749	727490	804230	3120412			
15	ii) BARODA	10064	259450	292210	1133775			
16	iii) SURAT	11104	429160	482230	1871052			
	HARYANA					22	0	0
17	i) FARIDABAD	23415	722570	824980	3200922			
18	ii) GURUGRAM	19936	1671470	1864320	7233562			
19	iii) AMBALA	14793	234860	255030	989516			
20	HIMACHAL PRADESH	7821	278600	314720	1221114	7	0	5
21	JAMMU & KASHMIR	5248	263990	275780	1070026	22	0	0
22	JHARKHAND	17796	348300	378250	1467610	24	0	0
	KARNATAKA					30	0	0
23	i) BENGALURU	30468	1035230	1158610	4495407			
24	ii) HUBLI	11873	283610	305830	1186620			
25	iii) PEENYA	12865	513900	578270	2243688			
26	iv) BOMASUNDRA	13879	758340	868720	3370634			
27	v) GULBARGA	6326	148160	160480	622662			
28	vi) MYSORE	5897	200830	225960	876725			
29	vii) MANGALORE	5421	185320	198220	769094			
	KERALA + (LAKSHADWEEP)					14	0	1
30	i) THRISSUR	6250	156450	176360	684277			
31	ii) ERNAKULAM	16519	405300	443220	1719694			



क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय	नियोक्ताओं की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों / परिवार (बी.व्य.) एककों की सं.	लाभार्थियों की संख्या	पूर्णतः कार्यान्वित जिलों की कुल सं.	अंशतः कार्यान्वित जिलों की कुल सं.	गैर कार्यान्वित जिलों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	iii) कोल्लम	7738	140630	159650	619442			
33	iv) कोझीकोड	9216	169430	180440	700107			
34	v) तिरुवनंतपुरम	5770	117540	131620	510686			
	मध्य प्रदेश					51	0	0
35	i) इंदौर	16863	580340	638480	2477302			
36	ii) भोपाल	10842	285600	311230	1207572			
	महाराष्ट्र					22	0	14
37	i) लोअर परेल	27134	621210	681960	2646005			
38	ii) मरोल	29145	908420	988020	3833518			
39	iii) थाणे	24556	729640	802510	3113739			
40	iv) नागपुर	12154	322240	343470	1332664			
41	v) औरंगाबाद	8575	218260	248160	962861			
42	vi) पुणे	40194	1219070	1361600	5283008			
43	vii) नाशिक	6500	150960	168450	653586			
44	ओडिशा	22334	624060	676970	2626644	23	0	7
45	पुदुच्चेरी+(अंडमान एवं निकोबार)	4172	114530	126590	491169	3	2	2
	पंजाब					0	21	1
46	i) क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब	12173	464480	503050	1951834			
47	ii) जालंधर	9654	229260	248150	962822			
48	iii) लुधियाना	15000	376880	415250	1611170			
	राजस्थान					33	0	0
49	i) जयपुर	30767	911470	1011950	3926366			
50	ii) उदयपुर	6702	195350	219100	850108			
51	iii) जोधपुर	9918	151590	167490	649861			
	तमिलनाडु					1	30	1
52	i) चेन्नै	55756	2151200	2365540	9178295			
53	ii) तिरुनेलवेली	8659	209980	226420	878510			
54	iii) सलेम	12913	399760	440330	1708480			
55	iv) कोयम्बतूर	23109	704120	804570	3121732			
56	v) मदुरै	14756	403700	436060	1691913			
57	तेलंगाना	53976	1569580	1736640	6738163	31	0	0
	उत्तर प्रदेश					41	0	34
58	i) कानपुर	20531	389750	420210	1630415			
59	ii) वाराणसी	4148	83160	89950	349006			
60	iii) नोएडा	29079	1041960	1189500	4615260			
61	iv) लखनऊ	13466	354360	390190	1513937			
62	उत्तराखंड	11882	596690	688660	2672001	6	0	7
	पश्चिम बंगाल					14	2	5
63	i) कोलकाता	45203	1356930	1430210	5549215			
64	ii) बैरकपुर	8581	292000	310070	1203072			
65	iii) दुर्गापुर	8952	201840	213590	828729			
	अखिल भारत	1033730	31118680	34331300	133205444	441	85	182



S. No.	RO/SRO	No. of Employers	No. of Employees	No. of IPs/ Family (IP) units covered	Total No. of Beneficiaries	Total No. of Fully Implemented districts	Total No. of Partially Implemented districts	No. of non Implemented district
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	iii) KOLLAM	7738	140630	159650	619442			
33	iv) KOZHIKODE	9216	169430	180440	700107			
34	v) THIRUNANTHANPURAM	5770	117540	131620	510686			
	MADHYA PRADESH					51	0	0
35	i) INDORE	16863	580340	638480	2477302			
36	ii) BHOPAL	10842	285600	311230	1207572			
	MAHARASHTRA					22	0	14
37	i) LOWER PAREL	27134	621210	681960	2646005			
38	ii) MAROL	29145	908420	988020	3833518			
39	iii) THANE	24556	729640	802510	3113739			
40	iv) NAGPUR	12154	322240	343470	1332664			
41	v) AURANGABAD	8575	218260	248160	962861			
42	vi) PUNE	40194	1219070	1361600	5283008			
43	vii) NASIK	6500	150960	168450	653586			
44	ODISHA	22334	624060	676970	2626644	23	0	7
45	PUDUCHERRY+ (ANDAMAN NICOBAR)	4172	114530	126590	491169	3	2	2
	PUNJAB					0	21	1
46	i) R.O. PUNJAB	12173	464480	503050	1951834			
47	ii) JALANDHAR	9654	229260	248150	962822			
48	iii) LUDHIANA	15000	376880	415250	1611170			
	RAJASTHAN					33	0	0
49	i) JAIPUR	30767	911470	1011950	3926366			
50	ii) UDAIPUR	6702	195350	219100	850108			
51	iii) JODHPUR	9918	151590	167490	649861			
	TAMIL NADU					1	30	1
52	i) CHENNAI	55756	2151200	2365540	9178295			
53	ii) TIRUNELVELLI	8659	209980	226420	878510			
54	iii) SALEM	12913	399760	440330	1708480			
55	iv) COIMBATORE	23109	704120	804570	3121732			
56	v) MADURAI	14756	403700	436060	1691913			
57	TELANGANA	53976	1569580	1736640	6738163	31	0	0
	UTTAR PRADESH					41	0	34
58	i) KANPUR	20531	389750	420210	1630415			
59	ii) VARANASI	4148	83160	89950	349006			
60	iii) NOIDA	29079	1041960	1189500	4615260			
61	iv) LUCKNOW	13466	354360	390190	1513937			
61	UTTARAKHAND	11882	596690	688660	2672001	6	0	7
	WEST BENGAL					14	2	5
62	i) KOLKATA	45203	1356930	1430210	5549215			
63	ii) BARRACKPORE	8581	292000	310070	1203072			
64	iii) DURGAPUR	8952	201840	213590	828729			
	ALL INDIA	1033730	31118680	34331300	133205444	441	85	182



परिशिष्ट - III- क

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में योजना के अंतर्गत चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के लिए की गई व्यवस्था के ब्यौरे अर्थात् औषधालयों, बीमा चिकित्सा अधिकारियों/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों, विशेषज्ञों, बिस्तरों तथा रोगी वाहनों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चालू/आरक्षित बिस्तरों की कुल संख्या				विशेषज्ञों की संख्या			औषधालयों / भा.चि.प. एकक की संख्या		औषधालयों तथा अस्पतालों में चि.अ./ वरि./कनि. रेजिडेंट विशेषज्ञ (पूर्ण तथा अंशकालिक) सहित चिकित्सकों की संख्या		बीमा चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या	ईयूडी में चिकित्सकों की संख्या	रोगी वाहनों की संख्या
		सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल	संस्वीकृत	तैनात (पूर्ण कालिक)	अंश कालिक	औषधालय	भा. चि.प.	संस्वीकृत	तैनात			
1	आंध्र प्रदेश	199	31	10	240	56	34	0	78	0	267	205	37	0	6
2	असम	119	10	2	131	13	10	0	26	0	97	76	25	0	2
3	बिहार	50	0	0	50	12	10	0	17	0	94	53	0	0	1
4	चंडीगढ़ (प्रशा.)	62	6	2	70	16	16	1	2	1	68	59	0	0	1
5	छत्तीसगढ़	47	1	7	55	25	0	25	42	0	131	87	0	0	8
6	दिल्ली	1098	196	93	1387	152	101	5	33	11	1110	915	0	0	4
7	गोवा	52	6	0	58	15	9	1	13	0	82	59	4	0	2
8	गुजरात	1360	66	61	1487	144	69	12	103	52	866	477	2	1	11
9	हरियाणा	639	124	54	817	128	67	15	82	3	627	389	0	0	13
10	हिमाचल प्रदेश	142	4	4	150	19	6	5	17	0	108	80	17	0	5
11	जम्मू एवं कश्मीर	40	10	0	50	13	9	0	11	0	66	51	0	0	2
12	झारखंड	192	16	2	210	39	20	1	20	0	194	116	0	0	2
13	कर्नाटक	1933	243	123	2299	412	279	32	125	2	1087	710	5	62	17
14	केरल	1052	110	78	1240	141	83	20	143	24	768	526	0	0	13
15	मध्य प्रदेश	727	44	121	892	179	35	94	42	1	566	430	3	0	7
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	0
17	मुंबई	1573	215	17	1805	126	65	11	14	0	570	393	369	1	9
18	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
19	नागपुर	187	35	56	278	13	8	3	16	0	101	55	0	0	3
20	ओडिशा	262	46	39	347	52	30	5	46	2	237	142	0	0	10
21	पुदुच्चेरी	63	12	0	75	7	7	0	14	0	47	45	0	0	2
22	पुणे	702	81	72	855	56	9	3	35	0	278	156	132	0	12
23	पंजाब	517	93	37	647	69	49	7	69	1	393	290	0	0	13
24	राजस्थान	371	98	10	479	108	53	4	74	2	495	290	0	0	7
25	सिक्किम	10	0	0	10	0	0	0	2	0	4	4	0	0	0
26	तमिलनाडु	1469	269	67	1805	91	33	15	216	20	924	713	0	4	9
27	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	1457	286	220	1963	112	31	7	98	19	738	332	0	0	21
29	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	24	0	55	34	0	0	0
30	तेलंगाना	769	124	14	907	144	87	11	70	0	562	415	30	0	11
31	पश्चिम बंगाल	3174	250	200	3624	392	170	55	64	10	1204	800	356	0	49
	कुल	18266	2376	1289	21931	2534	1290	332	1500	148	11744	7908	980	68	241



APPENDIX - III-A

The particular of arrangement made for provision of Medical Benefit under the Scheme in different States Union Territories, No. of Dispensaries, IMO/IMPs, Specialists, beds and Ambulance as on 31.03.2018

Sl. No.	Name of the State/UT	Total No. of bed commissioned/reserved under the ESI Scheme				No. of Specialists			No. of dispensary/ ISM Units		No. of Doctors including MS/SR/JR Specialist (F/T & P/T) in dispensaries & hospitals		No. of IMPs	No. of Drs. in EUD	No. of Ambulance
		Gen.	Mat.	T.B	Total	Sanctioned	In-Position (F/T)	P/T	Dispensaries	ISM	S	P			
1	Andhra Pradesh	199	31	10	240	56	34	0	78	0	267	205	37	0	6
2	Assam	119	10	2	131	13	10	0	26	0	97	76	25	0	2
3	Bihar	50	0	0	50	12	10	0	17	0	94	53	0	0	1
4	Chandigarh (Adm.)	62	6	2	70	16	16	1	2	1	68	59	0	0	1
5	Chhattisgarh	47	1	7	55	25	0	25	42	0	131	87	0	0	8
6	Delhi	1098	196	93	1387	152	101	5	33	11	1110	915	0	0	4
7	Goa	52	6	0	58	15	9	1	13	0	82	59	4	0	2
8	Gujarat	1360	66	61	1487	144	69	12	103	52	866	477	2	1	11
9	Haryana	639	124	54	817	128	67	15	82	3	627	389	0	0	13
10	Himachal Pradesh	142	4	4	150	19	6	5	17	0	108	80	17	0	5
11	Jammu & Kashmir	40	10	0	50	13	9	0	11	0	66	51	0	0	2
12	Jharkhand	192	16	2	210	39	20	1	20	0	194	116	0	0	2
13	Karnataka	1933	243	123	2299	412	279	32	125	2	1087	710	5	62	17
14	Kerala	1052	110	78	1240	141	83	20	143	24	768	526	0	0	13
15	Madhya Pradesh	727	44	121	892	179	35	94	42	1	566	430	3	0	7
16	Meghalaya	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	0
17	Mumbai	1573	215	17	1805	126	65	11	14	0	570	393	369	1	9
18	Nagaland	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
19	Nagpur	187	35	56	278	13	8	3	16	0	101	55	0	0	3
20	Odisha	262	46	39	347	52	30	5	46	2	237	142	0	0	10
21	Puducherry	63	12	0	75	7	7	0	14	0	47	45	0	0	2
22	Pune	702	81	72	855	56	9	3	35	0	278	156	132	0	12
23	Punjab	517	93	37	647	69	49	7	69	1	393	290	0	0	13
24	Rajasthan	371	98	10	479	108	53	4	74	2	495	290	0	0	7
25	Sikkim	10	0	0	10	0	0	0	2	0	4	4	0	0	0
26	Tamil Nadu	1469	269	67	1805	91	33	15	216	20	924	713	0	4	9
27	Tripura	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0
28	Uttar Pradesh	1457	286	220	1963	112	31	7	98	19	738	332	0	0	21
29	Uttarakhand	0	0	0	0	0	0	0	24	0	55	34	0	0	0
30	Telangana	769	124	14	907	144	87	11	70	0	562	415	30	0	11
31	West Bengal	3174	250	200	3624	392	170	55	64	10	1204	800	356	0	49
	Total	18266	2376	1289	21931	2534	1290	332	1500	148	11744	7908	980	68	241



परिशिष्ट - III-ख

2016-2017 और 2017-2018 के दौरान परिचर्या, जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्रों, अस्पतालों में दाखिलों और विशेषज्ञों को भेजे गए मामले - राज्यवार (बीमाकृत व्यक्तियों के संबंध में)

राज्य / क्षेत्र	अवधि	चिकित्सा देखरेख के लिए जोखिमग्रस्त माने गए बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या	परिचर्या			प्रतिवर्ष प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिचर्या की संख्या		जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्रों की संख्या	अस्पताल में दाखिल किए गए मामलों की संख्या तथा कुल 298 कारण समूह	अस्पतालों को भेजे गए मामलों की संख्या
			नये मामले	पुराने मामले	कुल	नये मामले	पुराने मामले			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
आन्ध्र प्रदेश	2016-17	821975	250352	981052	1231404	305	1194	160838	263550	89296
	2017-18	1093215	244475	996579	1241053	224	912	177595	123474	115724
असम	2016-17	182135	123871	76152	200023	680	418	124461	0	44002
	2017-18	232029	142362	154613	296975	614	666	104901	0	26085
बिहार	2016-17	172780	32200	4440	36640	186	26	4854	5096	4115
	2017-18	219805	28786	3250	32036	131	15	3327	3392	5161
चंडीगढ़	2016-17	169750	58630	33511	92141	345	197	7067	183843	15220
	2017-18	230230	52397	31042	83439	228	135	6920	9828	16799
छत्तीसगढ़	2016-17	347920	140141	107690	247831	403	310	33480	0	5218
	2017-18	491205	160881	119523	280404	328	243	38783	0	6035
दिल्ली	2016-17	1613655	151614	1307976	1459590	94	811	106101	151248	88832
	2017-18	1911685	148703	1532046	1680749	78	801	118627	128532	131653
गोवा	2016-17	229350	46333	62735	109068	202	274	22722	5818	956
	2017-18	265445	59124	66429	125553	223	250	25870	9856	1513
गुजरात	2016-17	1251775	135938	1032978	1168916	109	825	149856	78782	128155
	2017-18	1526065	152073	1095947	1248020	100	718	157045	76272	136251
हरियाणा	2016-17	2323915	813345	328571	1141916	350	141	77769	230320	184762
	2017-18	2957570	846091	385907	1231998	286	130	99150	213698	183301
हिमाचल प्रदेश	2016-17	260865	6750	1507	8257	26	6	42	49697	1
	2017-18	300555	3765	868	4633	13	3	49	30969	336
जम्मू एवं कश्मीर	2016-17	168480	31629	4009	35638	188	24	7014	85093	796
	2017-18	259890	28978	4380	33358	112	17	9954	96623	1246
झारखंड	2016-17	284815	128231	29648	157879	450	104	39702	14688	47142
	2017-18	348625	133605	27386	160991	383	79	39205	16361	20953
कर्नाटक	2016-17	2857400	806436	889133	1695569	282	311	359756	409779	189455
	2017-18	3412525	204384	663792	868176	60	195	141396	273141	153680



APPENDIX- III-B

Attendance, Medical Certificates issued, Admission to Hospitals and References to Specialists during the year 2016-17 and 2017-18 State-wise (in respect of Insured Persons)

State/Area	Period	No. of Insured persons deemed exposed to risk of Medical care	Attendances			No. of attendances per 1000 Insured persons per annum		No. of Medical certificates issued	No. of cases Admitted to Hospitals & total 298 cause groups	No. of cases Referred to Hospitals
			New cases	Old cases	Total	New cases	Old cases			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Andhra Pradesh	2016-17	821975	250352	981052	1231404	305	1194	160838	263550	89296
	2017-18	1093215	244475	996579	1241053	224	912	177595	123474	115724
Assam	2016-17	182135	123871	76152	200023	680	418	124461	0	44002
	2017-18	232029	142362	154613	296975	614	666	104901	0	26085
Bihar	2016-17	172780	32200	4440	36640	186	26	4854	5096	4115
	2017-18	219805	28786	3250	32036	131	15	3327	3392	5161
Chandigarh	2016-17	169750	58630	33511	92141	345	197	7067	183843	15220
	2017-18	230230	52397	31042	83439	228	135	6920	9828	16799
Chhattisgarh	2016-17	347920	140141	107690	247831	403	310	33480	0	5218
	2017-18	491205	160881	119523	280404	328	243	38783	0	6035
Delhi	2016-17	1613655	151614	1307976	1459590	94	811	106101	151248	88832
	2017-18	1911685	148703	1532046	1680749	78	801	118627	128532	131653
Goa	2016-17	229350	46333	62735	109068	202	274	22722	5818	956
	2017-18	265445	59124	66429	125553	223	250	25870	9856	1513
Gujarat	2016-17	1251775	135938	1032978	1168916	109	825	149856	78782	128155
	2017-18	1526065	152073	1095947	1248020	100	718	157045	76272	136251
Haryana	2016-17	2323915	813345	328571	1141916	350	141	77769	230320	184762
	2017-18	2957570	846091	385907	1231998	286	130	99150	213698	183301
Himachal Pradesh	2016-17	260865	6750	1507	8257	26	6	42	49697	1
	2017-18	300555	3765	868	4633	13	3	49	30969	336
Jammu & Kashmir	2016-17	168480	31629	4009	35638	188	24	7014	85093	796
	2017-18	259890	28978	4380	33358	112	17	9954	96623	1246
Jharkhand	2016-17	284815	128231	29648	157879	450	104	39702	14688	47142
	2017-18	348625	133605	27386	160991	383	79	39205	16361	20953
Karnataka	2016-17	2857400	806436	889133	1695569	282	311	359756	409779	189455
	2017-18	3412525	204384	663792	868176	60	195	141396	273141	153680



राज्य / क्षेत्र	अवधि	चिकित्सा देखरेख के लिए जोखिमग्रस्त माने गए बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या	परिचर्या			प्रतिवर्ष प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिचर्या की संख्या		जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्रों की संख्या	अस्पताल में दाखिल किए गए मामलों की संख्या तथा कुल 298 कारण समूह	अस्पतालों को भेजे गए मामलों की संख्या
			नये मामले	पुराने मामले	कुल	नये मामले	पुराने मामले			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
केरल	2016-17	850685	1678159	1779912	3458071	1973	2092	278153	335592	96371
	2017-18	1010225	1347317	1673164	3020481	1334	1656	305081	457037	122152
मध्य प्रदेश	2016-17	669465	463705	400668	864373	693	598	119795	312386	150307
	2017-18	870920	450904	406560	857464	518	467	119736	295966	139380
महाराष्ट्र	2016-17	3379640	240114	291694	531808	71	86	130910	311149	70006
	2017-18	4476580	254573	325417	579990	57	73	101032	27700	84805
मेघालय	2016-17	11208	8434	587	9021	752	52	732	0	1236
	2017-18	16927	9021	799	9820	533	47	993	0	2779
ओडिशा#	2016-17	475375	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	51615	प्रा.न.
	2017-18	614070	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	5360	प्रा.न.
पुदुच्चेरी	2016-17	108900	61769	85425	147194	567	784	80732	39895	6493
	2017-18	121565	66395	79682	146077	546	655	123814	49401	7302
पंजाब	2016-17	957540	959868	41198	1001066	1002	43	105335	174747	109549
	2017-18	1138550	954148	47165	1001313	838	41	102624	405566	108482
राजस्थान	2016-17	1024125	841537	390653	1232190	822	381	46582	186814	171414
	2017-18	1328495	939224	383396	1322620	707	289	33958	225760	238368
तमिलनाडु	2016-17	3438215	1905845	4512490	6418335	554	1312	372591	235768	408643
	2017-18	4111160	1257289	4106085	5363374	306	999	303962	436730	278052
तेलंगाना#	2016-17	1405730	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.
	2017-18	1697914	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.
उत्तर प्रदेश	2016-17	1604165	364371	275929	640300	227	172	43226	60264	16209
	2017-18	1989000	527858	322694	850552	265	162	43956	98037	708
उत्तराखंड	2016-17	510650	210346	44251	254597	412	87	40903	0	0
	2017-18	647715	264025	81615	345640	408	126	46732	0	0
पश्चिम बंगाल	2016-17	1546510	907493	959298	1866791	587	620	217526	35797	117827
	2017-18	1875140	1120641	1032981	2153622	598	551	243375	138231	149391
अखिल भारत	2016-17	26667023	10367112	13641507	24008619	389	512	2530147	3221941	1946004
	2017-18	33147105	9397019	13541319	22938338	283	409	2348084	3121934	1930156

प्राप्त नहीं हुई है।

ANNUAL REPORT 2017-18



State/Area	Period	No. of Insured persons deemed exposed to risk of Medical care	Attendances			No. of attendances per 1000 Insured persons per annum		No. of Medical certificates issued	No. of cases Admitted to Hospitals & total 298 cause groups	No. of cases Referred to Hospitals
			New cases	Old cases	Total	New cases	Old cases			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Kerala	2016-17	850685	1678159	1779912	3458071	1973	2092	278153	335592	96371
	2017-18	1010225	1347317	1673164	3020481	1334	1656	305081	457037	122152
Madhya Pradesh	2016-17	669465	463705	400668	864373	693	598	119795	312386	150307
	2017-18	870920	450904	406560	857464	518	467	119736	295966	139380
Maharashtra	2016-17	3379640	240114	291694	531808	71	86	130910	311149	70006
	2017-18	4476580	254573	325417	579990	57	73	101032	27700	84805
Meghalaya	2016-17	11208	8434	587	9021	752	52	732	0	1236
	2017-18	16927	9021	799	9820	533	47	993	0	2779
Odisha#	2016-17	475375	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	51615	N.R.
	2017-18	614070	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	5360	N.R.
Puducherry	2016-17	108900	61769	85425	147194	567	784	80732	39895	6493
	2017-18	121565	66395	79682	146077	546	655	123814	49401	7302
Punjab	2016-17	957540	959868	41198	1001066	1002	43	105335	174747	109549
	2017-18	1138550	954148	47165	1001313	838	41	102624	405566	108482
Rajasthan	2016-17	1024125	841537	390653	1232190	822	381	46582	186814	171414
	2017-18	1328495	939224	383396	1322620	707	289	33958	225760	238368
Tamil Nadu	2016-17	3438215	1905845	4512490	6418335	554	1312	372591	235768	408643
	2017-18	4111160	1257289	4106085	5363374	306	999	303962	436730	278052
Telangana#	2016-17	1405730	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	2017-18	1697914	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Uttar Pradesh	2016-17	1604165	364371	275929	640300	227	172	43226	60264	16209
	2017-18	1989000	527858	322694	850552	265	162	43956	98037	708
Uttarakhand	2016-17	510650	210346	44251	254597	412	87	40903	0	0
	2017-18	647715	264025	81615	345640	408	126	46732	0	0
West Bengal	2016-17	1546510	907493	959298	1866791	587	620	217526	35797	117827
	2017-18	1875140	1120641	1032981	2153622	598	551	243375	138231	149391
ALL INDIA	2016-17	26667023	10367112	13641507	24008619	389	512	2530147	3221941	1946004
	2017-18	33147105	9397019	13541319	22938338	283	409	2348084	3121934	1930156

NOT RECEIVED



परिशिष्ट - III-ग

2016-17 और 2017-18 के दौरान परिचर्या तथा विशेषज्ञों को भेजे गए मामलों का ब्यौरा – राज्यवार
(बीमाकृत व्यक्तियों के परिजनों के संबंध में)

राज्य / क्षेत्र	अवधि	जोखिमग्रस्त मानी गई परिवार (बीमाकृत व्यक्ति इकाइयों की संख्या)	परिचर्या			प्रतिवर्ष प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिचर्या की संख्या		अस्पतालों को भेजे गए मामलों की संख्या	अस्पताल में दाखिल किए गए मामलों की संख्या
			नये मामले	पुराने मामले	कुल	नये मामले	पुराने मामले		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
आन्ध्र प्रदेश	2016-17	821975	314255	1222867	1537122	382	1488	270374	14434
	2017-18	1093215	274213	1264619	1538832	251	1157	516467	5561
असम	2016-17	182135	105265	71835	177100	578	394	33792	31922
	2017-18	232029	99645	108796	208441	429	469	47292	47292
बिहार	2016-17	172780	33904	5657	39561	196	33	6942	155
	2017-18	219805	29483	4951	34434	134	23	9275	0
चंडीगढ़	2016-17	169750	47036	25267	72303	277	149	22325	0
	2017-18	230230	44913	24179	69092	195	105	22802	0
छत्तीसगढ़	2016-17	347920	172868	117273	290141	497	337	6568	2197
	2017-18	491205	181401	119444	300845	369	243	7238	2252
दिल्ली	2016-17	1613655	248332	1911477	2159809	154	1185	132587	49108
	2017-18	1911685	247738	2324053	2571791	130	1216	226298	0
गोवा	2016-17	229350	21485	32219	53704	94	140	633	1575
	2017-18	265445	26311	33448	59759	99	126	812	0
गुजरात	2016-17	1251775	187422	1381798	1569220	150	1104	166235	0
	2017-18	1526065	207342	1516215	1723557	136	994	179984	409
हरियाणा	2016-17	2323915	939330	373131	1312461	404	378	253396	7699
	2017-18	2957570	948479	442254	1390733	321	150	259884	3923
हिमाचल प्रदेश	2016-17	260865	4413	697	5110	17	3	1394	0
	2017-18	300555	2292	363	2655	8	1	677	0
जम्मू एवं कश्मीर	2016-17	168480	29496	3606	33102	175	21	4229	2591
	2017-18	259890	28242	2697	30939	109	10	3423	3418
झारखंड	2016-17	284815	147495	19754	167249	518	69	68947	25460
	2017-18	348625	152704	11790	164494	438	34	44736	17968
कर्नाटक	2016-17	2857400	931803	494519	1426322	326	173	193892	123727
	2017-18	3412525	362196	589416	951612	106	173	79404	27756



APPENDIX-III-C

**Attendances, References to Specialists during 2016-17 and 2017-18 State-wise
(in respect of family Members of Insured Persons).**

State/Area	Period	No. of family (I.P.) units deemed exposed to risk Med. care	Attendances			No. of attendances per 1000 family (I.P.) units per annum		No. of cases referred to Hospitals	No. of cases admitted in Hospitals
			New cases	Old cases	Total	New cases	Old cases		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Andhra Pradesh	2016-17	821975	314255	1222867	1537122	382	1488	270374	14434
	2017-18	1093215	274213	1264619	1538832	251	1157	516467	5561
Assam	2016-17	182135	105265	71835	177100	578	394	33792	31922
	2017-18	232029	99645	108796	208441	429	469	47292	47292
Bihar	2016-17	172780	33904	5657	39561	196	33	6942	155
	2017-18	219805	29483	4951	34434	134	23	9275	0
Chandigarh	2016-17	169750	47036	25267	72303	277	149	22325	0
	2017-18	230230	44913	24179	69092	195	105	22802	0
Chhattisgarh	2016-17	347920	172868	117273	290141	497	337	6568	2197
	2017-18	491205	181401	119444	300845	369	243	7238	2252
Delhi	2016-17	1613655	248332	1911477	2159809	154	1185	132587	49108
	2017-18	1911685	247738	2324053	2571791	130	1216	226298	0
Goa	2016-17	229350	21485	32219	53704	94	140	633	1575
	2017-18	265445	26311	33448	59759	99	126	812	0
Gujarat	2016-17	1251775	187422	1381798	1569220	150	1104	166235	0
	2017-18	1526065	207342	1516215	1723557	136	994	179984	409
Haryana	2016-17	2323915	939330	373131	1312461	404	378	253396	7699
	2017-18	2957570	948479	442254	1390733	321	150	259884	3923
Himachal Pradesh	2016-17	260865	4413	697	5110	17	3	1394	0
	2017-18	300555	2292	363	2655	8	1	677	0
Jammu & Kashmir	2016-17	168480	29496	3606	33102	175	21	4229	2591
	2017-18	259890	28242	2697	30939	109	10	3423	3418
Jharkhand	2016-17	284815	147495	19754	167249	518	69	68947	25460
	2017-18	348625	152704	11790	164494	438	34	44736	17968
Karnataka	2016-17	2857400	931803	494519	1426322	326	173	193892	123727
	2017-18	3412525	362196	589416	951612	106	173	79404	27756



राज्य / क्षेत्र	अवधि	जोखिमग्रस्त मानी गई परिवार (बीमाकृत व्यक्ति इकाइयों की संख्या)	परिचर्या			प्रतिवर्ष प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिचर्या की संख्या		अस्पतालों को भेजे गए मामलों की संख्या	अस्पताल में दाखिल किए गए मामलों की संख्या
			नये मामले	पुराने मामले	कुल	नये मामले	पुराने मामले		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
केरल	2016-17	850685	1697688	1921063	3618751	1996	2258	97465	165
	2017-18	1010225	1415380	1732561	3147941	1401	1715	119782	1683
मध्य प्रदेश	2016-17	669465	535791	437806	973597	800	654	175497	1110
	2017-18	870920	518659	465861	984520	596	535	173580	435
महाराष्ट्र	2016-17	3379640	237399	378990	616389	70	112	7296	71976
	2017-18	4476580	265948	369078	635026	59	82	10312	64884
मेघालय	2016-17	11208	4089	148	4237	365	13	671	922
	2017-18	16927	5266	206	5472	311	12	1085	962
ओडिशा#	2016-17	475375	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.
	2017-18	614070	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.
पुदुच्चेरी	2016-17	108900	42783	98095	140878	393	901	4694	219
	2017-18	121565	49263	59377	108640	405	488	6257	296
पंजाब	2016-17	957540	918275	95867	1014142	959	100	155712	1807
	2017-18	1138550	928339	82124	1010463	815	72	139730	3046
राजस्थान	2016-17	1024125	808228	426344	1234572	789	416	192216	11326
	2017-18	1328495	887208	441768	1328976	668	333	227162	2901
तमिलनाडु	2016-17	3438215	1957792	4537212	6495004	569	1320	355010	9940
	2017-18	4111160	2075885	4440787	6516672	505	1080	321265	10475
तेलंगाना#	2016-17	1405730	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.
	2017-18	1697914	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.
उत्तर प्रदेश	2016-17	1604165	505445	327008	832453	315	204	14943	0
	2017-18	1989000	513408	412508	925916	258	207	73227	0
उत्तराखंड	2016-17	510650	179498	44928	224426	352	88	0	0
	2017-18	647715	261138	49326	310464	403	76	0	0
पश्चिम बंगाल	2016-17	1546510	958513	930242	1888755	620	602	121987	70460
	2017-18	1875140	1134658	1060307	2194965	605	565	143214	66747
अखिल भारत कुल	2016-17	26667023	11028604	14857803	25886407	414	557	2286805	426793
	2017-18	33147105	10660111	15556127	26216239	322	469	2613905	260008

प्राप्त नहीं हुई है।



State/Area	Period	No. of family (I.P.) units deemed exposed to risk Med. care	Attendances			No. of attendances per 1000 family (I.P.) units per annum		No. of cases referred to Hospitals	No. of cases admitted in Hospitals
			New cases	Old cases	Total	New cases	Old cases		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Kerala	2016-17	850685	1697688	1921063	3618751	1996	2258	97465	165
	2017-18	1010225	1415380	1732561	3147941	1401	1715	119782	1683
Madhya Pradesh	2016-17	669465	535791	437806	973597	800	654	175497	1110
	2017-18	870920	518659	465861	984520	596	535	173580	435
Maharashtra	2016-17	3379640	237399	378990	616389	70	112	7296	71976
	2017-18	4476580	265948	369078	635026	59	82	10312	64884
Meghalaya	2016-17	11208	4089	148	4237	365	13	671	922
	2017-18	16927	5266	206	5472	311	12	1085	962
Odisha#	2016-17	475375	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	2017-18	614070	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Puducherry	2016-17	108900	42783	98095	140878	393	901	4694	219
	2017-18	121565	49263	59377	108640	405	488	6257	296
Punjab	2016-17	957540	918275	95867	1014142	959	100	155712	1807
	2017-18	1138550	928339	82124	1010463	815	72	139730	3046
Rajasthan	2016-17	1024125	808228	426344	1234572	789	416	192216	11326
	2017-18	1328495	887208	441768	1328976	668	333	227162	2901
Tamil Nadu	2016-17	3438215	1957792	4537212	6495004	569	1320	355010	9940
	2017-18	4111160	2075885	4440787	6516672	505	1080	321265	10475
Telangana#	2016-17	1405730	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	2017-18	1697914	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Uttar Pradesh	2016-17	1604165	505445	327008	832453	315	204	14943	0
	2017-18	1989000	513408	412508	925916	258	207	73227	0
Uttarakhand	2016-17	510650	179498	44928	224426	352	88	0	0
	2017-18	647715	261138	49326	310464	403	76	0	0
West Bengal	2016-17	1546510	958513	930242	1888755	620	602	121987	70460
	2017-18	1875140	1134658	1060307	2194965	605	565	143214	66747
ALL INDIA TOTAL	2016-17	26667023	11028604	14857803	25886407	414	557	2286805	426793
	2017-18	33147105	10660111	15556127	26216239	322	469	2613905	260008

Not Received



परिशिष्ट - III-घ

वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान रुग्णता की घटना-दर अर्थात् प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों तथा 1000 परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एककों के नए मामलों की संख्या

कारण समूह संख्या	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	हैजा	0.68	0.05	0.07	0.18
2	टायफाइड और पैराटायफाइड ज्वर	3.68	1.97	1.87	1.77
3	सिगिलोसिस	0.19	0.07	0.45	0.28
4	अमीबता	3.88	2.96	3.97	2.95
5	अतिसार और परिकल्पित संक्रमित अंगों के आंत्रसंबंधी रोग	10.45	8.54	11.52	9.26
6	अन्य आंत्र संक्रमित रोग	3.13	2.60	3.87	2.60
7	श्वसन यक्ष्मा	0.33	0.34	0.36	0.29
8	अन्य यक्ष्मा	0.14	0.17	0.14	0.19
9	प्लेग	0.08	0.03	0.01	0.07
10	ब्रूसेलोसिस	0.04	0.01	0.00	0.18
11	कुष्ठ रोग	0.03	0.01	0.01	0.05
12	टिटैनस नियोनाटोरम	0.02	0.00	0.13	0.19
13	अन्य टिटैनस	0.03	0.03	0.08	0.23
14	डिफ्थीरिया	0.05	0.01	0.02	0.03
15	काली खांसी	0.48	0.61	0.59	0.61
16	मेनिंगोकोक्स संक्रमण	0.10	0.04	0.02	0.04
17	पूति रोग	0.07	0.04	0.05	0.05
18	अन्य बैक्टीरिया संबंधी रोग	1.31	1.08	1.35	1.00
19	सहजात उपदंश	0.04	0.03	0.03	0.03
20	पूर्ववर्ती उपदंश	0.05	0.01	0.02	0.02
21	अन्य सिफेलिस	0.05	0.00	0.03	0.07
22	गोनोकोकल संक्रमण	0.21	0.04	0.11	0.05
23	यौन से फैलने वाले क्लामाइडियल रोग	0.06	0.05	0.04	0.05
24	मुख्यतया यौन से फैलने वाले अन्य संक्रमण	0.02	0.01	0.03	0.04
25	पुनरावर्ती ज्वर	0.20	0.16	0.16	0.20
26	ट्रेकोमा	0.08	0.05	0.07	0.06
27	सन्निपात ज्वर	0.09	0.05	0.09	0.06
28	तीक्ष्ण पोलियोमेटिटिस	0.04	0.03	0.10	0.01
29	अलर्करोग	0.05	0.02	0.16	0.02
30	वायरल मस्तिष्क शोथ	0.05	0.05	0.06	0.05
31	पीत ज्वर	0.09	0.05	0.14	0.10
32	अन्य ऑर्थोपोड-जनित वायरल ज्वर और वायरल हेमोरहेजिक ज्वर	0.64	0.67	0.60	0.62
33	हरपीस वायरल संक्रमण	0.28	0.20	0.46	0.23
34	वैरिसेला एवं दाद	0.24	0.20	0.21	0.18
35	हल्का खसरा	0.16	0.18	0.13	0.18
36	रुबेला	0.02	0.01	0.03	0.05
37	तीक्ष्ण हैपेटाइटिस बी	0.08	0.09	0.16	0.15
38	अन्य वायरल हैपेटाइटिस	0.51	0.44	0.51	0.42
39	मानव रोगक्षम अपर्याप्तता वायरस (एचआईवी) रोग	0.07	0.04	0.09	0.09
40	कनफेड	0.21	0.20	0.27	0.31
41	अन्य वायरल रोग	3.30	2.53	2.87	2.28



APPENDIX-III-D

Incidence of Morbidity i.e. Number of new cases per 1000 Insured Persons and 1000 Family (I.P.) Units during the year 2016-17 & 2017-18

Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Cholera	0.68	0.05	0.07	0.18
2	Typhoid and paratyphoid fevers	3.68	1.97	1.87	1.77
3	Shigellosis	0.19	0.07	0.45	0.28
4	Amoebiasis	3.88	2.96	3.97	2.95
5	Diarrhoea and gastro-enteritis of presumed infectious origin	10.45	8.54	11.52	9.26
6	Other intestinal infectious diseases	3.13	2.60	3.87	2.60
7	Respiratory tuberculosis	0.33	0.34	0.36	0.29
8	Other tuberculosis	0.14	0.17	0.14	0.19
9	Plague	0.08	0.03	0.01	0.07
10	Brucellosis	0.04	0.01	0.00	0.18
11	Leprosy	0.03	0.01	0.01	0.05
12	Tetanus neonatorum	0.02	0.00	0.13	0.19
13	Other tetanus	0.03	0.03	0.08	0.23
14	Diphtheria	0.05	0.01	0.02	0.03
15	Whooping cough	0.48	0.61	0.59	0.61
16	Meningococcal infection	0.10	0.04	0.02	0.04
17	Septicaemia	0.07	0.04	0.05	0.05
18	Other bacterial diseases	1.31	1.08	1.35	1.00
19	Congenital syphilis	0.04	0.03	0.03	0.03
20	Early syphilis	0.05	0.01	0.02	0.02
21	Other syphilis	0.05	0.00	0.03	0.07
22	Gonococcal infection	0.21	0.04	0.11	0.05
23	Sexually transmitted chlamydial diseases	0.06	0.05	0.04	0.05
24	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission	0.02	0.01	0.03	0.04
25	Relapsing fevers	0.20	0.16	0.16	0.20
26	Trachoma	0.08	0.05	0.07	0.06
27	Typhus fever	0.09	0.05	0.09	0.06
28	Acute poliomyelitis	0.04	0.03	0.10	0.01
29	Rabies	0.05	0.02	0.16	0.02
30	Viral encephalitis	0.05	0.05	0.06	0.05
31	Yellow fever	0.09	0.05	0.14	0.10
32	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers	0.64	0.67	0.60	0.62
33	Herpesviral infections	0.28	0.20	0.46	0.23
34	Varicella and zoster	0.24	0.20	0.21	0.18
35	Measles	0.16	0.18	0.13	0.18
36	Rubella	0.02	0.01	0.03	0.05
37	Acute hepatitis B	0.08	0.09	0.16	0.15
38	Other viral hepatitis	0.51	0.44	0.51	0.42
39	Human immunodeficiency virus [HIV] disease	0.07	0.04	0.09	0.09
40	Mumps	0.21	0.20	0.27	0.31
41	Other viral diseases	3.30	2.53	2.87	2.28



कारण समूह संख्या	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
42	माइकोसिस	0.66	0.51	0.72	0.62
43	मलेरिया	0.61	0.49	0.63	0.51
44	लीशरमानियसिस	0.01	0.03	0.15	0.15
45	ट्राईपेनोसोमियासिस	0.02	0.00	0.11	0.04
46	सिस्टोसोमियासिस	0.07	0.07	0.05	0.07
47	अन्य पर्णकृमि संक्रमण	0.10	0.02	0.29	0.05
48	फीताकृमि रोग	0.02	0.00	0.11	0.04
49	डैकन्कुलस रोग	0.03	0.00	0.05	0.05
50	ऑनचोरसियासिस	0.15	0.04	0.05	0.06
51	फाइलेरिएसिस	0.27	0.19	0.32	0.19
52	अंकुश कृमि रोग	1.64	1.53	1.59	1.72
53	अन्य कृमि रोग	5.84	4.64	6.55	4.93
54	यक्ष्मा के प्रभाव	0.19	0.05	0.56	0.13
55	पीलियोमार्ईलिटिस के प्रभाव	0.03	0.01	0.13	0.12
56	कुष्ठ रोग के प्रभाव	0.06	0.02	0.11	0.18
57	अन्य संक्रामक एवं परजीवी रोग	2.21	1.72	2.27	1.83
58	हॉठ, मौखिक गुहा और ग्रसनी की घातक रसौली	0.10	0.11	0.30	0.09
59	घेंघा की घातक रसौली	0.04	0.04	0.08	0.04
60	पेट का घातक सूजन	0.24	0.20	0.22	0.19
61	वहदान्त्र की घातक रसौली	0.03	0.01	0.01	0.03
62	रेक्टोसिगमॉयड जंक्शन, मलाशय, गुदा एवं गुदा नली की घातक रसौली	0.02	0.01	0.03	0.03
63	लिवर एवं इंट्राहेप्टिक पित्त नलिकाओं की घातक रसौली	0.02	0.00	0.04	0.03
64	अग्न्याशय की घातक रसौली	0.01	0.00	0.06	0.08
65	पाचन तंत्र की अन्य घातक रसौलियां	0.01	0.00	0.02	0.04
66	लैरिक्स की घातक सूजन	0.03	0.06	0.10	0.09
67	ट्रैकिया, श्वसनी एवं फेफड़ों की घातक सूजन	0.06	0.04	0.17	0.07
68	ट्रैकिया और इन्ट्राथोरेसिक अंगों की घातक सूजन	0.06	0.02	0.17	0.00
69	हड्डी और आर्टिकुलर कार्टिलेज की घातक सूजन	0.03	0.00	0.08	0.06
70	त्वचा के घातक मेलेनोमा	0.03	0.01	0.07	0.03
71	त्वचा की अन्य घातक रसौलियां	0.01	0.02	0.03	0.03
72	मिसोथेलियल एवं मुलायम ऊतकों की घातक रसौली	0.02	0.02	0.02	0.04
73	स्तन की घातक रसौली	0.06	0.03	0.05	0.04
74	गर्भाशय ग्रीवा की घातक सूजन	0.10	0.05	0.20	0.23
75	गर्भाशय के अन्य तथा विनिर्देशित भागों का घातक सूजन	0.03	0.00	0.04	0.03
76	मादा प्रजनन अंगों का अन्य घातक सूजन	0.05	0.00	0.08	0.05
77	प्रोस्टेट का घातक सूजन	0.03	0.03	0.04	0.03
78	नर प्रजनन अंगों का अन्य घातक सूजन	0.03	0.00	0.01	0.03
79	ब्लेडर की घातक सूजन	0.02	0.05	0.02	0.03
80	पेशाब नली की अन्य घातक सूजन	0.02	0.01	0.02	0.11
81	नेत्र एवं अवयव की घातक सूजन	0.01	0.00	0.02	0.09
82	मस्तिष्क की घातक सूजन	0.02	0.02	0.02	0.06
83	केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के अन्य भागों की घातक सूजन	0.03	0.02	0.07	0.06
84	अन्य, बीमार, द्वितीयक, विनिर्देशित और विविध भागों की घातक सूजन	0.04	0.01	0.03	0.02
85	हॉजकिन्स रोग	0.02	0.00	0.00	0.01
86	अन्य हॉजकिन्स लिम्फोमा	0.01	0.00	0.01	0.05



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
42	Mycoses	0.66	0.51	0.72	0.62
43	Malaria	0.61	0.49	0.63	0.51
44	Leishmaniasis	0.01	0.03	0.15	0.15
45	Trypanosomiasis	0.02	0.00	0.11	0.04
46	Schistosomiasis	0.07	0.07	0.05	0.07
47	Other fluke infections	0.10	0.02	0.29	0.05
48	Echinococcosis	0.02	0.00	0.11	0.04
49	Dracunculiasis	0.03	0.00	0.05	0.05
50	Onchocerciasis	0.15	0.04	0.05	0.06
51	Filariasis	0.27	0.19	0.32	0.19
52	Hookworm diseases	1.64	1.53	1.59	1.72
53	Other helminthiases	5.84	4.64	6.55	4.93
54	Sequelae of tuberculosis	0.19	0.05	0.56	0.13
55	Sequelae of poliomyelitis	0.03	0.01	0.13	0.12
56	Sequelae of leprosy	0.06	0.02	0.11	0.18
57	Other infectious and parasitic diseases	2.21	1.72	2.27	1.83
58	Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx	0.10	0.11	0.30	0.09
59	Malignant neoplasm of oesophagus	0.04	0.04	0.08	0.04
60	Malignant neoplasm of stomach	0.24	0.20	0.22	0.19
61	Malignant neoplasm of colon	0.03	0.01	0.01	0.03
62	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction, rectum, anus and anal canal	0.02	0.01	0.03	0.03
63	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	0.02	0.00	0.04	0.03
64	Malignant neoplasm of pancreas	0.01	0.00	0.06	0.08
65	Other malignant neoplasms of digestive organs	0.01	0.00	0.02	0.04
66	Malignant neoplasm of larynx	0.03	0.06	0.10	0.09
67	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	0.06	0.04	0.17	0.07
68	Other malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs	0.06	0.02	0.17	0.00
69	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage	0.03	0.00	0.08	0.06
70	Malignant melanoma of skin	0.03	0.01	0.07	0.03
71	Other malignant neoplasms of skin	0.01	0.02	0.03	0.03
72	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue	0.02	0.02	0.02	0.04
73	Malignant neoplasm of breast	0.06	0.03	0.05	0.04
74	Malignant neoplasm of cervix uteri	0.10	0.05	0.20	0.23
75	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus	0.03	0.00	0.04	0.03
76	Other malignant neoplasms of female genital organs	0.05	0.00	0.08	0.05
77	Malignant neoplasm of prostate	0.03	0.03	0.04	0.03
78	Other malignant neoplasms of male genital organs	0.03	0.00	0.01	0.03
79	Malignant neoplasm of bladder	0.02	0.05	0.02	0.03
80	Other malignant neoplasms of urinary tract	0.02	0.01	0.02	0.11
81	Malignant neoplasm of eye and adnexa	0.01	0.00	0.02	0.09
82	Malignant neoplasm of brain	0.02	0.02	0.02	0.06
83	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system	0.03	0.02	0.07	0.06
84	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites	0.04	0.01	0.03	0.02
85	Hodgkins disease	0.02	0.00	0.00	0.01
86	Non-Hodgkins lymphoma	0.01	0.00	0.01	0.05



कारण समूह संख्या	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
87	ल्यूकेमिया	0.06	0.11	0.06	0.13
88	लिम्फॉयड, हिमेटोपॉयिक एवं संबंधित ऊतकों का अन्य घातक सूजन	0.04	0.01	0.02	0.01
89	सर्विक्स गर्भाशय की स्थिति में कॉर्सिनोमा	0.08	0.05	0.03	0.02
90	त्वचा की मामूली सूजन	0.21	0.16	0.03	0.05
91	स्तन की मामूली सूजन	0.30	0.26	0.10	0.09
92	गर्भाशय का लियोमा	0.09	0.04	0.06	0.05
93	अंडाशय की मामूली सूजन	0.04	0.07	0.05	0.12
94	पेशाब नली में मामूली सूजन	0.11	0.04	0.01	0.02
95	मस्तिष्क और केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र की मामूली सूजन	0.02	0.00	0.02	0.01
96	अचानक एवं अज्ञात व्यवहार के अन्य स्वस्थान और मामूली सूजन	0.54	0.15	0.30	0.56
97	आयरन की कमी से एनिमिया	14.09	10.91	14.66	12.30
98	अन्य एनिमिया	5.60	4.10	6.90	4.48
99	रक्त एवं रक्त बनाने वाले अंगों में हिमोहेजिक कंडीशन एवं अन्य रोग	0.17	0.08	0.62	0.29
100	प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़े अन्य रोग	0.19	0.15	0.13	0.16
101	आयरन की कमी से गलकंट	1.99	1.73	2.46	2.17
102	थायरोटोक्सिकोसिस	0.45	0.39	0.56	0.52
103	थॉयरायड के अन्य प्रभाव	3.07	1.75	3.00	1.82
104	मधुमेह	17.58	13.13	18.44	14.66
105	कुपोषण	1.65	1.08	1.99	1.44
106	विटामिन ए की कमी	1.78	1.07	1.84	1.17
107	अन्य विटामिन कमियां	9.48	7.38	10.00	8.06
108	कुपोषण और अन्य पोषण से संबंधित प्रभाव	0.49	0.50	1.13	0.86
109	मोटापा	0.54	0.37	0.58	0.58
110	वॉल्यूम कमी	0.24	0.12	0.23	0.22
111	अन्य इंडोक्राइन, पोषण एवं मैटाबॉलिक रोग	0.29	0.17	0.35	0.35
112	मनोभ्रंश	0.09	0.07	0.08	0.13
113	एल्कोहॉल के प्रयोग के कारण मानसिक एवं व्यावहारगत विकार	0.22	0.30	0.27	0.25
114	अन्य मानसिक परेशानी के कारण मानसिक एवं व्यावहारगत विकार	0.09	0.05	0.09	0.10
115	सिजोफरेना, सिजोटाइपल एवं विभ्रम विकार	0.28	0.14	0.19	0.16
116	मूड (प्रभावित) विकार	0.33	0.18	0.37	0.32
117	न्यूरेटिक, तनाव से संबंधित तथा सोमाटोफॉर्म डिस्ऑर्डर	0.33	0.33	0.21	0.28
118	मानसिक तनाव	0.05	0.08	0.08	0.23
119	अन्य मानसिक एवं व्यावहारगत तनाव	0.18	0.21	0.20	0.39
120	केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के शोथ रोग	0.07	0.06	0.05	0.07
121	पार्किंसन रोग	0.05	0.04	0.05	0.05
122	अल्जेमर्स रोग	0.03	0.01	0.04	0.03
123	मल्टीपल स्क्लरोसिस	0.08	0.03	0.08	0.04
124	मिरगी	0.99	0.65	0.85	0.62
125	माइग्रेन एवं अन्य सिरदर्द लक्षण	3.89	2.86	3.92	2.84
126	ट्रांजिएंट सेरिब्रल इचेमिक अटैक एवं संबंधित लक्षण	0.17	0.17	0.26	0.17
127	तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र एवं प्लेक्सस डिस्ऑर्डर	0.53	0.48	0.45	0.42
128	पक्षाघात और अन्य लकवा संबंधी लक्षण	0.14	0.04	0.12	0.11
129	तंत्रिका तंत्र के अन्य रोग	0.68	0.38	0.71	0.54
130	पलक में सूजन	0.99	0.70	0.91	0.69



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
87	Leukaemia	0.06	0.11	0.06	0.13
88	Other malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue	0.04	0.01	0.02	0.01
89	Carcinoma in situ of cervix uteri	0.08	0.05	0.03	0.02
90	Benign neoplasm of skin	0.21	0.16	0.03	0.05
91	Benign neoplasm of breast	0.30	0.26	0.10	0.09
92	Leiomyoma of uterus	0.09	0.04	0.06	0.05
93	Benign neoplasm of ovary	0.04	0.07	0.05	0.12
94	Benign neoplasm of urinary organs	0.11	0.04	0.01	0.02
95	Benign neoplasm of Brain and other parts of central nervous system	0.02	0.00	0.02	0.01
96	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour	0.54	0.15	0.30	0.56
97	Iron deficiency anaemia	14.09	10.91	14.66	12.30
98	Other anaemias	5.60	4.10	6.90	4.48
99	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood-forming organs	0.17	0.08	0.62	0.29
100	Certain disorders involving the immune mechanism	0.19	0.15	0.13	0.16
101	Iodine-deficiency-related thyroid disorders	1.99	1.73	2.46	2.17
102	Thyrotoxicosis	0.45	0.39	0.56	0.52
103	Other disorders of thyroid	3.07	1.75	3.00	1.82
104	Diabetes mellitus	17.58	13.13	18.44	14.66
105	Malnutrition	1.65	1.08	1.99	1.44
106	Vitamin A deficiency	1.78	1.07	1.84	1.17
107	Other vitamin deficiencies	9.48	7.38	10.00	8.06
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies	0.49	0.50	1.13	0.86
109	Obesity	0.54	0.37	0.58	0.58
110	Volume depletion	0.24	0.12	0.23	0.22
111	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders	0.29	0.17	0.35	0.35
112	Dementia	0.09	0.07	0.08	0.13
113	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	0.22	0.30	0.27	0.25
114	Mental and behavioural disorders due to other psychoactive substance use	0.09	0.05	0.09	0.10
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders	0.28	0.14	0.19	0.16
116	Mood [affective] disorders	0.33	0.18	0.37	0.32
117	Neurotic, stress-related and somatoform disorders	0.33	0.33	0.21	0.28
118	Mental retardation	0.05	0.08	0.08	0.23
119	Other mental and behavioural disorders	0.18	0.21	0.20	0.39
120	Inflammatory diseases of the central nervous system	0.07	0.06	0.05	0.07
121	Parkinsons disease	0.05	0.04	0.05	0.05
122	Alzheimers disease	0.03	0.01	0.04	0.03
123	Multiple sclerosis	0.08	0.03	0.08	0.04
124	Epilepsy	0.99	0.65	0.85	0.62
125	Migraine and other headache syndromes	3.89	2.86	3.92	2.84
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes	0.17	0.17	0.26	0.17
127	Nerve, nerve root and plexus disorders	0.53	0.48	0.45	0.42
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes	0.14	0.04	0.12	0.11
129	Other diseases of the nervous system	0.68	0.38	0.71	0.54
130	Inflammation of eyelid	0.99	0.70	0.91	0.69



कारण समूह संख्या	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
131	कंजक्टिवा के कंजक्टिविटिस एवं अन्य विकार	3.61	2.82	3.55	2.87
132	श्वेतपटल एवं कॉर्निया के कैराटिसिस एवं अन्य विकार	0.30	0.12	0.41	0.17
133	काटारैक्ट एवं लेंस के अन्य विकार	2.49	2.27	2.68	2.35
134	रेटिनल विच्छेद एवं ब्रैक	0.07	0.02	0.15	0.14
135	ग्लूकोमा	0.12	0.14	0.23	0.27
136	स्ट्राबिसमस	0.14	0.05	0.07	0.08
137	भेंगापन	1.73	1.40	2.09	1.48
138	अंधापन एवं अल्प दृष्टि	0.75	0.50	0.63	0.50
139	नेत्र एवं एडनेक्सा के अन्य रोग	3.52	2.97	2.91	2.85
140	कान एवं मास्टॉयड के ओटिस मीडिया एवं अन्य विकार	2.70	2.14	2.87	2.27
141	श्रवणबाधिता	0.40	0.27	0.48	0.32
142	कान एवं मास्टॉयड प्रोसेस के अन्य रोग	4.25	3.49	4.62	3.79
143	तीक्ष्ण न्यूमैटिक ज्वर	0.66	0.73	0.80	0.80
144	क्रॉनिक न्यूमैटिक हृदय रोग	0.87	0.57	0.71	0.58
145	आवश्यक (प्राथमिक) हाइपरटेंशन	14.08	10.13	14.24	10.63
146	अन्य हाइपरटेंशन रोग	5.06	3.91	5.87	4.31
147	तीव्र रोद्यगलन	0.39	0.19	0.46	0.28
148	अन्य इन्फेक्टिव हृदय रोग	1.02	0.83	1.13	1.05
149	पल्मोनरी इन्फालिज्म	0.04	0.03	0.30	0.41
150	कंडक्शन विकार एवं कॉर्डिअक अतालता संबंधी रोग	0.11	0.08	0.15	0.15
151	हृदयघात	0.16	0.07	0.15	0.09
152	अन्य हृदय रोग	1.05	0.85	1.15	1.03
153	इन्ट्राक्रैनियल नकसीर	0.09	0.02	0.08	0.09
154	प्रमस्तिष्क रोद्यगलन	0.06	0.05	0.08	0.08
155	पक्षाघात जो प्रमस्तिष्क या नकसीर के रूप में विनिर्देशित न हो	0.08	0.07	0.09	0.08
156	अन्य सैरिब्रोवैस्कुलर रोग	0.12	0.10	0.06	0.04
157	अथिरोक्लिरोसिस	0.81	0.60	0.72	0.78
158	अन्य पेरीफरल वैस्कुलर रोग	0.19	0.19	0.08	0.12
159	आर्टियल इन्फालिज्म एवं थ्रोम्बोसिस	0.09	0.06	0.04	0.08
160	धमनियों, आर्टिरिओस एवं कोषिका के अन्य रोग	0.42	0.28	0.06	0.03
161	फ्लेबिटिस, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, वेनस इन्फालिज्म एवं थ्रोम्बोसिस	0.73	0.63	0.76	0.68
162	लोवर एक्सट्रेमिटीज के अपस्फीत शिरा	1.24	0.85	1.16	0.89
163	हीमोरहायड्स	3.55	2.85	3.03	2.83
164	संक्रमण प्रणाली के अन्य रोग	1.33	0.45	1.27	0.52
165	तीव्र श्वसनी शोथ एवं तीव्र श्वसनिका शोथ	13.14	9.24	13.44	9.58
166	चिरकालिक वायु विवर शोथ	3.87	2.15	3.87	2.21
167	अन्य एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी संक्रमण	32.20	25.09	35.02	28.18
168	इंफ्लुएंजा	3.93	3.07	4.45	3.03
169	निमोनिया	1.01	0.72	0.80	0.58
170	तीव्र श्वास विकार शोथ	7.58	4.96	7.43	5.48
171	चिरकालिक वायु विकास शोथ	2.54	1.64	2.58	2.00
172	नाक एवं नाशिका संबंधी सिनसेस के अन्य रोग	3.45	2.67	3.25	2.76
173	टॉसिल एवं एडेनोएड्स के पुराने रोग	0.92	0.68	1.28	0.92
174	अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अन्य रोग	10.01	7.97	10.23	8.37
175	श्वसनी शोथ, एम्फीसीमा एवं अन्य क्रोनिक अबस्ट्रैक्टिव पल्मोनरी रोग	4.60	3.50	4.71	3.88
176	दमा	9.64	7.66	9.48	7.54



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva	3.61	2.82	3.55	2.87
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea	0.30	0.12	0.41	0.17
133	Cataract and other disorders of lens	2.49	2.27	2.68	2.35
134	Retinal detachments and breaks	0.07	0.02	0.15	0.14
135	Glaucoma	0.12	0.14	0.23	0.27
136	Strabismus	0.14	0.05	0.07	0.08
137	Disorders of refraction and accommodation	1.73	1.40	2.09	1.48
138	Blindness and low vision	0.75	0.50	0.63	0.50
139	Other diseases of the eye and adnexa	3.52	2.97	2.91	2.85
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	2.70	2.14	2.87	2.27
141	Hearing loss	0.40	0.27	0.48	0.32
142	Other diseases of the ear and mastoid process	4.25	3.49	4.62	3.79
143	Acute rheumatic fever	0.66	0.73	0.80	0.80
144	Chronic rheumatic heart disease	0.87	0.57	0.71	0.58
145	Essential (primary) hypertension	14.08	10.13	14.24	10.63
146	Other hypertensive diseases	5.06	3.91	5.87	4.31
147	Acute myocardial infarction	0.39	0.19	0.46	0.28
148	Other ischaemic heart diseases	1.02	0.83	1.13	1.05
149	Pulmonary embolism	0.04	0.03	0.30	0.41
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias	0.11	0.08	0.15	0.15
151	Heart failure	0.16	0.07	0.15	0.09
152	Other heart diseases	1.05	0.85	1.15	1.03
153	Intracranial haemorrhage	0.09	0.02	0.08	0.09
154	Cerebral infarction	0.06	0.05	0.08	0.08
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	0.08	0.07	0.09	0.08
156	Other cerebrovascular diseases	0.12	0.10	0.06	0.04
157	Atherosclerosis	0.81	0.60	0.72	0.78
158	Other peripheral vascular diseases	0.19	0.19	0.08	0.12
159	Arterial embolism and thrombosis	0.09	0.06	0.04	0.08
160	Other diseases of arteries, arterioles and capillaries	0.42	0.28	0.06	0.03
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis	0.73	0.63	0.76	0.68
162	Varicose veins of lower extremities	1.24	0.85	1.16	0.89
163	Haemorrhoids	3.55	2.85	3.03	2.83
164	Other diseases of the circulatory system	1.33	0.45	1.27	0.52
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis	13.14	9.24	13.44	9.58
166	Acute laryngitis and tracheitis	3.87	2.15	3.87	2.21
167	Other acute upper respiratory infections	32.20	25.09	35.02	28.18
168	Influenza	3.93	3.07	4.45	3.03
169	Pneumonia	1.01	0.72	0.80	0.58
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis	7.58	4.96	7.43	5.48
171	Chronic sinusitis	2.54	1.64	2.58	2.00
172	Other diseases of nose and nasal sinuses	3.45	2.67	3.25	2.76
173	Chronic disease of tonsils and adenoids	0.92	0.68	1.28	0.92
174	Other diseases of upper respiratory tract	10.01	7.97	10.23	8.37
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	4.60	3.50	4.71	3.88
176	Asthma	9.64	7.66	9.48	7.54



कारण समूह संख्या	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
177	ब्रोन्कायकटासिस	0.92	0.76	1.18	0.75
178	मोकोनिओसिस	0.29	0.10	0.39	0.29
179	रेस्पेटरी सिस्टम के अन्य रोग	6.49	5.24	7.06	5.36
180	दंत क्षय	5.15	3.99	5.34	4.06
181	दांत एवं अन्य सहयोगी संरचनाओं के अन्य रोग	4.34	3.39	4.32	3.52
182	ओरल कैविटी, सेलवरी ग्लैंड्स एवं जबड़ों के अन्य रोग	1.29	0.75	1.32	0.80
183	गैसट्रिक एवं ग्रहणी अल्सर	6.39	4.27	5.90	4.97
184	गैसट्रिक एवं ग्रहणी अल्सर	9.73	8.75	9.61	8.84
185	गैसट्रिटिस एवं ड्यूडेनितिस	2.94	2.26	2.78	1.94
186	अपेंडिक्स के रोग	0.31	0.20	0.37	0.24
187	इनगुइनल हर्निया	0.34	0.23	0.34	0.31
188	अन्य हर्निया	0.21	0.17	0.37	0.37
189	क्रॉस रोग एवं अलसेरेटिव कोलिटिस	0.12	0.14	0.09	0.12
190	पैरालिटिक इल्यूस एवं इनटेसटिनल हर्निया के बिना अब्सट्रक्शन	0.15	0.09	0.08	0.13
191	इनटेसटिन के डिवर्टीकुलर रोग	0.08	0.04	0.17	0.15
192	इनटेसटिन एवं पेरीटोनियम के अन्य रोग	0.30	0.19	0.25	0.17
193	अल्कोहलिक लीवर रोग	0.39	0.38	0.32	0.36
194	लीवर के अन्य रोग	0.41	0.27	0.28	0.20
195	कोलेलिथिसिस एवं कोलेसिस्टिस	0.54	0.46	0.52	0.57
196	एक्यूट पाचन-ग्रन्थि एवं पाचन ग्रन्थि के अन्य रोग।	0.39	0.19	0.20	0.29
197	पाचन तंत्र के अन्य रोग	8.99	7.07	8.52	6.77
198	त्वचा एवं सबकुटेनीअस टिश्यू के संक्रमण	11.77	9.49	11.84	9.19
199	त्वचा एवं सबकुटेनीअस टिश्यू के अन्य रोग	9.72	7.39	9.24	7.59
200	गठिया दर्द एवं अन्य उत्तेजक पॉलीअर्थपेथिस	8.41	4.75	8.29	5.13
201	अर्थोसिस	3.76	2.39	4.11	2.96
202	जांघ के उपाजित विकार	0.50	0.22	0.70	0.55
203	जोड़ों के अन्य रोग	6.95	5.90	6.48	5.93
204	सिस्टमेटिक कनेक्टिव उतक रोग	0.30	0.17	0.73	0.59
205	सर्वाइकल एवं अन्य इंटरवर्टेबल डिस्क रोग	2.25	0.98	1.50	0.99
206	अन्य डोरसोपेथिस	3.30	1.16	2.46	1.24
207	सॉफ्ट टिश्यू विकार	2.97	1.45	2.46	1.42
208	हड्डी सघनता एवं संरचना रोग	0.61	0.39	0.48	0.42
209	अस्थिकोप	0.39	0.21	0.30	0.28
210	मसकुलोस्केलेटल एवं संबंधित टिश्यू के अन्य विकार	5.65	3.88	4.98	3.90
211	एक्यूट एंड रेपिडली प्रोग्रेसिव नेफरिटिक सिंड्रोमस	0.19	0.05	0.26	0.18
212	अन्य ग्लोमेरुलर रोग	0.14	0.03	0.09	0.06
213	रेनल ट्यूबुलो-इंटरस्टिटियल रोग	0.14	0.03	0.21	0.14
214	गुर्दे का काम न करना	0.44	0.15	0.29	0.18
215	यूरोलिथिएसिस	0.99	0.72	0.80	0.60
216	मूत्राशय शोथ	0.65	0.35	0.67	0.44
217	मूत्र तंत्र के अन्य रोग	4.46	3.23	4.32	3.52
218	प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया	0.66	0.55	0.44	0.24
219	प्रोस्टेट के अन्य विकार	0.15	0.13	0.15	0.10
220	हाइड्रोसील एवं स्परमाटोसील	0.26	0.21	0.10	0.13
221	डुनडैंट परपस, फिमोसिस एवं पाराफिमोसिस	0.09	0.03	0.09	0.09
222	नर जननांगों अंगों के अन्य विकार	0.44	0.37	0.41	0.30



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
177	Bronchiectasis	0.92	0.76	1.18	0.75
178	Pneumoconiosis	0.29	0.10	0.39	0.29
179	Other diseases of the respiratory system	6.49	5.24	7.06	5.36
180	Dental caries	5.15	3.99	5.34	4.06
181	Other disorders of teeth and supporting structures	4.34	3.39	4.32	3.52
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	1.29	0.75	1.32	0.80
183	Gastric and duodenal ulcer	6.39	4.27	5.90	4.97
184	Gastritis and duodenitis	9.73	8.75	9.61	8.84
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum	2.94	2.26	2.78	1.94
186	Diseases of appendix	0.31	0.20	0.37	0.24
187	Inguinal hernia	0.34	0.23	0.34	0.31
188	Other hernia	0.21	0.17	0.37	0.37
189	Crohns disease and ulcerative colitis	0.12	0.14	0.09	0.12
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia	0.15	0.09	0.08	0.13
191	Diverticular disease of intestine	0.08	0.04	0.17	0.15
192	Other diseases of intestines and peritoneum	0.30	0.19	0.25	0.17
193	Alcoholic liver disease	0.39	0.38	0.32	0.36
194	Other diseases of liver	0.41	0.27	0.28	0.20
195	Cholelithiasis and cholecystitis	0.54	0.46	0.52	0.57
196	Acute pancreatitis and other diseases of the pancreas	0.39	0.19	0.20	0.29
197	Other diseases of the digestive system	8.99	7.07	8.52	6.77
198	Infections of the skin and subcutaneous tissue	11.77	9.49	11.84	9.19
199	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue	9.72	7.39	9.24	7.59
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	8.41	4.75	8.29	5.13
201	Arthrosis	3.76	2.39	4.11	2.96
202	Acquired deformities of limbs	0.50	0.22	0.70	0.55
203	Other disorders of joints	6.95	5.90	6.48	5.93
204	Systemic connective tissue disorders	0.30	0.17	0.73	0.59
205	Cervical and other intervertebral disk disorders	2.25	0.98	1.50	0.99
206	Other dorsopathies	3.30	1.16	2.46	1.24
207	Soft tissue disorders	2.97	1.45	2.46	1.42
208	Disorders of bone density and structure	0.61	0.39	0.48	0.42
209	Osteomyelitis	0.39	0.21	0.30	0.28
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	5.65	3.88	4.98	3.90
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes	0.19	0.05	0.26	0.18
212	Other glomerular diseases	0.14	0.03	0.09	0.06
213	Renal tubulo-interstitial diseases	0.14	0.03	0.21	0.14
214	Renal failure	0.44	0.15	0.29	0.18
215	Urolithiasis	0.99	0.72	0.80	0.60
216	Cystitis	0.65	0.35	0.67	0.44
217	Other diseases of the urinary system	4.46	3.23	4.32	3.52
218	Hyperplasia of prostate	0.66	0.55	0.44	0.24
219	Other disorders of prostate	0.15	0.13	0.15	0.10
220	Hydrocele and spermatocele	0.26	0.21	0.10	0.13
221	Redundant perpuce,phimosis and paraphimosis	0.09	0.03	0.09	0.09
222	Other diseases of male genital organs	0.44	0.37	0.41	0.30



कारण समूह संख्या	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
223	स्तन के विकार	0.20	0.16	0.24	0.21
224	सलपिनगिटिस एवं ओफोरिटिस	0.12	0.09	0.92	1.41
225	गर्भाशय ग्रीवा के शोथ रोग	0.26	0.12	0.32	0.25
226	महिला पेडू अंगो का अन्य शोथ रोग	1.44	0.96	1.77	1.38
227	इंडोमेट्रीयोसिस	0.17	0.05	0.12	0.12
228	महिला प्रजनन में कमी	0.14	0.15	0.17	0.12
229	अंडाशय, गर्भाशय नाल एवं बड़े रनायु के गैर शोथ विकार	0.17	0.03	0.09	0.06
230	रजोधर्म का विकार	1.86	1.36	2.22	1.82
231	रजोनिवृत्ति संबंधी एवं अन्य पेरीमेनोपौसल विकार	0.47	0.42	0.65	0.46
232	महिला बांझपन	0.31	0.17	0.27	0.29
233	जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट के अन्य विकार	0.80	0.51	0.90	0.69
234	स्वतः गर्भपात	0.06	0.08	0.13	0.28
235	चिकित्सीय गर्भपात	0.08	0.03	0.09	0.09
236	अबोर्टिव आउटकम के साथ अन्य गर्भावस्था	0.07	0.02	0.08	0.08
237	गर्भावस्था, प्रसव एवं सूतिकावस्था में ओडेमा एवं हापरटेंशन विकार#	0.05	0.09	0.08	0.09
238	प्लेसेंटा, प्रवेया, प्लेसेंटा का असमय अलगाव तथा एंटेपार्टम हैमोरहेज	0.04	0.00	0.03	0.07
239	भ्रूण एवं एमनियोटिक कैविटी से संबंधित अन्य प्रसव उपचार तथा संभावित प्रसव की समस्याएं	0.04	0.01	0.02	0.02
240	अबस्ट्रक्टेड लेबर	0.10	0.00	0.04	0.03
241	पोस्टपार्टम हैमोरहेज	0.17	0.15	0.10	0.18
242	गर्भधारण एवं प्रसव में अन्य समस्याएं	0.32	0.19	0.41	0.31
243	सिंगल स्पॉटेनियस डिलीवरी	0.09	0.17	1.10	0.65
244	प्यूरपेरियम और अन्य प्रसूति से जुड़े मुख्य जटिलताएं जो वर्गीकृत नहीं हैं	0.10	0.01	0.02	0.01
245	मातृक कारणों से प्रभावित भ्रूण एवं नवजात और गर्भावस्था, लेबर एवं डिलीवरी के समय जटिलताएं	0.01	0.00	0.00	0.00
246	धीमा भ्रूण विकास, भ्रूण कुपोषण व कम भार से जुड़ी जटिलताएं	0.03	0.00	0.04	0.00
247	जन्म अभिघात	0.01	0.00	0.00	0.01
248	इंटरयूटेरिन हाइपोक्सिया एवं जन्म एसफिक्सिया	0.01	0.00	0.00	0.04
249	नवजात अवधि के दौरान उत्पन्न अन्य रेस्पिरेटरी विकार	0.06	0.01	0.03	0.01
250	जन्मजात संक्रमण एवं पैरासाइटिक रोग	0.08	0.01	0.01	0.05
251	नवजात के दौरान उत्पन्न अन्य संक्रामक रोग	0.04	0.00	0.01	0.00
252	भ्रूण एवं नवजात के हेमोलिटिक रोग	0.04	0.03	0.06	0.03
253	पेरीनटल अवधि में उत्पन्न अन्य स्थिति	0.05	0.00	0.03	0.01
254	स्पिना बिफिदा	0.04	0.00	0.01	0.00
255	तंत्रिका तंत्र की अन्य जन्मजात विकृति	0.01	0.00	0.01	0.01
256	रक्तनलिका तंत्र के जन्मजात विकृति	0.06	0.00	0.02	0.01
257	क्लेफ्ट लिप एवं क्लेफ्ट पैलेट	0.01	0.00	0.00	0.01
258	छोटी आंत की अनुपस्थिति, अटरेसिया एवं स्टोनोसिस	0.02	0.00	0.01	0.01
259	पाचन तंत्र की अन्य जन्मजात विकृतियां	0.03	0.03	0.08	0.06
260	अनडेससेंडेड टेस्टिकल	0.05	0.04	0.02	0.01
261	जेनिटो-यूरीनरी सिस्टम के अन्य जन्मजात रोग	0.05	0.07	0.03	0.03
262	कूल्हे की जन्मजात विकृति	0.03	0.07	0.01	0.07
263	पैरों की जन्मजात विकृति	0.03	0.02	0.02	0.03



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
223	Disorders of breast	0.20	0.16	0.24	0.21
224	Salpingitis and Oophoritis	0.12	0.09	0.92	1.41
225	Inflammatory disease of cervix uteri	0.26	0.12	0.32	0.25
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs	1.44	0.96	1.77	1.38
227	Endometriosis	0.17	0.05	0.12	0.12
228	Female genital prolapse	0.14	0.15	0.17	0.12
229	Noninflammatory disorders of ovary, Fallopian tube and broad ligament	0.17	0.03	0.09	0.06
230	Disorders of menstruation	1.86	1.36	2.22	1.82
231	Menopausal and other perimenopausal disorders	0.47	0.42	0.65	0.46
232	Female infertility	0.31	0.17	0.27	0.29
233	Other disorders of genito-urinary tract	0.80	0.51	0.90	0.69
234	Spontaneous abortion	0.06	0.08	0.13	0.28
235	Medical abortion	0.08	0.03	0.09	0.09
236	Other pregnancies with abortive outcome	0.07	0.02	0.08	0.08
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium#	0.05	0.09	0.08	0.09
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage	0.04	0.00	0.03	0.07
239	Other maternal care related to foetus and amniotic cavity and possible delivery problems	0.04	0.01	0.02	0.02
240	Obstructed labour	0.10	0.00	0.04	0.03
241	Postpartum haemorrhage	0.17	0.15	0.10	0.18
242	Other complications of pregnancy and delivery	0.32	0.19	0.41	0.31
243	Single spontaneous delivery	0.09	0.17	1.10	0.65
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified	0.10	0.01	0.02	0.01
245	Foetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	0.01	0.00	0.00	0.00
246	Slow foetal growth, foetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight	0.03	0.00	0.04	0.00
247	Birth trauma	0.01	0.00	0.00	0.01
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	0.01	0.00	0.00	0.04
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period	0.06	0.01	0.03	0.01
250	Congenital infectious and parasitic diseases	0.08	0.01	0.01	0.05
251	Other infections specific to the perinatal period	0.04	0.00	0.01	0.00
252	Haemolytic disease of foetus and newborn	0.04	0.03	0.06	0.03
253	Other conditions originating in the perinatal period	0.05	0.00	0.03	0.01
254	Spina bifida	0.04	0.00	0.01	0.00
255	Other congenital malformations of the nervous system	0.01	0.00	0.01	0.01
256	Congenital malformations of the circulatory system	0.06	0.00	0.02	0.01
257	Cleft lip and cleft palate	0.01	0.00	0.00	0.01
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine	0.02	0.00	0.01	0.01
259	Other congenital malformations of the digestive system	0.03	0.03	0.08	0.06
260	Undescended testicle	0.05	0.04	0.02	0.01
261	Other malformations of the genito-urinary system	0.05	0.07	0.03	0.03
262	Congenital deformities of hip	0.03	0.07	0.01	0.07
263	Congenital deformities of feet	0.03	0.02	0.02	0.03



कारण समूह संख्या	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
264	मसकुलसकेलेटल सिस्टम की अन्य जन्मजात कुरूपता एवं विकृति	0.04	0.00	0.02	0.00
265	अन्य जन्मजात कुरूपता	0.31	0.23	0.24	0.26
266	गुणसूत्र असामान्यता, अन्यत्र वर्गीकृत न हो	0.39	0.04	0.21	0.08
267	उदर एवं श्रोणि का दर्द	5.87	4.47	6.38	5.11
268	बुखार एवं अज्ञात कारण	21.94	15.97	22.84	18.70
269	सेनिलिटी	0.89	0.27	1.99	0.75
270	अन्य लक्षण, चिह्न एवं एबनॉरमल क्लिनिकल एवं प्रयोगशालाओं के निष्कर्ष अन्यत्र वर्गीकृत न हो।	2.67	1.80	2.93	1.98
271	सिर एवं मुंह के हड्डियों की टूट-फूट	0.24	0.16	0.23	0.15
272	गला, थोरेक्स या पेलविस की टूट-फूट	0.14	0.14	0.04	0.02
273	जांघ की हड्डी की टूट-फूट	0.29	0.17	0.16	0.13
274	अन्य जोड़ वाली हड्डियों की टूट-फूट	0.96	0.62	0.50	0.42
275	मल्टी बॉडी रिजन वाली टूट-फूट	0.45	0.32	0.37	0.33
276	निर्धारित एवं मल्टी बॉडी रिजन के डिस्लोकेशन, स्प्रेन्स एवं स्ट्रेन	2.29	1.81	2.05	1.92
277	आंख एवं आंख के गाढ़े क्षेत्र में चोट	0.58	0.67	0.75	0.62
278	इंट्राक्रैनियल चोट	0.19	0.10	0.12	0.11
279	अन्य आंतरिक अंगों की चोट	0.21	0.12	0.22	0.13
280	निर्दिष्ट एवं मल्टी बॉडी रिजन के घातक चोट एवं ट्रामैटिक एम्पुटेशन	1.44	0.96	0.78	0.66
281	निर्दिष्ट, अविनिर्दिष्ट एवं मल्टी बॉडी रिजन के अन्य चोट	6.37	4.64	4.92	3.79
282	नेचुरल ओरीफिस के माध्यम से घुसे फारेन बॉडी के परिणाम	0.23	0.07	0.21	0.13
283	बर्न एवं कोरोजन	1.32	0.99	1.30	0.99
284	दवाओं से जहर एवं जैविक तत्व	0.05	0.03	0.31	0.02
285	तत्वों का विषेला प्रभाव मुख्यतः स्रोत से गैर औषधीय	0.24	0.08	0.10	0.13
286	दुर्व्यवहार लक्षण	0.14	0.05	0.02	0.02
287	बाहरी कारणों से अन्य एवं अविनिर्दिष्ट कार्य	0.51	0.33	0.60	0.28
288	ट्रामा से जुड़ी कुछ जटिलताएं तथा सर्जिकल एवं चिकित्सा देखरेख जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है।	0.23	0.10	0.27	0.12
289	बाहरी कारणों से अन्य व्युत्क्राम तथा जहर से दुष्प्रभाव के परिणाम	0.12	0.11	0.04	0.02
290	परीक्षण एवं जांच के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सामना कर रहे व्यक्ति	0.40	0.29	0.39	0.29
291	एम्टोमैटिक ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिंएसी वायरस (एचआईवी) संक्रमण स्थिति	0.02	0.00	0.01	0.01
292	संक्रमणीय रोगों से संभावित स्वास्थ्य जनक खतरों वाले अन्य व्यक्ति	0.90	0.28	0.03	0.01
293	गर्भनिरोधक प्रबंधन	0.96	0.34	0.58	0.39
294	जन्मपूर्व जांच एवं गर्भावास्था की अन्य निगरानी	1.18	0.84	4.75	0.81
295	जन्म-स्थान के अनुरूप नवजात शिशु	0.13	0.05	1.04	0.58
296	पोस्टपार्टम केयर एवं परीक्षण	0.38	0.40	0.21	0.14
297	विशेष प्रक्रियाओं एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सामना करने वाले व्यक्ति	0.20	0.12	0.13	0.08
298	अन्य कारणों से स्वास्थ्य सेवाओं का सामना करने वाले व्यक्ति	1.52	1.22	0.76	2.03
	कुल (नये मामलों की संख्या)	434.28	319.54	445.16	349.12

प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system	0.04	0.00	0.02	0.00
265	Other congenital malformations	0.31	0.23	0.24	0.26
266	Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified	0.39	0.04	0.21	0.08
267	Abdominal and pelvic pain	5.87	4.47	6.38	5.11
268	Fever of unknown origins	21.94	15.97	22.84	18.70
269	Senility	0.89	0.27	1.99	0.75
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	2.67	1.80	2.93	1.98
271	Fracture of skull and facial bones	0.24	0.16	0.23	0.15
272	Fracture of neck, thorax or pelvis	0.14	0.14	0.04	0.02
273	Fracture of femur	0.29	0.17	0.16	0.13
274	Fractures of other limb bones	0.96	0.62	0.50	0.42
275	Fractures involving multiple body regions	0.45	0.32	0.37	0.33
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions	2.29	1.81	2.05	1.92
277	Injury of eye and orbit	0.58	0.67	0.75	0.62
278	Intracranial injury	0.19	0.10	0.12	0.11
279	Injury of other internal organs	0.21	0.12	0.22	0.13
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions	1.44	0.96	0.78	0.66
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	6.37	4.64	4.92	3.79
282	Effects of foreign body entering through natural orifice	0.23	0.07	0.21	0.13
283	Burns and corrosions	1.32	0.99	1.30	0.99
284	Poisoning by drugs and biological substances	0.05	0.03	0.31	0.02
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source	0.24	0.08	0.10	0.13
286	Maltreatment syndromes	0.14	0.05	0.02	0.02
287	Other and unspecified effects of external causes	0.51	0.33	0.60	0.28
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, not elsewhere classified	0.23	0.10	0.27	0.12
289	Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes	0.12	0.11	0.04	0.02
290	Persons encountering health services for examination and investigation	0.40	0.29	0.39	0.29
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status	0.02	0.00	0.01	0.01
292	Other persons with potential health hazards related to communicable disease	0.90	0.28	0.03	0.01
293	Contraceptive management	0.96	0.34	0.58	0.39
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy	1.18	0.84	4.75	0.81
295	Liveborn infants according to place of birth	0.13	0.05	1.04	0.58
296	Postpartum care and examination	0.38	0.40	0.21	0.14
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care	0.20	0.12	0.13	0.08
298	Persons encountering health services for other reasons	1.52	1.22	0.76	2.03
	Total (Number of new cases)	434.28	319.54	445.16	349.12

Per 1000 insured women employees exposed



परिशिष्ट - III-ड

वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए परिवार कल्याण का वार्षिक तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	राज्य	वर्ष	नसबन्दी	नलीबन्दी	वास्तविक बंध्यकरण	अन्तः गर्भ उपाय	गर्भ का चिकित्सीय समापन	निरोध	गर्भ निरोधक गोलियां	बंध्यकरण समकक्ष	कुल बंध्यकरण	बंध्यकरण प्रति हजार
1	आंध्र प्रदेश	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
2	असम एवं मेघालय	2015-16	0	0	0	0	0	781	37	0	0	0.00
		2016-17	0	0	0	0	0	1230	39	0	0	0.00
		2017-18	0	0	0	0	0	1292	0	0	0	0.00
3	बिहार	2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0.00
		2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0.00
		2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0.00
4	चंडीगढ़ (प्रशा.)	2015-16	0	5	5	20	19	960	26	6	11	0.98
		2016-17	10	173	183	550	35	40740	2459	235	418	37.61
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	1500	7	0	0	0.00
5	दिल्ली	2015-16	0	377	377	548	216	98955	3342	286	663	4.57
		2016-17	0	285	285	848	331	141929	4636	431	716	3.77
		2017-18	12	31	43	120	63	211310	2019	223	266	0.85
6	गुजरात	2015-16	2	222	224	159	114	26716	6008	122	346	2.87
		2016-17	0	149	149	113	54	13701	4357	85	234	1.51
		2017-18	2	67	69	29	28	13434	5036	52	121	0.51
7	गोवा	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0.00
8	हरियाणा	2015-16	43	296	339	932	155	79106	5515	417	756	5.30
		2016-17	2	96	98	279	64	57340	1316	148	246	0.98
		2017-18	15	724	739	1757	33	183239	9101	872	1611	3.38
9	हिमाचल प्रदेश	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
11	कर्नाटक	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
12	केरल	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
13	महाराष्ट्र, नागपुर	2015-16	1	52	53	253	0	4087	650	92	145	0.50
		2016-17	11	43	54	114	15	2523	301	42	96	0.25
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00



APPENDIX - III-E

Annual Comparative Statement of family welfare for the year 2015-16, 2016-17 & 2017-18

S No.	Name of State	Years	Vasectomy	Tubectomy	Actual Steriz.	I.U.D	M.T.P	Nirodh	Oral Pills	Equal steriliz.	Total Steriz.	Sterilisation per thousand	
1	Andhra Pradesh	2015-16	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00	
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00	
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
2	Assam & Meghalaya	2015-16	0	0	0	0	0	781	37	0	0	0.00	
		2016-17	0	0	0	0	0	1230	39	0	0	0.00	
		2017-18	0	0	0	0	0	1292	0	0	0	0.00	
3	Bihar	2015-16	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0	0	0.00	
		2016-17	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0	0	0.00	
		2017-18	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0	0	0.00
4	Chandigarh(Admn.)	2015-16	0	5	5	20	19	960	26	6	11	0.98	
		2016-17	10	173	183	550	35	40740	2459	235	418	37.61	
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	1500	7	0	0	0.00	
5	Delhi	2015-16	0	377	377	548	216	98955	3342	286	663	4.57	
		2016-17	0	285	285	848	331	141929	4636	431	716	3.77	
		2017-18	12	31	43	120	63	211310	2019	223	266	0.85	
6	Gujarat	2015-16	2	222	224	159	114	26716	6008	122	346	2.87	
		2016-17	0	149	149	113	54	13701	4357	85	234	1.51	
		2017-18	2	67	69	29	28	13434	5036	52	121	0.51	
7	Goa	2015-16	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00	
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2017-18	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0	0	0.00
8	Haryana	2015-16	43	296	339	932	155	79106	5515	417	756	5.30	
		2016-17	2	96	98	279	64	57340	1316	148	246	0.98	
		2017-18	15	724	739	1757	33	183239	9101	872	1611	3.38	
9	Himachal Pradesh	2015-16	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00	
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
10	Jammu & Kashmir	2015-16	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
11	Karnataka	2015-16	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
12	Kerala	2015-16	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
13	Maharashtra, Nagpur	2015-16	1	52	53	253	0	4087	650	92	145	0.50	
		2016-17	11	43	54	114	15	2523	301	42	96	0.25	
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00



क्र. सं.	राज्य	वर्ष	नसबन्दी	नलीबन्दी	वास्तविक बंध्यकरण	अन्तः गर्भ उपाय	गर्भ का चिकित्सीय समापन	निरोध	गर्भ निरोधक गोलियां	बंध्यकरण समकक्ष	कुल बंध्यकरण	बंध्यकरण प्रति हजार
14	मध्य प्रदेश	2015-16	33	545	578	443	68	57233	5549	255	833	17.57
		2016-17	23	390	413	249	32	29214	4111	140	553	6.75
		2017-18	3	471	474	180	8	49333	3659	122	596	4.70
15	ओडिशा	2015-16	1	43	44	25	28	7583	2141	30	74	1.95
		2016-17	2	6	8	9	6	1926	676	10	18	0.95
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0
16	पुदुच्चेरी	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	1	4	5	3	2	0	3	0	5	0.26
17	पंजाब	2015-16	0	133	133	56	41	290	241	15	148	1.32
		2016-17	0	124	124	64	35	1447	428	26	150	1.16
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0
18	राजस्थान	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0
19	तमिलनाडु	2015-16	0	306	306	46	48	430	28	12	318	1.08
		2016-17	0	257	257	31	52	822	137	11	268	0.59
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0
20	उत्तर प्रदेश	2015-16	10	334	344	1041	499	46229	40778	730	1074	7.80
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0
21	पश्चिम बंगाल	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0
22	झारखंड	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0
23	छत्तीसगढ़	2015-16	0	9	9	7	9	345	16	2	11	0.35
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	0	26	26	22	20	2440	296	9	35	0.52
24	उत्तराखंड	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0	0.00
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0
25	तेलंगाना	2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0.00
		2016-17	55	56	111	272	33	0	0	90	201	1.14
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0	0
कुल		2015-16	103	1579	1682	2529	657	290872	18460	1218	2900	41.73
		2016-17	60	1072	1132	1897	198	464252	19994	1155	2287	9.88
		2017-18	32	1319	1351	2108	152	459756	20111	1278	2629	9.96

प्रा.न. - विवरण प्राप्त नहीं

ANNUAL REPORT 2017-18



S No.	Name of State	Years	Vasectomy	Tubectomy	Actual Steriz.	I.U.D	M.T.P	Nirodh	Oral Pills	Equal steriz.	Total Steriz.	Sterilisation per thousand	
14	Madhya Pradesh	2015-16	33	545	578	443	68	57233	5549	255	833	17.57	
		2016-17	23	390	413	249	32	29214	4111	140	553	6.75	
		2017-18	3	471	474	180	8	49333	3659	122	596	4.70	
15	Odisha	2015-16	1	43	44	25	28	7583	2141	30	74	1.95	
		2016-17	2	6	8	9	6	1926	676	10	18	0.95	
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
16	Puducherry	2015-16	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00	
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00	
		2017-18	1	4	5	3	2	0	3	0	5	0.26	
17	Punjab	2015-16	0	133	133	56	41	290	241	15	148	1.32	
		2016-17	0	124	124	64	35	1447	428	26	150	1.16	
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
18	Rajasthan	2015-16	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00	
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00	
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
19	Tamil Nadu	2015-16	0	306	306	46	48	430	28	12	318	1.08	
		2016-17	0	257	257	31	52	822	137	11	268	0.59	
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
20	Uttar Pradesh	2015-16	10	334	344	1041	499	46229	40778	730	1074	7.80	
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
21	West Bengal	2015-16	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00	
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
22	Jharkhand	2015-16	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00	
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
23	Chhattisgarh	2015-16	0	9	9	7	9	345	16	2	11	0.35	
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2017-18	0	26	26	22	20	2440	296	9	35	0.52	
24	Uttarakhand	2015-16	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00	
		2016-17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
25	Telangana	2015-16	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	0	0	0.00	
		2016-17	55	56	111	272	33	0	0	90	201	1.14	
		2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0	0.00
Total		2015-16	103	1579	1682	2529	657	290872	18460	1218	2900	41.73	
		2016-17	60	1072	1132	1897	198	464252	19994	1155	2287	9.88	
		2017-18	32	1319	1351	2108	152	459756	20111	1278	2629	9.96	

NR - Not received



परिशिष्ट - III-च

वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 अवधि के प्रतिरक्षण के लिए वार्षिक तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष	बी.सी.जी.	खसरा	डी.पी.टी.	पोलियो	कुल
1	आंध्र प्रदेश	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
2	असम एवं मेघालय	2015-16	86	0	86	86	258
		2016-17	130	0	130	130	390
		2017-18	30	1	14	34	79
3	बिहार	2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
		2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
		2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
4	चंडीगढ़ (प्रशा.)	2015-16	864	1393	1127	2549	359
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	5933
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
5	दिल्ली	2015-16	2261	2281	3929	6417	28932
		2016-17	2256	2104	4468	6436	14888
		2017-18	2351	2198	4512	6581	15642
6	गुजरात	2015-16	458	79	90	1930	2207
		2016-17	360	93	90	686	2557
		2017-18	77	150	263	678	1168
7	गोवा	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
8	हरियाणा	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	14869
		2016-17	2124	5209	2924	6434	0
		2017-18	2206	4861	3588	7868	18523
9	हिमाचल प्रदेश	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
10	जम्मू एवं कश्मीर	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
11	कर्नाटक	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
12	केरल	2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
13	महाराष्ट्र एवं नागपुर	2015-16	198	423	1838	57	4685
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	2516
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0



APPENDIX - III-F

Annual Comparative Statement of immunization for the period year 2015-16, 2016-17 & 2017-18

S. No.	Name of State	Years	B.C.G	Measels	D.P.T	POLIO	Total
1	Andhra Pradesh	2015-16	NR	NR	NR	NR	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
2	Assam & Meghalaya	2015-16	86	0	86	86	258
		2016-17	130	0	130	130	390
		2017-18	30	1	14	34	79
3	Bihar	2015-16	NIL	NIL	NIL	NIL	0
		2016-17	NIL	NIL	NIL	NIL	0
		2017-18	NIL	NIL	NIL	NIL	0
4	Chandigarh (Admn.)	2015-16	864	1393	1127	2549	359
		2016-17	NR	NR	NR	NR	5933
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
5	Delhi	2015-16	2261	2281	3929	6417	28932
		2016-17	2256	2104	4468	6436	14888
		2017-18	2351	2198	4512	6581	15642
6	Gujarat	2015-16	458	79	90	1930	2207
		2016-17	360	93	90	686	2557
		2017-18	77	150	263	678	1168
7	Goa	2015-16	NR	NR	NR	NR	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NIL	NIL	NIL	NIL	0
8	Haryana	2015-16	NR	NR	NR	NR	14869
		2016-17	2124	5209	2924	6434	0
		2017-18	2206	4861	3588	7868	18523
9	Himachal Pradesh	2015-16	NR	NR	NR	NR	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
10	Jammu & Kashmir	2015-16	NR	NR	NR	NR	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
11	Karnataka	2015-16	NR	NR	NR	NR	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
12	Kerala	2015-16	NIL	NIL	NIL	NIL	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
13	Maharashtra, Nagpur	2015-16	198	423	1838	57	4685
		2016-17	NR	NR	NR	NR	2516
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0



क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष	बी.सी.जी.	खसरा	डी.पी.टी.	पोलियो	कुल
14	मध्य प्रदेश	2015-16	733	696	3645	2799	8614
		2016-17	387	621	2529	2089	7873
		2017-18	435	400	1382	1817	4034
15	ओडिशा	2015-16	344	158	2470	2540	13357
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	5512
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
16	पुदुच्चेरी	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
17	पंजाब	2015-16	765	52	192	469	1905
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	1478
		2017-18	0	15	10	30	55
18	राजस्थान	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
19	तमिलनाडु	2015-16	680	606	306	2494	5277
		2016-17	193	103	78	903	4086
		2017-18	798	0	151	2577	3526
20	उत्तर प्रदेश	2015-16	1363	1937	7905	7959	19164
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
21	पश्चिम बंगाल	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
22	झारखंड	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
23	छत्तीसगढ़	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	0	71	0	0	71
24	उत्तराखंड	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
25	तेलंगाना	2015-16	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2016-17	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
		2017-18	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	0
कुल		2015-16	8645	6258	16243	26916	58062
		2016-17	5450	8130	10219	16678	40477
		2017-18	5897	7696	9920	19585	43098

प्रा.न. – प्राप्त नहीं



S. No.	Name of State	Years	B.C.G	Measels	D.P.T	POLIO	Total
14	Madhya Pradesh	2015-16	733	696	3645	2799	8614
		2016-17	387	621	2529	2089	7873
		2017-18	435	400	1382	1817	4034
15	Odisha	2015-16	344	158	2470	2540	13357
		2016-17	NR	NR	NR	NR	5512
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
16	Puducherry	2015-16	NR	NR	NR	NR	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
17	Punjab	2015-16	765	52	192	469	1905
		2016-17	NR	NR	NR	NR	1478
		2017-18	0	15	10	30	55
18	Rajasthan	2015-16	NR	NR	NR	NR	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
19	Tamil Nadu	2015-16	680	606	306	2494	5277
		2016-17	193	103	78	903	4086
		2017-18	798	0	151	2577	3526
20	Uttar Pradesh	2015-16	1363	1937	7905	7959	19164
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
21	West Bengal	2015-16	NR	NR	NR	NR	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
22	Jharkhand	2015-16	NR	NR	NR	NR	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
23	Chhattisgarh	2015-16	NR	NR	NR	NR	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	0	71	0	0	71
24	Uttarakhand	2015-16	NR	NR	NR	NR	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
25	Telangana	2015-16	NR	NR	NR	NR	0
		2016-17	NR	NR	NR	NR	0
		2017-18	NR	NR	NR	NR	0
Total		2015-16	8645	6258	16243	26916	58062
		2016-17	5450	8130	10219	16678	40477
		2017-18	5897	7696	9920	19585	43098

NR - Not received



परिशिष्ट - III- छ

देश के विभिन्न राज्यों में 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों में उपलब्ध कराई जा रही आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी) सुविधाओं को दर्शाता विवरण

क) क.रा.बी. निगम अस्पतालों में आयुर्वेदिक इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेदिक इकाई का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की सं.
1.	असम, बेलतला	बेलतला, गुवाहाटी	01
2.	बिहार	फुलवारी शरीफ, पटना	01
3.	दिल्ली	बसईदारापुर	01
4.	दिल्ली	झिलमिल	01
5.	दिल्ली	ओखला	01
6.	दिल्ली	रोहिणी	01
7.	गुजरात	बापू नगर, अहमदाबाद	01
8.	गुजरात	वापी	01
9.	हरियाणा	फरीदाबाद	01
10.	हरियाणा	गुरुग्राम	01
11.	हरियाणा	मानेसर	01
12.	हिमाचल प्रदेश	बढ़ी	01
13.	जम्मू व कश्मीर	बारी ब्रहमणा	01
14.	झारखंड	आदित्यपुर	01
15.	झारखंड	नामकुम, रांची	01
16.	कर्नाटक	राजाजीनगर, बैंगलुरु	01
17.	कर्नाटक	पीनिया, बैंगलुरु	01
18.	केरल	अक्षरामम कोल्लम	01
19.	केरल	एज्हुकोने	01
20.	केरल	उद्योगमंडल	01
21.	मध्य प्रदेश	नंदनगर, इंदौर	01
22.	महाराष्ट्र	अंधेरी, मुम्बई	01
23.	ओडिशा	राउरकेला	01
24.	पंजाब	चंडीगढ़	01
25.	पंजाब	भारत नगर, लुधियाना	01
26.	राजस्थान	भिवाडी	01
27.	राजस्थान	जयपुर	01
28.	तमिलनाडु	के.के. नगर, चेन्नै	01
29.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	01
30.	तेलंगाना	सनतनगर, हैदराबाद	01
31.	उत्तर प्रदेश	नोएडा	01
32.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	01
33.	उत्तर प्रदेश	साहिबाबाद	01
34.	पश्चिम बंगाल	जोका	01
	कुल इकाइयां		34



APPENDIX- III-G

Statement showing facilities provided in AYUSH (Ayurvedic, Yoga, Unani, Siddha & Homeopathy) in the various states of the country as on 31.03.2018 in ESI Hospitals/Dispensaries

A) AYURVEDIC Units in ESIC Hospitals

Sr. No.	State	Location of Ayurvedic Units	No. of Ayurvedic Units
1.	Assam, Beltola	Beltola, Guwahati	01
2.	Bihar	Phlwarisharif, Patna	01
3.	Delhi	Basaidarapur	01
4.	Delhi	Jhilmil	01
5.	Delhi	Okhla	01
6.	Delhi	Rohini	01
7.	Gujarat	Bapu Nagar, Ahmadabad	01
8.	Gujarat	Vapi	01
9.	Haryana	Faridabad	01
10.	Haryana	Gurugram	01
11.	Haryana	Manesar	01
12.	Himachal Pradesh	Baddi	01
13.	Jammu & Kashmir	Bari Brahmana	01
14.	Jharkhand	Adityapur	01
15.	Jharkhand	Namkum, Ranchi	01
16.	Karnataka	Rajainagar, Bengaluru	01
17.	Karnataka	Peenya, Bengaluru	01
18.	Kerala	Ashramam Kollam	01
19.	Kerala	Ezhukone	01
20.	Kerala	Udyogmandal	01
21.	Madhya Pradesh	Nanda Nagar, Indore	01
22.	Maharashtra	Andheri, Mumbai	01
23.	Odisha	Rourkela	01
24.	Punjab	Chandigarh	01
25.	Punjab	Bharat Nagar, Ludhiana	01
26.	Rajasthan	Bhiwadi	01
27.	Rajasthan	Jaipur	01
28.	Tamil Nadu	K.K. Nagar, Chennai	01
29.	Tamil Nadu	Tirunelveli	01
30.	Telangana	Sanathnagar, Hyderabad	01
31.	Uttar Pradesh	Noida	01
32.	Uttar Pradesh	Lucknow	01
33.	Uttar Pradesh	Sahibabad	01
34.	West Bengal	Joka	01
	Total Units		34



ख) क.रा.बी. निगम अस्पतालों में पंचकर्म थिरेपी इकाइयां

1. क.रा.बी. निगम अस्पताल रोहिणी, दिल्ली
2. क.रा.बी. निगम अस्पताल चंडीगढ़
3. क.रा.बी. निगम अस्पताल फरीदाबाद, हरियाणा
4. क.रा.बी. निगम अस्पताल बापू नगर, अहमदाबाद
5. क.रा.बी. निगम अस्पताल लखनऊ (उ.प्र.)
6. क.रा.बी. निगम अस्पताल के.के. नगर, चेन्नै
7. क.रा.बी. निगम अस्पताल एजहुकोने, केरल
8. क.रा.बी. निगम अस्पताल राजाजीनगर, बँगलुरु
9. क.रा.बी. निगम अस्पताल सनत नगर, तेलंगाना

ग) क.रा.बी. निगम अस्पतालों में क्षार सूत्र इकाइयां

1. क.रा.बी. निगम अस्पताल बेलतला, गुवाहाटी
2. क.रा.बी. निगम अस्पताल बापूनगर, अहमदाबाद
3. क.रा.बी. निगम अस्पताल बारी ब्रहमणा, जम्मू

घ) आयुर्वेदिक इकाइयों के लिए क.रा.बी. निगम अस्पतालों में आबंटित बिस्तरों की संख्या

1. क.रा.बी. निगम अस्पताल बेलतला, गुवाहाटी - 02
 2. क.रा.बी. निगम अस्पताल बापू नगर - 25
 3. क.रा.बी. निगम अस्पताल एजहुकोने, केरल - 10
 4. क.रा.बी. निगम अस्पताल आश्रमम, कोल्लम, केरल - 03
 5. क.रा.बी. निगम अस्पताल भारत नगर, लुधियाना - 02
 6. क.रा.बी. निगम अस्पताल बरीब्राह्मणा, जम्मू एवं कश्मीर - 02
 7. क.रा.बी. निगम अस्पताल झिलमिल, दिल्ली - 10
- क.रा.बी. निगम अस्पताल में कुल बिस्तरों की संख्या - 54

ङ) क.रा.बी. निगम औषधालयों में आयुर्वेदिक इकाइयां

क्र.सं	राज्य	दिल्ली एनसीआर में क.रा.बी. निगम औषधालयों का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
1.	दिल्ली	आज़ादपुर	01
2.	दिल्ली	द्वारका सैक्टर-7	01
3.	दिल्ली	कालकाजी	01
4.	दिल्ली	मंगोलपुरी	01
5.	दिल्ली	मायापुरी- I I	01
6.	दिल्ली	मयूर विहार	01
7.	दिल्ली	मोदी मील	01
8.	दिल्ली	नजफगढ़	01
9.	दिल्ली	नंद नगरी	01
10.	दिल्ली	एनआईए- I	01
11.	दिल्ली	पहाड़गंज	01
12.	दिल्ली	रोहिणी सैक्टर-5	01
13.	दिल्ली	सरोजनी नगर	01



B) Panchkarma Therapy Units in ESIC Hospitals

1. ESIC Rohini – Delhi
2. ESIC Chandigarh
3. ESIC Faridabad, Haryana
4. ESIC Bapu Nagar, Ahmadabad
5. ESIC Lucknow (U.P.)
6. ESIC K.K. Nagar, Chennai
7. ESIC Ezhukone- Kerala
8. ESIC Rajaji Nagar, Bengalore
9. ESIC Sanath Nagar, Telangana

C) Kshar Sutra Units in ESIC Hospitals

1. ESIC Beltola, Guwahati
2. ESIC Bapunagar, Ahmadabad
3. ESIC Bari Brahmna , Jammu

D) No. of Beds allotted in ESIC Hospitals for Ayurveda units

1. ESIC Beltola, Guwahati	-	02
2. ESIC Bapunagar	-	25
3. ESIC Ezhukone Kerala	-	10
4. ESIC Asramam, Kollam, Kerala	-	03
5. ESIC Bharat Nagar, Ludhiana	-	02
6. ESIC Bari Brahmna , J&K	-	02
7. ESIC Jhilmil, Delhi	-	10
Total Beds in ESIC Hospitals	-	54

E) Ayurvedic units in ESIC Dispensaries

Sr. No.	State	Location of the ESIC Dispensaries in Delhi NCR	No. of Ayurvedic Units
1.	Delhi	Azad Pur	01
2.	Delhi	Dwarka Sector -7	01
3.	Delhi	Kalkaji	01
4.	Delhi	Mangol Puri	01
5.	Delhi	Maya Puri -II	01
6.	Delhi	Mayur Vihar	01
7.	Delhi	Modi Mill	01
8.	Delhi	Najafgarh	01
9.	Delhi	Nand Nagri	01
10.	Delhi	NIA-I	01
11.	Delhi	Pahar Ganj	01
12.	Delhi	Rohini Sec.-5	01
13.	Delhi	Sarojini Nagar	01



क्र.सं	राज्य	दिल्ली एनसीआर में क.रा.बी. निगम औषधालयों का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
14.	दिल्ली	सीलमपुर	01
15.	दिल्ली	शास्त्री नगर	01
16.	दिल्ली	तिलक विहार	01
17.	दिल्ली	वज़ीर पुर	01
18.	उत्तर प्रदेश	नोएडा सैक्टर-12	01
	कुल इकाइयां		18

च) क.रा.बी. निगम अस्पतालों में होमियोपैथिक इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	होमियोपैथिक इकाइयों का स्थान	होमियोपैथिक इकाइयों की संख्या
1.	असम, बेलतला	बेलतला, गुवाहाटी	01
2.	दिल्ली	बसईदारापुर	01
3.	दिल्ली	झिलमिल	01
4.	दिल्ली	ओखला	01
5.	दिल्ली	रोहिणी	01
6.	गुजरात	बापू नगर, अहमदाबाद	01
7.	गुजरात	नरोदा	01
8.	हरियाणा	फरीदाबाद	01
9.	हरियाणा	गुरुग्राम	01
10.	हरियाणा	मानेसर	01
11.	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	01
12.	जम्मू व कश्मीर	बारी ब्रहमणा	01
13.	झारखंड	नामकुम, रांची	01
14.	कर्नाटक	राजाजीनगर, बैंगलुरु	01
15.	कर्नाटक	पीनिया, बैंगलुरु	01
16.	केरल	अक्षरामम, कोल्लम	01
17.	केरल	एज्हुकोने	01
18.	केरल	उद्योगमंडल	01
19.	मध्य प्रदेश	नंद नगर, इंदौर	01
20.	महाराष्ट्र	अंधेरी, मुम्बई	01
21.	ओडिशा	राउरकेला	01
22.	पंजाब	चंडीगढ़	01
23.	पंजाब	लुधियाना	01
24.	राजस्थान	जयपुर	01
25.	राजस्थान	भिवाड़ी	01
26.	तमिलनाडु	के.के. नगर, चेन्नै	01
27.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	01
28.	उत्तर प्रदेश	नोएडा	01
29.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	01
30.	उत्तर प्रदेश	साहिबाबाद	01
	कुल इकाइयां		30



Sr. No.	State	Location of the ESIC Dispensaries in Delhi NCR	No. of Ayurvedic Units
14.	Delhi	Seelampur	01
15.	Delhi	Shastri Nagar	01
16.	Delhi	Tilak Vihar	01
17.	Delhi	Wazirpur	01
18.	Uttar Pradesh	Noida Sec. -12	01
	Total		18

F) Homeopathic Units in ESIC Hospitals

Sr. No.	State	Location of Homeopathic Units	No. of Homeopathic Units
1.	Assam, Beltola	Beltola, Guwahati	01
2.	Delhi	Basaidarapur	01
3.	Delhi	Jhilmil	01
4.	Delhi	Okhla	01
5.	Delhi	Rohini	01
6.	Gujarat	Bapu Nagar, Ahmadabad	01
7.	Gujarat	Naroda	01
8.	Haryana	Faridabad	01
9.	Haryana	Gurugram	01
10.	Haryana	Manesar	01
11.	Himachal Pradesh	Baddi	01
12.	Jammu & Kashmir	Bari Brahmna, Jammu	01
13.	Jharkhand	Namkum, Ranchi	01
14.	Karnataka	Rajajinagar, Bengaluru	01
15.	Karnataka	Peenya, Bengaluru	01
16.	Kerala	Ashramam, Kollam	01
17.	Kerala	Ezhukone	01
18.	Kerala	Udyogmandal	01
19.	Madhya Pradesh	Nanda Nagar, Indore	01
20.	Maharashtra	Andheri, Mumbai	01
21.	Odisha	Rourkela	01
22.	Punjab	Chandigarh	01
23.	Punjab	Ludhiana	01
24.	Rajasthan	Jaipur	01
25.	Rajasthan	Bhiwadi	01
26.	Tamil Nadu	K.K. Nagar, Chennai	01
27.	Tamil Nadu	Tirunelveli	01
28.	Uttar Pradesh	Noida	01
29.	Uttar Pradesh	Lucknow	01
30.	Uttar Pradesh	Sahibabd	01
	Total Units		30



छ) क.रा.बी. निगम औषधालयों में होमियोपैथिक इकाइयां

क्र.सं	राज्य	दिल्ली एनसीआर में क.रा.बी. निगम औषधालयों का स्थान	होमियोपैथिक इकाइयों की संख्या
1.	दिल्ली	इंद्रलोक	01
2.	दिल्ली	जंगपुरा	01
3.	दिल्ली	ज्वालापुरी	01
4.	दिल्ली	मंगोलपुरी	01
5.	दिल्ली	मायापुरी- I	01
6.	दिल्ली	मोदी मिल	01
7.	दिल्ली	मोरीगेट	01
8.	दिल्ली	नंद नगरी	01
9.	दिल्ली	एनआईए- I	01
10.	दिल्ली	रघुबीर नगर	01
11.	दिल्ली	रोहिणी सैक्टर-5	01
12.	दिल्ली	सब्जी मंडी	01
13.	दिल्ली	सरोजिनी नगर	01
14.	दिल्ली	तिगड़ी	01
15.	दिल्ली	विश्वकर्मा नगर	01
16.	उत्तर प्रदेश	नोएडा, सैक्टर-12	01
	कुल इकाइयां		16

ज) क.रा.बी. निगम अस्पतालों में योग सुविधा

क्र.सं.	राज्य	योग इकाइयों का स्थान	योग इकाइयों की संख्या
1.	असम, बेलतला	बेलतला, गुवाहाटी	01
2.	दिल्ली	बसईदारापुर	01
3.	गुजरात	बापू नगर, अहमदाबाद	01
4.	गुजरात	नरोड़ा	01
5.	हरियाणा	फरीदाबाद	01
6.	हरियाणा	मानेसर	01
7.	झारखण्ड	रांची नामकुम	01
8.	केरल	आश्रमम, कोल्लम	01
9.	केरल	एज्हुकोने	01
10.	केरल	उद्योगमंडल	01
11.	मध्य प्रदेश	नंदा नगर, इंदौर	01
12.	ओडिशा	राउरकेला	01
13.	राजस्थान	जयपुर	01
14.	तमिलनाडु	के.के. नगर, चेन्नै	01
15.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	01
16.	तेलंगाना	सनत नगर, हैदराबाद	01
17.	उत्तर प्रदेश	नोएडा, सैक्टर-24	01
18.	पश्चिम बंगाल	जोका, कोलकाता	01
	कुल इकाइयां		18



G) Homeopathic Units in ESIC Dispensaries

Sr. No.	State	Name of the ESIC Dispensaries in Delhi NCR	No. of Homeopathic Units
1.	Delhi	Inderlok	01
2.	Delhi	Jangpura	01
3.	Delhi	Jwalapuri	01
4.	Delhi	Mangol Puri	01
5.	Delhi	Maya Puri - I	01
6.	Delhi	Modi Mill	01
7.	Delhi	Mori Gate	01
8.	Delhi	Nand Nagri	01
9.	Delhi	NIA-I	01
10.	Delhi	Raghubir Nagar	01
11.	Delhi	Rohini Sector-5	01
12.	Delhi	Subzi Mandi	01
13.	Delhi	Sarojini Nagar	01
14.	Delhi	Tigri	01
15.	Delhi	Vishwakarma Nagar	01
16.	Uttar Pradesh	Noida Sec.-12	01
	Total Units		16

H) Yoga facilities in ESIC Hospitals

Sr. No.	State	Location of Yoga Unit	No. of Yoga Units
1.	Assam, Beltola	Beltola , Guwahati	01
2.	Delhi	Basaidarapur	01
3.	Gujarat	Bapu Nagar, Ahmadabad	01
4.	Gujarat	Naroda	01
5.	Haryana	Faridabad	01
6.	Haryana	Manesar	01
7.	Jharkhand	Ranchi, Namkum	01
8.	Kerala	Ashramam Kollam	01
9.	Kerala	Ezhukone	01
10.	Kerala	Udyogmandal	01
11.	Madhya Pradesh	Nanda Nagar, Indore	01
12.	Orissa	Rourkela	01
13.	Rajasthan	Jaipur	01
14.	Tamil Nadu	K.K. Nagar Chennai	01
15.	Tamil Nadu	Tirunelveli	01
16.	Telangana	Sanath Nagar, Hyderabad	01
17.	Uttar Pradesh	Noida Sec.-24	01
18.	West Bengal	Joka, Kolkata	01
	Total Units		18



क.रा.बी. योजना अस्पतालों में आयुर्वेदिक इकाइयां

क) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में आयुर्वेदिक इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेदिक इकाई का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	अदोनी	01
2.	आन्ध्र प्रदेश	राजामुन्त्री	01
3.	आन्ध्र प्रदेश	त्रिपाती	01
4.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	01
5.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	01
6.	आन्ध्र प्रदेश	डीसी सुल्लुरपेटा	01
7.	गोवा	मागोवा	01
8.	गुजरात	जीएच, आरएच, अहमदाबाद	01
9.	गुजरात	जीएच, कलोल	01
10.	गुजरात	जीएच, राजकोट	01
11.	गुजरात	जीएच, जामनगर	01
12.	गुजरात	जीएच, भावनगर	01
13.	गुजरात	जीएच, वड़ोदरा	01
14.	गुजरात	जीएच, सूरत	01
15.	गुजरात	जीएच, अंकलेश्वर	01
16.	हरियाणा	जगाधरी	01
17.	हरियाणा	पानीपत	01
18.	कर्नाटक	इन्द्रानगर, बैंगलुरु	01
19.	केरल	मुलमकुन्नुथुकायू, तृशूर	01
20.	महाराष्ट्र	चिंचवाड, पुणे	01
21.	महाराष्ट्र	सतपुर, नाशिक	01
22.	महाराष्ट्र	सिकलथाना, औरंगाबाद	01
23.	महाराष्ट्र	वर्ली, मुंबई	01
24.	महाराष्ट्र	मुलुंड (पश्चिम), मुंबई	01
25.	ओडिशा	ईएसआइएसएच, चौदवार	01
26.	पंजाब	अमृतसर	01
27.	पंजाब	मोहाली	01
28.	पंजाब	जालंधर	01
29.	पंजाब	फगवाड़ा	01
30.	पंजाब	मंडीगोबिन्दगढ़	01
31.	पंजाब	होशियारपुर	01
32.	राजस्थान	जोधपुर	01
33.	तमिलनाडु	आयनावरम	01
34.	तमिलनाडु	होसुर	01
35.	तमिलनाडु	मदुरै	01
36.	तमिलनाडु	सेलम	01
37.	तमिलनाडु	शिवकासी	01
38.	तमिलनाडु	त्रिची	01
39.	तमिलनाडु	वेल्लौर	01
40.	तेलंगाना	नाचरम	01



AYUSH Units in ESIS Hospitals

A) Ayurvedic Units in ESIS Hospitals

Sr. No.	State	Location of Ayurvedic Unit	No. of Ayurvedic Units
1.	Andhra Pradesh	Adoni	01
2.	Andhra Pradesh	Rajahmundry	01
3.	Andhra Pradesh	Tirupathi	01
4.	Andhra Pradesh	Visakhapatnam	01
5.	Andhra Pradesh	Vijayawada	01
6.	Andhra Pradesh	DC Sullurpeta	01
7.	Goa	Margao	01
8.	Gujarat	GH Rh, Ahmadabad	01
9.	Gujarat	Gh Kalol	01
10.	Gujarat	Gh Rajkot	01
11.	Gujarat	Gh Jamnagar	01
12.	Gujarat	Gh Bhavnagar	01
13.	Gujarat	Gh Vadodara	01
14.	Gujarat	Gh Surat	01
15.	Gujarat	Gh Ankleshwar	01
16.	Haryana	Jagadhari	01
17.	Haryana	Panipat	01
18.	Karnataka	Indranagar, Bengaluru	01
19.	Kerala	Mulamkunnathukavu, Thrissur	01
20.	Maharashtra	Chinchwad, Pune	01
21.	Maharashtra	Satpur, Nasik	01
22.	Maharashtra	Chikalthana, Aurangabad	01
23.	Maharashtra	Worli, Mumbai	01
24.	Maharashtra	Mulund (West) Mumbai	01
25.	Orissa	ESISH Choudwar	01
26.	Punjab	Amritsar	01
27.	Punjab	Mohali	01
28.	Punjab	Jalandhar	01
29.	Punjab	Phagwara	01
30.	Punjab	Mandigobindgarh	01
31.	Punjab	Hoshiarpur	01
32.	Rajasthan	Jodhpur	01
33.	Tamil Nadu	Ayanavaram	01
34.	Tamil Nadu	Hosur	01
35.	Tamil Nadu	Madurai	01
36.	Tamil Nadu	Salem	01
37.	Tamil Nadu	Sivakasi	01
38.	Tamil Nadu	Trichy	01
39.	Tamil Nadu	Vellore	01
40.	Telangana	Nacharam	01



क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेदिक इकाई का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
41.	तेलंगाना	रामाचन्द्रपुरम	01
42.	तेलंगाना	जीडिमेटला	01
43.	तेलंगाना	वारंगल	01
44.	उत्तर प्रदेश	पाण्डुनगर, कानपुर	01
45.	उत्तर प्रदेश	किदवई नगर, कानपुर	01
46.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	01
47.	उत्तर प्रदेश	नैनी, इलाहाबाद	01
48.	उत्तर प्रदेश	आगरा	01
49.	उत्तर प्रदेश	बरेली	01
50.	उत्तर प्रदेश	मोदी नगर, गाजियाबाद	01
51.	पश्चिम बंगाल	बंदेल	01
52.	पश्चिम बंगाल	बज बज	01
53.	पश्चिम बंगाल	कमरहाटी	01
54.	पश्चिम बंगाल	सियालदह	01
	कुल इकाइयां		54

ख) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में पंचकर्म थिरैपी

1. सरकारी अस्पताल आरएच, अहमदाबाद
2. सरकारी अस्पताल, कलोल
3. सरकारी अस्पताल, राजकोट
4. सरकारी अस्पताल, जामनगर
5. सरकारी अस्पताल, भावनगर
6. सरकारी अस्पताल, वड़ोदरा
7. सरकारी अस्पताल, सूरत

ग) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में आर्बिटिट क्षार सूत्र थिरैपी

- क.रा.बी. योजना अस्पताल, मुलमकुन्नथुकुवु, त्रिश्शूर, केरल-20

घ) क.रा.बी. योजना औषधालयों में आयुर्वेदिक इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेदिक इकाई का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
1.	बिहार	हाथीदह	01
2.	बिहार	जमल रोड	01
3.	गुजरात	एएचडी डी-1	01
4.	गुजरात	एएचडी डी-2	01
5.	गुजरात	एएचडी डी-3/5/8	01
6.	गुजरात	एएचडी डी-6	01
7.	गुजरात	एएचडी डी-10	01
8.	गुजरात	एएचडी डी-12	01
9.	गुजरात	एएचडी डी-13/14	01
10.	गुजरात	एएचडी डी-15	01
11.	गुजरात	एएचडी डी-19	01
12.	गुजरात	एएचडी डी-22	01
13.	गुजरात	एएचडी डी-23/24	01



Sr. No.	State	Location of Ayurvedic Unit	No. of Ayurvedic Units
41.	Telangana	Ramachndrapuram	01
42.	Telangana	Jeedimetla	01
43.	Telangana	Warangal	01
44.	Uttar Pradesh	Pandunagar, Kanpur	01
45.	Uttar Pradesh	Kidwai Nagar, Kanpur	01
46.	Uttar Pradesh	Saharanpur	01
47.	Uttar Pradesh	Naini, Allahabad	01
48.	Uttar Pradesh	Agra	01
49.	Uttar Pradesh	Bareilly	01
50.	Uttar Pradesh	Modi Nagar, Ghaziabad	01
51.	West Bengal	Bandel	01
52.	West Bengal	Budge Budge	01
53.	West Bengal	Kamarhati	01
54.	West Bengal	Sealdah	01
	Total Units		54

B) Panchkarma Therapy in ESIS Hospital

1. GH RH, Ahmadabad
2. GH Kalol
3. GH Rajkot
4. GH Jamnagar
5. GH Bhavnagar
6. GH Vadodara
7. GH Surat

C) No. of Beds allotted in ESIS Hospital

- ESIS Hospital, Mulamkunnathukavu, Thrissur, Kerala - 20

D) Ayurvedic Units in ESIS Dispensaries

Sr. No.	State	Location of Ayurvedic Unit	No. of Ayurvedic Units
1.	Bihar	Hathidah	01
2.	Bihar	Jamal Road	01
3.	Gujarat	AHD D-1	01
4.	Gujarat	AHD D-2	01
5.	Gujarat	AHD D-3/5/8	01
6.	Gujarat	AHD D-6	01
7.	Gujarat	AHD D-10	01
8.	Gujarat	AHD D-12	01
9.	Gujarat	AHD D-13/14	01
10.	Gujarat	AHD D--15	01
11.	Gujarat	AHD D-19	01
12.	Gujarat	AHD D-22	01
13.	Gujarat	AHD D--23/24	01



क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेदिक इकाई का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
14.	गुजरात	एएचडी डी-27 / 28	01
15.	गुजरात	एएचडी डी-31	01
16.	गुजरात	एएचडी डी-32	01
17.	गुजरात	एएचडी डी-34	01
18.	गुजरात	एएचडी डी-35	01
19.	गुजरात	एएचडी डी-36	01
20.	गुजरात	एएचडी डी-37 / 40	01
21.	गुजरात	एएचडी डी-39 / 46	01
22.	गुजरात	एएचडी डी-44	01
23.	गुजरात	एएचडी डी-47	01
24.	गुजरात	एएचडी डी-49	01
25.	गुजरात	एनएडीआईएडी डी-1 / 2	01
26.	गुजरात	गांधीनगर डी-1	01
27.	गुजरात	काडी डी-1	01
28.	गुजरात	बड़ौदा डी-6 / 15	01
29.	गुजरात	बड़ौदा डी-10 / 11	01
30.	गुजरात	नवसारी डी-1	01
31.	गुजरात	हलोल (पीएम) डी-1	01
32.	गुजरात	भरुच डी-1	01
33.	गुजरात	बड़ौदा डी-2	01
34.	गुजरात	बड़ौदा डी-8 / 17	01
35.	गुजरात	सूरत डी-1	01
36.	गुजरात	सूरत डी-6 / 8 / 9	01
37.	गुजरात	मोरबी डी-1 / 2	01
38.	गुजरात	धरंगधारा डी-1	01
39.	गुजरात	राजकोट डी-1	01
40.	गुजरात	राजकोट डी-2	01
41.	हरियाणा	उद्योग विहार, गुरुग्राम	01
42.	केरल	पोट्टाथानम, केरल	01
43.	केरल	कोट्टरकारा, कोल्लम	01
44.	केरल	कोट्टायम	01
45.	केरल	एलापुजहा	01
46.	केरल	एरणाकुलम	01
47.	केरल	पलाकाड	01
48.	केरल	पूनकुन्नम, त्रिसूर	01
49.	केरल	ईरंजापालम, कोजीकोड	01
50.	केरल	कन्नूर	01
51.	केरल	करामना, तिरुवनंतपुरम	01
52.	महाराष्ट्र	इचलकारंगी, कोलहापुर	01
53.	महाराष्ट्र	सोमवारी पीठ, नागपुर	01
54.	महाराष्ट्र	बुटिबोरी, नागपुर	01
55.	पंजाब	चंडीगढ़	01
56.	उत्तर प्रदेश	कबाड़ी मार्केट	01
	कुल इकाइयां		56



Sr. No.	State	Location of Ayurvedic Unit	No. of Ayurvedic Units
14.	Gujarat	AHD D-27/28	01
15.	Gujarat	AHD D-31	01
16.	Gujarat	AHD D-32	01
17.	Gujarat	AHD D-34	01
18.	Gujarat	AHD D-35	01
19.	Gujarat	AHD D-36	01
20.	Gujarat	AHD D-37/40	01
21.	Gujarat	AHD D-39/46	01
22.	Gujarat	AHD D-44	01
23.	Gujarat	AHD D-47	01
24.	Gujarat	AHD D-49	01
25.	Gujarat	NADIAD D-1/2	01
26.	Gujarat	GANDHINAGAR D-1	01
27.	Gujarat	KADI -D-1	01
28.	Gujarat	BARODA D-6/15	01
29.	Gujarat	BARODA D-10/11	01
30.	Gujarat	NAVSARI D-1	01
31.	Gujarat	HALOL (PM) D-1	01
32.	Gujarat	BHARUCH D-1	01
33.	Gujarat	BARODA D-2	01
34.	Gujarat	BARODA D-8/17	01
35.	Gujarat	SURAT D-1	01
36.	Gujarat	SURAT D-6/8/9	01
37.	Gujarat	Morbi D-1/2	01
38.	Gujarat	Dhrangadhra D-1	01
39.	Gujarat	Rajkot D-1	01
40.	Gujarat	Rajkot D-2	01
41.	Haryana	Udyog Vihar , Gurgaon	01
42.	Kerala	Pattathanam, Kollam	01
43.	Kerala	Kottarakkara, Kollam	01
44.	Kerala	Kottayam	01
45.	Kerala	Alappuzha	01
46.	Kerala	Ernakulam	01
47.	Kerala	Plakkad	01
48.	Kerala	Poonkunnam Thrissur	01
49.	Kerala	Eranjipalam, Kozhikode	01
50.	Kerala	Kannur	01
51.	Kerala	Karamana, Thiruvananthapuram	01
52.	Maharashtra	Ichalkarangi, Kolahapur	01
53.	Maharashtra	Somwari Peth , Nagpur	01
54.	Maharashtra	Butibory, Nagpur	01
55.	Punjab	Chandigarh	01
56.	Uttar Pradesh	Kabari Market, Kanpur	01
	Total Units		56



ड) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में होमियोपैथिक इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	होमियोपैथिक इकाई का स्थान	होमियोपैथिक इकाइयों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	अदोनी	01
2.	आन्ध्र प्रदेश	राजामुन्द्री	01
3.	आन्ध्र प्रदेश	त्रिपाती	01
4.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टणम	01
5.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	01
6.	आन्ध्र प्रदेश	डीसी सुल्लुरपेटा	01
7.	गोवा	मारगोवा	01
8.	तमिलनाडु	अयानवारम	01
9.	तमिलनाडु	मदुरै	01
10.	तेलंगाना	नाचरम	01
11.	तेलंगाना	रामाचन्द्रपुरम	01
12.	तेलंगाना	जीडिमेटला	01
13.	तेलंगाना	वारंगल	01
14.	उत्तर प्रदेश	पाण्डुनगर, कानपुर	01
15.	उत्तर प्रदेश	सर्वोदय नगर, कानपुर	01
16.	उत्तर प्रदेश	किदवई नगर, कानपुर	01
17.	उत्तर प्रदेश	नैनी, इलाहाबाद	01
18.	उत्तर प्रदेश	आगरा	01
19.	उत्तर प्रदेश	बरेली	01
20.	उत्तर प्रदेश	मोदी नगर	01
21.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	01
22.	पश्चिम बंगाल	बंडेल	01
23.	पश्चिम बंगाल	बज बज	01
24.	पश्चिम बंगाल	गौरहाटी	01
25.	पश्चिम बंगाल	कमारहाटी	01
26.	पश्चिम बंगाल	सियालदह	01
27.	पश्चिम बंगाल	उलुबेरिया	01
	कुल इकाइयां		27

च) क.रा.बी. योजना औषधालयों में होमियोपैथिक इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	होमियोपैथिक इकाई का स्थान	होमियोपैथिक इकाइयों की संख्या
1.	बिहार	बंजारी	01
2.	बिहार	कथिहार	01
3.	केरल	कोट्टायम, कोल्लम	01
4.	केरल	पथिरापल्ली, अलापुजहाफ	01
5.	केरल	अलागाप्पानगर, त्रिसूर	01
6.	केरल	पप्पीनिसेरी, कन्नूर	01
7.	केरल	करामना, तिरुवनंतपुरम	01
8.	केरल	मुलवाना, कोल्लम	01
9.	केरल	कोडमपाण्डु, पथानमथिट्टा	01
10.	केरल	वाडावथूर, कोट्टायम	01



E) Homeopathy Units in ESIS Hospitals

Sr. No.	State	Location of Homeopathy Unit	No. of Homeopathic Units
1.	Andhra Pradesh	Adoni	01
2.	Andhra Pradesh	Rajahmundry	01
3.	Andhra Pradesh	Triupati	01
4.	Andhra Pradesh	Visakhapatnam	01
5.	Andhra Pradesh	Vijayawada	01
6.	Andhra Pradesh	DC Sullurpeta	01
7.	Goa	Margoa	01
8.	Tamil Nadu	Ayanavaram	01
9.	Tamil Nadu	Madurai	01
10.	Telangana	Nacharam	01
11.	Telangana	Ramachndrapuram	01
12.	Telangana	Jeedimetla	01
13.	Telangana	Warangal	01
14.	Uttar Pradesh	Pandunagar, Kanpur	01
15.	Uttar Pradesh	Sarvodya Nagar, Kanpur	01
16.	Uttar Pradesh	Kidwai Nagar, Kanpur	01
17.	Uttar Pradesh	Nani - Allahabad	01
18.	Uttar Pradesh	Agra	01
19.	Uttar Pradesh	Barilly	01
20.	Uttar Pradesh	Modi Nagar	01
21.	Uttar Pradesh	Saharanpur	01
22.	West Bengal	Bandel	01
23.	West Bengal	Budge Budge	01
24.	West Bengal	Gaurhati	01
25.	West Bengal	Kamarhati	01
26.	West Bengal	Sealdah	01
27.	West Bengal	Uluberia	01
	Total Units		27

F) Homeopathic Unit in ESIS Dispensaries

Sr. No.	State	Location of Homeopathic Units	No. of Homeopathic Units
1.	Bihar	Banjari	01
2.	Bihar	Kathihar	01
3.	Kerala	Kottayam, Kollam	01
4.	Kerala	Pathirappally Alappuzha	01
5.	Kerala	Alagappanagar, Thrissur	01
6.	Kerala	Pappinissery Kannur	01
7.	Kerala	Karamana, Thiruvananthapuram	01
8.	Kerala	Mulavana, Kollam	01
9.	Kerala	Kadampanadu, Pathanamthitta	01
10.	Kerala	Vadavathoor, Kottayam	01



क्र.सं.	राज्य	होमियोपैथिक इकाई का स्थान	होमियोपैथिक इकाइयों की संख्या
11.	केरल	वेल्लूर, कोट्टायम	01
12.	केरल	कलमसेरी, एरणाकुलम	01
13.	केरल	अलुवा, एरणाकुलम	01
14.	केरल	चलापपुरम, कोजीकोड	01
15.	केरल	एरणाकुलम	01
16.	उत्तर प्रदेश	गोविन्द नगर, कानपुर	01
	कुल इकाइयां		16

छ) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में योग इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	योग इकाई का नाम	योग इकाइयों की संख्या
1.	गुजरात	सरकारी अस्पताल आरएच, अहमदाबाद	01
2.	गुजरात	सरकारी अस्पताल, कलोल	01
3.	गुजरात	सरकारी अस्पताल, राजकोट	01
4.	गुजरात	सरकारी अस्पताल, जामनगर	01
5.	गुजरात	सरकारी अस्पताल, भावनगर	01
6.	गुजरात	सरकारी अस्पताल, वड़ोदरा	01
7.	गुजरात	सरकारी अस्पताल, सूरत	01
8.	गुजरात	सरकारी अस्पताल, अंकलेश्वर	01
9.	तमिलनाडु	अयनावरम	01
10.	तमिलनाडु	होसुर	01
11.	तमिलनाडु	मदुरै	01
12.	तमिलनाडु	सेलम	01
13.	तमिलनाडु	सिवकासी	01
14.	तमिलनाडु	त्रिची	01
15.	तमिलनाडु	वेल्लूर	01
	कुल इकाइयां		15

ज) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में यूनानी इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	यूनानी इकाई का स्थान	यूनानी इकाइयों की संख्या
1	तमिलनाडु	अयनावरम	01
2	तमिलनाडु	मदुरै	01
	कुल इकाइयां		02

झ) क.रा.बी. योजना औषधालयों में यूनानी इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	यूनानी इकाई का स्थान	यूनानी इकाइयों की संख्या
1	बिहार	समस्तीपुर	01
	कुल इकाइयां		01



Sr. No.	State	Location of Homeopathic Units	No. of Homeopathic Units
11.	Kerala	Velloor, Kottayam	01
12.	Kerala	Kalamassery, Ernakulam	01
13.	Kerala	Aluva, Ernakulam	01
14.	Kerala	Chalappuram, Kozhikode	01
15.	Kerala	Ernakulam	01
16.	Uttar Pradesh	Govind Nagar Kanpur	01
	Total Units		16

G) Yoga Units in ESIS Hospitals

Sr. No.	State	Name of Yoga Unit	No. of Yoga Units
1.	Gujarat	Gh Rh, Ahmadabad	01
2.	Gujarat	GH Kalol	01
3.	Gujarat	GH Rajkot	01
4.	Gujarat	GH Jamnagar	01
5.	Gujarat	GH Bhavnagar	01
6.	Gujarat	GH Vadodara	01
7.	Gujarat	GH Surat	01
8.	Gujarat	GH Ankleshwar	01
9.	Tamil Nadu	Ayanavaram	01
10.	Tamil Nadu	Hosur	01
11.	Tamil Nadu	Madurai	01
12.	Tamil Nadu	Salem	01
13.	Tamil Nadu	Sivakasi	01
14.	Tamil Nadu	Trichy	01
15.	Tamil Nadu	Vellore	01
	Total Units		15

H) Unani Units in ESIS Hospitals

Sr. No.	State	Location of Unani Units	No. of Unani Units
1	Tamil Nadu	Ayanavaram	01
2	Tamil Nadu	Madurai	01
	Total Units		02

I) Unani Units in ESIS Dispensaries

Sr. No.	State	Location of Unani Units	No. of Unani Units
1	Bihar	Samastipur	01
	Total Units		01



ट) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में सिद्ध इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	सिद्ध इकाई का स्थान	सिद्ध इकाइयों की संख्या
1.	तमिलनाडु	अयनावरम	01
2.	तमिलनाडु	होसुर	01
3.	तमिलनाडु	मदुरै	01
4.	तमिलनाडु	सेलम	01
5.	तमिलनाडु	शिवकासी	01
6.	तमिलनाडु	त्रिची	01
7.	तमिलनाडु	वेल्लूर	01
	कुल इकाइयां		07

ठ) क.रा.बी. योजना औषधालयों में सिद्ध इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	सिद्ध इकाई का स्थान	सिद्ध इकाइयों की संख्या
1.	तमिलनाडु	तांबरम, चेन्नै	01
2.	तमिलनाडु	तिरुवोट्टियूर, चेन्नै	01
3.	तमिलनाडु	ट्रिप्लीकेन, चेन्नै	01
4.	तमिलनाडु	आवडी, चेन्नै	01
5.	तमिलनाडु	कोरतुर, चेन्नै	01
6.	तमिलनाडु	श्रीपेरुमपुथुर, चेन्नै	01
7.	तमिलनाडु	राजापलायम, मदुरै	01
8.	तमिलनाडु	कोविलपट्टी, मदुरै	01
9.	तमिलनाडु	तूथुकुडी, मदुरै	01
10.	तमिलनाडु	डिन्डीगुल, मदुरै	01
11.	तमिलनाडु	तिरुनगर, मदुरै	01
12.	तमिलनाडु	पोलाची, कोयम्बतूर	01
13.	तमिलनाडु	थुडियालुर, कोयम्बतूर	01
14.	तमिलनाडु	तिरुपुर I, कोयम्बतूर	01
15.	तमिलनाडु	उदुमलाईपेट, कोयम्बतूर	01
16.	तमिलनाडु	कडूर I, कोयम्बतूर	01
17.	तमिलनाडु	कुम्बाकोनम, सेलम	01
18.	तमिलनाडु	अम्बुर, सेलम	01
19.	तमिलनाडु	रानीपेट, सेलम	01
20.	तमिलनाडु	पल्लीपलायम, सेलम	01
	कुल इकाइयां		20



J) Siddha Units in ESIS Hospitals

Sr. No.	State	Location of Siddha Units	No. of Siddha Units
1.	Tamil Nadu	Ayanavaram	01
2.	Tamil Nadu	Hosur	01
3.	Tamil Nadu	Madurai	01
4.	Tamil Nadu	Salem	01
5.	Tamil Nadu	Sivakasi	01
6.	Tamil Nadu	Trichy	01
7.	Tamil Nadu	Vellore	01
	Total Units		07

K) Siddha Units in ESIS Dispensaries

Sr. No.	State	Location of Siddha Units	No. of Siddha Units
1.	Tamil Nadu	Tambaram, Chennai	01
2.	Tamil Nadu	Tiruvotriyur, Chennai	01
3.	Tamil Nadu	Triplicane, Chennai	01
4.	Tamil Nadu	Avadi, Chennai	01
5.	Tamil Nadu	Koratur, Chennai	01
6.	Tamil Nadu	Sriperumpthur, Chennai	01
7.	Tamil Nadu	Rajapalayam, Madurai	01
8.	Tamil Nadu	Kovilpatti, Madurai	01
9.	Tamil Nadu	Thoothukudi, Madurai	01
10.	Tamil Nadu	Dindigul, Madurai	01
11.	Tamil Nadu	Thirunagar, Madurai	01
12.	Tamil Nadu	Pollachi, Coimbatore	01
13.	Tamil Nadu	Thudialur, Coimbatore	01
14.	Tamil Nadu	Tiruppur I, Coimbatore	01
15.	Tamil Nadu	Udumalaipet, Coimbatore	01
16.	Tamil Nadu	Kattur I, Coimbatore	01
17.	Tamil Nadu	Kumbakonam, Salem	01
18.	Tamil Nadu	Ambur, Salem	01
19.	Tamil Nadu	Ranipet, Salem	01
20.	Tamil Nadu	Pallipalayam, Salem	01
	Total Units		20



क.रा.बी निगम एवं क.रा.बी. योजना में आयुष इकाइयों की स्थिति

क्र.सं.	आयुष इकाइयां	क.रा.बी निगम अस्पताल	क.रा.बी निगम औषधालय	क.रा.बी योजना अस्पताल	क.रा.बी योजना औषधालय	कुल
1.	आयुर्वेद	34	18	54	56	162
2.	योग	18	-	15	-	33
3.	यूनानी	-	-	02	01	03
4.	सिद्ध	00	-	07	20	27
5.	होमियोपैथी	30	16	27	16	89
6.	पंचकर्मा	09	-	07	-	16
7.	क्षार-सूत्र	03	-	00	-	03
8.	आयुर्वेदिक आईपीडी को आबंटित बिस्तर	54	-	20	-	74

आयुष की स्थिति रिपोर्ट

देश के विभिन्न राज्यों में दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी निगम/क.रा.बी योजना में उपलब्ध कराई जा रही आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी) सुविधाओं को दर्शाता विवरण:-

क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेद		यूनानी		सिद्ध		होमियोपैथी		योग		सभी आयुष पद्धति
		क.रा.बी. निगम	क.रा.बी. योजना	क.रा.बी. निगम	क.रा.बी. योजना	क.रा.बी. निगम	क.रा.बी. योजना	क.रा.बी. निगम	क.रा.बी. योजना	क.रा.बी. निगम	क.रा.बी. योजना	
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	06	-	-	-	-	-	06	-	-	12
2.	असम	01	-	-	-	-	-	01	-	01	-	03
3.	बिहार	01	02	-	01	-	-	-	02	-	-	06
4.	दिल्ली	21	-	-	-	-	-	19	-	01	-	41
5.	गोवा	-	01	-	-	-	-	-	01	-	-	02
6.	गुजरात	02	46	-	-	-	-	02	-	02	08	60
7.	हरियाणा	03	03	-	-	-	-	03	-	02	-	11
8.	हिमाचल प्रदेश	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	02
9.	जम्मू एवं कश्मीर	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	02
10.	झारखंड	02	-	-	-	-	-	01	-	01	-	04
11.	कर्नाटक	02	01	-	-	-	-	02	-	-	-	05
12.	केरल	03	11	-	-	-	-	03	13	03	-	33
13.	मध्य प्रदेश	01	-	-	-	-	-	01	-	01	-	03
14.	महाराष्ट्र	01	08	-	-	-	-	01	-	-	-	10
15.	ओडिशा	01	01	-	-	-	-	01	-	01	-	04
16.	पंजाब	02	07	-	-	-	-	02	-	-	-	11
17.	राजस्थान	02	01	-	-	-	-	02	00	01	-	06
18.	तमिलनाडु	02	07	-	02	-	27	02	02	02	07	51
19.	तेलंगाना	01	04	-	-	-	-	-	04	01	-	10
20.	उत्तर प्रदेश	04	08	-	-	-	-	04	09	01	-	26
21.	पश्चिम बंगाल	01	04	-	-	-	-	-	06	01	-	12
	कुल	52	110	-	03	-	27	46	43	18	15	314



Status of AYUSH Units in ESIC and ESIS

Sr. No.	AYUSH UNITS	ESIC Hospitals	ESIC Dispensaries	ESIS Hospitals	ESIS Dispensaries	Total
1.	Ayurveda	34	18	54	56	162
2.	Yoga	18	-	15	-	33
3.	Unani	-	-	02	01	03
4.	Siddha	00	-	07	20	27
5.	Homeopathy	30	16	27	16	89
6.	Panchakarma	09	-	07	-	16
7.	Kshar -Sutra	03	-	00	-	03
8.	Beds allotted to Ayurvedic IPD	54	-	20	-	74

STATEMENT SHOWING FACILITIES PROVIDED IN AYUSH (AYURVEDIC, YOGA, UNANI, SIDDHA & HOMEOPATHY) IN THE VARIOUS STATES OF THE COUNTRY AS ON 31.03.2018 in ESIC/ESIS.

Sr. No.	State	Ayurveda		Unani		Siddha		Homeopathy		Yoga		All AYUSH System
		ESIC	ESIS	ESIC	ESIS	ESIC	ESIS	ESIC	ESIS	ESIC	ESIS	
1.	Andhra Pradesh	-	06	-	-	-	-	-	06	-	-	12
2.	Assam	01	-	-	-	-	-	01	-	01	-	03
3.	Bihar	01	02	-	01	-	-	-	02	-	-	06
4.	Delhi	21	-	-	-	-	-	19	-	01	-	41
5.	Goa	-	01	-	-	-	-	-	01	-	-	02
6.	Gujarat	02	46	-	-	-	-	02	-	02	08	60
7.	Haryana	03	03	-	-	-	-	03	-	02	-	11
8.	Himachal Pradesh	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	02
9.	Jammu & Kashmir	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	02
10.	Jharkhand	02	-	-	-	-	-	01	-	01	-	04
11.	Karnataka	02	01	-	-	-	-	02	-	-	-	05
12.	Kerala	03	11	-	-	-	-	03	13	03	-	33
13.	Madhya Pradesh	01	-	-	-	-	-	01	-	01	-	03
14.	Maharashtra	01	08	-	-	-	-	01	-	-	-	10
15.	Odisha	01	01	-	-	-	-	01	-	01	-	04
16.	Punjab	02	07	-	-	-	-	02	-	-	-	11
17.	Rajasthan	02	01	-	-	-	-	02	00	01	-	06
18.	Tamil Nadu	02	07	-	02	-	27	02	02	02	07	51
19.	Telangana	01	04	-	-	-	-	-	04	01	-	10
20.	Uttar Pradesh	04	08	-	-	-	-	04	09	01	-	26
21.	West Bengal	01	04	-	-	-	-	-	06	01	-	12
	Total	52	110	-	03	-	27	46	43	18	15	314



परिशिष्ट - III- ज

वर्ष 2017-18 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में बिस्तरों की अधिभोग प्रतिशतता और प्रतिदिन प्रति बिस्तर औसत आवर्ती लागत

क्र. सं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सा अधिकारी			चालू बिस्तरों की संख्या				वर्ष के दौरान उपयोग हुए बिस्तरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रति बिस्तर लागत (₹)	अभ्युक्तियां
		संस्वीकृत बिस्तर	संस्वीकृत	तैनात	सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल			
1 आंध्र प्रदेश											
I	विशाखापट्टणम	125	26	21	20	0	0	20	93%	14452	अस्पताल की जीर्ण स्थिति के कारण 125 बिस्तरों में से केवल 20 पर्यवेक्षण बिस्तरों का ही रखरखाव किया जा रहा है
II	विजयवाड़ा	110	23	19	85	15	10	110	90%	3384	
III	राजमुंद्री	50	18	12	40	10	0	50	95%	3987	
IV	तिरुपति	50	32	24	44	6	0	50	101%	5101	
V	अडोनी	10	10	7	10	0	0	10	29%	29191	
	कुल	345	109	83	199	31	10	240			
2 असम											
I	बेलतला	75	45	37	75	0	0	75	74%	13405	
	कुल	75	45	37	75	0	0	75			
3 बिहार											
I	फुलवारी शरीफ	50	43	38	50	0	0	50	82%	9922	
II	डालमियानगर	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*बंद
III	मुंगेर	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*बंद
	कुल	50	43	38	50	0	0	50			
4 चंडीगढ़ प्रशा.											
I	रामदरबार चंडीगढ़	70	58	49	62	6	2	70	72%	12141	
	कुल	70	58	49	62	6	2	70			
5 दिल्ली											
I	बसईदारापुर व्यवसायिक रोग केंद्र	600	384	255	507	63	30	600	80%	12728	*पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।
II	झिलमिल	300	159	132	260	30	10	300	62%	16706	
III	ओखला	216	101	91	108	46	13	167	102%	9177	
IV	राहिणी	300	158	108	223	57	20	300	66%	5405	
	कुल	1416	802	586	1098	196	73	1367			*पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।
6 गोवा											
I	मडगाँव	100	51	30	52	6	0	58	17%	44565	
	कुल	100	51	30	52	6	0	58			
7 गुजरात											
I.	बापूनगर	300	128	92	230	20	0	250	62%	11902	यदि स्त्री रोग संबंधी वॉर्ड की अधियोगता 20 से अधिक हो जाती है



APPENDIX - III-H

Percentage of bed occupancy and average recurring cost per bed per day in ESI Hospital during year 2017-18

Sl. No.	Name of Hospital	Medical Officers			No. of bed Commissioned				% of occupancy during the year	Cost per bed per day during the year	Remarks
		Beds Sanctioned	Sanctioned	In-position	General	Maternity	T.B.	Total			
1 Andhra Pradesh											
I	Visakhapatnam	125	26	21	20	0	0	20	93%	14452	Due to dilapidated condition of hospital only 20 observations beds are maintaining out of 125 beds.
II	Vijayawada	110	23	19	85	15	10	110	90%	3384	
III	Rajamundry	50	18	12	40	10	0	50	95%	3987	
IV	Triupathi	50	32	24	44	6	0	50	101%	5101	
V	Adoni	10	10	7	10	0	0	10	29%	29191	
	Total	345	109	83	199	31	10	240			
2 Assam											
I	Beltola	75	45	37	75	0	0	75	74%	13405	
	Total	75	45	37	75	0	0	75			
3 Bihar											
I	Phulwari Sharif	50	43	38	50	0	0	50	82%	9922	
II	Dalmianagar	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* *closed
III	Munger	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* *closed
	Total	50	43	38	50	0	0	50			
4 Chandigarh Admn.											
I	Ramdarbar Chandigarh	70	58	49	62	6	2	70	72%	12141	
	Total	70	58	49	62	6	2	70			
5 Delhi											
I	Basaidarapur ODC	600	384	255	507	63	30	600	80%	12728	Last year data highlighted in bold
II	Jhilmil	300	159	132	260	30	10	300	62%	16706	
III	Okhla	216	101	91	108	46	13	167	102%	9177	
IV	Rohini	300	158	108	223	57	20	300	66%	5405	Last year data highlighted in bold
	Total	1416	802	586	1098	196	73	1367			
6 Goa											
I	Margao	100	51	30	52	6	0	58	17%	44565	
	Total	100	51	30	52	6	0	58			
7 Gujarat											
I.	Bapunagar	300	128	92	230	20	0	250	62%	11902	If the occupancy of Gyane ward goes beyond



क्र. सं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सा अधिकारी			चालू बिस्तरों की संख्या				वर्ष के दौरान उपयोग हुए बिस्तरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिदिन प्रति बिस्तर लागत (₹)	अभ्युक्तियां
		संस्वीकृत बिस्तर	संस्वीकृत	तैनात	सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल			
II	नरोड़ा (वक्ष)	100	40	15	50	0	0	50	NR	22235	तो अतिरिक्त रोगियों को महिला सर्जिकल वॉर्ड में भेजा जा सकता है। सूचित न किए जाने के कारण सामान्य में विचारा गया।
III	राजपुर हिरपुर	50	24	15	50	0	0	50	58%	7287	
IV	कलोल	50	16	6	50	0	0	50	16%	10733	
V	बड़ौदा	200	43	32	200	0	0	200	67%	2822	
VI	सूरत	100	21	14	100	0	0	100	29%	6263	
VII	राजकोट	50	17	10	50	0	0	50	15%	11323	
VIII	भावनगर	30	12	10	30	0	0	30	16%	14019	
IX	बड़ौदा (वक्ष)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*बंद
X	वापी	100	56	22	40	10	0	50	68%	6141	
XI	जामनगर	50	17	10	50	0	0	50	8%	18212	
XII	अंकलेश्वर	100	58	12	50	0	0	50	28%	6278	
	कुल	1130	432	238	900	30	0	930			
8	हरियाणा										
I	फरीदाबाद चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल	300	150	57	252	40	8	300	29%	5592	पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।
II	जगाधरी	80	15	12	68	2	10	80	38%	13522	
III	पानीपत	75	13	10	35	6	34	75	47%	7593	
IV	बल्लभगढ़	50	33	22	38	12	0	50	50%	19264	
V	भिवानी	50	21	6	40	10	0	50	16	17490	
VI	गुरुग्राम	126	89	67	95	31	0	126	95%	6088	
VII	मानेसर	100	68	40	75	23	2	100	64%	8766	
	कुल	781	389	214	603	124	54	781			
9	हिमाचल प्रदेश										
I	परवाणू	50	8	8	42	4	4	50	96%	283566	
II.	बद्दी	100	68	48	42	4	4	50	63%	12053	* पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।
	कुल	150	76	56	84	8	8	100			
10	कर्नाटक										
I	राजाजी नगर	500	418	317	410	80	10	500	78%	15395	
II	इंदिरानगर	270	70	66	220	40	10	270	58%	2352	
III	दानदेली	25	15	2	20	3	2	25	38%	26091	
IV	दावनगेरे	50	26	21	38	8	4	50	58%	22008	
V	हुबली	50	31	15	38	10	2	50	76%	2680	
VI	मैसूर	60	43	32	50	10	0	60	35%	9383	
VII	मंगलौर	100	31	6	80	20	0	100	3%	15587	
VIII	शाहबाद		*	*	*	*	*	*	*	*	*बंद
IX	बेलगाँव	50	29	8	40	10	0	50	1%	19766	



Sl. No.	Name of Hospital	Medical Officers			No. of bed Commissioned				% of occupancy during the year	Cost per bed per day during the year	Remarks
		Beds Sanctioned	Sanctioned	In-position	General	Maternity	T.B.	Total			
II	Naroda (Chest)	100	40	15	50	0	0	50	NR	22235	20, excess patients may be recommended in the female surgical ward.
III	Rajpur Hirpur	50	24	15	50	0	0	50	58%	7287	consider in Gen. since not intimated.
IV	Kalol	50	16	6	50	0	0	50	16%	10733	
V	Baroda	200	43	32	200	0	0	200	67%	2822	
VI	Surat	100	21	14	100	0	0	100	29%	6263	
VII	Rajkot	50	17	10	50	0	0	50	15%	11323	
VIII	Bhavnagar	30	12	10	30	0	0	30	16%	14019	
IX	Baroda (Chest)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*closed
X	Vapi	100	56	22	40	10	0	50	68%	6141	
XI	Jamnagar	50	17	10	50	0	0	50	8%	18212	
XII	Ankleshwar	100	58	12	50	0	0	50	28%	6278	
	Total	1130	432	238	900	30	0	930			
8	Haryana										
I	Faridabad MC & Hospital	300	150	57	252	40	8	300	29%	5592	Last year data highlighted in bold
II	Jagadhari	80	15	12	68	2	10	80	38%	13522	
III	Panipat	75	13	10	35	6	34	75	47%	7593	
IV	Ballabgarh	50	33	22	38	12	0	50	50%	19264	
V	Bhiwani	50	21	6	40	10	0	50	16%	17490	
VI	Gurugram	126	89	67	95	31	0	126	95%	6088	
VII	Manesar	100	68	40	75	23	2	100	64%	8766	
	Total	781	389	214	603	124	54	781			
9	Himachal Pradesh										
I	Parwanoo	50	8	8	42	4	4	50	96%	283566	
II	Baddi	100	68	48	42	4	4	50	63%	12053	Last year data highlighted in bold
	Total	150	76	56	84	8	8	100			
10	Karnataka										
I	Rajajinagar	500	418	317	410	80	10	500	78%	15395	
II	Indiranagar	270	70	66	220	40	10	270	58%	2352	
III	Dandeli	25	15	2	20	3	2	25	38%	26091	
IV	Devangare	50	26	21	38	8	4	50	58%	22008	
V	Hubli	50	31	15	38	10	2	50	76%	2680	
VI	Mysore	60	43	32	50	10	0	60	35%	9383	
VII	Mangalore	100	31	6	80	20	0	100	3%	15587	
VIII	Shahbad	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*closed
IX	Belgaum	50	29	8	40	10	0	50	1%	19766	



क्र. सं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सा अधिकारी			चालू बिस्तरों की संख्या				वर्ष के दौरान उपयोग हुए बिस्तरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिदिन प्रति बिस्तर लागत (₹)	अभ्युक्तियां
		संस्वीकृत बिस्तर	संस्वीकृत	तैनात	सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल			
X	पीण्या	100	69	61	82	18	0	100	71%	16870	
XI	गुलवर्गा	470	*	*	470	0	0	470	*	*	
	कुल	1675	732	528	1448	199	28	1675			
11 केरल											
I.	एलेप्पी	60	16	12	60	0	0	60	30%	5897	*पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं। सूचित न किए जाने के कारण सामान्य में विचारा गया।
II	आश्रमम	200	108	84	190	42	0	232	82%	7951	
III	एरणाकुलम	65	17	14	55	10	0	65	80%	2518	
IV	एजुकोण	150	94	33	148	0	0	148	61%	6953	
V	मुलमकुन्नाथुकम	110	14	7	70	0	40	110	16%	4087	
VI	ओलारिकारा	102	21	13	98	4	0	102	42%	2966	
VII	पालक्कड	50	16	4	50	0	0	50	22%	6498	
VIII	पेरुकडा	128	28	27	114	10	4	128	38%	4764	
IX	उद्योगमंडल	100	74	62	76	20	4	100	96%	7336	
X	वाडावाथुर	65	17	13	59	6	0	65	52%	3680	
XI	फरोक	100	22	20	92	8	0	100	43%	4406	
XII	थोट्टडा	50	16	7	40	10	0	50	24%	4934	
	कुल	1180	443	296	1052	110	48	1210			
12 मध्य प्रदेश											
I	इंदौर (सामान्य)	300	155	104	260	40	0	300	60%	9361	* पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।
II	इंदौर (क्षय रोग)	75	10	11	0	0	75	75	41%	3713	
III	उज्जैन	50	17	9	50	0	0	50	6%	26186	
IV	ग्वालियर	100	36	21	100	0	0	100	33%	2245	
V	भोपाल	100	38	20	100	0	0	100	22%	10827	
VI	देवास	50	25	16	50	0	0	50	61%	5840	
VII	नागदा	50	19	10	50	0	0	50	5%	33438	
	कुल	725	300	191	610	40	75	725			
13 ओडिशा											
I	कंसबहल	50	15	10	40	10	0	50	24%	5033	*पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।
II	चौदवार	100	22	16	60	15	25	100	31%	3622	
III	जेकेपुर	25	9	4	22	3	0	25	36%	2205	
IV	बृजराजनगर	50	7	3	40	10	0	50	Nil	Nil	
V	भुवनेश्वर	50	25	22	42	8	0	50	38%	6438	
VI	राउरकेला	75	47	26	48	0	2	50	71%	14032	
	कुल	350	125	81	252	46	27	325			
14 पुदुच्चेरी											
I	गोरीमेडु अस्पताल	75	19	19	63	12	0	75	47%	6964	
	कुल	75	19	19	63	12	0	75			



Sl. No.	Name of Hospital	Medical Officers			No. of bed Commissioned				% of occupancy during the year	Cost per bed per day during the year	Remarks
		Beds Sanctioned	Sanctioned	In-position	General	Maternity	T.B.	Total			
X	Peenya	100	69	61	82	18	0	100	71%	16870	
XI	Gulbarga	470	*	*	470	0	0	470	*	*	
	Total	1675	732	528	1448	199	28	1675			
11	Kerala										
I	Alleppy	60	16	12	60	0	0	60	30%	5897	Last year data highlight in bold Consider in Gen. beds since not intimated.
II	Asramam	200	108	84	190	42	0	232	82%	7951	
III	Ernakulam	65	17	14	55	10	0	65	80%	2518	
IV	Ezhukone	150	94	33	148	0	0	148	61%	6953	
V	Mulamkunnathukam	110	14	7	70	0	40	110	16%	4087	
VI	Olarikara	102	21	13	98	4	0	102	42%	2966	
VII	Palakkad	50	16	4	50	0	0	50	22%	6498	
VIII	Perookada	128	28	27	114	10	4	128	38%	4764	
IX	Udyogmandal	100	74	62	76	20	4	100	96%	7336	
X	Vadavathur	65	17	13	59	6	0	65	52%	3680	
XI	Feroke	100	22	20	92	8	0	100	43%	4406	
XII	Thottada	50	16	7	40	10	0	50	24%	4934	
	Total	1180	443	296	1052	110	48	1210			
12	Madhya Pradesh										
I	Indore (Gen)	300	155	104	260	40	0	300	60%	9361	Last year data highlighted in bold
II	Indore (T.B.)	75	10	11	0	0	75	75	41%	3713	
III	Ujjain	50	17	9	50	0	0	50	6%	26186	
IV	Gwalior	100	36	21	100	0	0	100	33%	2245	
V	Bhopal	100	38	20	100	0	0	100	22%	10827	
VI	Dewas	50	25	16	50	0	0	50	61%	5840	
VII	Nagda	50	19	10	50	0	0	50	5%	33438	
	Total	725	300	191	610	40	75	725			
13	Odisha										
I	Kansbahal	50	15	10	40	10	0	50	24%	5033	Last year data highlighted in bold
II	Choudwar	100	22	16	60	15	25	100	31%	3622	
III	Jaykapur	25	9	4	22	3	0	25	36%	2205	
IV	Brajrajnagar	50	7	3	40	10	0	50	Nil	Nil	
V	Bhubaneshwar	50	25	22	42	8	0	50	38%	6438	
VI	Rourkela	75	47	26	48	0	2	50	71%	14032	
	Total	350	125	81	252	46	27	325			
14	Puducherry										
I	Gorimedu Hospital	75	19	19	63	12	0	75	47%	6964	
	Total	75	19	19	63	12	0	75			



क्र. सं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सा अधिकारी			चालू बिस्तरों की संख्या				वर्ष के दौरान उपयोग हुए बिस्तरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिदिन प्रति बिस्तर लागत (₹)	अभ्युक्तियां	
		संस्वीकृत बिस्तर	संस्वीकृत	तैनात	सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल				
15 महाराष्ट्र												
I	अंधेरी	500	251	203	265	60	0	325	50%	11264	पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।	
II	उल्हासनगर	100	26	16	84	16	0	100	7%	32752		
III	ठाणे	100	28	14	90	10	0	100	41%	6631		
IV	मुलुंड	400	47	29	328	72	0	400	21%	7138		
V	महात्मा गांधी स्मारक	330	92	73	298	17	15	330	20%	8394		
VI	वाशी	100	29	8	100	0	0	100	*	*		
VII	वर्ली	300	47	25	290	10	0	300	2%	77854		
VIII	कांदीवली	85	44	19	68	15	2	85	57%	12443		
IX	शोलापुर	150	37	20	116	24	10	150	33%	4086		
X	नाशिक	100	43	29	84	16	0	100	50%	6515		
XI	नागपुर	200	36	27	149	30	21	200	NR	1216		
XII	औरंगाबाद	100	27	14	80	20	0	100	45%	5622		
XIII	चिंचवाड	100	36	21	80	20	0	100	43%	5834		
XIV	कोलापुर	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*प्राप्त नहीं
XV	बिबवेवाड़ी	100	59	11	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil		
	कुल	2665	802	509	2032	310	48	2390				
16 पंजाब												
I	अमृतसर	125	18	18	100	25	0	125	NR	13188	पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।	
II	जालंधर	100	16	16	79	12	9	100	32%	8483		
III	लुधियाना	262	130	90	206	42	14	262	103%	5773		
IV	मोहाली	30	10	10	30	0	0	30	NR	NR		
V	फगवाड़ा	50	15	10	34	8	8	50	49%	NR		
VI	राजपुरा	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*बंद
VII	होशियारपुर	50	8	8	38	6	6	50	32%	8114		
VIII	मण्डी, गोबिन्दगढ़	30	5	3	30	0	0	30	32%	NR		
	कुल	647	202	155	517	93	37	647				
17 राजस्थान												
I	जयपुर	300	129	74	178	66	10	254	47%	9581	पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।	
II	कोटा	60	22	19	52	8	0	60	63%	4371		
III	जोधपुर	50	23	10	19	6	0	25	27%	20893		
IV	भीलवाड़ा	50	20	9	22	8	0	30	27%	13088		
V	पाली	50	17	4	20	0	0	20	17%	14260		
VI	भिवाड़ी	50	45	27	40	10	0	50	11%	94362		
VII	अलवर	50	41	10	40	0	0	40	*	*		*अंतरंग रागी विभाग अभी शुरू नहीं हुआ है।
	कुल	610	297	153	371	98	10	479				
18 तमिलनाडु												
I	चेन्नै	616	59	43	496	81	39	616	21%	4601	*बी.ओ.आर.	



Sl. No.	Name of Hospital	Medical Officers			No. of bed Commissioned				% of occupancy during the year	Cost per bed per day during the year	Remarks
		Beds Sanctioned	Sanctioned	In-position	General	Maternity	T.B.	Total			
15 Maharashtra											
I	Andheri	500	251	203	265	60	0	325	50%	11264	
II	Ulhasnagar	100	26	16	84	16	0	100	7%	32752	Last year data highlighted in bold
III	Thane	100	28	14	90	10	0	100	41%	6631	
IV	Mulund	400	47	29	328	72	0	400	21%	7138	
V	MGM	330	92	73	298	17	15	330	20%	8394	
VI	Washi	100	29	8	100	0	0	100	*	*	
VII	Worli	300	47	25	290	10	0	300	2%	77854	
VIII	Kandivali	85	44	19	68	15	2	85	57%	12443	
IX	Sholapur	150	37	20	116	24	10	150	33%	4086	
X	Nasik	100	43	29	84	16	0	100	50%	6515	
XI	Nagpur	200	36	27	149	30	21	200	NR	1216	
XII	Aurangabad	100	27	14	80	20	0	100	45%	5622	
XIII	Chinchwad	100	36	21	80	20	0	100	43%	5834	
XIV	Kolhapur	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*Not Received
XV	Bebvewadi	100	59	11	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
	Total	2665	802	509	2032	310	48	2390			
16 Punjab											
I	Amritsar	125	18	18	100	25	0	125	NR	13188	
II	Jalandhar	100	16	16	79	12	9	100	32%	8483	
III	Ludhiana	262	130	90	206	42	14	262	103%	5773	Last year data highlighted in bold
IV	Mohali	30	10	10	30	0	0	30	NR	NR	
V	Phagwara	50	15	10	34	8	8	50	49%	NR	
VI	Rajpura	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*closed
VII	Hoshiarpur	50	8	8	38	6	6	50	32%	8114	
VIII	Mandi Gobindgar	30	5	3	30	0	0	30	32%	NR	
	Total	647	202	155	517	93	37	647			
17 Rajasthan											
I	Jaipur	300	129	74	178	66	10	254	47%	9581	
II	Kota	60	22	19	52	8	0	60	63%	4371	
III	Jodhpur	50	23	10	19	6	0	25	27%	20893	
IV	Bhilwara	50	20	9	22	8	0	30	27%	13088	
V	Pali	50	17	4	20	0	0	20	17%	14260	
VI	Bhiwadi	50	45	27	40	10	0	50	11%	94362	Last year data highlighted in bold
VII	Alwar	50	41	10	40	0	0	40	*	*	*Indoor Patient Dept. not yet started
	Total	610	297	153	371	98	10	479			
18 Tamil Nadu											
I	Chennai	616	59	43	496	81	39	616	21%	4601	*BOR



क्र. सं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सा अधिकारी			चालू बिस्तरों की संख्या				वर्ष के दौरान उपयोग हुए बिस्तरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिदिन बिस्तर लागत (₹)	अभ्युक्तियां
		संस्वीकृत बिस्तर	संस्वीकृत	तैनात	सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल			
II	मदुरै	209	17	16	165	44	0	209	58%	1822	
III	व्यावसायिक रोग केंद्र, के.के. नगर	470	198	128	350	52	8	410	75%	6663	
IV	वेल्लूर	50	13	7	38	12	0	50	84%	5125	
V	शिवकाशी	100	17	12	80	10	10	100	68%	2067	*बी.ओ.आर.
VI	सेलम	50	16	12	45	5	0	50	78%	3868	*बी.ओ.आर.
VII	होसूर	50	12	7	37	10	3	50	51%	1763	*बी.ओ.आर.
VIII	तिरुचरापल्ली	50	14	11	40	10	0	50	54%	3766	*बी.ओ.आर.
IX	तिरुनेलवेली	50	47	36	45	5	0	50	82%	8163	
X	कोयम्बतूर	*	*	*	173	40	7	220	*	*	*राज्य सरकार को सुपुर्द
	कुल	1645	393	272	1469	269	67	1805			
19	उत्तर प्रदेश										
I	पांडुनगर कानपुर	312	6	10	312	0	0	312	NR	15234	
II	आज़ादनगर कानपुर (वक्ष)	180	18	3	0	0	180	180	66%	2366	
III	मोदीनगर	124	15	4	80	20	24	124	39%	10679	
IV	नैनी, इलाहाबाद	100	11	9	84	16	0	100	8%	8966	
V	कानपुर (एमएटी)	144	18	8	0	144	0	144	NR	13773	
VI	सरोजनीनगर, कानपुर, लखनऊ	150	49	27	35	0	0	35	27%	30722	
VII	साहिबाबाद	200	55	16	32	6	0	38	39%	62066	
VIII	आगरा	100	13	9	84	16	0	100	50%	4096	
IX	सहारनपुर	50	12	4	42	8	0	50	*	*	*अंतरंग बंद
X	किदवई नगर	100	15	2	84	16	0	100	8%	14169	
XI	बरेली	50	12	2	42	8	0	50	28%	5770	पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।
XII	जाजमऊ-कानपुर	100	40	6	50	0	0	50	*	*	*लागू नहीं (केवल बाह्य रोगी विभाग शुरू)
XIII	नोएडा	300	172	109	332	18	0	350	NR	8788	
XIV	अलीगढ़	60	14	2	40	10	10	60	29%	9061	
XV	पिपरी	60	12	2	30	24	6	60	5%	37	
XVI	वाराणसी	30	*	*	30	0	0	30	*	*	* पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।
	कुल	2060	462	213	1277	286	220	1783			
20	पश्चिम बंगाल										
I	आसनसोल	100	29	27	85	15	0	100	84%	2011	पिछले वर्ष के आंकड़ें मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।
II	बेल्लूर बेली	200	30	23	0	0	200	200	84%	1689	
III	बाल्टिकुरी	230	52	45	210	20	0	230	71%	1762	
IV	गौरहाटी	216	41	34	216	0	0	216	95%	1397	
V	बज-बज	300	38	37	268	32	0	300	85%	992	
VI	कल्याणी	250	36	34	250	0	0	250	72%	1276	
VII	माणिकतला	422	96	87	382	40	0	422	88%	2074	
VIII	कमरहटी	350	112	79	325	25	0	350	86%	1615	



Sl. No.	Name of Hospital	Medical Officers			No. of bed Commissioned				% of occupancy during the year	Cost per bed per day during the year	Remarks
		Beds Sanctioned	Sanctioned	In-position	General	Maternity	T.B.	Total			
II	Madurai	209	17	16	165	44	0	209	58%	1822	
III	ODC K.K. Nagar	470	198	128	350	52	8	410	75%	6663	
IV	Vellore	50	13	7	38	12	0	50	84%	5125	
V	Sivakasi	100	17	12	80	10	10	100	68%	2067	*BOR
VI	Salem	50	16	12	45	5	0	50	78%	3868	*BOR
VII	Hosure	50	12	7	37	10	3	50	51%	1763	*BOR
VIII	Tirucharapally	50	14	11	40	10	0	50	54%	3766	*BOR
IX	Tirunelveli	50	47	36	45	5	0	50	82%	8163	
X	Coimbatore	*	*	*	173	40	7	220	*	*	*Hand over to State Govt.
	Total	1645	393	272	1469	269	67	1805			
19	Uttar Pradesh										
I	Pandunagar, Kanpur	312	6	10	312	0	0	312	NR	15234	
II	Azadnagar, Kanpur (Chest)	180	18	3	0	0	180	180	66%	2366	
III	Modinagar	124	15	4	80	20	24	124	39%	10679	
IV	Naini Allahabad	100	11	9	84	16	0	100	8%	8966	
V	Kanpur (MAT)	144	18	8	0	144	0	144	NR	13773	
VI	Sarojininagar, Kanpur, Lucknow	150	49	27	35	0	0	35	27%	30722	
VII	Sahibabad	200	55	16	32	6	0	38	39%	62066	
VIII	Agra	100	13	9	84	16	0	100	50%	4096	
IX	Saharanpur	50	12	4	42	8	0	50	*	*	*Indoor close
X	Kidwainagar	100	15	2	84	16	0	100	8%	14169	
XI	Bareilly	50	12	2	42	8	0	50	28%	5770	Last year data highlighted in bold
XII	Jajmau-Kanpur	100	40	6	50	0	0	50	*	*	*NA (Only OPD commissioned)
XIII	Noida	300	172	109	332	18	0	350	NR	8788	
XIV	Aligarh	60	14	2	40	10	10	60	29%	9061	
XV	Pipri	60	12	2	30	24	6	60	5%	37	
XVI	Varanasi	30	*	*	30	0	0	30	*	*	* Last year data highlighted in bold
	Total	2060	462	213	1277	286	220	1783			
20	West Bengal										
I	Asansol	100	29	27	85	15	0	100	84%	2011	Last year data highlighted in bold
II	Bellur Belly	200	30	23	0	0	200	200	84%	1689	
III	Baltikuri	230	52	45	210	20	0	230	71%	1762	
IV	Gourhati	216	41	34	216	0	0	216	95%	1397	
V	Budge-Budge	300	38	37	268	32	0	300	85%	992	
VI	Kalyani	250	36	34	250	0	0	250	72%	1276	
VII	Manicktola	422	96	87	382	40	0	422	88%	2074	
VIII	Kamarhati	350	112	79	325	25	0	350	86%	1615	



क्र. सं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सा अधिकारी			चालू बिस्तरों की संख्या				वर्ष के दौरान उपयोग हुए बिस्तरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिदिन प्रति बिस्तर लागत (₹)	अभ्युक्तियां
		संस्वीकृत बिस्तर	संस्वीकृत	तैनात	सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल			
IX	सियालदाह	254	41	41	254	0	0	254	79%	1830	
X	उलुबेरिया	216	31	29	190	26	0	216	84%	1368	
XI	श्रीरामपुर	216	42	35	210	6	0	216	82%	1010	
XII	बन्देल	250	43	36	244	6	0	250	75%	1429	
XIII	व्यावसायिक रोग केंद्र, ठाकुरपुर		427	144	400	70	0	470	75%	15040	
XIV	दुर्गापुर	150	50	31	140	10	0	150	89%	1695	
	कुल	3154	1068	682	3174	250	200	3624			
21	झारखंड										
I	मैथन	110	14	5	98	10	2	110	2%	35575	
II	आदित्यपुर	100	56	31	44	6	0	50	79%	7540	
III	रांची	75	44	42	50	0	0	50	85%	12547	
	कुल	285	114	78	192	16	2	210			
22	जम्मू व कश्मीर										
I	बरी ब्राहमणा (जम्मू)	50	52	40	40	10	0	50	79%	13307	
	कुल	50	52	40	40	10	0	50			
23	तेलंगाणा										
I	नाचारांम	200	*	*	170	30	0	200	*	*	*राज्य सरकार को सुपुर्द
II	निजामाबाद	20	*	*	20	0	0	20	*	*	*बैदानिक केंद्र में पहले ही परिवर्तित
III	आर.के. पुरम	100	63	57	80	20	0	100	96%	4121	
IV	एस.एस. सनतनगर	100	100	67	100	0	0	100	102%	16090	
V	सनतनगर	375	159	86	315	50	10	375	83%	3490	
VI	सिरपुरकागरनगर	62	18	14	46	14	2	62	60%	3347	
VII	वारंगल	50	17	15	38	10	2	50	51%	5063	
	कुल	907	357	239	769	124	14	907			



Sl. No.	Name of Hospital	Medical Officers			No. of bed Commissioned				% of occupancy during the year	Cost per bed per day during the year	Remarks
		Beds Sanctioned	Sanctioned	In-position	General	Maternity	T.B.	Total			
IX	Sealdah	254	41	41	254	0	0	254	79%	1830	
X	Uluberia	216	31	29	190	26	0	216	84%	1368	
XI	Serampore	216	42	35	210	6	0	216	82%	1010	
XII	Bandel	250	43	36	244	6	0	250	75%	1429	
XIII	Joka, Thakurpur, ODC		427	144	400	70	0	470	75%	15040	
XIV	Durgapur	150	50	31	140	10	0	150	89%	1695	
	Total	3154	1068	682	3174	250	200	3624			
21	Jharkhand										
I	Maithan	110	14	5	98	10	2	110	2%	35575	
II	Adityapur	100	56	31	44	6	0	50	79%	7540	
III	Ranchi	75	44	42	50	0	0	50	85%	12547	
	Total	285	114	78	192	16	2	210			
22	Jammu & Kashmir										
I	Bari Brahmana (Jammu)	50	52	40	40	10	0	50	79%	13307	
	Total	50	52	40	40	10	0	50			
23	Talengana										
I	Nacharam	200	*	*	170	30	0	200	*	*	*Hand over to State Govt.
II	Nizamabad	20	*	*	20	0	0	20	*	*	*Already converted to DC
III	R.K. Puram	100	63	57	80	20	0	100	96%	4121	
IV	S.S. Sanathnagar	100	100	67	100	0	0	100	102%	16090	
V	Santhnagar	375	159	86	315	50	10	375	83%	3490	
VI	Sirpurkagarnagar	62	18	14	46	14	2	62	60%	3347	
VII	Warangal	50	17	15	38	10	2	50	51%	5063	
	Total	907	357	239	769	124	14	907			



परिशिष्ट - III- झ

वर्ष 2017-18 के दौरान चिकित्सा देखरेख की व्यवस्था पर किया गया व्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	31.03.2017 को बीमाकृत व्यक्ति	31.03.2018 को बीमाकृत व्यक्ति	बीमाकृत व्यक्तियों का माध्य $\{(3+4)/2\}$	राज्य/संघ द्वारा किया गया "चिकित्सा देखभाल" व्यय (₹ लाख में)	7 राज्य/संघ द्वारा किया गया "अन्य" व्यय (₹ लाख में)	8 कुल (₹ लाख में)	9 राज्य/संघ द्वारा व्यक्ति व्यय (₹ में)	10 राज्य सरकार को लेखागत भुगतान (₹ लाख में)	11 क.रा.बी.नि. अस्पतालों एवं औषधालयों पर किया गया चिकित्सा व्यय (₹ लाख में)	12 कुल व्यय (₹ लाख में)	प्रति व्यक्ति कुल व्यय (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	1014140	1172290	1093215	10573.61	13405.43	23979.04	2193.44	17195.64	4014.45	27993.49	2560.66
2	असम	179649	222183	200916	1317.86	1241.19	2559.05	1273.69	2275.13	6955.01	9514.06	4735.34
3	बिहार	201950	237660	219805	974.26	4.38	978.64	445.23	1121.17	3412.58	4391.22	1997.78
4	चंडीगढ़ (प्रशा.)	230160	230300	230230	511.35	447.17	958.52	416.33	571.56	2919.65	3878.17	1684.48
5	छत्तीसगढ़	423990	558420	491205	2588.33	2392.04	4980.37	1013.91	4233.61	1379.85	6360.22	1294.82
6	दिल्ली	1946700	1876670	1911685	0	0	0	0.00	0.00	106196.14	106196.14	5555.11
7	गोवा	288120	242770	265445	2961.33	857.93	3819.26	1438.81	3791.74	439.13	4258.39	1604.25
8	गुजरात	1473460	1578670	1526065	12261.21	5983.31	18224.52	1194.22	14836.99	11549.62	29774.14	1951.04
9	हरियाणा	2970810	2944330	2957570	9640.65	3610.64	13251.29	448.05	13941.41	22446.32	35697.61	1206.99
10	हिमाचल प्रदेश	286390	314720	300555	2078.8	683.68	2762.48	919.13	2681.59	4025.88	6788.36	2258.61
11	जम्मू एवं कश्मीर	244000	275780	259890	314.35	1.94	316.29	121.70	1151.34	2172.19	2488.48	957.51
12	झारखंड	319000	378250	348625	2552.37	1.26	2553.63	732.49	2384.10	5818.05	8371.68	2401.34
13	कर्नाटक	3328960	3496090	3412525	25219.52	7016.63	32236.15	944.64	27341.64	35551.71	67787.86	1986.44
14	केरल	929160	1091290	1010225	16715.52	920.66	17636.18	1745.77	17814.51	25610.91	43247.09	4280.94
15	मध्य प्रदेश	792130	949710	870920	9001.44	2673.44	11674.88	1340.52	10866.50	7331.27	19006.15	2182.31
16	महाराष्ट्र	4358990	4594170	4476580	16551.99	2878.93	19430.92	434.06	20838.75	19348.26	38779.18	866.27
17	मेघालय	12911	20693	16802	147.79	0.00	147.79	879.60	217.09	14.82	162.61	967.80
18	नागालैण्ड	95	526	310.5	28.34	3.9	32.24	10383.25	38.57	1.95	34.19	11011.27
19	मिजोरम	1318	2363	1840.5	41.97	4.68	46.65	2534.64	57.85	0.00	46.65	2534.64
20	ओडिशा	551170	676970	614070	3461.88	2437.26	5899.14	960.66	4701.45	5187.7	11086.84	1805.47
21	पुदुच्चेरी	116540	126590	121565	2307.44	574.36	2881.8	2370.58	1648.83	212.54	3094.34	2545.42
22	पंजाब	110650	1166450	1138550	11722.68	4049.97	15772.65	1385.33	12063.03	12575.66	28348.31	2489.86
23	राजस्थान	1258450	1398540	1328495	7755.26	3470.33	11225.59	844.99	9511.02	11200.01	22425.60	1688.05
24	सिक्किम*	16260	20950	18605	55.34	226.23	281.57	1513.41	0.00	0.00	281.57	1513.41
25	तमिलनाडु	3949400	4272920	4111160	20452.06	30759.13	51211.19	1245.66	38133.77	16054.37	67265.56	1636.17
26	तेलंगाना	1659190	1736640	1697915	17964.66	24532.47	42497.13	2502.90	30893.69	20751.69	63248.82	3725.09
27	त्रिपुरा	11885	12975	12430	41.15	168.66	209.81	1687.93	132.59	69.45	279.26	2246.66
28	उत्तर प्रदेश	1888150	2089850	1989000	11607.74	2160.07	13767.81	692.20	13682.13	21070.56	34838.37	1751.55
29	उत्तराखंड	606770	688660	647715	944.42	7759.36	8703.78	1343.77	4515.27	1648.39	10352.17	1598.26
30	पश्चिम बंगाल	1796410	1953870	1875140	20875.44	16930.04	37805.48	2016.14	34224.57	23902.61	61708.09	3290.85
	कुल	31966808	34331300	33149054	210668.76	135175.09	345843.85	1552.52	290665.54	371860.77	717704.62	2165.08

* क.रा.बी निगम द्वारा किये गये चिकित्सा व्यय तथा लेखागत भुगतान का विवरण पश्चिम बंगाल में शामिल है।

अखिल भारतीय औसत प्रतिव्यक्ति ₹ 2165.08/-



APPENDIX- III- I

Expenditure Incurred on Provision of Medical Care during 2017-18

Sl. No.	Name of the State / UT	IPs as on 31.03.2017	IPs as on 31.03.2018	Mean of IPs $\{(3+4)/2\}$	Expn. Incurred by State Govt./ U.T. on "Medical Care" (in lakh)	Expn. Incurred by State Govt./ U.T. on "Others" (in lakh)	Total (in lakh)	Per Capita incurred by State Govt./ U.T. (in ₹) (8/5)	On Account Payment to State Govt. (in lakh)	Medical Expn. Incurred by ESIC on ESIC Hospitals & Dispensaries (in lakhs)	Total Expn. (in lakhs) (8+11)	Total Per Capita (in ₹) (12/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Andhra Pradesh	1014140	1172290	1093215	10573.61	13405.43	23979.04	2193.44	17195.64	4014.45	27993.49	2560.66
2	Assam	179649	222183	200916	1317.86	1241.19	2559.05	1273.69	2275.13	6955.01	9514.06	4735.34
3	Bihar	201950	237660	219805	974.26	4.38	978.64	445.23	1121.17	3412.58	4391.22	1997.78
4	Chandigarh (Adm.)	230160	230300	230230	511.35	447.17	958.52	416.33	571.56	2919.65	3878.17	1684.48
5	Chattisgarh	423990	558420	491205	2588.33	2392.04	4980.37	1013.91	4233.61	1379.85	6360.22	1294.82
6	Delhi	1946700	1876670	1911685	0	0	0	0.00	0.00	106196.14	106196.14	5555.11
7	Goa	288120	242770	265445	2961.33	857.93	3819.26	1438.81	3791.74	439.13	4258.39	1604.25
8	Gujarat	1473460	1578670	1526065	12261.21	5963.31	18224.52	1194.22	14836.99	11549.62	29774.14	1951.04
9	Haryana	2970810	2944330	2957570	9640.65	3610.64	13251.29	448.05	13941.41	22446.32	35697.61	1206.99
10	Himachal Pradesh	286390	314720	300555	2078.8	683.68	2762.48	919.13	2681.59	4025.88	6788.36	2258.61
11	Jammu & Kashmir	244000	275780	259890	314.35	1.94	316.29	121.70	1151.34	2172.19	2488.48	957.51
12	Jharkhand	319000	378250	348625	2552.37	1.26	2553.63	732.49	2384.10	5818.05	8371.68	2401.34
13	Karnataka	3328960	3496090	3412525	25219.52	7016.63	32236.15	944.64	27341.64	35551.71	67787.86	1986.44
14	Kerala	929160	1091290	1010225	16715.52	920.66	17636.18	1745.77	17814.51	25610.91	43247.09	4280.94
15	Madhya Pradesh	792130	949710	870920	9001.44	2673.44	11674.88	1340.52	10666.50	7331.27	19006.15	2182.31
16	Maharashtra	4358990	4594170	4476580	16551.99	2878.93	19430.92	434.06	20838.75	19348.26	38779.18	866.27
17	Meghalaya	12911	20693	16802	147.79	0.00	147.79	879.60	217.09	14.82	162.61	967.80
18	Mizoram	95	526	310.5	28.34	3.9	32.24	10383.25	38.57	1.95	34.19	11011.27
19	Nagaland	1318	2363	1840.5	41.97	4.68	46.65	2534.64	57.85	0.00	46.65	2534.64
20	Odisha	551170	676970	614070	3461.88	2437.26	5899.14	960.66	4701.45	5187.7	11086.84	1805.47
21	Puducherry	116540	126590	121565	2307.44	574.36	2881.8	2370.58	1648.83	212.54	3094.34	2545.42
22	Punjab	1110650	1168450	1138550	11722.68	4049.97	15772.65	1385.33	12063.03	12575.66	28348.31	2489.86
23	Rajasthan	1258450	1398540	1328495	7755.26	3470.33	11225.59	844.99	9511.02	11200.01	22425.60	1688.05
24	Sikkim*	16260	20950	18605	55.34	226.23	281.57	1513.41	0.00	0.00	281.57	1513.41
25	Tamil Nadu	3949400	4272920	4111160	20452.06	30759.13	51211.19	1245.66	38133.77	16054.37	67265.56	1636.17
26	Telangana	1659190	1736640	1697915	17964.66	24532.47	42497.13	2502.90	30893.69	20751.69	63248.82	3725.09
27	Tripura	11885	12975	12430	41.15	168.66	209.81	1687.93	132.59	69.45	279.26	2246.66
28	Uttar Pradesh	1888150	2089850	1989000	11607.74	2160.07	13767.81	692.20	13682.13	21070.56	34838.37	1751.55
29	Uttarakhand	606770	688660	647715	944.42	7759.36	8703.78	1343.77	4515.27	1648.39	10352.17	1598.26
30	West Bengal	1796410	1953870	1875140	20875.44	16930.04	37805.48	2016.14	34224.57	23902.61	61708.09	3290.85
	Total	31966808	34331300	33149054	210668.76	135175.09	345843.85	1552.52	290665.54	371860.77	717704.62	2165.08

All India Average per capita is ₹ 2165.08/-

* Details of On Account Payment and Medical Expenditure incurred by ESI Corporation are included in West Bengal



परिशिष्ट - III- ज

01.04.2017 से 31.03.2018 तक थी अवधि के दौरान निर्मित

क्र. सं.	अस्पताल		लागत (₹ करोड़ में)
1	अलवर राजस्थान में चिकित्सा महाविद्यालय (500 बिस्तर वाले अस्पताल) का निर्माण	50 बिस्तर शुरू किए गए	933.39
2	विद्यमान 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल, हुबली, कर्नाटक का नवीकरण/पुनर्सज्जा		34.00
3	विद्यमान 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल, देवनगिरि, कर्नाटक का नवीकरण/पुनर्सज्जा		33.80
4	मंडी हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	ज्यादातर खंड राज्य को सुप्रर्द किए गए तथाराज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश द्वारा अगस्त 2017 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम	827.79



APPENDIX- III- J

No. of hospitals and beds Constructed for period 01.04.2017 to 31.03.2018.

Sl. No.	Hospital		Cost (₹ in Crore)
1	Construction of Medical College (500 Bedded Hospital) at Alwar, Rajasthan.	50 bedded started	933.39
2	Renovation/Face-lifting of existing 100 bedded ESI Hospital, Huble, Karnatak.		34.00
3	Renovation/Face-lifting of existing 100 bedded ESI Hospital, Devengere, Karnatak		33.80
4	Construction of Medical College at Mandi, H.P	Most of the blocks are handed over to State & MBBS course had been started since Aug 2017 by State Govt., H.P.	827.79



परिशिष्ट - IV- क

वर्ष 2016-2017 तथा 2017-2018 के दौरान बीमारी हितलाभ, विस्तारित बीमारी हितलाभ तथा मातृत्व हितलाभ दावों की घटना-दर (राज्यवार)

राज्य / क्षेत्र	अवधि	बीमारी हितलाभ के लिए जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	नकद हितलाभ भुगतानों की कुल संख्या	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नकद हितलाभ भुगतानों की औसत संख्या	बीमारी हितलाभ			विस्तारित बीमारी हितलाभ		मातृत्व हितलाभ	
					प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी बीमारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या	औसत दैनिक हितलाभ दर	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	प्रति समाप्त मामले की औसत अवधि	प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी प्रसव की दर	प्रति प्रसव भुगतान की गई औसत राशि (₹)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
आंध्र प्रदेश											
(i) विजयवाड़ा	2016-17	477871	37005	0.08	0.04	0.65	239.68	0.15	484.15	8.58	27915
	2017-18	648343	48179	0.07	0.03	0.49	258.10	0.11	620.15	4.80	64189
(ii) विशाखापट्टणम	2016-17	334568	41876	0.13	0.03	0.52	235.28	0.35	292.51	19.51	18511
	2017-18	427887	44687	0.10	0.03	0.41	266.36	0.33	353.88	14.63	36906
(iii) तिरुपती	2016-17	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	2017-18	280058	15627	0.06	0.03	0.48	162.30	0.09	283.04	3.50	93660
असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैण्ड, सिक्किम, मिज़ोरम, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश	2016-17	247365	14683	0.06	0.02	0.29	192.69	0.20	135.43	12.47	24537
	2017-18	317145	15240	0.05	0.01	0.24	232.86	0.17	131.22	6.18	38447
बिहार	2016-17	214281	75859	0.35	0.01	0.19	237.35	0.15	0.00	6.56	30320
	2017-18	274258	87883	0.32	0.00	0.14	277.11	0.09	0.00	2.99	83530
चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	2016-17	200070	3247	0.02	0.00	0.17	233.33	0.08	0.00	10.58	29811
	2017-18	284887	9813	0.03	0.00	0.09	283.81	0.05	0.00	6.37	53421
छत्तीसगढ़	2016-17	423849	35012	0.08	0.01	0.22	248.05	0.26	0.00	3.41	28264
	2017-18	590530	36827	0.06	0.01	0.16	268.58	0.13	114.44	3.49	52132
दिल्ली											
(i) क्षे. का. दिल्ली + नंदनगर	2016-17	845088	81266	0.10	0.00	0.17	263.13	0.29	0.00	3.87	40115
	2017-18	991936	83389	0.08	0.00	0.18	250.70	0.28	0.00	4.52	55760
(ii) ओखला	2016-17	854175	7809	0.01	0.00	0.10	255.14	0.13	0.00	4.61	32600
	2017-18	1101241	7613	0.01	0.00	0.10	297.51	0.12	0.00	3.25	55202
(iii) रोहिणी	2016-17	268618	14466	0.05	0.01	0.36	249.00	0.37	0.00	4.31	34322
	2017-18	311883	12175	0.04	0.01	0.28	278.92	0.29	0.00	3.51	56274
गोवा	2016-17	269283	18902	0.07	0.02	0.30	252.76	0.14	0.00	11.58	34049
	2017-18	329202	20087	0.06	0.01	0.22	290.27	0.09	0.00	14.81	66678
गुजरात											
(i) अहमदाबाद	2016-17	765126	141918	0.19	0.02	0.39	257.29	0.50	196.17	7.65	25567
	2017-18	943372	144201	0.15	0.02	0.32	277.96	0.40	193.99	6.11	45197
(ii) वडोदरा	2016-17	305745	46923	0.15	0.03	0.54	255.00	0.31	179.14	6.37	32139
	2017-18	353083	46359	0.13	0.02	0.47	284.10	0.35	165.08	7.79	51408
(iii) सूरत	2016-17	464866	21199	0.05	0.01	0.16	288.18	0.13	145.29	6.61	30708
	2017-18	594352	22737	0.04	0.01	0.13	316.23	0.08	181.06	6.88	56017
हरियाणा											
(i) फरीदाबाद	2016-17	811858	23613	0.03	0.01	0.28	228.89	0.22	185.87	13.79	30841
	2017-18	956209	23387	0.02	0.01	0.27	263.42	0.18	159.68	10.13	49673
(ii) गुरुग्राम	2016-17	1640345	34676	0.02	0.00	0.05	257.44	0.03	162.30	3.91	24616
	2017-18	2321668	35310	0.02	0.00	0.04	308.29	0.02	0.00	3.12	49451
(iii) अम्बाला	2016-17	231096	4389	0.02	0.01	0.14	217.76	0.09	0.00	5.00	24491
	2017-18	289364	4664	0.02	0.00	0.13	250.11	0.10	1.00	2.83	50914
हिमाचल प्रदेश	2016-17	325098	48438	0.15	0.02	0.55	192.33	0.37	1.80	11.86	20361
	2017-18	372841	38447	0.10	0.02	0.45	234.33	0.36	21.87	7.85	33888
जम्मू एवं कश्मीर	2016-17	194713	7812	0.04	0.01	0.23	193.34	0.07	736.50	8.41	20107
	2017-18	315712	12944	0.04	0.01	0.17	213.56	0.07	556.75	5.65	38748
झारखंड	2016-17	365697	16249	0.04	0.03	0.39	241.94	0.16	361.11	6.22	23918
	2017-18	441156	39373	0.09	0.03	0.35	277.20	0.14	223.38	4.22	39777



APPENDIX - IV-A

Incidence of Sickness Benefit, Extended Sickness Benefit and Maternity Benefit Claims during the years 2016-17 & 2017-18 (State-wise)

State/Area	Period	No. of employees deemed exposed to risk of Sickness Benefit	Total No. of cash benefit payments	Average No. of cash benefit payments per employee per annum	Sickness Benefit			Extended Sickness Benefit		Maternity Benefit	
					Rate of fresh spells per employee per annum	Average No. of Sickness Benefit days p.e.p.a	Average daily benefit rate	Rate of fresh cases per 1000 employees per annum	Average duration per terminated case	Rate of confinement per 1000 insured women employees	Average amount paid per confinement (₹)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
ANDHRA PRADESH											
(i) Vijaywada	2016-17	477871	37005	0.08	0.04	0.65	239.68	0.15	484.15	8.58	27915
	2017-18	648343	48179	0.07	0.03	0.49	258.10	0.11	620.15	4.80	64189
(ii) Vishakhapatnam	2016-17	334568	41876	0.13	0.03	0.52	235.28	0.35	292.51	19.51	18511
	2017-18	427887	44687	0.10	0.03	0.41	266.36	0.33	353.88	14.63	36906
(iii) Tirupati	2016-17	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	2017-18	280058	15627	0.06	0.03	0.48	162.30	0.09	283.04	3.50	93660
Assam, Megha, Tripura, Nagaland, Sikkim, Mizoram, Manipur & Arunachal Pradesh	2016-17	247365	14683	0.06	0.02	0.29	192.69	0.20	135.43	12.47	24537
	2017-18	317145	15240	0.05	0.01	0.24	232.86	0.17	131.22	6.18	38447
Bihar	2016-17	214281	75859	0.35	0.01	0.19	237.35	0.15	0.00	6.56	30320
	2017-18	274258	87883	0.32	0.00	0.14	277.11	0.09	0.00	2.99	83530
Chandigarh U.T.	2016-17	200070	3247	0.02	0.00	0.17	233.33	0.08	0.00	10.58	29811
	2017-18	284887	9813	0.03	0.00	0.09	283.81	0.05	0.00	6.37	53421
Chhattisgarh	2016-17	423849	35012	0.08	0.01	0.22	248.05	0.26	0.00	3.41	28264
	2017-18	590530	36827	0.06	0.01	0.16	268.58	0.13	114.44	3.49	52132
DELHI											
(i) R.O. Delhi+ Nand Nagari	2016-17	845088	81266	0.10	0.00	0.17	263.13	0.29	0.00	3.87	40115
	2017-18	991936	83389	0.08	0.00	0.18	250.70	0.28	0.00	4.52	55760
(ii) Okhla	2016-17	854175	7809	0.01	0.00	0.10	255.14	0.13	0.00	4.61	32600
	2017-18	1101241	7613	0.01	0.00	0.10	297.51	0.12	0.00	3.25	55202
(iii) Rohini	2016-17	268618	14466	0.05	0.01	0.36	249.00	0.37	0.00	4.31	34322
	2017-18	311883	12175	0.04	0.01	0.28	278.92	0.29	0.00	3.51	56274
Goa	2016-17	269283	18902	0.07	0.02	0.30	252.76	0.14	0.00	11.58	34049
	2017-18	329202	20087	0.06	0.01	0.22	290.27	0.09	0.00	14.81	66678
GUJARAT											
(I) Ahmedabad	2016-17	765126	141918	0.19	0.02	0.39	257.29	0.50	196.17	7.65	25567
	2017-18	943372	144201	0.15	0.02	0.32	277.96	0.40	193.99	6.11	45197
(II) Baroda	2016-17	305745	46923	0.15	0.03	0.54	255.00	0.31	179.14	6.37	32139
	2017-18	353083	46359	0.13	0.02	0.47	284.10	0.35	165.08	7.79	51408
(iii) Surat	2016-17	464866	21199	0.05	0.01	0.16	288.18	0.13	145.29	6.61	30708
	2017-18	594352	22737	0.04	0.01	0.13	316.23	0.08	181.06	6.88	56017
HARYANA											
(i) Faridabad	2016-17	811858	23613	0.03	0.01	0.28	228.89	0.22	185.87	13.79	30841
	2017-18	956209	23387	0.02	0.01	0.27	263.42	0.18	159.68	10.13	49673
(ii) Gurugram	2016-17	1640345	34676	0.02	0.00	0.05	257.44	0.03	162.30	3.91	24616
	2017-18	2321668	35310	0.02	0.00	0.04	308.29	0.02	0.00	3.12	49451
(iii) Ambala	2016-17	231096	4389	0.02	0.01	0.14	217.76	0.09	0.00	5.00	24491
	2017-18	289364	4664	0.02	0.00	0.13	250.11	0.10	1.00	2.83	50914
Himachal Pradesh	2016-17	325098	48438	0.15	0.02	0.55	192.33	0.37	1.80	11.86	20361
	2017-18	372841	38447	0.10	0.02	0.45	234.33	0.36	21.87	7.85	33888
Jammu & Kashmir	2016-17	194713	7812	0.04	0.01	0.23	193.34	0.07	736.50	8.41	20107
	2017-18	315712	12944	0.04	0.01	0.17	213.56	0.07	556.75	5.65	38748
Jharkhand	2016-17	365697	16249	0.04	0.03	0.39	241.94	0.16	361.11	6.22	23918
	2017-18	441156	39373	0.09	0.03	0.35	277.20	0.14	223.38	4.22	39777



राज्य / क्षेत्र	अवधि	बीमारी हितलाम के लिए जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	नकद हितलाम भुगतानों की कुल संख्या	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नकद हितलाम भुगतानों की औसत संख्या	बीमारी हितलाम			विस्तारित बीमारी हितलाम		मातृत्व हितलाम	
					प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी बीमारी हितलाम दिनों की औसत संख्या	औसत दैनिक हितलाम दर	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारियों नए मामलों की दर	प्रति समाप्त मामले की औसत अवधि	प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी प्रसव की दर	प्रति प्रसव भुगतान की गई औसत राशि (₹)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
कर्नाटक											
(i) बिन्नी पेठ	2016-17	1147830	63806	0.06	0.01	0.23	271.59	0.10	0.00	6.97	26103
	2017-18	1379131	57134	0.04	0.01	0.21	279.47	0.12	0.00	9.55	39207
(ii) बोमसन्द्रा	2016-17	901018	29329	0.03	0.01	0.26	265.07	0.12	0.00	6.41	28831
	2017-18	1065420	29545	0.03	0.01	0.52	114.79	0.05	281.17	7.98	52348
(iii) पीण्या	2016-17	617440	38758	0.06	0.02	0.50	239.65	0.18	3649.75	8.90	24977
	2017-18	709516	47238	0.07	0.03	0.45	255.31	0.21	7582.86	8.12	45930
(iv) हुबली	2016-17	321940	59816	0.19	0.72	0.72	233.65	0.30	205.34	8.46	24258
	2017-18	384097	63747	0.17	0.05	0.69	255.73	0.24	285.63	6.63	40439
(v) गुलबर्गा	2016-17	113335	14481	0.13	0.03	0.45	285.17	0.14	0.00	6.84	25638
	2017-18	182753	13322	0.07	0.01	0.24	287.27	0.07	0.00	5.02	38070
(vi) मैसूर	2016-17	212922	29832	0.14	0.03	0.51	239.48	0.23	228.60	5.96	30016
	2017-18	263070	32578	0.12	0.03	0.46	240.40	0.33	180.94	7.87	44077
(vii) मैंगलुरु	2016-17	180125	16175	0.09	0.02	0.46	234.40	0.13	0.00	16.06	25162
	2017-18	236782	17112	0.07	0.02	0.38	252.59	0.06	0.00	14.95	54087
केरल											
(i) तृशूर	2016-17	160483	72955	0.45	0.18	1.39	254.01	1.31	222.01	16.25	32713
	2017-18	198086	74122	0.37	0.12	1.22	283.60	1.28	244.21	20.15	64345
(ii) एरणाकुलम	2016-17	460423	84113	0.18	0.06	0.84	294.18	0.65	476.85	19.09	31729
	2017-18	539738	87258	0.16	0.04	0.72	286.96	0.57	298.83	22.52	59586
(iii) कोल्लम	2016-17	170278	63738	0.37	0.10	1.49	219.07	2.21	291.43	7.50	28334
	2017-18	178489	61454	0.34	0.08	1.38	239.18	1.31	286.84	16.13	54424
(iv) कोझीकोड	2016-17	166743	59427	0.36	0.10	1.12	233.01	1.18	243.77	18.02	28413
	2017-18	207171	63686	0.31	0.07	0.94	260.08	0.75	252.17	17.55	59257
(v) त्रिवंतपुरम	2016-17	161813	21629	0.13	0.03	0.71	240.62	0.81	232.05	11.26	32243
	2017-18	166880	24789	0.15	0.04	0.84	269.20	0.56	0.00	20.85	57989
मध्य प्रदेश											
(i) इंदौर	2016-17	816465	152591	0.19	0.04	0.58	216.98	0.19	397.38	9.57	17301
	2017-18	919720	105000	0.11	0.03	0.40	234.96	0.13	406.98	4.70	50797
(ii) भोपाल	2016-17	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	2017-18	142800	58144	0.41	0.05	0.70	308.03	0.36	243.14	3.08	43656
महाराष्ट्र											
(i) लोअर परेल	2016-17	706112	79666	0.11	0.01	0.16	309.38	0.10	213.51	7.06	35664
	2017-18	883659	83008	0.09	0.00	0.12	336.08	0.08	215.36	5.13	79022
(ii) मरोल	2016-17	948313	72203	0.08	0.01	0.15	278.12	0.04	0.00	9.67	34235
	2017-18	1240083	75862	0.06	0.01	0.11	330.48	0.08	3310.63	9.53	48494
(iii) नागपुर	2016-17	279877	50425	0.18	0.05	0.72	241.74	0.30	173.11	9.09	37286
	2017-18	392493	49977	0.13	0.03	0.50	279.06	0.22	173.54	6.73	68397
(iv) पुणे	2016-17	1053786	43963	0.04	0.02	0.29	285.90	0.13	219.70	7.23	30430
	2017-18	1542532	142480	0.09	0.01	0.21	300.42	0.06	279.08	4.27	56704
(v) ठाणे	2016-17	665244	73833	0.11	0.01	0.17	321.18	0.15	296.29	8.35	35676
	2017-18	890303	77848	0.09	0.01	0.14	370.86	0.12	231.14	7.21	63388
(vi) औरंगाबाद	2016-17	234357	29475	0.13	0.03	0.39	251.50	0.16	197.90	4.00	23278
	2017-18	296458	29948	0.10	0.03	0.37	300.17	0.19	0.00	2.66	63225
(vii) नाशिक	2016-17	152407	25607	0.17	0.00	0.50	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	2017-18	200222	29873	0.15	0.01	0.41	350.71	0.02	0.00	1.34	438406
ओडिशा	2016-17	602642	61484	0.10	0.00	0.38	227.53	0.16	2119.62	8.39	22325
	2017-18	766172	61721	0.08	0.01	0.32	255.53	0.15	226.50	4.34	43648



State/Area	Period	No. of employees deemed exposed to risk of Sickness Benefit	Total No. of cash benefit payments	Average No. of cash benefit payments per employee per annum	Sickness Benefit			Extended Sickness Benefit		Maternity Benefit	
					Rate of fresh spells per employee per annum	Average No. of Sickness Benefit days p.e.p.a	Average daily benefit rate	Rate of fresh cases per 1000 employees per annum	Average duration per terminated case	Rate of confinement per 1000 insured women employees	Average amount paid per confinement (₹)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
KARNATAKA											
(i) Binny peth	2016-17	1147830	63806	0.06	0.01	0.23	271.59	0.10	0.00	6.97	26103
	2017-18	1379131	57134	0.04	0.01	0.21	279.47	0.12	0.00	9.55	39207
(ii) Bommasandra	2016-17	901018	29329	0.03	0.01	0.26	265.07	0.12	0.00	6.41	28831
	2017-18	1065420	29545	0.03	0.01	0.52	114.79	0.05	281.17	7.98	52348
(iii) Peenya	2016-17	617440	38758	0.06	0.02	0.50	239.65	0.18	3649.75	8.90	24977
	2017-18	709516	47238	0.07	0.03	0.45	255.31	0.21	7582.86	8.12	45930
(iv) Hubli	2016-17	321940	59816	0.19	0.72	0.72	233.65	0.30	205.34	8.46	24258
	2017-18	384097	63747	0.17	0.05	0.69	255.73	0.24	285.63	6.63	40439
(v) Gulbarga	2016-17	113335	14481	0.13	0.03	0.45	285.17	0.14	0.00	6.84	25638
	2017-18	182753	13322	0.07	0.01	0.24	287.27	0.07	0.00	5.02	38070
(vi) Mysore	2016-17	212922	29832	0.14	0.03	0.51	239.48	0.23	228.60	5.96	30016
	2017-18	263070	32578	0.12	0.03	0.46	240.40	0.33	180.94	7.87	44077
(vii) Mangalore	2016-17	180125	16175	0.09	0.02	0.46	234.40	0.13	0.00	16.06	25162
	2017-18	236782	17112	0.07	0.02	0.38	252.59	0.06	0.00	14.95	54087
KERALA											
(i) Thrissur	2016-17	160483	72955	0.45	0.18	1.39	254.01	1.31	222.01	16.25	32713
	2017-18	198086	74122	0.37	0.12	1.22	283.60	1.28	244.21	20.15	64345
(ii) Ernakulam	2016-17	460423	84113	0.18	0.06	0.84	294.18	0.65	476.85	19.09	31729
	2017-18	539738	87258	0.16	0.04	0.72	286.96	0.57	298.83	22.52	59586
(iii) Kollam	2016-17	170278	63738	0.37	0.10	1.49	219.07	2.21	291.43	7.50	28334
	2017-18	178489	61454	0.34	0.08	1.38	239.18	1.31	286.84	16.13	54424
(iv) Kozhikode	2016-17	166743	59427	0.36	0.10	1.12	233.01	1.18	243.77	18.02	28413
	2017-18	207171	63686	0.31	0.07	0.94	260.08	0.75	252.17	17.55	59257
(v) Thiruvanthapuram	2016-17	161813	21629	0.13	0.03	0.71	240.62	0.81	232.05	11.26	32243
	2017-18	166880	24789	0.15	0.04	0.84	269.20	0.56	0.00	20.85	57989
MADHYA PRADESH											
(i) Inodre	2016-17	816465	152591	0.19	0.04	0.58	216.98	0.19	397.38	9.57	17301
	2017-18	919720	105000	0.11	0.03	0.40	234.96	0.13	406.98	4.70	50797
(ii) Bhopal	2016-17	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	2017-18	142800	58144	0.41	0.05	0.70	308.03	0.36	243.14	3.08	43656
MAHARASHTRA											
(i) Lower Parel	2016-17	706112	79666	0.11	0.01	0.16	309.38	0.10	213.51	7.06	35664
	2017-18	883659	83008	0.09	0.00	0.12	336.08	0.08	215.36	5.13	79022
(ii) Marol	2016-17	948313	72203	0.08	0.01	0.15	278.12	0.04	0.00	9.67	34235
	2017-18	1240083	75862	0.06	0.01	0.11	330.48	0.08	3310.63	9.53	48494
(iii) Nagpur	2016-17	279877	50425	0.18	0.05	0.72	241.74	0.30	173.11	9.09	37286
	2017-18	392493	49977	0.13	0.03	0.50	279.06	0.22	173.54	6.73	68397
(iv) Pune	2016-17	1053786	43963	0.04	0.02	0.29	285.90	0.13	219.70	7.23	30430
	2017-18	1542532	142480	0.09	0.01	0.21	300.42	0.06	279.08	4.27	56704
(v) Thane	2016-17	665244	73833	0.11	0.01	0.17	321.18	0.15	296.29	8.35	35676
	2017-18	890303	77848	0.09	0.01	0.14	370.86	0.12	231.14	7.21	63388
(vi) Aurangabad	2016-17	234357	29475	0.13	0.03	0.39	251.50	0.16	197.90	4.00	23278
	2017-18	296458	29948	0.10	0.03	0.37	300.17	0.19	0.00	2.66	63225
(vii) Nasik	2016-17	152407	25607	0.17	0.00	0.50	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	2017-18	200222	29873	0.15	0.01	0.41	350.71	0.02	0.00	1.34	438406
Odisha	2016-17	602642	61484	0.10	0.00	0.38	227.53	0.16	2119.62	8.39	22325
	2017-18	766172	61721	0.08	0.01	0.32	255.53	0.15	226.50	4.34	43648



राज्य / क्षेत्र	अवधि	बीमारी हितलाम के लिए जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	नकद हितलाम भुगतानों की कुल संख्या	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नकद हितलाम भुगतानों की औसत संख्या	बीमारी हितलाम			विस्तारित बीमारी हितलाम		मातृत्व हितलाम	
					प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी बीमारी हितलाम दिनों की औसत संख्या	औसत दैनिक हितलाम दर	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारियों नए मामलों की दर	प्रति समाप्त मामले की औसत अवधि	प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी प्रसव की दर	प्रति प्रसव भुगतान की गई औसत राशि (₹)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
पुदुच्चेरी	2016-17	139565	28906	0.21	0.07	0.76	224.25	0.47	284.96	11.22	25796
	2017-18	155180	33484	0.22	0.07	0.80	242.90	0.21	183.28	12.40	63903
पंजाब											
(i) क्षे.का. पंजाब	2016-17	468104	22063	0.05	0.02	0.35	228.48	0.22	264.15	7.48	25060
	2017-18	605778	65615	0.11	0.01	0.26	262.97	0.22	67.19	7.12	45062
(ii) जालंधर	2016-17	284032	65070	0.23	0.02	0.49	214.95	0.45	228.50	5.54	27005
	2017-18	317547	66393	0.21	0.01	0.49	227.22	0.37	131.85	5.78	45305
(iii) लुधियाना	2016-17	457471	25828	0.06	0.01	0.36	259.44	0.31	2286.81	4.92	29267
	2017-18	520466	122937	0.24	0.01	0.38	237.73	0.30	212.14	6.05	39351
राजस्थान											
(i) रायपुर	2016-17	880733	76767	0.09	0.01	0.20	230.61	0.06	251.06	6.91	24294
	2017-18	1171443	75418	0.06	0.01	0.14	255.72	0.04	173.00	4.02	48218
(ii) उदयपुर	2016-17	217522	28629	0.13	0.02	0.30	276.36	0.08	658.40	8.41	23621
	2017-18	262034	30824	0.12	0.02	0.28	262.03	0.04	290.00	8.20	32383
(iii) जोधपुर	2016-17	145807	26628	0.18	0.04	0.63	263.03	0.34	214.40	11.13	13277
	2017-18	187179	30272	0.16	0.03	0.50	282.32	0.13	0.00	3.78	38976
तमिलनाडु											
(i) चेन्नै	2016-17	2296451	130002	0.06	0.00	0.19	242.29	0.18	138.94	5.76	31160
	2017-18	2849882	134836	0.05	0.00	0.14	279.31	0.10	228.22	8.18	49623
(ii) कोयम्बतूर	2016-17	878550	53550	0.06	0.01	0.16	247.31	0.06	0.00	4.33	33508
	2017-18	977411	55681	0.06	0.01	0.14	264.94	0.07	0.00	4.85	62916
(iii) मदुरै	2016-17	481630	56030	0.12	0.01	0.35	186.10	0.29	231.83	6.17	21859
	2017-18	549190	60923	0.11	0.01	0.33	196.43	0.25	255.20	6.72	39927
(iv) सेलम	2016-17	404464	9739	0.02	0.01	0.19	236.35	0.11	174.60	6.17	28516
	2017-18	494971	35883	0.07	0.01	0.16	247.44	0.05	186.00	7.33	50881
(v) तिरुनेलवेली	2016-17	227444	20752	0.09	0.01	0.30	216.59	0.29	288.23	5.90	23320
	2017-18	270817	10829	0.04	0.01	0.24	232.17	0.25	493.09	5.62	57499
तेलंगाना	2016-17	1941844	73371	0.04	0.02	0.33	251.44	0.09	215.42	6.49	31838
	2017-18	2119260	139561	0.07	0.01	0.26	235.92	0.07	235.02	7.15	46619
उत्तर प्रदेश											
(i) कानपुर	2016-17	426127	14156	0.03	0.02	0.31	236.03	0.22	0.00	4.68	27402
	2017-18	516293	84079	0.16	0.01	0.25	231.94	0.17	0.00	3.99	33717
(ii) नोएडा	2016-17	1156791	82082	0.07	0.00	0.11	386.28	0.04	6053.00	2.65	53871
	2017-18	1406833	75338	0.05	0.00	0.14	300.42	0.16	1667.67	2.89	41639
(iii) वाराणसी	2016-17	72266	39465	0.55	0.00	0.08	209.19	0.00	0.00	2.67	23331
	2017-18	98013	42389	0.43	0.00	0.09	216.52	0.01	26.51	2.56	33056
(iv) लखनऊ	2016-17	339885	56063	0.16	0.01	0.11	258.68	0.04	499.67	4.18	30861
	2017-18	430517	56723	0.13	0.00	0.08	244.87	0.13	139.63	2.74	39393
उत्तराखंड	2016-17	593472	11811	0.02	0.01	0.24	315.12	0.01	0.00	5.65	31038
	2017-18	759993	28774	0.04	0.01	0.25	286.29	0.01	0.00	3.50	69176
पश्चिम बंगाल											
(i) कोलकाता	2016-17	1452146	329806	0.23	0.02	0.70	267.08	0.84	120.23	6.06	26567
	2017-18	1765010	312207	0.18	0.02	0.65	280.50	0.64	127.34	3.11	59664
(ii) बैरकपुर	2016-17	351859	171849	0.49	0.03	1.02	272.98	1.09	218.72	4.12	26903
	2017-18	409054	179919	0.44	0.03	0.80	287.55	1.02	203.62	4.67	35642
(iii) दुर्गापुर	2016-17	195387	19127	0.10	0.03	0.63	217.71	0.49	4158.00	7.92	21937
	2017-18	244090	20093	0.08	0.02	0.53	226.92	0.39	0.00	7.36	32034
अखिल भारत	2016-17	32724815	3160342	0.10	0.02	0.33	251.43	0.23	292.19	7.67	28924
	2017-18	41041663	3696966	0.09	0.01	0.29	260.19	0.18	320.06	7.75	51946



State/Area	Period	No. of employees deemed exposed to risk of Sickness Benefit	Total No. of cash benefit payments	Average No. of cash benefit payments per employee per annum	Sickness Benefit			Extended Sickness Benefit		Maternity Benefit	
					Rate of fresh spells per employee per annum	Average No. of Sickness Benefit days p.e.p.a	Average daily benefit rate	Rate of fresh cases per 1000 employees per annum	Average duration per terminated case	Rate of confinement per 1000 insured women employees	Average amount paid per confinement (₹)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
Puducherry	2016-17	139565	28906	0.21	0.07	0.76	224.25	0.47	284.96	11.22	25796
	2017-18	155180	33484	0.22	0.07	0.80	242.90	0.21	183.28	12.40	63903
PUNJAB											
(i) R.O. Punjab	2016-17	468104	22063	0.05	0.02	0.35	228.48	0.22	264.15	7.48	25060
	2017-18	605778	65615	0.11	0.01	0.26	262.97	0.22	67.19	7.12	45062
(ii) Jalandhar	2016-17	284032	65070	0.23	0.02	0.49	214.95	0.45	228.50	5.54	27005
	2017-18	317547	66393	0.21	0.01	0.49	227.22	0.37	131.85	5.78	45305
(iii) Ludhaina	2016-17	457471	25828	0.06	0.01	0.36	259.44	0.31	2286.81	4.92	29267
	2017-18	520466	122937	0.24	0.01	0.38	237.73	0.30	212.14	6.05	39351
RAJASTHAN											
(i) Jaipur	2016-17	880733	76767	0.09	0.01	0.20	230.61	0.06	251.06	6.91	24294
	2017-18	1171443	75418	0.06	0.01	0.14	255.72	0.04	173.00	4.02	48218
(ii) Udaipur	2016-17	217522	28629	0.13	0.02	0.30	276.36	0.08	658.40	8.41	23621
	2017-18	262034	30824	0.12	0.02	0.28	262.03	0.04	290.00	8.20	32383
(iii) Jodhpur	2016-17	145807	26628	0.18	0.04	0.63	263.03	0.34	214.40	11.13	13277
	2017-18	187179	30272	0.16	0.03	0.50	282.32	0.13	0.00	3.78	38976
TAMIL NADU											
(i) Chennai	2016-17	2296451	130002	0.06	0.00	0.19	242.29	0.18	138.94	5.76	31160
	2017-18	2849882	134836	0.05	0.00	0.14	279.31	0.10	228.22	8.18	49623
(ii) Coimbatore	2016-17	878550	53550	0.06	0.01	0.16	247.31	0.06	0.00	4.33	33508
	2017-18	977411	55681	0.06	0.01	0.14	264.94	0.07	0.00	4.85	62916
(iii) Madurai	2016-17	481630	56030	0.12	0.01	0.35	186.10	0.29	231.83	6.17	21859
	2017-18	549190	60923	0.11	0.01	0.33	196.43	0.25	255.20	6.72	39927
(iv) Salem	2016-17	404464	9739	0.02	0.01	0.19	236.35	0.11	174.60	6.17	28516
	2017-18	494971	35883	0.07	0.01	0.16	247.44	0.05	186.00	7.33	50881
(v) Tirunelveli	2016-17	227444	20752	0.09	0.01	0.30	216.59	0.29	288.23	5.90	23320
	2017-18	270817	10829	0.04	0.01	0.24	232.17	0.25	493.09	5.62	57499
Telangana	2016-17	1941844	73371	0.04	0.02	0.33	251.44	0.09	215.42	6.49	31838
	2017-18	2119260	139561	0.07	0.01	0.26	235.92	0.07	235.02	7.15	46619
UTTAR PRADESH											
(i) Kanpur	2016-17	426127	14156	0.03	0.02	0.31	236.03	0.22	0.00	4.68	27402
	2017-18	516293	84079	0.16	0.01	0.25	231.94	0.17	0.00	3.99	33717
(ii) Noida	2016-17	1156791	82082	0.07	0.00	0.11	386.28	0.04	6053.00	2.65	53871
	2017-18	1406833	75338	0.05	0.00	0.14	300.42	0.16	1667.67	2.89	41639
(iii) Varanasi	2016-17	72266	39465	0.55	0.00	0.08	209.19	0.00	0.00	2.67	23331
	2017-18	98013	42389	0.43	0.00	0.09	216.52	0.01	26.51	2.56	33056
(iv) Lucknow	2016-17	339885	56063	0.16	0.01	0.11	258.68	0.04	499.67	4.18	30861
	2017-18	430517	56723	0.13	0.00	0.08	244.87	0.13	139.63	2.74	39393
Uttarakhand	2016-17	593472	11811	0.02	0.01	0.24	315.12	0.01	0.00	5.65	31038
	2017-18	759993	28774	0.04	0.01	0.25	286.29	0.01	0.00	3.50	69176
WEST BENGAL											
(i) Kolkata	2016-17	1452146	329806	0.23	0.02	0.70	267.08	0.84	120.23	6.06	26567
	2017-18	1765010	312207	0.18	0.02	0.65	280.50	0.64	127.34	3.11	59664
(ii) Barrackpore	2016-17	351859	171849	0.49	0.03	1.02	272.98	1.09	218.72	4.12	26903
	2017-18	409054	179919	0.44	0.03	0.80	287.55	1.02	203.62	4.67	35642
(iii) Durgapur	2016-17	195387	19127	0.10	0.03	0.63	217.71	0.49	4158.00	7.92	21937
	2017-18	244090	20093	0.08	0.02	0.53	226.92	0.39	0.00	7.36	32034
ALL INDIA	2016-17	32724815	3160342	0.10	0.02	0.33	251.43	0.23	292.19	7.67	28924
	2017-18	41041663	3696966	0.09	0.01	0.29	260.19	0.18	320.06	7.75	51946



परिशिष्ट - IV- ख

वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018 के दौरान स्वीकृत स्थायी निःशक्तता हितलाभ,
अस्थायी निःशक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ दावों की घटना-दर (राज्यवार)

राज्य / क्षेत्र	अवधि	रोजगार चोट में जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ			स्थायी निःशक्तता हितलाभ				आश्रितजन हितलाभ	
			प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी दिनों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की औसत दैनिक दर (₹)	स्वीकृत नए मामलों की संख्या	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	एकमुश्त युगतान के लिए संराशीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में लाभार्थियों की संख्या	मृत्यु के स्वीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश											
(i) विजयवाड़ा	2016-17	356540	0.00	0.06	275.16	306	0.86	397	1906	34	1130
	2017-18	489080	0.00	0.04	334.03	144	0.29	158	2033	24	1182
(ii) विशाखापट्टणम	2016-17	250215	0.00	0.08	285.29	156	0.62	74	1626	36	583
	2017-18	316425	0.00	0.07	314.81	97	0.31	62	1707	42	688
(iii) त्रिरुपती	2016-17	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
	2017-18	210580	0.00	0.04	292.06	2	0.01	0	0	0	0
असम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम तथा अरुणाचल प्रदेश	2016-17	181759	0.00	0.06	178.29	12	0.07	0	485	9	695
	2017-18	234210	0.00	0.03	233.62	11	0.05	1	507	12	722
बिहार	2016-17	158286	0.00	0.21	340.77	4	0.03	0	4638	11	1660
	2017-18	202920	0.00	0.20	307.43	33	0.16	0	4638	28	1743
चंडीगढ़ एवं राज्यक्षेत्र	2016-17	156500	0.00	0.02	302.50	44	0.28	4	7861	7	697
	2017-18	217280	0.00	0.01	354.98	40	0.18	11	7868	5	709
छत्तीसगढ़	2016-17	313720	0.00	0.07	250.29	59	0.19	0	1088	82	1485
	2017-18	450545	0.00	0.06	288.22	63	0.14	2	1153	66	1650
दिल्ली											
(i) राजेन्द्र प्लेस	2016-17	640500	0.00	0.05	301.87	88	0.14	0	5423	26	4679
	2017-18	707945	0.00	0.06	316.60	65	0.09	0	5768	23	4741
(ii) ओखला	2016-17	629645	0.00	0.02	291.38	28	0.04	0	1223	31	626
	2017-18	818195	0.00	0.01	334.99	41	0.05	0	1256	24	687
(iii) रोहिणी	2016-17	193385	0.00	0.51	286.31	282	1.46	4	2422	39	635
	2017-18	224035	0.00	0.38	315.37	277	1.24	0	2422	20	690
गोवा	2016-17	203539	0.00	0.06	296.54	34	0.17	0	1034	20	682
	2017-18	239335	0.00	0.05	358.90	23	0.10	0	1069	16	720
गुजरात											
(i) अहमदाबाद	2016-17	559255	0.01	0.19	325.04	620	1.11	623	10790	65	7756
	2017-18	689955	0.01	0.16	355.43	478	0.69	156	11046	58	7905
(ii) वड़ोदरा	2016-17	219060	0.00	0.17	301.55	50	0.23	6	1857	36	897
	2017-18	252970	0.00	0.15	328.14	51	0.20	5	1912	20	947
(iii) सूरत	2016-17	350345	0.00	0.04	341.10	39	0.11	0	933	18	1109
	2017-18	439445	0.00	0.03	375.02	57	0.13	0	963	58	1261
हरियाणा											
(i) फरीदाबाद	2016-17	581540	0.00	0.16	231.39	807	1.39	12	17596	80	5567
	2017-18	690895	0.00	0.15	283.17	640	0.93	2	18046	73	5789
(ii) गुरुग्राम	2016-17	1305115	0.00	0.01	250.43	83	0.06	0	2512	31	381
	2017-18	1761035	0.00	0.01	283.14	119	0.07	0	2613	39	475
(iii) अम्बाला	2016-17	166770	0.00	0.12	245.17	187	1.12	19	190	36	221
	2017-18	213585	0.00	0.07	302.69	153	0.72	12	317	20	277
हिमाचल प्रदेश	2016-17	230540	0.00	0.20	223.89	188	0.82	18	1050	39	948
	2017-18	267130	0.00	0.16	236.75	107	0.40	6	1188	18	990
जम्मू एवं कश्मीर	2016-17	157955	0.00	0.07	239.82	19	0.12	1	486	18	603
	2017-18	248755	0.00	0.04	269.32	54	0.22	0	522	22	657
झारखंड	2016-17	261600	0.00	0.20	75.29	41	0.16	0	1400	18	798
	2017-18	321665	0.00	0.05	319.05	50	0.16	0	1462	13	835



APPENDIX - IV-B

Incidence of PDB, TDB and DB Claims admitted during the year 2016-17 & 2017-18 [State-Wise]

State/Area	Period	No. of employees deemed exposed to risk to E.I.	Temporary Disablement Benefit			Permanent Disablement Benefit				Dependants' Benefit	
			Rate of fresh spells per employees per annum	No. of Days per employee per annum	Average daily rate of T.D.B. [₹]	No. of fresh cases admitted	Rate of fresh case per 1000 employee per annum	No. of cases commuted for Lump-sum	No. of Beneficiaries at the end of the year	No. of death cases admitted	No. of Beneficiaries at the end of the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ANDHRA PRADESH											
(i) Vijaywada	2016-17	356540	0.00	0.06	275.16	306	0.86	397	1906	34	1130
	2017-18	489080	0.00	0.04	334.03	144	0.29	158	2033	24	1182
(ii) Vishakhapatnam	2016-17	250215	0.00	0.08	285.29	156	0.62	74	1626	36	583
	2017-18	316425	0.00	0.07	314.81	97	0.31	62	1707	42	688
(iii) Tirupati	2016-17	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
	2017-18	210580	0.00	0.04	292.06	2	0.01	0	0	0	0
Assam, Meghalaya, Nagland, Sikkim, Manipur, Tripura, Mizoram & Arunachal Pradesh	2016-17	181759	0.00	0.06	178.29	12	0.07	0	485	9	695
	2017-18	234210	0.00	0.03	233.62	11	0.05	1	507	12	722
Bihar	2016-17	158286	0.00	0.21	340.77	4	0.03	0	4638	11	1660
	2017-18	202920	0.00	0.20	307.43	33	0.16	0	4638	28	1743
Chandigarh U.T.	2016-17	156500	0.00	0.02	302.50	44	0.28	4	7861	7	697
	2017-18	217280	0.00	0.01	354.98	40	0.18	11	7868	5	709
Chhattisgarh	2016-17	313720	0.00	0.07	250.29	59	0.19	0	1088	82	1485
	2017-18	450545	0.00	0.06	288.22	63	0.14	2	1153	66	1650
DELHI											
(i) Rajindra Place	2016-17	640500	0.00	0.05	301.87	88	0.14	0	5423	26	4679
	2017-18	707945	0.00	0.06	316.60	65	0.09	0	5768	23	4741
(ii) Okhla	2016-17	629645	0.00	0.02	291.38	28	0.04	0	1223	31	626
	2017-18	818195	0.00	0.01	334.99	41	0.05	0	1256	24	687
(iii) Rohini	2016-17	193385	0.00	0.51	286.31	282	1.46	4	2422	39	635
	2017-18	224035	0.00	0.38	315.37	277	1.24	0	2422	20	690
Goa	2016-17	203539	0.00	0.06	296.54	34	0.17	0	1034	20	682
	2017-18	239335	0.00	0.05	358.90	23	0.10	0	1069	16	720
GUJARAT											
(i) Ahmedabad	2016-17	559255	0.01	0.19	325.04	620	1.11	623	10790	65	7756
	2017-18	689955	0.01	0.16	355.43	478	0.69	156	11046	58	7905
(ii) Baroda	2016-17	219060	0.00	0.17	301.55	50	0.23	6	1857	36	897
	2017-18	252970	0.00	0.15	328.14	51	0.20	5	1912	20	947
(iii) Surat	2016-17	350345	0.00	0.04	341.10	39	0.11	0	933	18	1109
	2017-18	439445	0.00	0.03	375.02	57	0.13	0	963	58	1261
HARYANA											
(i) Faridabad	2016-17	581540	0.00	0.16	231.39	807	1.39	12	17596	80	5567
	2017-18	690895	0.00	0.15	283.17	640	0.93	2	18046	73	5789
(ii) Gurugram	2016-17	1305115	0.00	0.01	250.43	83	0.06	0	2512	31	381
	2017-18	1761035	0.00	0.01	283.14	119	0.07	0	2613	39	475
(iii) Ambala	2016-17	166770	0.00	0.12	245.17	187	1.12	19	190	36	221
	2017-18	213585	0.00	0.07	302.69	153	0.72	12	317	20	277
Himachal Pradesh	2016-17	230540	0.00	0.20	223.89	188	0.82	18	1050	39	948
	2017-18	267130	0.00	0.16	236.75	107	0.40	6	1188	18	990
Jammu & Kashmir	2016-17	157955	0.00	0.07	239.82	19	0.12	1	486	18	603
	2017-18	248755	0.00	0.04	269.32	54	0.22	0	522	22	657
Jharkhand	2016-17	261600	0.00	0.20	75.29	41	0.16	0	1400	18	798
	2017-18	321665	0.00	0.05	319.05	50	0.16	0	1462	13	835



राज्य / क्षेत्र	अवधि	रोजगार चोट में जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाम			स्थायी निःशक्तता हितलाम				आश्रितजन हितलाम	
			प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी दिनों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाम की औसत दैनिक दर (₹)	स्वीकृत नए मामलों की संख्या	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	एकमुश्त भुगतान के लिए संराशीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में लाभार्थियों की संख्या	मृत्यु के स्वीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कर्नाटक											
(i) बिन्नी पेठ	2016-17	833080	0.00	0.03	335.99	92	0.11	3	6065	26	2686
	2017-18	1001195	0.00	0.02	347.23	66	0.07	2	6103	11	2711
(ii) बोमसन्द्रा	2016-17	659180	0.00	0.01	696.66	37	0.06	2	1058	0	194
	2017-18	767430	0.00	0.03	156.16	13	0.02	0	1092	0	194
(iii) पीण्या	2016-17	442020	0.00	0.04	332.18	40	0.09	3	5949	9	198
	2017-18	507940	0.00	0.04	342.86	46	0.09	13	5965	6	211
(iv) हुबली	2016-17	234615	0.01	0.17	285.28	108	0.46	10	2420	35	1270
	2017-18	277585	0.00	0.14	305.54	48	0.17	8	2491	44	1373
(v) गुलबर्गा	2016-17	92460	0.00	0.04	375.84	1	0.01	0	478	2	83
	2017-18	143820	0.00	0.03	416.24	6	0.04	0	494	6	95
(vi) मैसूर	2016-17	156210	0.00	0.07	285.25	42	0.27	8	135	13	98
	2017-18	192460	0.00	0.05	327.73	31	0.16	2	160	5	108
(vii) मैंगलुरु	2016-17	134645	0.00	0.04	313.54	8	0.06	0	11	7	49
	2017-18	176825	0.00	0.03	354.00	6	0.03	1	21	0	49
केरल											
(i) तृशूर	2016-17	115925	0.01	0.33	254.92	28	0.24	3	4212	6	1968
	2017-18	145490	0.01	0.25	352.85	28	0.19	0	4241	13	1998
(ii) कोझिकोड	2016-17	119355	0.01	0.26	274.32	18	0.15	0	1173	6	130
	2017-18	152800	0.01	0.22	353.23	48	0.31	0	1213	4	137
(iii) एरणाकुलम	2016-17	330255	0.00	0.17	296.70	60	0.18	0	2533	15	385
	2017-18	388890	0.00	0.18	302.48	102	0.26	1	2609	22	428
(iv) कोल्लम	2016-17	111160	0.01	0.28	247.89	64	0.58	2	2240	3	260
	2017-18	126495	0.00	0.25	285.11	34	0.27	0	2260	0	260
(v) त्रिवंतपुरम	2016-17	110325	0.00	0.05	523.65	12	0.11	0	17	2	33
	2017-18	115450	0.00	0.10	284.68	12	0.10	0	27	4	40
मध्य प्रदेश											
(i) इंदौर	2016-17	600125	0.01	0.15	271.74	246	0.41	55	8938	38	4680
	2017-18	649530	0.00	0.11	300.83	272	0.42	35	9120	59	4852
(ii) भोपाल	2016-17	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
	2017-18	142800	0.01	0.28	210.91	11	0.08	0	33	0	0
महाराष्ट्र											
(i) लोअर परेल	2016-17	530620	0.00	0.03	328.93	65	0.12	4	9019	33	10159
	2017-18	648550	0.00	0.02	400.24	64	0.10	3	9083	18	10206
(ii) मरोल	2016-17	718385	0.00	0.02	264.66	145	0.20	2	3276	19	425
	2017-18	924095	0.00	0.02	361.58	146	0.16	26	3534	64	567
(iii) नागपुर	2016-17	211310	0.00	0.16	282.24	47	0.22	3	1408	27	1675
	2017-18	299595	0.00	0.11	324.92	27	0.09	1	1434	23	1728
(iv) पुणे	2016-17	826090	0.00	0.08	347.58	260	0.31	59	12857	54	2980
	2017-18	1185930	0.00	0.06	354.09	268	0.23	31	13224	43	3080
(v) ठाणे	2016-17	491910	0.00	0.05	367.10	142	0.29	16	3680	30	867
	2017-18	671015	0.00	0.04	439.51	124	0.18	2	3838	40	979
(vi) औरंगाबाद	2016-17	174550	0.00	0.08	299.18	19	0.11	0	1069	14	263
	2017-18	218845	0.00	0.10	369.83	45	0.21	0	1180	10	293
(vii) नाशिक	2016-17	114520	0.00	0.19	399.95	99	0.86	4	85	7	128
	2017-18	149725	0.00	0.19	401.75	74	0.49	2	163	7	144
ओडिशा	2016-17	438395	0.00	0.07	251.10	41	0.09	2	2492	44	2081
	2017-18	567470	0.00	0.06	289.04	50	0.09	1	2547	40	2172



State/Area	Period	No. of employees deemed exposed to risk to E.I.	Temporary Disablement Benefit			Permanent Disablement Benefit				Dependants' Benefit	
			Rate of fresh spells per employees per annum	No. of Days per employee per annum	Average daily rate of T.D.B. [₹]	No. of fresh cases admitted	Rate of fresh case per 1000 employee per annum	No. of cases commuted for Lump-sum	No. of Beneficiaries at the end of the year	No. of death cases admitted	No. of Beneficiaries at the end of the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KARNATAKA											
(i) Binney peth	2016-17	833080	0.00	0.03	335.99	92	0.11	3	6065	26	2686
	2017-18	1001195	0.00	0.02	347.23	66	0.07	2	6103	11	2711
(ii) Bommasandra	2016-17	659180	0.00	0.01	696.66	37	0.06	2	1058	0	194
	2017-18	767430	0.00	0.03	156.16	13	0.02	0	1092	0	194
(iii) Peenya	2016-17	442020	0.00	0.04	332.18	40	0.09	3	5949	9	198
	2017-18	507940	0.00	0.04	342.86	46	0.09	13	5965	6	211
(iv) Hubli	2016-17	234615	0.01	0.17	285.28	108	0.46	10	2420	35	1270
	2017-18	277585	0.00	0.14	305.54	48	0.17	8	2491	44	1373
(v) Gulbarga	2016-17	92460	0.00	0.04	375.84	1	0.01	0	478	2	83
	2017-18	143820	0.00	0.03	416.24	6	0.04	0	494	6	95
(vi) Mysore	2016-17	156210	0.00	0.07	285.25	42	0.27	8	135	13	98
	2017-18	192460	0.00	0.05	327.73	31	0.16	2	160	5	108
(vii) Mangalore	2016-17	134645	0.00	0.04	313.54	8	0.06	0	11	7	49
	2017-18	176825	0.00	0.03	354.00	6	0.03	1	21	0	49
KERALA											
(i) Thrissur	2016-17	115925	0.01	0.33	254.92	28	0.24	3	4212	6	1968
	2017-18	145490	0.01	0.25	352.85	28	0.19	0	4241	13	1998
(ii) Kozhikode	2016-17	119355	0.01	0.26	274.32	18	0.15	0	1173	6	130
	2017-18	152800	0.01	0.22	353.23	48	0.31	0	1213	4	137
(iii) Ernakulam	2016-17	330255	0.00	0.17	296.70	60	0.18	0	2533	15	385
	2017-18	388890	0.00	0.18	302.48	102	0.26	1	2609	22	428
(iv) Kollam	2016-17	111160	0.01	0.28	247.89	64	0.58	2	2240	3	260
	2017-18	126495	0.00	0.25	285.11	34	0.27	0	2260	0	260
(v) Thiruvanthapuram	2016-17	110325	0.00	0.05	523.65	12	0.11	0	17	2	33
	2017-18	115450	0.00	0.10	284.68	12	0.10	0	27	4	40
MADHYA PRADESH											
(i) Indore	2016-17	600125	0.01	0.15	271.74	246	0.41	55	8938	38	4680
	2017-18	649530	0.00	0.11	300.83	272	0.42	35	9120	59	4852
(ii) Bhopal	2016-17	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
	2017-18	142800	0.01	0.28	210.91	11	0.08	0	33	0	0
MAHARASHTRA											
(i) Lower Parel	2016-17	530620	0.00	0.03	328.93	65	0.12	4	9019	33	10159
	2017-18	648550	0.00	0.02	400.24	64	0.10	3	9083	18	10206
(ii) Marol	2016-17	718385	0.00	0.02	264.66	145	0.20	2	3276	19	425
	2017-18	924095	0.00	0.02	361.58	146	0.16	26	3534	64	567
(iii) Nagpur	2016-17	211310	0.00	0.16	282.24	47	0.22	3	1408	27	1675
	2017-18	299595	0.00	0.11	324.92	27	0.09	1	1434	23	1728
(iv) Pune	2016-17	826090	0.00	0.08	347.58	260	0.31	59	12857	54	2980
	2017-18	1185930	0.00	0.06	354.09	268	0.23	31	13224	43	3080
(v) Thane	2016-17	491910	0.00	0.05	367.10	142	0.29	16	3680	30	867
	2017-18	671015	0.00	0.04	439.51	124	0.18	2	3838	40	979
(vi) Aurangabad	2016-17	174550	0.00	0.08	299.18	19	0.11	0	1069	14	263
	2017-18	218845	0.00	0.10	369.83	45	0.21	0	1180	10	293
(vii) Nasik	2016-17	114520	0.00	0.19	399.95	99	0.86	4	85	7	128
	2017-18	149725	0.00	0.19	401.75	74	0.49	2	163	7	144
Odisha	2016-17	438395	0.00	0.07	251.10	41	0.09	2	2492	44	2081
	2017-18	567470	0.00	0.06	289.04	50	0.09	1	2547	40	2172



राज्य / क्षेत्र	अवधि	रोजगार चोट में जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाम			स्थायी निःशक्तता हितलाम				आश्रितजन हितलाम	
			प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी दिनों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाम की औसत दैनिक दर (₹)	स्वीकृत नए मामलों की संख्या	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	एकमुश्त भुगतान के लिए संराशीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में लाभार्थियों की संख्या	मृत्यु के स्वीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पुदुच्चेरी	2016-17	97905	0.00	0.09	251.73	29	0.30	4	683	9	317
	2017-18	109995	0.00	0.12	300.63	26	0.24	1	702	8	335
पंजाब											
(i) क्षे.का. पंजाब	2016-17	348370	0.00	0.22	234.32	351	1.01	106	9595	62	7165
	2017-18	450800	0.00	0.16	276.76	323	0.72	51	9842	42	7245
(ii) लुधियाना	2016-17	324325	0.00	0.40	270.86	640	1.97	285	13581	30	896
	2017-18	372555	0.00	0.32	274.59	798	2.14	185	14504	68	1085
(iii) जालंधर	2016-17	200805	0.00	0.12	257.91	216	1.08	22	472	31	599
	2017-18	225355	0.00	0.12	282.73	176	0.78	2	601	38	706
राजस्थान											
(i) जयपुर	2016-17	664670	0.00	0.06	244.28	194	0.29	18	6855	52	5145
	2017-18	876450	0.00	0.05	273.38	171	0.20	15	7043	37	5246
(ii) उदयपुर	2016-17	157630	0.00	0.11	284.93	71	0.45	13	1486	13	384
	2017-18	190835	0.00	0.08	288.14	41	0.21	3	1506	6	396
(iii) जोधपुर	2016-17	106055	0.01	0.20	297.27	89	0.84	13	179	33	494
	2017-18	139460	0.00	0.15	353.90	52	0.37	3	235	26	555
तमिलनाडु											
(i) चेन्नै	2016-17	1684910	0.00	0.04	282.70	221	0.13	22	5876	49	5605
	2017-18	2092855	0.00	0.05	203.34	199	0.10	22	6057	89	5835
(ii) सेलम	2016-17	289920	0.00	0.05	256.31	88	0.30	0	1736	19	432
	2017-18	362355	0.00	0.04	275.54	74	0.20	0	1785	30	504
(iii) कोयम्बतूर	2016-17	621165	0.00	0.04	313.21	98	0.16	0	2531	60	1620
	2017-18	691685	0.00	0.03	371.83	89	0.13	0	2531	31	1688
(iv) मदुरै	2016-17	341930	0.00	0.06	208.08	121	0.35	14	2087	57	1844
	2017-18	392625	0.00	0.05	262.70	106	0.27	8	2180	40	1927
(v) तिरुनेलवेली	2016-17	162015	0.00	0.07	280.11	24	0.15	0	681	15	214
	2017-18	196920	0.00	0.05	285.61	14	0.07	0	693	31	283
तेलंगाना	2016-17	1429685	0.00	0.04	262.91	166	0.12	125	7185	67	6181
	2017-18	1545855	0.00	0.03	285.10	144	0.09	39	7317	98	6437
उत्तर प्रदेश											
(i) कानपुर	2016-17	309345	0.00	0.07	273.14	56	0.18	0	9935	59	5896
	2017-18	376305	0.00	0.06	190.88	72	0.19	0	10022	39	6005
(ii) वाराणसी	2016-17	53425	0.00	0.04	255.81	5	0.09	0	3565	8	134
	2017-18	74050	0.00	0.03	246.42	7	0.09	0	3635	11	155
(iii) नोएडा	2016-17	844835	0.00	0.06	218.41	239	0.28	0	5824	41	2031
	2017-18	1026375	0.00	0.12	126.80	233	0.23	0	6017	41	2158
(iv) लखनऊ	2016-17	241705	0.00	0.03	358.61	13	0.05	0	264	23	234
	2017-18	321645	0.00	0.02	326.54	6	0.02	2	322	4	247
उत्तराखंड	2016-17	439460	0.00	0.07	296.60	59	0.13	0	1258	42	540
	2017-18	562285	0.00	0.06	369.70	0	0.00	0	1416	0	540
पश्चिम बंगाल											
(i) कोलकाता	2016-17	1050380	0.02	0.88	337.94	1962	1.87	1787	33795	55	8330
	2017-18	1288565	0.01	0.49	337.69	2699	2.09	1586	36497	39	8422
(ii) बैरकपुर	2016-17	254835	0.03	1.89	324.85	2390	9.38	1143	16284	18	461
	2017-18	293335	0.02	1.11	342.17	2654	9.05	945	18944	26	529
(iii) दुर्गापुर	2016-17	140810	0.00	0.14	288.31	39	0.28	8	146	27	296
	2017-18	179645	0.00	0.10	299.15	50	0.28	4	183	35	375
अखिल भारत	2016-17	24125584	0.00	0.14	300.42	11692	0.48	4894	257653	1796	110582
	2017-18	30219870	0.00	0.10	307.36	11960	0.40	3409	269354	1739	114966



State/Area	Period	No. of employees deemed exposed to risk to E.I.	Temporary Disablement Benefit			Permanent Disablement Benefit				Dependants' Benefit	
			Rate of fresh spells per employees per annum	No. of Days per employee per annum	Average daily rate of T.D.B. [₹]	No. of fresh cases admitted	Rate of fresh case per 1000 employee per annum	No. of cases commuted for Lump-sum	No. of Beneficiaries at the end of the year	No. of death cases admitted	No. of Beneficiaries at the end of the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Puducherry	2016-17	97905	0.00	0.09	251.73	29	0.30	4	683	9	317
	2017-18	109995	0.00	0.12	300.63	26	0.24	1	702	8	335
PUNJAB											
(i) RO Punjab	2016-17	348370	0.00	0.22	234.32	351	1.01	106	9595	62	7165
	2017-18	450800	0.00	0.16	276.76	323	0.72	51	9842	42	7245
(ii) Ludhiana	2016-17	324325	0.00	0.40	270.86	640	1.97	285	13581	30	896
	2017-18	372555	0.00	0.32	274.59	798	2.14	185	14504	68	1085
(iii) Jalandhar	2016-17	200805	0.00	0.12	257.91	216	1.08	22	472	31	599
	2017-18	225355	0.00	0.12	282.73	176	0.78	2	601	38	706
RAJASTHAN											
(i) Jaipur	2016-17	664670	0.00	0.06	244.28	194	0.29	18	6855	52	5145
	2017-18	876450	0.00	0.05	273.38	171	0.20	15	7043	37	5246
(ii) Udaipur	2016-17	157630	0.00	0.11	284.93	71	0.45	13	1486	13	384
	2017-18	190835	0.00	0.08	288.14	41	0.21	3	1506	6	396
(iii) Jodhpur	2016-17	106055	0.01	0.20	297.27	89	0.84	13	179	33	494
	2017-18	139460	0.00	0.15	353.90	52	0.37	3	235	26	555
TAMIL NADU											
(i) Chennai	2016-17	1684910	0.00	0.04	282.70	221	0.13	22	5876	49	5605
	2017-18	2092855	0.00	0.05	203.34	199	0.10	22	6057	89	5835
(ii) Salem	2016-17	289920	0.00	0.05	256.31	88	0.30	0	1736	19	432
	2017-18	362355	0.00	0.04	275.54	74	0.20	0	1785	30	504
(iii) Coimbatore	2016-17	621165	0.00	0.04	313.21	98	0.16	0	2531	60	1620
	2017-18	691685	0.00	0.03	371.83	89	0.13	0	2531	31	1688
(iv) Madurai	2016-17	341930	0.00	0.06	208.08	121	0.35	14	2087	57	1844
	2017-18	392625	0.00	0.05	262.70	106	0.27	8	2180	40	1927
(v) Tirunelveli	2016-17	162015	0.00	0.07	280.11	24	0.15	0	681	15	214
	2017-18	196920	0.00	0.05	285.61	14	0.07	0	693	31	283
Telangana	2016-17	1429685	0.00	0.04	262.91	166	0.12	125	7185	67	6181
	2017-18	1545855	0.00	0.03	285.10	144	0.09	39	7317	98	6437
UTTAR PRADESH											
(i) Kanpur	2016-17	309345	0.00	0.07	273.14	56	0.18	0	9935	59	5896
	2017-18	376305	0.00	0.06	190.88	72	0.19	0	10022	39	6005
(ii) Varanasi	2016-17	53425	0.00	0.04	255.81	5	0.09	0	3565	8	134
	2017-18	74050	0.00	0.03	246.42	7	0.09	0	3635	11	155
(iii) Noida	2016-17	844835	0.00	0.06	218.41	239	0.28	0	5824	41	2031
	2017-18	1026375	0.00	0.12	126.80	233	0.23	0	6017	41	2158
(iv) Lucknow	2016-17	241705	0.00	0.03	358.61	13	0.05	0	264	23	234
	2017-18	321645	0.00	0.02	326.54	6	0.02	2	322	4	247
Uttarakhand	2016-17	439460	0.00	0.07	296.60	59	0.13	0	1258	42	540
	2017-18	562285	0.00	0.06	369.70	0	0.00	0	1416	0	540
WEST BENGAL											
(i) Kolkata	2016-17	1050380	0.02	0.88	337.94	1962	1.87	1787	33795	55	8330
	2017-18	1288565	0.01	0.49	337.69	2699	2.09	1586	36497	39	8422
(ii) Barrackpore	2016-17	254835	0.03	1.89	324.85	2390	9.38	1143	16284	18	461
	2017-18	293335	0.02	1.11	342.17	2654	9.05	945	18944	26	529
(iii) Durgapur	2016-17	140810	0.00	0.14	288.31	39	0.28	8	146	27	296
	2017-18	179645	0.00	0.10	299.15	50	0.28	4	183	35	375
ALL INDIA	2016-17	24125584	0.00	0.14	300.42	11692	0.48	4894	257653	1796	110582
	2017-18	30219870	0.00	0.10	307.36	11960	0.40	3409	269354	1739	114966



परिशिष्ट - IV- ग

वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018 के दौरान स्वीकृत स्थायी निःशक्तता हितलाभ (पीडीबी) दावों की घटना-दर (उद्योग-वार)

क्र. सं.	उद्योग	उद्योग कोड संख्या	अवधि	जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की अनुमानित संख्या	नए स्वीकृत मामलों की संख्या	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी स्थायी निःशक्तता हितलाभ मामलों की दर
1	2	3	4	5	6	7
1	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	0	2016-17	1479842	547	0.37
			2017-18	1570569	634	0.40
2	कपड़ा	1	2016-17	4408212	3085	0.70
			2017-18	4678472	2487	0.53
3	चमड़ा एवं रबड़	2	2016-17	805248	233	0.29
			2017-18	854617	171	0.20
4	रसायन एवं रसायन उत्पाद	3	2016-17	1582932	365	0.23
			2017-18	1679979	178	0.11
5	गैर-धात्विक खनिज	4	2016-17	879876	373	0.42
			2017-18	933819	616	0.66
6	धात्विक खनिज	5	2016-17	1674161	752	0.45
			2017-18	1776800	643	0.36
7	अभियांत्रिकी	6	2016-17	3693201	1077	0.29
			2017-18	3919624	1280	0.33
8	परिवहन	7	2016-17	810598	716	0.88
			2017-18	860294	969	1.13
9	कागज एवं मुद्रण	8	2016-17	880115	305	0.35
			2017-18	934073	368	0.39
10	विविध	9	2016-17	3614956	3233	0.89
			2017-18	3836583	3528	0.92
11	वाणिज्यिक स्थापनाएं	10	2016-17	8479394	823	0.10
			2017-18	8999250	826	0.09
12	होटल एवं रेस्तरां	11	2016-17	733525	32	0.04
			2017-18	778496	42	0.05
13	सिनेमा तथा थियेटर	12	2016-17	83040	42	0.51
			2017-18	88131	54	0.61
14	शैक्षणिक संस्थान	13	2016-17	106514	41	0.38
			2017-18	113044	76	0.67
15	अस्पताल, नर्सिंग होम आदि	14	2016-17	89445	68	0.76
			2017-18	94929	88	0.93
16	अखिल भारत		2016-17	29321060	11692	0.40
			2017-18	31118680	11960	0.38



APPENDIX- IV-C

Incidence of Permanent Disablement Benefit Claims admitted during 2016-17 and 2017-18 (Industry-wise).

S. No.	Industry	Industry Code No.	Period	Estimated No. of Employees exposed to risk	No. of fresh cases admitted	Rate of PDB cases per 1000 employees per annum
1	2	3	4	5	6	7
1	Food Beverages & Tobacco	0	2016-17	1479842	547	0.37
			2017-18	1570569	634	0.40
2	Textiles	1	2016-17	4408212	3085	0.70
			2017-18	4678472	2487	0.53
3	Leather & Rubber	2	2016-17	805248	233	0.29
			2017-18	854617	171	0.20
4	Chemicals & Chemical Products	3	2016-17	1582932	365	0.23
			2017-18	1679979	178	0.11
5	Non-Metalic Minerals	4	2016-17	879876	373	0.42
			2017-18	933819	616	0.66
6	Metallic Minerals	5	2016-17	1674161	752	0.45
			2017-18	1776800	643	0.36
7	Engineering	6	2016-17	3693201	1077	0.29
			2017-18	3919624	1280	0.33
8	Transport	7	2016-17	810598	716	0.88
			2017-18	860294	969	1.13
9	Paper & Printing	8	2016-17	880115	305	0.35
			2017-18	934073	368	0.39
10	Miscellaneous	9	2016-17	3614956	3233	0.89
			2017-18	3836583	3528	0.92
11	Commercial Establishments	10	2016-17	8479394	823	0.10
			2017-18	8999250	826	0.09
12	Hotels & Restaurants	11	2016-17	733525	32	0.04
			2017-18	778496	42	0.05
13	Cinemas & Theatres	12	2016-17	83040	42	0.51
			2017-18	88131	54	0.61
14	Educational Institutions	13	2016-17	106514	41	0.38
			2017-18	113044	76	0.67
15	Hospitals, Nursing Homes etc.	14	2016-17	89445	68	0.76
			2017-18	94929	88	0.93
16	All INDIA		2016-17	29321060	11692	0.40
			2017-18	31118680	11960	0.38

परिशिष्ट - VII

कैलेंडर वर्ष 2017 (दिनांक 01.01.2018 तक की स्थिति अनुसार) के दौरान अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व दर्शाते हुए वार्षिक विवरण

क्र. सं.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या समूह क				कर्मचारियों की संख्या समूह ख				कर्मचारियों की संख्या समूह ग				कर्मचारियों की संख्या समूह ग (सफाई कर्मचारी)							
		अनु. जाति	अनु. जन जाति	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अ.पि.व.	अन्य	कुल					
क	01.01.2018 तक कुल प्रस्तुतिकरण	388	172	600	1525	2685	29	18	0	217	264	3287	1090	3920	9275	17572	2	0	1	0	3
ख	2017 के दौरान सीधी भर्ती द्वारा	23	14	103	136	276	0	0	0	0	0	251	129	563	588	1531	0	0	0	0	0
ग	2017 के दौरान पदोन्नति द्वारा	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	211	39	123	687	1060	0	0	0	0	0
घ	2017 के दौरान प्रतिनियुक्ति द्वारा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	0	0	0	0	0
	कुल (ख+ग+घ)	23	14	103	144	284	0	0	0	0	0	462	168	688	1283	2601	0	0	0	0	0



APPENDIX - VII

Annual statement showing the representation of SCs, STs and OBCs for the calendar year 2017 (as on 01.01.2018)

Sl. No.	Particular	Number of Employees					Number of Employees					Number of Employees									
		GROUP A					GROUP B					GROUP C					GROUP C (Safai Karamchhari)				
		SCs	STs	OBCs	Other	Total	SCs	STs	OBCs	Other	Total	SCs	STs	OBCs	Other	Total	SCs	STs	OBCs	Other	Total
a	Total Representation as on 01/01/2018	388	172	600	1525	2685	29	18	0	217	264	3287	1090	3920	9275	17572	2	0	1	0	3
b	By Direct Recruitment during 2017	23	14	103	136	276	0	0	0	0	0	251	129	563	588	1531	0	0	0	0	0
c	By Promotion during 2017	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	211	39	123	687	1060	0	0	0	0	0
d	By Deputation during 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	0	0	0	0	0
Total (b+c+d)		23	14	103	144	284	0	0	0	0	0	462	168	688	1283	2601	0	0	0	0	0



क.रा.बी.नि
ESIC

Published by
Director General

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi, 110002
Toll Free No. 1800-11-2526, Medical Helpline No. 1800-11-3839
Website: www.esic.nic.in, www.esichospitals.gov.in
www.facebook.com/esichq [@esichq](https://twitter.com/esichq)

Compiled & Produced by
Public Relation Divn., ESIC